अष्टम माला, खंड 46, अंक 7

Friday, 21 April, 1989

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. B 60
Date 5/3/90

(खंड 46 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 21 अप्रैल, 1989/1 वैशाख, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
34	5	उत्तर के आरंभ में "(क)" के स्थान पर "(क) से (ग)" पढ़िये।
55	9	"(घ)" के स्थान पर "(च)" पढ़िये।
113	नीचे से 6	उत्तर के आरंभ में "(क)" का लोप कीजिये।
206	नीचे से 5	"7559/89" के स्थान पर "7759/89" पढ़िये।

कम

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 49, तेरहवां सत्र, 1989/1910-1911 (शक)

अंक 34, शुक्रवार, 21 अप्रैल, 1989/1 वैशाख, 1911 (शक)

विषय		पृष्ठ
नों के मौखिक उत्तर		1—21
*तारांकित प्रश्न संख्या :	678, 679, 681, 683, 686, 691, 692 और 695	
नों के लिखित उत्तर		22—206
तारांकित प्रश्न संख्या :	676, 677, 680, 682, 684, 685, 687 से 690, 693, 694 और 543	22—29
अतारांकित प्रश्न संख्या :	6401 से 6404, 6406 से 6463, 6465 से 6530, 6532 से 6563 और 6565 से 6632	29—206
सभा पटल पर रखे गए पत्र		206—208
प्राक्कलन समिति		208
की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण		
प्राक्कलन समिति		209
72वां और 75वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश		
ाक लेखा समिति		209—212
157वां प्रतिवेदन		
ा का कार्य		212—216

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	217—226
नागालैंड की सीमा पर असम के गांव राजा पोखरी में निर्दोष व्यक्तियों की हत्याएं किए जाने और अन्य अनेक व्यक्तियों को घायल किए जाने से उत्पन्न स्थिति	
श्री पराग चालिहा	217
श्री संतोष मोहन देव	217
श्री हरीश रावत	221
अनुदानों की मांगें, 1989-90	226—252 और 285—295 और 299—304 और 307—313
(एक) कृषि मंत्रालय	
श्री भजन लाल	226
(दो) विदेश मंत्रालय	
श्री बी० आर० भगत	252
श्री बृज मोहन महन्ती	285
श्री विजय एन० पाटिल	289
प्रो० नारायण चन्द पराशर	292
श्री एन० टोम्बी सिंह	301
श्री राम सिंह यादव	303
श्री हरीश रावत	309
विधेयक पुर:स्थापित	253—254
(एक) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 376 आदि में संशोधन)	253
श्री हरुभाई मेहता	
(दो) मृत्यु दंड की समाप्ति विधेयक	253
श्री तम्पन थामस	
(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 101 आदि में संशोधन)	254
श्री शांताराम नायक	

विषय	पृष्ठ

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक 254
(नए अनुच्छेद 350क का अंत:स्थापन)

असंगठित श्रमिक कल्याण निधि विधेयक 255—267

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री महाबीर प्रसाद यादव 255

श्री बिन्देशवरी दुबे 257

श्री बालासाहिब विखे पाटिल 265

उचित दर दुकान (विनियमन) विधेयक 267—280 और 281—285

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री जी० एस० बासवराजू 267

डा० फूलरेणु गुहा 271

श्री एन० टोम्बी सिंह 274

श्री गिरधारी लाल व्यास 276

प्रो० पी० जे० कुरियन 281

सभा का अवमान 280—281

बैठक का समय बढ़ाया जाना 281 और 295—299 और 304—307

कर्नाटक विधान सभा का विघटन किए जाने तथा वहां राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के बारे में वक्तव्य 314—315

सरदार बूटा सिंह

लोक सभा

शुक्रवार, 21 अप्रैल, 1989/1 वैशाख, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केरल में काजू की खरीद

[अनुवाद]

*678. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एकाधिकार खरीद योजना पुन: आरम्भ किए जाने के कारण वहां काजू की खरीद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और काजू का व्यापार अव्यवस्थित हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और केरल सरकार ने ऐसा करने के क्या कारण बताए हैं; और

(ग) वर्ष 1989 के लिए काजू के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) क्योंकि अपनी नई खरीद योजना के अन्तर्गत सभी काजू की खरीद केरल सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए भारत सरकार को काजू की खरीद प्रभावित होने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। केरल सरकार और व्यापारियों के बीच नीतिगत मामलों पर मतभेद होने के कारण निर्यात में कुछ अव्यवस्था हुई थी ।

(ग) वर्ष 1988-89 के लिए निर्यात का लक्ष्य 285 करोड़ रु० निर्धारित किया गया था ।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : माननीय मंत्री द्वारा इस सदन में पूर्व अवसरों पर दिए गए उत्तरों से यह पता चलता है कि गत कुछ वर्षों के दौरान काजू के निर्यात में स्पष्ट रूप से कमी आई है । इस स्थिति के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एकाधिकार खरीद नीति मुख्य रूप से उत्तरदायी है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र, कन्नानौर में सबसे अधिक काजू पैदा होता है और यह देश में सबसे बढ़िया किस्म का काजू होता है और हजारों किसान इस फसल पर निर्भर करते हैं । राज्य सरकार की इस नीति से किसानों में भारी असन्तोष है, यहां तक कि विधायक भी भूख हड़ताल पर हैं । मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या एकाधिकार खरीद नीति को अन्तिम रूप देने से पहले राज्य सरकार ने

उनके मंत्रालय से परामर्श किया था, क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय सहायता की मांग की थी और क्या केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष काजू की खरीद के लिए राज्य को कोई वित्तीय सहायता दी है ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : दो प्रश्नों के अन्तिम भाग के सम्बन्ध में, कि क्या एकाधिकार खरीद योजना को शुरू करते समय, भारत सरकार विशेषकर वाणिज्य मंत्रालय से परामर्श किया गया था, उसका उत्तर नहीं में है । हमसे परामर्श नहीं किया गया है । काजू की खरीद के लिए उनके वित्तीय मामलों में केरल सरकार द्वारा मांगी गई सहायता के सम्बन्ध में, उत्तर 'हां' में है, उन्होंने हमारी सहायता मांगी है काजू सम्बन्धी कार्यों के लिए संस्थाओं से धन प्राप्त करने में केरल सरकार और सरकारी एजेंसियों को होने वाली कठिनाइयों का पता लगाया गया था और इस सम्बन्ध में केरल सरकार द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार काजू की खरीद, उसे संसाधित करने और निर्यात करने के लिए राज्य सरकार की एजेंसियों को ऋण देने के लिए हमारे कहने पर भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त, 1988 में स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर को 50.75 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण अनुज्ञप्ति जारी की थी । जहां तक उनके प्रश्न के अन्तिम भाग कि क्या काजू के निर्यात में कमी आई है का सम्बन्ध है, जब तक खरीद अभियान जारी था, उसमें पहले हमने काजू निर्यात का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था । यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी जो चलती रहती हैं, कभी-कभी 320 करोड़ रुपए से अधिक या कभी-कभी उससे भी अधिक हो जाता है । लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि केरल सरकार ने खरीद योजना शुरू की थी, हमने शुरू में कुछ समस्याओं के होने का अनुमान लगाया था और इसी वजह से हमने लक्ष्य को कम करके 285 करोड़ रुपए तक कर दिया था और उसमें लगभग 281 करोड़ रुपए का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था ।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : यह जानकर हम सभी को बहुत ही प्रसन्नता हुई है कि केन्द्रीय सरकार ने रबड़ बोर्ड, काफी बोर्ड, काली मिर्च बोर्ड, इलायची बोर्ड, मसाला बोर्ड, आदि की तरह काजू बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है ।...(व्यवधान)...काजू उत्पादकों की ओर से, मैं इस निर्णय पर माननीय मंत्री को मुबारकबाद देता हूं । तथापि मंत्री जी को शायद इस बात की जानकारी होगी कि केरल सरकार निकट भविष्य में काजू बोर्ड स्थापित किए जाने के कदम का विरोध कर रही है । जैसी कि अब स्थिति है, केरल में काजू उत्पादकों को राज्य सरकार की दया पर छोड़ दिया गया है । इसीलिए मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि काजू उत्पादकों के व्यापक हित में, जब तक काजू बोर्ड की स्थापना नहीं हो जाती, क्या सरकार काजू का बिक्री मूल्य निश्चित करेगी ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं यहां यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि काजू बोर्ड स्थापित नहीं किया गया है, लेकिन इसका प्रस्ताव हमारे मंत्रालय में है । कुछ प्रमुख संसद समस्यों तथा हमारे माननीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री, श्री कृष्ण कुमार सहित केरल से कई इच्छुक लोगों ने प्रस्ताव भेजे थे । उनकी अब हमारे मंत्रालय में जांच की जा रही है । उनके बारे में कोई अन्तिम निर्णय नही लिया गया है ।

जहां तक अन्य मामलों का सम्बन्ध है, उत्पादकों के लिए बिक्री मूल्य निर्धारण के बारे में, हमें वास्तव में इस बात की प्रसन्नता है कि केरल कांग्रेस (आई०) के नेता और विधायक गत कई वर्षों से और अभी हाल ही में भी किसानों और उत्पादकों के हित की बात करते रहे हैं । लेकिन बिक्री मूल्य निर्धारण के बारे में हाल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह बात राज्य सरकार के हाथ में है हमारे

हाथों में नहीं है। बिक्री मूल्य राज्य सरकार को निश्चित करना है। जो रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है, उससे पता चलता है कि काजू की विभिन्न किस्में हैं, कच्चे काजू और अन्य किस्में, जिनके लिए राज्य सरकार न्यूनतम बिक्री मूल्य निश्चित करती है जोकि 11.50 रुपए और 13.00 रुपए प्रति किलो के बीच में है।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, काजू की एकाधिकार खरीद के लिए केरल सरकार की आलोचना करने से पहले, उसकी पृष्ठभूमि को समझना चाहिए...(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आप पूछ सकते हैं कि क्या वह इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पढ़ाइये नहीं।

श्री सुरेश कुरूप : वर्ष 1976 में, जब सरकार ने काजू उद्योग में न्यूनतम मजदूरी की घोषणा की थी और केरल के फैक्टरी मालिक इस न्यूनतम मजदूरी को टालने के लिए...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उत्तर नहीं दीजिए, अपना प्रश्न पूछिए।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, मुझे अपना प्रश्न तैयार करने दीजिए...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको किसी का बचाव करने की अनुमति नहीं देने जा रहा हूं। आप मंत्री नहीं हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आप कह सकते हैं, क्या यह सच है...(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप : मैं जानना चाहता हूं क्या यह सच है कि केरल के फैक्टरी मालिक केरल सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी देने से बचने के लिए अपनी फैक्टरियां कर्नाटक-तमिलनाडु सीमा पर ले गए हैं। अतः इस वास्तविकता का सामना करने के लिए केरल सरकार ने 1970 के अन्त में स्वयं इस एकाधिकार खरीद को लागू किया था...(व्यवधान) अब सरकार ने दो बातों पर विचार किया है कि काजू उद्योग में श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए और इसके साथ ही किसानों को...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं है। आप किसी बात की व्याख्या कर रहे हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुरूप : मैं मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार को एकाधिकार खरीद के बदले में किसी अन्य वैकल्पिक नीति का सुझाव देना है जिससे किसानों को जितना इस समय केरल सरकार पारिश्रमिक दे रही है, उससे कहीं और अधिक मिल सके। केरल के उद्योग मंत्री तीन बार श्री दिनेश सिंह से मिले हैं। उन्होंने कहा है कि वह अपनी राजनीति के अलावा केरल सरकार की सहायता करने को तैयार हैं।

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : माननीय सदस्य द्वारा यह प्रश्न पूछने का आधार ही अपने आपमें गलत है। हमने एकाधिकार खरीद के लिए केरल सरकार की आलोचना नहीं की है।

श्री सुरेश कुरूप : आपके सदस्य सभा में इसकी आलोचना कर रहे हैं।

श्री दिनेश सिंह : मैं सरकार की बात कर रहा हूं। हमने आलोचना नहीं की है। हमने केवल सच्चाई को बताया है कि उन्होंने नीति के कारण कुछ हद तक गड़बड़ी पैदा की है जिससे इसके निर्यात में कमी आई है। और हमने सुझाव दिया है कि इस प्रकार की स्थिति में यदि केरल सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच बेहतर सहयोग होता है तो यह बहुत ही आसान होगा और यदि वे चाहते तो हमसे पहले परामर्श करते, उन्होंने ऐसी कार्यवाही की जिससे इस व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा हो गई और यह कुछ समय से चल रही है। जहां तक काजू को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने का सम्बन्ध है, हम सभी एक देश में हैं। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि यदि इससे उन्हें केरल में लाभ होता है तो वे केरल में ही रहेंगे। यदि उन्हें सीमावर्ती राज्य में फायदा होता है और उन्हें केरल सरकार की किसी नीति द्वारा परेशानी होती है तो वहां एक आन्दोलन होना लाजमी है। इस आन्दोलन को रोकने की कोशिश करने से अधिक मुश्किलें पैदा होंगी। यहां किया तो यह जाना चाहिए कि केरल में सुविधायें दी जायें जिससे केरल यह उद्योग लगा पाये।

प्रो० पी० जे० कुरियन : काजू देश के लिए केवल निर्यात द्वारा कमाई का ही साधन नहीं है अपितु यह काजू के क्षेत्र में कार्यरत लाखों कामगारों के रोजगार का भी सवाल है। सच तो यही है कि केरल में एक लाख से अधिक कामगार इस गिरीदार फल के कम मात्रा में उपलब्ध होने के कारण पीड़ित हैं चाहे यह गलत खरीद नीति के कारण हो या इस वजह से हो कि काजू को अन्य राज्यों में भेज दिया गया है। मुख्य कठिनाई यह है कि इन राज्यों में एक समान मजदूरी नीति नहीं है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में विपक्षी पार्टियों की सरकार है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार काजू क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में एक समान मजदूरी नीति के मामले में राज्यों से बात करेगी ताकि एक समान मजदूरी नीति के कारण उद्योग में अशान्ति की वजह से कामगारों पर प्रभाव नहीं पड़े।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : काजू का प्रसंस्करण औद्योगिक गतिविधि का एक भाग है। यह राज्य उद्योग मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आता है और निश्चित रूप से वाणिज्य मंत्रालय कार्यक्षेत्र में नहीं है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : लेकिन आप राज्य सरकार को लिख सकते हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : जहां तक राज्य सरकार को लिखने की बात है मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि हमारे वाणिज्य मंत्री ने केरल सरकार और उद्योग मंत्रालय को पत्र लिखे हैं। दुर्भाग्य से अभी तक इनका उत्तर नहीं दिया गया है।

स्वीकृति हेतु लम्बित उड़ीसा की सिंचाई परियोजनाएं

+

*679. **श्री बृज मोहन महंती** :
श्री चिन्तामणि जेना :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति हेतु कोई सिंचाई परियोजनाएं भेजी हैं, और उनके लिए धनराशि मंजूर करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा के पुरी जिले के कृष्ण प्रसाद ब्लाक में खारे पानी के लिए बने तटबन्ध को मजबूत बनाने और उसकी मरम्मत के लिए कोई परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

[हिन्दी]

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी 3 बृहद तथा 14 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। इनमें से एक बृहद परियोजना सुबर्ण-रेखा तथा 4 मध्यम परियोजनाएं-बाघलती, रूकुरा, देव तथा सपुआ बड़जोर सातवीं योजना में शामिल की गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

श्री बृज मोहन महंती : मैं माननीय मंत्री से ऐसी बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नाम जानना चाहता हूं जिन्हें बाह्य वित्तीय सहायता देने के लिए बातचीत चल रही है। क्या डेल्टा सिंचाई परियोजना की निकासी प्रणाली भी उनमें से एक है ? यदि हां, तो उसके लिए तुरन्त बाह्य वित्तीय सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तीन प्रश्न एक-साथ पूछे हैं। इन्होंने अपने पहले प्रश्न में यह जानना चाहा है कि इस परियोजना के लिए क्या हमें विदेश से आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है, मैं इन्हें बताना चाहती हूं कि जापान से उड़ीसा के अपर-इन्द्रावती प्रोजेक्ट को और अपर-कोलाब को आर्थिक सहायता मिल रही है। जहां तक सुबर्ण-रेखा परियोजना का ताल्लुक है, उससे सम्बन्धित प्रस्ताव हमने विश्व-बैंक के पास भेजा हुआ है। इसके अतिरिक्त, जहां तक अन्य लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए बाह्य सहायता प्राप्त करने का सम्बन्ध है, वह प्रस्ताव अभी हमारे पास विचाराधीन है।

[अनुवाद]

श्री बृज मोहन महंती : महोदय, मैं एक प्रश्न रखता हूं क्या डेल्टा सिंचाई परियोजना में निकासी व्यवस्था के लिए बाह्य सहायता हेतु विचार-विमर्श चल रहा है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो सूचना लेकर मैं उन्हें भिजवा सकती हूं।

[अनुवाद]

श्री बृज मोहन महंती : महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न, प्रश्न के बाद के हिस्से से है तथा यह पुरी जिले के कृष्ण प्रसाद ब्लाक में खारे पानी के लिए बने तटबन्ध से सम्बन्धित है जो कि बाढ़ रोकथाम का एक उपाय भी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह एक बाढ़ की रोकथाम का एक उपाय है—राज्य सरकार से इस परियोजना को पेश करने के लिए बात करेगी।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी है कि सिंचाई परियोजनाओं का आयोजन, वित्त-पोषण, कार्यान्वयन, संचालन तथा अनुरक्षण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, तथापि बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की प्रोजैक्ट रिपोर्ट की तकनीकी जांच केन्द्रीय जल आयोग तथा अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों में की जाती है। उसके बाद ये योजनाएं तकनीकी सलाहकार समिति के सम्मुख प्रस्तुत की जाती हैं, परन्तु जब राज्य सरकार कोई ऐसी योजना भेजती है तब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर भी, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कहा है कि जिस योजना की चर्चा इन्होंने प्रश्न में की है, "ग" में मैंने कहा है कि वह योजना भारत सरकार को नहीं भेजी गयी तथा "घ" में कहा है कि प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि योजना ही नहीं भेजी गयी है। इसलिए उस पर हम कैसे विचार कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि जेना : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि उड़ीसा सिंचाई परियोजना चरण-तीन के अन्तर्गत कई मध्यम और मुख्य सिंचाई परियोजनाएं आधुनिकीकरण के लिए विश्व बैंक की सहायता की राह देख रही हैं। हमने सुबर्ण रेखा और रंगाली परियोजनायें सरकार को रूसी सहायता के लिए पेश की हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है? इसके अलावा क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने सुबर्ण रेखा और राज्य की अन्य नदियों के नदी बेसिन विकास के प्रस्ताव रखे हैं? यदि हां, तो इस मामले में क्या प्रगति हुई है?

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : मैंने पहले ही बताया है कि सुबर्ण रेखा प्रोजैक्ट से सम्बन्धित प्रस्ताव आर्थिक सहायता के लिए हमने विश्व बैंक को भेजा है। जहां तक इनके दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, उड़ीसा में सुबर्ण रेखा पर जो काम होना है, बिहार में सुबर्ण रेखा परियोजना पर जो काम हो रहा है, वह उसी का कन्टीन्यूएशन होगा। जैसा मैंने पहले स्पष्ट किया, अभी इस योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, प्रस्ताव हमने भेजा हुआ है। सुबर्ण रेखा परियोजना के अन्तर्गत मुख्यतः तीन काम होने हैं: कैनाल का कन्सट्रक्शन होना है, रीमौडलिंग ऑफ हल्दिया डैम प्रोजैक्ट का काम होना है तथा कन्सट्रक्शन

ऑफ टू औकजीलियरी रिजर्वायर्स का काम होना है, वही मैंने उत्तर में बताया है। वर्ल्ड बैंक की एश्योरेंस का अभी कोई सवाल नहीं है क्योंकि हमने उनके पास प्रस्ताव भेजा हुआ है। रशियन एसिस्टेंस के सम्बन्ध में भी हमारे पास अभी कोई सजैशन या जानकारी उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, सुवर्ण रेखा परियोजना जिसके बारे में माननीय मंत्री ने अभी जिक्र किया है, इसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। परियोजना के ब्यौरे पश्चिम बंगाल की तरफ से तथा मैं समझती हूं उड़ीसा की ओर से भी पेश किए जा चुके हैं। क्या यह सच है कि ये ब्यौरे भारत सरकार के पर्यावरण विभाग से मंजूरी के लिए अभी तक लम्बित पड़े हैं ? यही कारण है कि यह अभी तक आरम्भ क्यों नहीं की गई है। यदि हां, तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को मंजूरी दे देगी। मैं माननीय मंत्री से इस मामले में हुई प्रगति के बारे में भी जानना चाहती हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : यह प्रश्न तो पर्यावरण विभाग से सम्बन्धित है और हम लोगों की को-आर्डिनेशन कमेटी की बैठकें होती रहती हैं, उसमें इस विचार को रखा जाएगा। अगर ऐसी जानकारी उनको चाहिए तो वह अभी प्राप्त नहीं है।

[अनुवाद]

बैंक अधिकारियों का स्थानांतरण

*681. **श्री श्रीहरि राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक अधिकारियों के स्थानान्तरण के लिए क्या मानदण्ड और मार्ग-निर्देश निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) क्या ऐसे स्थानांतरण के मामलों में उपर्युक्त मानदण्डों और मार्ग-निर्देशों का पालन किया जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) और (ख) बैंक अधिकारियों के स्थानान्तरण से सम्बद्ध मानक और मार्ग-निर्देश प्रत्येक बैंक द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। अलबत्ता, सरकार द्वारा बैंकों को ये निदेश दिए गए हैं कि वे अधिकारियों की आवधिक अदला-बदली सुनिश्चित करने की व्यवस्था करें। उपलब्ध सूचना के अनुसार बैंक अपनी निर्धारित नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं।

श्री श्रीहरि राव : अध्यक्ष महोदय, सभी बैंक केवल रिजर्व बैंक के निर्देशों के अन्तर्गत आते हैं। इसलिए मानदण्ड और दिशा-निर्देश एक बैंक से दूसरे बैंक में कैसे भिन्न हो सकते हैं ? कुछ बैंकों में अधिकारियों को 50 मील के दायरे के अन्दर स्थानान्तरित किया जाता है और कुछ अन्य बैंकों में अधिकारियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जाता है। यह कैसे होता है ? मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी बैंकों में मार्ग-निर्देश एक समान हों।

श्री एडुआर्डो फलीरो : महोदय, सभी मार्ग-निर्देश जो कि विस्तार से दिए गए हैं एक जैसे नहीं हैं तथा सभी बैंकों के लिए एक समान नहीं हो सकते हैं क्योंकि बैंकों का फैलाव भिन्न है। कुछ छोटे बैंक हैं जो उत्तर के क्षेत्रों में केन्द्रित हैं उदाहरण के लिए ओरियंटल बैंक आफ कामर्स या इसी तरह के कुछ बैंक। कुछ अन्य बैंक हैं जो दक्षिण में केन्द्रित हैं जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक इसी तरह मेरे मित्र के क्षेत्र में आंध्रा बैंक है। स्टेट बैंक सारे देश में फैला है। इसलिए फैलाव भिन्न है। अवसर भिन्न हैं तथा कर्मचारियों की समस्यायें भिन्न हैं। तथापि, ऐसी भिन्नताओं के होते हुए जिन पर कोई असर नहीं डाला जा सकता है और नहीं डाला जाना चाहिए, कुछ न कुछ एकरूपता जरूर होनी चाहिए और एक समान रूप से पालन करने के लिए व्यापक मार्ग-निर्देश होने चाहिए। मैं सम्माननीय सभा और सदस्य की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि सरकार ने कुछ व्यापक मार्ग-निर्देश जारी किए हैं और मैं उनमें से कुछ का जिक्र करना चाहूंगा। एक तो अधिकारी और लिपिक कर्मचारियों के क्रमिक रूप से स्थानांतरण की बात है। अधिकारियों के मामले में क्रमिक रूप से स्थानांतरण प्रत्येक तीन वर्ष में और लिपिक कर्मचारियों में प्रत्येक पांच वर्षों में होना चाहिए। परन्तु मैं इसमें यह संशोधन भी जोड़ूंगा कि कार्यान्वयन प्रशासनिक सुविधा के अध्यधीन हो और जब मैं प्रशासनिक सुविधा की बात करता हूं तो हमने इस बात पर भी जोर दिया है कि प्रशासनिक सुविधा चक्र के अन्तर्गत स्थानांतरण नीति के निष्पक्ष कार्यान्वयन पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि स्थानांतरण नीति, चाहे यह कुछ भी हो उसको कड़ाई से तथा निष्पक्ष रूप से, व्यक्तिगत अनुरोध की प्राथमिकता को देखते हुए तथा किसी भी दबाव से परे हटके क्रियान्वित करना चाहिए।

अब, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती के कुछ मार्ग-निर्देश हैं जो हमने विभिन्न बैंकों को दिए हैं और इन सबको क्रियान्वित किया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि वेतनमान-एक से वेतनमान-दो में पदोन्नति के लिए दो साल का ग्रामीण अनुभव चाहिए और वेतनमान-दो से वेतनमान-तीन में पदोन्नति के लिए तीन वर्ष का ग्रामीण अनुभव चाहिए। फिर एक ही स्थान पर पति और पत्नी की नियुक्ति का सवाल है लेकिन यह तभी हो सकता है यदि पति-पत्नी एक ही बैंक से हैं और यहां तक कि यदि पति-पत्नी भिन्न बैंकों से हैं लेकिन तब नहीं हो सकता है जब पति-पत्नी में से एक तो बैंक में है और दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में है या कहीं और कार्यरत है ऐसे में यह संभव नहीं है—लेकिन पुनः यह प्रशासनिक सुविधा और रिक्तियों के होने पर निर्भर है लेकिन फिर भी जहां तक संभव हो उन्हें एक ही जगह नियुक्त किया जाना चाहिए। कुछ व्यापक मार्ग-निर्देश भी हैं जो एकरूपता को सुनिश्चित करेंगे। इसलिए इस भिन्नता से भी विमुख नहीं रहा जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : बैंकों में करप्सन का कारण यही है कि बैंक के सीनियर आफिसर्स और क्लर्क्स का 10, 10 और 15, 15 साल से ट्रांसफर नहीं हुआ है, उन लोगों के वहां पर वैस्टेड इन्ट्रेस्ट बन जाते हैं और एक तरह से रैकेट बन जाता है। जिस दिन से ब्रांच खुली हैं आफिसर्स और क्लर्क्स का ट्रांसफर नहीं हुआ है। यदि उनका ट्रांसफर हो तो करप्शन भी खतम हो जाए और रैकेट भी खुल जाए। मैं ऐसी एग्जाम्पल्स दे सकता हूं जिसमें उन्होंने गाइडलाइन्स को फालो नहीं किया है।

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फलीरो : महोदय, इस प्रकार का सामान्य आरोप स्वीकार करने लायक नहीं

है। परन्तु निश्चित रूप से यह मेरा और कर्त्तव्य है कि हम विशेष मामलों की जांच करें और कार्यवाही करें। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वह ऐसे विशेष ममले हमारे ध्यान में लायें और हम उन पर कार्यवाही करेंगे।

श्री हेतराम : महोदय, इंडियन ओवरसीज बैंक ने कुछ लोगों को पदोन्नत किया है और उनका स्थानान्तरण होने वाला है। उनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति के हैं। परन्तु मद्रास, कलकत्ता, बम्बई तथा दिल्ली में 10 वर्ष या 15 वर्ष से बैठे अधिकारी उसी महानगर में एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानान्तरण कराने में सफल हो जाते हैं, दूसरे वे अधिकारी जो महानगरों की शाखाओं में सेवा आरम्भ करते हैं, उन्हीं जगहों पर सेवानिवृत हो जाते हैं। चूंकि, मैं इण्डियन ओवरसीज बैंक में कार्य कर चुका हूं, एक ही स्थान पर बहुत समय तक रहने के कारण भ्रष्टाचार फैल रहा है क्योंकि लोग अपनी नियुक्ति का जुगाड़ कर लेते हैं। यह सच है कि वे एक ही शहर में एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानान्तरण करा लेते हैं और ग्रामीण अथवा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते। स्थानान्तरण की नीति केवल अनुसूचित जाति के लोगों के लिए है जबकि अन्य लोग अपनी पदोन्नति के बाद भी उसी स्थान पर रहने का जुगाड़ बैठा लेते हैं। बैंकों में स्थानांतरण की समान नीति क्यों नहीं है कि पहले एक ही स्थान पर 10 साल या इससे अधिक समय से सेवारत लोगों का स्थानांतरण किया जाए और बाद में अनुसूचित जाति के लोगों का स्थानांतरण किया जाए ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, माननीय सदस्य ने इण्डियन ओवरसीज बैंक के विशेष मामले का उल्लेख किया है और उस बैंक में कार्यरत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का जिक्र किया है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मैं प्रश्नकाल के तत्काल बाद माननीय सदस्य के साथ बैठूंगा और आज ही इस मामले की जांच करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 682, श्री राम बहादुर सिंह।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : महोदय, वह उपस्थित नहीं हैं, परन्तु मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रश्न को लिया जाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बहुत अधिक राष्ट्रीय हित का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 683—श्रीमती बसवराजेश्वरी।

थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि

+

*683. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** :
श्री शान्तिलाल पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च के महीने में थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) थोक मूल्य सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) सरकार ने मूल्यों की वृद्धि पर नियंत्रण के लिए क्या उपाय किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

मार्च, 1989 माह के दौरान बिन्दु प्रति बिन्दु आधार पर (25 फरवरी से 25 मार्च 1989 तक) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । सूचकांक में यह वृद्धि कुछ विशिष्ट मदों, जैसे—कच्चे पटसन, चाय, आलू, गुड़ और अलौह धातुओं तथा मिश्र धातुओं की कीमतों में वृद्धि होने के कारण हुई है, इनकी कीमतों में वृद्धि उत्पादन कम होने या इनकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें अधिक हो जाने की वजह से हुई है ।

सरकार ने कीमतों को उचित नियंत्रण में रखने के लिए के लिए अनेक उपाय किए हैं । इनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करना, यथासंभव आयात के जरिए घरेलू पूर्ति बढ़ाना, सख्त राजकोषीय और मौद्रिक अनुशासन बरतना और जमाखोरों तथा कालाबाजारियों के विरुद्ध कारंवाई करना शामिल है ।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि इन दो वर्षों के दौरान मूल्य सूचकांक में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, विशेषतौर पर इस वर्ष मार्च तथा अप्रैल के महीनों में ? गत वर्ष भयंकर सूखा पड़ा था । इस वर्ष मौसम बहुत अनुकूल है । इसके बावजूद भी विभिन्न वस्तुओं यानि उपभोक्ता वस्तुएं जैसे सब्जियों, फलों इत्यादि की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं और इससे गरीब लोगों तथा बिचौलियों को बहुत असुविधा हुई है । इतनी मूल्य वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं ?

श्री एडुआर्डो फलीरो : महोदय, यह सही नहीं है कि चालू वर्ष के दौरान कीमतों में असाधारण वृद्धि हुई है । मैं यह कहना चाहता हूं कि वास्तव में थोक मूल्य सूचकांक में इस वर्ष 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि पिछले वर्ष इसमें 10.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । वास्तव में मुद्रा स्फीति की वृद्धि दर में कमी ही नहीं आई है, अपितु कुछ वस्तुओं की कीमतों में काफी कमी आई है, विशेषतौर पर खाद्य तेलों, तिलहनों इत्यादि की कीमतों में । वार्षिक आधार पर, मैं इस वर्ष की तुलना गतवर्ष से कर रहा हूं, खाद्य तेलों की कीमतों में 15.01% की कमी हुई है, मूंगफली के तेल की कीमत में 20.42% की कमी आई है, सरसों के तेल में 20.23% की कमी आई है, तिलहनों की कीमत में 23.03 प्रतिशत की कमी आई है, खली की कीमत में 25.12 प्रतिशत की कमी आई है, कपास की कीमत में 7.9 प्रतिशत की कमी आई है इत्यादि, इत्यादि । अतः कुल मिलाकर कीमतों में कमी आई है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शान्त रहिए । इस तरह नहीं । इस शोर गुल से आपको क्या हासिल हो सकता है ?

(व्यवधान)

श्रीमती बसवराजेश्वरी : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है सरकार ने कीमतों पर नियन्त्रण रखने के लिए एकमुश्त उपाय अपनायें है । यह अस्थाई सा है । मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या

सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि थोक मूल्य और उपभोक्ता मूल्य में भारी अन्तर है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप एक-एक करके प्रश्न पूछिए।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : थोक मूल्य तथा उपभोक्ता मूल्य में बहुत अधिक अन्तर है। अपने यहां जो उपाय किए हैं वे केवल अस्थाई उपाय हैं। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या स्थाई उपाय करेगी ताकि उत्पादक और उपभोक्ता मूल्यों में बहुत कम अन्तर हो ?

श्री एडुआर्डो फलीरो : महोदय, जैसाकि मैं कह चुका हूं, चालू वर्ष के दौरान कीमतों में असाधारण वृद्धि नहीं हुई है। वास्तव में, वृद्धि दर पिछले वर्ष की अपेक्षा कम रही है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कीमतों में जो कुछ भी वृद्धि हुई है, सरकार उससे चिन्तित नहीं है। हम इस पर नियन्त्रण रखने की कोशिश कर रहे हैं और वास्तव में हमने कीमतों में कमी की है। इस उद्देश्य हेतु हमने कई उपाय किए हैं—यदि माननीय सदस्यगण जानना चाहते हों—और उनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई, जब कभी जरूरत हो तो आयात करके घरेलू सप्लाई में वृद्धि, कड़ा वित्तीय तथा आर्थिक अनुशासन तथा जमाखोरों और कालाबाजारियों के विरुद्ध कार्यवाही शामिल है।

[हिन्दी]

श्री शान्ति लाल पटेल : मान्यवर, मूल्य वृद्धि पर सरकार का कोई कण्ट्रोल है ही नहीं। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि सस्ते अनाज की दुकानें खोल रहे हैं, यह कर रहे हैं, यह कर रहे हैं। सस्ते अनाज की दुकान का जो माल होता है वह कालाबाजारियों को गवर्नमेंट के आफिसर ही बेचते हैं। देहातों में पूरा माल बहुत ज्यादा भाव में मिलता है और आप कुछ कण्ट्रोल नहीं कर सके हैं। मैं जानकारी चाहता हूं कि क्या आप कण्ट्रोल की वस्तुओं के भाव कम करने के लिए, जिससे जनता को सस्ते भाव में मिलें और सब स्टैण्डर्ड चीजें नहीं मिलें, उसके बारे में कुछ करना चाहते हैं या ऐसे ही छोड़ देना चाहते हैं ?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फलीरो : जैसाकि मैंने कहा है कि सरकार कीमतों पर नियन्त्रण के लिए बहुत उत्सुक है और परिणाम स्पष्ट हैं। कीमतों को नियंत्रण में कर लिया गया है यद्यपि इस दिशा में और भी अधिक किया जा सकता है और यह हम कर रहे हैं। जहां तक माननीय सदस्य के विशेष सुझावों का सम्बन्ध है, हम उनका स्वागत करते हैं। परन्तु यदि ये सुझाव नागरिक पूर्ति मंत्री को दिए जाएं तो और भी प्रभावी होंगे।

श्री सी० माधव रेड्डी : यह प्रश्न पिछले चार सप्ताह पूरे वर्ष में नहीं—में थोक मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि से सम्बन्धित है। मूल्य वृद्धि की इस वर्ष की दर पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है, यहां संगत नहीं है। हम यह जानना चाहते हैं कि अंक से अंक के आधार पर कितनी वृद्धि हुई। इस वर्ष, पिछले चार सप्ताहों में, 25 फरवरी, 1989 से 25 मार्च 1989 तक, 1.2 प्रतिशत वृद्धि थी जो इतने कम समय में अधिक है। इसका क्या कारण है ? क्या यह सच नहीं है कि यह बजट नीतियों के कारण है, मुद्रास्फीति के प्रभाव के कारण है जो इस बजट में घाटे के कारण आई।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उपाय क्या हैं क्योंकि सरकार ने कहा है कि वे कड़ी वित्तीय तथा आर्थिक अनुशासन अपना रहे हैं और इस सम्बन्ध में जो उपाय सरकार के विचाराधीन वे क्या हैं ?

श्री एडुआर्डो फलीरो : यह कतई सही नहीं है कि बजट के कारण कीमतों में वृद्धि हुई है। वास्तव में माननीय सदस्य जानते हैं कि अधिकांश वस्तुयें जिनकी कीमतों के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाया जाता है, ऐसी वस्तुयें नहीं हैं जो बजट से प्रभावित हुई हों। मैं कहना चाहता हूं कि प्राथमिक वस्तुओं की कीमतें, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा थोक मूल्य सूचकांक दोनों को प्रभावित करती हैं, फरवरी-मार्च 1987-88 की तुलना में फरवरी-मार्च 1988-89 में 0.99 प्रतिशत गिरी हैं यही दिखाया गया है—और खाद्य पदार्थों की कीमतों में 2.15 प्रतिशत की कमी आई है।

(व्यवधान)

ये आंकड़े सांख्यिकीय संगठन के हैं जिस पर सभी निर्भर हैं और हमेशा ऐसा ही होता रहा है। बहरहाल, कुछ वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है और इसका मुख्य कारण उन वस्तुओं की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि होना था। सूचकांक में वृद्धि विशेष वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई, जैसे पटसन, चाय, आलू, गुड़, अलौह धातुयें तथा मिश्र धातुयें जिनकी कीमतें उत्पादन में कमी तथा अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़ी हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कीमतों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

जहां तक तांबे का सम्बन्ध है, उदाहरण के तौर पर, जनवरी-मार्च, 1988 के दौरान प्रतिमीट्रिक टन कीमत 2450.9 डालर थी। फरवरी, 1989 में इसमें 26.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मैं सभा का और समय नहीं लेना चाहता परन्तु यदि आप चाहते हैं तो मैं और विस्तार में जाऊंगा परन्तु अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि की दर यही रही है जिसका इसमें मुख्य योगदान रहा है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपने कौन से वित्तीय उपाय किए हैं ?

श्री एडुआर्डो फलीरो : हमने बहुत से उपाय किए हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : लोग आपसे न्याय की आशा रखते हैं। आप इस बात की सराहना करेंगे कि यहां मन्त्री महोदय ने कुछ आंकड़े दिए हैं। परन्तु कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करती हूं कि वह स्वयं कुछ बाजारों में घूमें। तब आप देखेंगे कि आपका कथन बिल्कुल असामान्य है। शायद आप जानते होंगे और संसद का हर सदस्य जानता होगा कि कीमतों में वृद्धि हुई है, और वे कीमतों में वृद्धि को महसूस भी करते हैं। परन्तु यदि मैं बाजार से कुछ खरीदती हूं तो मुझे बहुत दुःख होता है। आलू जैसी साधारण वस्तु, जिसका प्रयोग सभी करते हैं, की कीमत गतवर्ष 2 रुपये प्रति किलोग्राम की और इस वर्ष इसकी कीमत 5.50 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसलिए आप कीमत वृद्धि के ऐसे आंकड़ों को ठीक कैसे मान सकते हैं ?

क्या माननीय मंत्री देश के विभिन्न भागों में बाजार मूल्य का सर्वेक्षण करेंगे और मूल्य वृद्धि को रोकने के कालाबाजारियों और जमाखोरों के विरुद्ध तत्काल कोई ठोस कार्रवाई करेंगे ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महिलाएं कीमत वृद्धि के बारे में हमसे अधिक जानती हैं। हमें उन्हें प्रामाणिक मान लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब की बार तो आप बहुत खुश हैं। श्री जयपाल रेड्डी आज बहुत खुश हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : चूंकि अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, अतः आप इस विषय पर भी हमारा मार्गदर्शन करें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप श्रीमती फैलीरो से परामर्श करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात कह सकता हूं। आय अपने साथ ममता जी को ले जा सकते हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : पिछले वर्ष आलू की कीमतें कम थीं। आलू उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ा था। आज भी आलू की कीमत असामान्य नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शांत रहिए।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : आलू की कीमतें घटी हैं। अब हमें किसानों के प्रति कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। **(व्यवधान)**

जहां तक जमाखोरों और काला-बाजारियों के बारे में आरोपों का संबंध है, हम अत्यधिक कड़ी कारंवाई करेंगे ताकि उन्हें देखकर दूसरे सबक सीख सकें।

वित्त मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि कुछ क्षेत्रों में मूल्य वृद्धि बहुत अधिक हुई है और हम इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि परिचालित धन को यथासंभव कम किया जाए। घाटे की अर्थव्यवस्था को भी यथासम्भव सीमा तक रोका जा रहा है। हम राज्य सरकारों से भी उन परियोजनाओं को पूरा करने का अनुरोध करते रहे हैं जोकि वास्तव में पूरे होने के चरण में हैं ताकि जो कुछ निवेश किया जा चुका है, उससे हम उसके पूरा होने पर तत्काल लाभ उठा सकें। इसके लिए प्रयास जारी रखने पड़ेंगे। यह एक ही बार में किया जाने वाला कार्य नहीं है। यह प्रयास इसलिए भी जारी रखे जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके वृद्धि दर को ही नहीं, बल्कि कीमतों में कमी लायी जा सके। इस सत्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता।

श्री के० एस० राव : महोदय, मुझे आज इस बात की खुशी है कि कृषि, वित्त और वाणिज्य मंत्रालयों के तीनों वरिष्ठ मंत्री यहां उपस्थित हैं। मैं आशा करता हूं जो कुछ मैं कहूंगा उसे तीनों मंत्री सुनेंगे। वे मूल्य वृद्धि के बारे में सभी सदस्यों के मनोभावों को पहले ही समझ चुके हैं। दूसरी ओर वे किसानों को दिए जा रहे अलाभकारी मूल्यों के बारे में कई बार सुनते रहे हैं। स्पष्टतः विपणन प्रणाली में ही कुछ गड़बड़ी है और मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मंत्री ने वित्तीय और आर्थिक नियंत्रण तथा अनुशासन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि को कड़ा करने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं। किन्तु मैं केवल यह अनुरोध करूंगा कि उन्हें उन खाद्यान्नों का आयात नहीं करना चाहिए जिन्हें इस देश के प्रगतिशील किसानों द्वारा इस देश में प्रचुर मात्रा में उत्पादित किया जा सकता है क्योंकि इन खाद्यान्नों का आयात करके वे बेरोजगारी का आयात कर रहे हैं। वे किसानों को अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करने के प्रोत्साहन को समाप्त कर रहे हैं?

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, प्रगतिशील किसानों से क्या तात्पर्य है?

अध्यक्ष महोदय : वह आपका उल्लेख कर रहे हैं ?

श्री के० एस० राव : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इन वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने के लिए गम्भीरता से विचार करेंगे और किसानों को उचित मूल्य दिलाएंगे तथा कालाबाजार को रोकेंगे ? क्या वे इस सम्बन्ध में कुछ वित्तीय उपाय करेंगे ? यदि उपर्युक्त उपाय किए जाएं तो उपभोक्ता और किसान, दोनों ही प्रसन्न हो जाएंगे ।

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, जहां तक नीति का सम्बन्ध है, सरकार की नीति यह है कि किसानों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए । यह निश्चित है कि किसानों को सुरक्षा प्रदान का कोई भी विरोध नहीं करेगा । किन्तु साथ ही यदि कोई भी व्यापारी या बिचौलिया स्थिति का फायदा उठाने का प्रयास करता है तब अन्ततोगत्वा देश के हित में और उपभोक्ताओं के हित में भी निश्चित रूप से सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि इन बिचौलिए द्वारा आम आदमी का शोषण किया जाता है तो क्या आयात आवश्यक है या नहीं ?

क्षेप कर

*686. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में यह आम सहमति हुई थी कि विभिन्न वस्तुओं के संबंध में क्षेप कर प्रणाली लागू की जाए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढवी) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों को पारेषण कर लगाए जाने से छूट मंजूर करने के मामले में मार्गदर्शन सिद्धांत बनाने के लिए सुझाव/विचार प्रकट करने के लिए कहा गया है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों के साथ परामर्श करके तैयार किये जाएंगे । इस प्रयोजनार्थ कुछ मुख्यमंत्रियों की एक समिति गठित की जा रही है । परेषण कर के सम्बन्ध में आवश्यक कानून का मसौदा बनाने की कार्रवाई भी चल रही है ।

श्री उत्तम राठौड़ : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्षेप कर की दर क्या है और इसके लिए विधेयक कब तक लाया जाएगा ?

श्री बी० के० गढ़वी : महोदय, जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है, मुख्य मंत्रियों की समितियों से सिफारिश प्राप्त होने के बाद ही इसे अन्तिम रूप दिया जाएगा । हम यह आशा करते हैं कि केन्द्रीय बिक्री कर की दर 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

वित्त मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, मैं वचन दे चुका हूं कि विधेयक इस वर्ष के मानसून सत्र में लाया जाएगा ।

बैंकों द्वारा डिमांड ड्राफ्ट जारी किया जाना

*691. **श्री कटूरी नारायण स्वामी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में डिमांड ड्राफ्ट जारी करने/रद्द करने के लिये निर्धारित समय कितना है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने डिमांड ड्रापट जारी करने/रद्द करने हेतु लिए जाने वाले समय के सम्बन्ध में कोई विशेष अनुदेश जारी किए हैं;

(ग) क्या बैंकों द्वारा इन अनुदेशों का पालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है ।

विवरण

शाखा स्तर पर डिमांड ड्राफ्ट जारी करने सहित सामान्य लेन-देनों को निपटाने के वास्ते सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने समय सीमा के कुछ मानदण्ड निर्धारित किए हैं । बैंकों से यह सुनिश्चित करने के वास्ते कहा गया है कि डिमांड ड्राफ्ट 30 मिनट के अन्दर-अन्दर जारी कर दिए जाएं । डिमांड ड्राफ्ट रद्द करने के वास्ते कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है । बैंकों से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि बैंक निर्धारित समय के अन्दर-अन्दर डिमांड ड्राफ्ट जारी करने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री कदूरी नारायण स्वामी : मैं विवरण से सन्तुष्ट हूं ।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने रिजर्व बैंक के माध्यम से 27 मार्च, 1989 को क्रेडिट लिबरेलाइजेशन पालिसी को इम्पलीमेंट करने के लिए गाईडलाइन्ज को जारी किया । उससे बैंकिंग की कार्य प्रणाली में कुछ अवरोध पैदा हो गया है । उससे यह है :

[अनुवाद]

"नकद आरक्षित अनुपात सम्पूर्ण निवल मांग और सभी अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों की समय-बद्ध देयताओं पर 1 जुलाई, 1989 से 15 प्रतिशत कर दी जाएगी—और अन्त में यह है "वर्ष 1989-90 के पूर्वार्द्ध के लिए ऋण नीति में घोषित उपायों को मुख्यतः द्रवता वृद्धि करने और आवश्यकता पर आधारित ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने, नकद आरक्षित अनुपात को और युक्ति-युक्त बनाने तथा बैंकिंग कार्यों में अधिक लचीलापन तथा कार्यकुशलता लाने के लिए तैयार किया गया था ।"

[हिन्दी]

इसका प्रभाव यह हुआ है कि मेरे स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र अलवर में स्टेट बैंक आफ बिकानेर एण्ड जयपुर की जो किशनगढ़वास शाखा है वहां पर जो व्यापारी चैक या ड्रापट लेकर के जाते हैं उनको उसी दिन पेमेंट नहीं होता है । दो-दो, तीन-तीन दिन तक पेमेंट नहीं होता है । वहां करेंसी चेस्ट नहीं है । आपने यह कर दिया है कि 15 परसेंट केश रिजर्व रेशो रहना चाहिए । इसका सीधा नुकसान

किसान का होता है। इससे एग्रीकल्चर पेमेंट नहीं होता है। उनकी पेमेंट पर इसका असर पड़ रहा है। क्या आप इस पर दुबारा सोचेंगे और इसको देखेंगे कि जिस दिन कोई चैक या ड्राफ्ट पेश करे उसी दिन उसका पेमेंट हो जाए, उसको पेमेंट करने के लिए तारीख न लगायी जाए ? यह जो अवरोध पैदा हुआ है, इसकी क्या आप जांच करेंगे और उसको दूर करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फलीरो : माननीय सदस्य की शिकायत का नकद आरक्षित अनुपात से कोई संबंध नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक ड्राफ्ट जारी किए जाने का सम्बन्ध है, हम कह चुके हैं कि ड्राफ्ट 30 मिनट के भीतर अवश्य जारी हो जाना चाहिए। हम यह भी कह चुके हैं कि चैकों का भुगतान तत्काल किया जाना चाहिए। बाह्य चैकों के सम्बन्ध में सामान्यतः प्रक्रिया यह थी कि बैंक प्रबन्धक द्वारा यह कहा जाता था कि वह चेस्ट में धन की स्थिति का पता लगायेंगे और तब उसे बतायेंगे। हमने कहा है कि यदि वह व्यक्ति बैंक का ग्राहक हो और वह 2500 रुपये तक की राशि का बाह्य चैक प्रस्तुत करता है तो उसका भुगतान कांउटर पर ही किया जाएगा। **(व्यवधान)**

श्री राम सिंह यादव : पिछले वर्ष तो ऐसा नहीं था। इसे इस वर्ष से ही लागू किया गया है।

(व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फलीरो : मैं अभी अपनी बात पूरी करूंगा। यदि बाह्य चैक 2500 रुपये की राशि से अधिक हो तो उसका भुगतान चौदह दिन के अन्दर किया जाना चाहिए। यदि बैंक चौदह दिन से अधिक समय लगाता है तो बैंक ग्राहक को ब्याज देगा जोकि उसके बचत खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। हमने केवल इतना ही नहीं किया है बल्कि हमने बैंकों से इन नियमों को प्रमुखता के आधार पर बैंक में दर्शाने के लिए कहा है ताकि ग्राहकों को इन नियमों की जानकारी हो सके।

ये अनुदेश जारी किए गए हैं और इन अनुदेशों को बैंकों की प्रत्येक शाखा में दर्शाया जाएगा। यदि कोई विशेष शिकायत हो तो उसकी जांच की जा सकती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण

*692. **चौधरी अख्तर हुसैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक कितने युवाओं को प्रति-युवा 25 हजार रुपये का ऋण प्रदान किया गया है;

(ख) उनमें से कितने प्रतिशत युवाओं को इस योजना के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या उक्त ऋण प्रदान करने के मामले में बैंक अधिकारियों द्वारा भारी धनराशि की कटौती किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 1983-84 में प्रारम्भ की गई शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ में किसी व्यक्ति को 25,000/- रुपये की अधिकतम ऋण-राशि मंजूर की जा सकती थी। वर्ष 1986-87 से योजना के अन्तर्गत अधिकतम देय ऋण-राशि में संशोधन किया गया और औद्योगिक धन्धों के लिए यह राशि 35,000/- रुपये, सेवा सम्बन्धी धन्धों के लिए 25,000/- रुपये तथा व्यापारिक धन्धों के लिए 15,000/- रुपए निर्धारित कर दी गई। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1983-84 से 1987-88 तक की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत 1.35 लाख हिताधिकारियों को 241.02 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए गए।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना उपलब्ध नहीं है। अलबत्ता, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश के चुने गए पांच जिलों में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत स्थापित इकाइयों से औसतन प्रति इकाई 1.75 व्यक्तियों को पूर्णकालिक रोजगार मिला है।

(ग) और (घ) ऋण मंजूर करने में बैंक अधिकारियों के किसी भी कथित भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच की जाती है और प्रत्येक मामले में, यथोचित कारंवाई की जाती है।

[हिन्दी]

चौधरी अख्तर हसन : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो सिर्फ इतना सवाल है कि यह जो 25 हजार रुपये का लोन पढ़े-लिखे बेरोजगार लड़कों को दिया जा रहा है वह कितने लड़कों को दिया है और कितने लड़कों को नहीं दिया है? किस नाम से किसको दिया? मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बहुत कुछ बता दिया है। यह बड़ा गम्भीर सवाल है। जो लड़के बेकार और बेरोजगार फिरते हैं और उनके मां-बाप जब उनको यह कहते हैं कि बेकार फिर रहे हो, वे या तो खुदकशी कर लेते हैं या फिर चोरी या डकैती करते हैं। मेरा सीधा सवाल है कि यह 25 हजार रुपये का लोन कितने लड़कों को दिया गया? इसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फलीरो : महोदय, मेरे पास इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार इस विशेष योजना के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 से वर्ष 1987-88 के दौरान 241.02 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया गया था और इस राशि को उत्तर प्रदेश में 1.35 लाख लोगों को दिया गया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हम ऋण की इस विशेष सुविधा को युवकों के लाभ के लिए देना चाहते हैं।

हमने बैंकों को इस सम्बन्ध में जानकारी देने वाले अभियान को तीव्र करने का अनुदेश दिया है ताकि हर व्यक्ति यह जान सके कि इस योजना विशेष का लाभ उठाने के लिए किसी बिचौलिये को लाने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

चौधरी अख्तर हसन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने तो मिला जुला जवाब दे दिया है। मेरा सवाल तो लड़कों से सम्बन्धित था और 25 हजार रुपए का था। उन्होंने बताया है—वर्ष 1983-84 में प्रारम्भ में की गई शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ में किसी व्यक्ति को 25 हजार रुपए की अधिकतम ऋण-राशि मंजूर की जा सकती थी। वर्ष 1986-87 से योजना के अन्तर्गत अधिकतम देय ऋण-राशि में संशोधन किया गया और औद्योगिक धन्धों के लिए यह राशि 35 हजार रुपए, सेवा सम्बन्धी धन्धों के लिए 25 हजार रुपए और व्यापारिक धन्धों के लिए 15 हजार रुपए निर्धारित कर दी गई।

अध्यक्ष महोदय : ये समझते हैं कि जो उन्होंने दिया है, वे भी किसी के लड़के ही हैं।

चौधरी अख्तर हसन : मेरा दूसरा सवाल यह है, बैंक के कर्मचारी सरकार को भी खा गए और पब्लिक को भी खा गए। इस बारे में आप कोई कमेटी बैठाएं तो उनसे पूछताछ भी कर लें। मन्त्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कितने भ्रष्ट आफिसरों के खिलाफ कार्रवाई की है या की जा रही है। वहां लाकर कैसे खड़ा करें कि इनको लोन दिया है और इनको नहीं दिया है, इनको पैसा नहीं दिया है, इनको दिया है। माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बारे में आप कोई कमेटी बनाने जा रहे हैं जिससे हम वहां से यह मालूमात करें और उनको लोन दिला दें और इस भ्रष्टाचार में कमी हो जाए।

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, सरकार का सभी बैंकों के लिए राज्य स्तर पर सलाहकार समिति बनाने का विचार है और सलाहकार समिति मुख्यतः निजी क्षेत्र के अन्तर्गत गरीबी-विरोधी योजना, स्व-रोजगार योजना और इसी प्रकार की योजनाओं जैसी समाजोन्मुखी योजनाओं के क्रियान्वयन की जांच करेगी। इस समिति में, इसका गठन होते ही, सांसदों को भी शामिल किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, सैल्फ एम्पलायमेंट की स्कीम राजीव गांधी जी ने बनाई गरीब लोगों क उत्थान के लिए और उनको अपने पांव पर खड़ा करने के लिए। लेकिन फाइनेन्स मिनिस्टर और स्टेट फाइनेन्स मिनिस्टर ने इसको व्यापारियों के लड़कों के लिए बना दिया है। सिर्फ व्यापारियों के लड़कों को ब्याज कमाने के लिए 35 हजार रुपया सैल्फ रोजगार के लिए दे देते हैं बैंकों के जो अधिकारी हैं, वे उनसे पैसा खा कर, उनको सैल्फ एम्पलायमेंट के लिए दे देते हैं। लेकिन वे कोई कारखाना नहीं खोलते हैं और न कोई काम ही करते हैं। लोन गरीब आदमी को नहीं मिलता है और उन लोगों को ब्याज कमाने के लिए सारा पैसा दे देते हैं। क्या आप इस सम्बन्ध में जानकारी करायेंगे, अब तक कितना सैल्फ एम्पलायमेंट के लिए रुपया दिया गया है ? कितने लोगों ने कारखाने खोले हैं और कितने लोग ऐसे हैं, जिन्होंने कोई भी काम नहीं किया है ? ये लोग केवल शोषण कर रहे हैं इस पैसे के जरिए से। आप यह भी बताइए, ऐसी और एस० टी० व दूसरी जातियों बैकवर्ड क्लास के लोगों को बरसों तक लोन नहीं मिलता है और इसका परसैंटेज कितना है ?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फलीरो : कोई भी व्यक्ति जो सबसे निचले स्तर पर कार्य करता रहा है वह स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा शुरू की गई और जिसे अब वर्तमान प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा जारी रखा जा रहा है, उस योजना के बारे में जानता है। प्रधान मंत्री बहुत ही गतिशील हैं और वह कमजोर वर्गों के हितों को पूरी तरह से अपने हृदय में रखते हैं। इस योजना में बहुत से गरीब वर्गों को लाभ हुआ है और हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हम इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों का भी सहयोग चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : कितने गरीब लोगों को लोन नहीं दिया है, उसका पर्सेंटेज तो बताइए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फलीरो : किसी विशेष मामले का उल्लेख नहीं किया गया है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, हमें आपका प्रोटेक्शन चाहिए। गरीब आदमियों को लोन नहीं मिलता है और मंत्री जी कोई ध्यान नहीं करते हैं। बड़े लोगों को लोन दिला दिया है। गरीब लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

डा० कृपासिन्धु भोई : मैं मंत्री महोदय से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं बे मन से दिए गए और ठण्डे दिमाग से न दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। क्योंकि दो तीन वर्ष पहले संसद सदस्यों की डी० आर० डी० ए० वित्तीय योजना की जिला समितियों से उनकी भूमिका हुआ करती थी। लेकिन बैंकिंग विभाग ने किन परिस्थितियों में उस भूमिका को समाप्त कर दिया है?

माननीय सदस्य अब दुखी हैं। वे इस बात से नाराज और दुखी हैं कि वास्तविक लोगों को ऋण देने में जिला स्तर की समितियों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में संसद सदस्य को कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि संसद सदस्य यहां तक कि एक व्यक्ति के लिए इतना भी नहीं कर सकते। उसको बाद में सताया जाएगा।

इसके लिए माननीय मंत्री ने बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए बताया था कि संसद सदस्य निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विशेषकर बैंकिंग क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभायेंगे। जबकि तीन वर्ष पहले यह बात सम्भव थी और अब किसने इसको समाप्त किया है?

श्री एडुआर्डो फलीरो : किसी भी समय ऐसी कोई योजना नहीं थी कि संसद सदस्य यह निर्णय लेंगे कि किसको ऋण मिलना चाहिए और किसको नहीं···(व्यवधान) ऐसी कोई समिति नहीं थी। सरकार ने कभी भी ऐसी समिति नहीं बनाई है और सरकार ऐसी समितियां बनाना भी नहीं चाहती जिसमें कि संसद सदस्य यह निर्णय लें कि किसको ऋण मिलना चाहिए। यह बैंकों का कार्य है

और वे ही इसे करेंगे। लेकिन संसद सदस्यों का परामर्श और उनके द्वारा निरीक्षण किए जाने का स्वागत किया जाएगा और इसीलिए हम अब इन समितियों का गठन कर रहे हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको अनुमति नहीं दी जाती है। बैठ जाइये। आप मेरी अनुमति के बिना नहीं बोल सकते।

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, हम इस विषय पर आधे घण्टे की चर्चा कराना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय आप इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं।

अगला प्रश्न। श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव।

आंध्र प्रदेश में दंगों के दौरान वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को हुई क्षति के दावों का निपटान

*695. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1988 के अन्तिम सप्ताह में आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में दंगों/उपद्रवों में कुल कितने बीमाशुदा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान क्षतिग्रस्त हुए;

(ख) कुल अनुमानित क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने मामलों में दावों का निपटान कर दिया गया है;

(घ) क्या सरकार ने बीमा कम्पनियों को बिना अधिक विलम्ब किए दावों का निपटान करने के निर्देश दिए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश में भारतीय साधारण बीमा निगम की चार सहायक कम्पनियों को अब तक सूचित किए गए दंगों सम्बन्धी दावों की कुल संख्या 1382 है। इन दावों में वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा दुकानों और क्षतिग्रस्त वाहनों सम्बन्धी दावे समेत अलग-अलग व्यक्तियों के दावे भी शामिल हैं। साधारण बीमा निगम से प्राप्त नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार साधारण बीमा निगम की चार सहायक कम्पनियों ने अब तक 9.96 करोड़ रुपए की राशि के 1137 दावों का निपटान कर दिया है।

(घ) और (ङ) आन्ध्र प्रदेश में दंगों से उत्पन्न दावों का शीघ्र निपटान करने के लिए सरकार से अनुदेश प्राप्त होने पर, साधारण बीमा उद्योग ने इन दावों के सम्बन्ध में कार्रवाई करने के लिए विभिन्न रियायतें दी हैं, जैसे नियमित एफ० आई० आर०/पुलिस रिपोर्ट/फायर ब्रिगेड रिपोर्ट के एवज में जिला अधिकारियों के प्रमाण-पत्र को स्वीकार करना, आर० सी० पुस्तिका के खो जाने पर और

आर० सी० पुस्तिका की दूसरी प्रतिलिपि प्राप्त करने में होने वाली देरी के मामले में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों के रिकार्डों के उद्धरणों को स्वीकार करना, जिन मामलों में लेखा पुस्तिकाएं उपलब्ध नहीं हैं, उनमें जिला प्राधिकारियों द्वारा वाणिज्यिक कर रिटर्न/क्षति प्रमाण-पत्र जैसे स्रोतों के साक्ष्य को स्वीकार करना, क्षेत्रीय प्रबन्धकों के वित्तीय प्राधिकार को एक स्तर तक आगे तक बढ़ाना, ताकि वे उस स्तर तक दावों का शीघ्र निपटान कर सके आदि। उपर्युक्त रियायतों के अतिरिक्त, सर्वेक्षकों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे दावों सम्बन्धी सर्वेक्षण रिपोर्ट एक निश्चित समयावधि में प्रस्तुत करें, जिससे कि दावों के सम्बन्ध में शीघ्र कार्रवाई करने में सुविधा हो सके।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : महोदय, मैं माननीय मंत्री से उन दंगा पीड़ितों के दावों के निपटान के बारे में जानना चाहता हूं जिनकी दिसम्बर, 1988 के अन्तिम सप्ताह के दौरान हुए उपद्रवों के दौरान सम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं। यह क्षति अभूतपूर्व थी। यह कुल क्षति दिल्ली में दंगों के दौरान हुई क्षति से कहीं अधिक थी। कुल 1382 दावे थे और अब तक केवल 1137 दावों का निपटान किया गया है। अभी भी 250 से अधिक दावों का निपटान किया जाना है और जबकि $3\frac{1}{2}$ अथवा लगभवा 4 महीने से अधिक समय बीत गया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि और देरी किए बिना इन दावों को निपटाने के लिए क्या विशेष अनुदेश दिए गए हैं क्योंकि जब तक दावों का निपटान नहीं किया जाता कोई भी अपने आर्थिक कार्यकलाप फिर से शुरू नहीं कर सकता। हमारे नोटिस में यह बात आई है कि कुछ वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में ऐसा हुआ है कि जबकि सीमा 5 लाख रुपए थी, उनके क्षेत्रीय अधिकारियों ने उससे अधिक धनराशि के लिए बीमा कराया है और उसकी वजह से और कुछ तकनीकी अड़चन के कारण वे बहुत अधिक समय ले रहे हैं। यह किसी पार्टी का दोष नहीं है यह क्षेत्रीय अधिकारियों का दोष है।

मैं अपने माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार और आगे समय गंवाए बिना इन सभी दावों को निपटाने के लिए तत्काल अनुदेश जारी करेगी।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : हमने इन दावों को बहुत ही तेजी से निपटाने के लिए पहले ही अनुदेश जारी कर दिए हैं और इस उद्देश्य के लिए अर्थात् इन सभी दावों को निपटाने के लिए हमने कई छूट और विभिन्न रियायतें दी हैं जैसे नियमित एफ० आई० आर०/पुलिस रिपोर्ट/फायर ब्रिगेड के एवज में जिला अधिकारियों के प्रमाण-पत्र को स्वीकार करना, आर० सी० पुस्तिका के खो जाने पर और आर० सी० पुस्तिका की दूसरी प्रतिलिपि प्राप्त करने में होने वाली देरी के मामले में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों के रिकार्डों के उद्धरणों को स्वीकार करना आदि। अतः बड़े दावों को निपटाने के लिए कई रियायतें दी गई हैं। हमारी धारणा उनको तेजी में निपटाने की है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : उन्होंने बीमा योजना के अन्तर्गत दावों को निपटाने के बारे में अन्य बातों का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भूमिगत जल स्तर का नीचे जाना

[अनुवाद]

*676. **डा० दिग्विजय सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिगत जल का स्तर नीचे जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कुल कृषि क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग प्रभावित है;

(ग) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई कानून बनाने का विचार है कि किसी क्षेत्र विशेष में कितने कुएं हों और उनमें से कितना पानी निकाला जा सकता है; और

(घ) भूमिगत जल स्तर ऊपर उठाने के लिए क्या कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) भूजल स्तरों में गिरावट केवल कुछ स्थानीय भू-खण्डों (पाकेट्स) में पाई गई है। क्षेत्र का निर्धारण नहीं किया गया है।

(ग) भूजल विकास के वैज्ञानिक विनियमन हेतु एक "माडल विधेयक" राज्यों को उपयुक्त विधान लागू करने के वास्ते परिचालित किया गया है।

(घ) भूजल भण्डारण में वृद्धि करने के लिए क्रियान्वित किए जा रहे उपायों में भूमि तथा जल प्रबन्ध और कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाएं शामिल हैं।

ऋण नीति को उदार बनाना

*677. **श्री प्रकाश चन्द्र :**
श्री बी० भूपति :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 मार्च, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में आर० बी० आई०, लिबरलाइजेज क्रेडिट पालिसी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति का ऋण और जमा राशि के अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है और इस नीति से जनता को किस प्रकार फायदा होगा ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) से (ग) दिनांक 28 मार्च, 1989 को हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार का सम्बन्ध भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 27 मार्च, 1939 को वित्तीय वर्ष 1989-90 के पहले छः महीने की अवधि के लिए

घोषित ऋण नीति से है। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :—

(एक) दिनांक 1 जुलाई, 1989 से नकद प्रारक्षित निधि अनुपात को एक समान करके सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सम्पूर्ण निवल मांग और आवधिक देनदारियों का 15 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

(दो) 46 से 90 दिनों तक की सावधि जमाराशियों की ब्याज दरों को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया है।

(तीन) पंजाब में गेहूं के स्टाक के बदले प्रसंस्करण एककों/मिलों के लिए बैंक अग्रिमों के सम्बन्ध में न्यूनतम मार्जिन 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर दिया गया है।

(चार) 182 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों के बदले पुनर्वित्त की ब्याज़ दर 10.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 10.75 प्रतिशत वार्षिक कर दी गयी है।

(पांच) किसी अकेले प्रतिष्ठान अथवा किसी व्यावसायिक समूह की आरक्षितता सीमाओं को बैंक की पूंजीगत रकमों के क्रमश: 25 प्रतिशत अथवा 50 प्रतिशत तक निर्धारित कर दिया गया है।

(छः) अन्तर बैंक मांग मुद्रा बाजार की ब्याज दर की अधिकतम सीमा को 1 मई, 1989 से समाप्त कर दिया जाएगा।

(सात) पोर्टफोलियो प्रबन्ध के वास्ते एक वर्ष की न्यूनतम रोधक अवधि (ला-इन-पीरियड) निर्धारित की गई है।

(आठ) जमाराशियों और वाणिज्यिक पत्रों के सर्टिफिकेट जारी करने का प्रस्ताव है।

(नौ) 29 जुलाई, 1989 से बैंकों को 1987 के दौरान निर्यात ऋणों के मासिक औसत के आधार पर निर्यात पुनर्वित्त प्रदान किया जाएगा।

2. 1989-90 की पहली छमाही के वास्ते ऋण नीति में घोषित उपायों का प्रयोजन मुख्य-रूप से नकदी में वृद्धि का विनियमन करना और आवश्यकता पर आधारित ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना, नकद प्रारक्षित निधि अनुपात को और युक्तियुक्त बनाना तथा बैंकिंग परिचालनों में अधिक लचीलापन एवं कार्यकुशलता लाने के वास्ते नए लिखत (इंस्ट्रूमेंट जारीकरना है।

आयकर विभाग द्वारा सम्पत्तियों का अर्जन

*680. **श्री एन० डेनिस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान मद्रास और अन्य शहरों में अर्जित अचल सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसमें से कितनी सम्पत्तियां नीलाम की गईं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XXग के उपबन्धों के अध्यधीन विगत दो वर्षों अर्थात् दिनांक 1-4-1987 से 31-3-1989 की अवधि के दौरान कुल 218 सम्पत्तियां खरीदी गई हैं, जिनमें कुल मिलाकर 74.96 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष प्रतिफल अन्तर्ग्रस्त था। इनका ब्यौरा सदन-पटल पर रखे गए विवरण में दिया गया है।

(ख) दिनांक 1-4-1987 से 31-3-1989 की इसी अवधि के दौरान 94 सम्पत्तियों को सार्वजनिक नीलामी में बेचा गया।

विवरण

पूर्व-क्रय अधिकार (अर्थात् आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XX-ग के अध्यधीन) के उपबन्धों के अध्यधीन आयकर विभाग द्वारा खरीदी गई अचल सम्पत्तियों का नगर-वार ब्यौरा निम्नानुसार है

स्थान	धारा 269 प घ(1) के अध्यधीन पारित किए गए खरीद आदेशों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त प्रत्यक्ष प्रतिफल
मद्रास	23	6,33,52,578 रु०
दिल्ली	55	17,31,96,023 रु०
कलकत्ता	17	11,03,63,154 रु०
बम्बई	82	29,28,69,498 रु०
बंगलौर	31	8,83,30,105 रु०
अहमदाबाद	9	2,14,89,088 रु०
कुल :	218	74,96,00,446 रु०

अनिवासी भारतीयों द्वारा भूमि की खरीद

*682. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में भूमि खरीदने के लिए कोई अनुमति लेने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या कतिपय अनिवासी भारतीयों ने भारत में भूमि खरीदने हेतु अनुमति मांगी है;

(ग) क्या जम्मू और काश्मीर में भूमि खरीदने हेतु अनिवासी भारतीयों द्वारा अनुमति अस्वीकार कर दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) मौजूदा नीति के अन्तर्गत भू-गृहादि परिसम्पत्तियों और भूमि पर आधारित कार्यकलापों में पूंजी निवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती।

तथापि, अनिवासी भारतीयों को, भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन लेकर, वास्तविक निजी उपयोग के लिए रिहायशी सम्पत्ति का अर्जन करने और ऐसे अनुमोदित कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए, जो उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित श्रेणी में नहीं आते, वाणिज्यिक सम्पत्ति अर्जित करने की अनुमति दी जाती है। जो अनिवासी भारतीय, भारतीय नागरिक हैं, उन्हें निजी उपयोग के लिए रिहायशी सम्पत्ति अर्जित करने के लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त पैरा 1 को देखते हुए, ऐसी जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

धन सम्बन्धी अधिकतम सीमा

[हिन्दी]

*684. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भूमि की अधिकतम सीमा के समान धन की अधिकतम सीमा तय करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिया जाएगा ?.

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खलपान विभाग के कर्मचारियों के वेतनमान

*685. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को, विभागीय कैंटीनों और टिफिन रूम्स में कार्य कर रहे कर्मचारियों के वेतनमानों में असमानता के बारे में उनके अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या विभागीय रेलवे कैंटीन में कार्यरत "सैल्समैन" तथा रेलवे स्टेशनों पर कार्यरत "वेंडर", विक्रेताओं की श्रेणी में आते हैं; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे स्टेशनों पर कार्य करने वाले "वेंडरों" की "विक्रेताओं" की श्रेणी में न रखने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) खान-पान विभाग के नियमित कर्मचारियों से वेतनमानों में असमानता के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) रेलों ने स्टेशनों पर स्थापित अपनी विभागीय खान-पान यूनिटों में कमीशन पर काम करने वाले वेंडर लगा रखे हैं। उन्हें उनकी बिक्री के आधार पर कमीशन दिया जाता है। वे रेल कर्मचारी नहीं हैं।

मध्य प्रदेश और गुजरात में नर्मदा नदी पर परियोजनाएं

*687. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और गुजरात में नर्मदा नदी पर कितनी सिंचाई और पनबिजली परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) इस समय कितनी परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है; और

(ग) मध्य प्रदेश और गुजरात सरकारों ने नर्मदा घाटी परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) नर्मदा नदी पर सात परियोजनाओं, मध्य प्रदेश में 6 तथा गुजरात में एक, पर विचार किया गया है, जिसमें से केवल एक जल-विद्युत परियोजना है।

(ख) 3 बहुद्देश्यीय परियोजनाएं नामशः मध्य प्रदेश में बारगी तथा नर्मदा सागर और गुजरात में सरदार सरोवर।

(ग) बारगी, नर्मदा सागर तथा सरदार सरोवर परियोजना के सम्बन्ध में पूरा होने की संभावित तारीखें क्रमशः 1995, 2006 तथा 2005 हैं।

उड़ीसा में रेलवे के आरक्षण कार्यालय

[अनुवाद]

*688. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के किन-किन नगरों में रेलवे स्टेशनों के अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में रेलवे आरक्षण कार्यालय खोले गए हैं;

(ख) उपरोक्त नगरों में कितने रेलवे आरक्षण कार्यालय खोले गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने चौधरी बाजार, कटक स्थित रेलवे सिटी आरक्षण कार्यालय बन्द कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार इस रेलवे आरक्षण कार्यालय को पुनः खोलने पर विचार करेगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) और (ख) राउरकेला और पुरी में एक टिकट काउन्टर वाला एक-एक सिटी बुकिंग कार्यालय तथा कटक में एक काउन्टर वाली सिटी बुकिंग एजेंसी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) टिकटों की बिक्री कम थी ।

(ङ) ठेकेदार द्वारा परिचालित सिटी बुकिंग एजेंसी पहले ही खोल दी गयी है ।

सोने पर नियंत्रण हटाने की मांग

[हिन्दी]

*689. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें सोने पर से सभी प्रकार के नियन्त्रण हटाने की मांग की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं; और

(ग) सोने पर से सभी प्रकार के नियन्त्रण हटाने के फलस्वरूप कितनी आय होने का अनुमान है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) सरकार को ऐसे ज्ञापन प्राप्त होते रहे हैं जिनमें स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम को वापस लिए जाने की मांग की गई है । इस पहलू पर विचार करने के लिए सरकार ने दो कार्यकारी दलों का गठन किया था, एक के अध्यक्ष डा० सी० रंगराजन थे तथा दूसरे के श्री जे० दत्ता । दोनों दलों की रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं तथा उनकी जांच कर ली गई है । अब इसे मंत्रियों के दल को सौंप दिया गया है ।

(ग) स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम कोई राजस्व अर्जित करने वाला अधिनियम नहीं है । अतः इस अधिनियम से अथवा इसके बिना, आय होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

वेरावल-राजकोट रेल लाइन का बड़ी लाइन में बदला जाना

[अनुवाद]

*690. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेरावल-राजकोट रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह मामला इस समय किस स्थिति में है; और

(ग) मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) से (ग) राजकोट-वेरावल मी० ला० (185 कि० मी०) को 68.14 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव योजना आयोग को स्वीकृति के लिए भेजा गया था। हाल ही में, आयोग ने बताया है कि इस पर आठवीं योजना में विचार किया जायेगा।

फैजाबाद-बम्बई वी० टी० एक्सप्रेस गाड़ी सप्ताह में अधिक बार चलाने की मांग

[हिन्दी]

***693. श्री निर्मल खत्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैजाबाद-बम्बई वी० टी० एक्सप्रेस गाड़ी को सप्ताह में एक बार चलाने के स्थान पर तीन बार चलाये जाने के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया।

नर्मदा योजना को लाभप्रदता

[अनुवाद]

***694. डा० वी० विजय रामा राव** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा परियोजना की लाभप्रदता के बारे में एक बार पुनः सुविख्यात विशेषज्ञों द्वारा आशंका व्यक्त की गई है जैसाकि दिनांक 27 फरवरी, 1989 के के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "नर्मदा प्लान वायबिलिटी डाउटेड" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस परियोजना को आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) समाचार पत्र में दी गयी शंकाएं तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। परियोजना को इसकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करने के पश्चात् अक्तूबर, 1988 में पहले निर्बाधित किया जा चुका है।

रेल भाड़ा वृद्धि का निर्यात पर प्रभाव

[हिन्दी]

*543 **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल भाड़ा दरों में वृद्धि किए जाने के परिणामस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात बाजार में भारतीय वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की क्या सम्भावनाएं हैं; और

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि रेल भाड़े में वृद्धि का निर्यात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) देश में रेल भाड़े में होने वाली वृद्धि का वस्तुओं की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से कोई सम्बन्ध नहीं है। तथापि, रेल भाड़े में वृद्धि से निर्यातों की प्रतियोगिता कम हो जाती है। यह सामान्यतः विनिर्माता द्वारा वहन किया जाता है।

आल इंडिया कैरिज एण्ड वैगन स्टाफ कौंसिल, धनबाद की मांगें

[अनुवाद]

6401. **श्री रेणुपद दास** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मण्डल रेल प्रबन्धक, पूर्वी रेलवे, धनबाद, को आल इण्डिया कैरिज एण्ड वैगन स्टाफ कौंसिल, धनबाद मण्डल का 20 फरवरी, 1989 का ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त ज्ञापन में गई मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मांगों के बारे में समझौता करने हेतु रेलवे प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) अगर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इनके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें मांगों का ब्यौरा दिया गया है।

(ग) इस तरह की प्राप्त शिकायतों की सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मांगें

1. सवारी और माल डिब्बा कर्मचारी आन्दोलनों के दौरान की गयी सभी प्रकार की कार्रवाइयां वापिस लेना।

2. वार्दियों की अनियमित सप्लाई नियमित की जानी चाहिए तथा टेरीकाट की वार्दियां सप्लाई करने के लिए कहा जाए।

3. हालांकि सवारी और माल डिब्बा विभाग के सम्बन्ध में पुनर्वर्गीकरण पूरा हो गया है लेकिन इसे देर से कार्यान्वित किए जाने से पहले कुछ कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके थे। उन्हें लाभ दिए जाने चाहिए और ऐसे मामलों की समीक्षा की जाए।

4. कर्मचारियों का उनके पदों के अनुसार उपयोग किया जाए।

5. पदों का अभ्यर्पण रोका जाना चाहिए।

6. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के तुरन्त बाद रिक्तियां भरी जानी चाहिए।

7. कर्मचारियों से ड्यूटी रोस्टर घण्टों के बाद काम नहीं लिया जाना चाहिए।

8. रेलवे क्वार्टरों का पूर्णतया प्राथमिकता के आधार पर आबंटन किया जाना चाहिए और इस तरह के आबंटन के लिए एक रजिस्टर रखा जाए।

9. यार्डों में पर्याप्त संरक्षा उपाय नहीं किए जा रहे हैं जिससे कर्मचारियों में असन्तोष पैदा हो रहा है। सभी संरक्षा उपायों की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक उपाय किए जायें।

10. भविष्य निधि राशि का संचलन ठीक से नहीं रखा जाता है। कर्मचारियों को भविष्य निधि पास बुक मुहैया कराई जानी चाहिए।

11. कर्मचारियों का अस्थायी स्थानान्तरण तुरन्त बन्द किया जाना चाहिए।

12. सितम्बर/88 से कर्मचारियों के यात्रा भत्ते समयोपरि भत्ते का भुगतान नहीं किया जा रहा है। यात्रा भत्ते तथा समायोपरि भत्ते भुगतान के लिए तत्काल व्यवस्था की जानी चाहिए।

13. कर्मचारियों को अचानक धनबाद से कुमुडा स्थानान्तरित कर दिया जाता है। इसे रोका जाना चाहिए।

14. सवारी तथा माल डिब्बा विभाग की कार्य प्रणाली में रे० सु० बल के कर्मचारियों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

15. कोटिवार यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ वार्तालाप सारणी बनायी जाए।

इलाहाबाद में रेल परियोजना

6402. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पहले औद्योगिक रूप से पिछड़े इलाहाबाद जिले में रेल के सवारी डिब्बे बनाने की फैक्टरी सम्बन्धी परियोजना स्थापित करने के प्रस्ताव विचार हेतु पेश किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन है;

(ग यदि नहीं, तो क्या सरकार इलाहाबाद जिले में कोई दूसरी रेल परियोजना स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सरकार ने पंजाब में कपूरथला में रेल कोच फैक्टरी स्थापित करने का विनिश्चय किया था।

(ग) से (ङ) रेल परियोजनाएं अन्य महत्वपूर्ण कारकों के वित्तीय और आर्थिक मूल्यांकन एवं आकलन को ध्यान में रखते हुए स्थापित की जाती हैं। इलाहाबाद जिले में किसी रेल परियोजना को स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना

6403. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना निर्धन परिवारों के लिए किस प्रकार चलाई जा रही है और इन परिवारों को क्या सामाजिक सुरक्षा और राहत उपलब्ध कराई जाती है;

(ख) इन योजना के वर्तमान ढांचे में राज्य सरकारों को यदि कोई भूमिका प्रदान की गई है; तो वह क्या है;

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितने निर्धन परिवारों को लाभ पहुंचा है और उन्हें कितनी धनराशि दी गई; और

(घ) क्या सुन्दर वन क्षेत्र के निर्धन व्यक्तियों को बाघ परियोजना क्षेत्र में बाघों द्वारा मारे जाने पर इस योजना के अन्तर्गत कोई राहत नहीं मिलती है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) इस योजना के अन्तर्गत 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के ऐसे सभी लोग आते हैं, जिनकी सभी स्रोतों से कुल पारिवारिक आय 7200/- रुपए वार्षिक से अधिक नहीं है। दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाने पर गरीब परिवार के अर्जक मृत सदस्य के आश्रितों को 3000/- रुपए की राशि देय है।

यह योजना भारतीय साधारण बीमा निगम तथा इसकी चार सहायक कम्पनियों, अर्थात् (1) नेशनल इन्श्योरेंश कंपनी लिमिटेड, (2) न्यू इन्डिया एश्योरेंश कंपनी लिमिटेड, (3) ओरिएन्टल इन्श्योरेंश कंपनी लिमिटेड तथा (4) यूनाइटिड इण्डिया इन्श्योरेंश कंपनी लिमिटेड के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के सक्रिय सहयोग से चलाई जा रही है। राज्य सरकारों की पूरी जिम्मेवारी है कि वे दावों की छानबीन करें और उनका निपटान करें। दावों की जांच-पड़ताल करने और स्कीम की शर्तों के अनुसार दावों के सम्बन्ध में अदायगी प्राधिकृत करने के लिए विनिर्दिष्ट बीमा कम्पनी को अपनी रिपोर्ट देने के वास्ते राज्य सरकारें सभी जिलों में दावा जांच एवं निपटान अधिकारी नियुक्त

करती है। दावा निपटान प्रक्रियाओं पर निगरानी रखने के लिए, राज्य सरकार, राज्य स्तर, जिला स्तर और ब्लाक स्तर पर सलाहकार समितियां गठित करती है, जिसमें राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारी और प्रत्येक समिति के संयोजक के रूप में नामित बीमा कम्पनी के अधिकारी शामिल होते हैं।

(ग) जनवरी से दिसम्बर, 1988 तक की अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए गरीब परिवारों की संख्या तथा इन गरीब परिवारों को संवितरित की गई धनराशि के संबंध में सूचना इस प्रकार है :—

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लाभान्वित हुए परिवारों की संख्या	भुगतान की गई राशि (लाख रुपए)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1477	43.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	0.03
3.	असम	42	1.26
4.	बिहार	444	13.22
5.	गोआ	80	2.40
6.	गुजरात	209	6.27
7.	हरियाणा	59	1.77
8.	हिमाचल प्रदेश	38	1.14
9.	जम्मू तथा कश्मीर	4	0.12
10.	कर्नाटक	872	26.16
11.	केरल	1327	39.79
12.	मध्य प्रदेश	518	15.54
13.	महाराष्ट्र	302	9.06
14.	मणिपुर	4	0.12
15.	मेघालय	16	0.48
16.	उड़ीसा	842	25.25
17.	पंजाब	21	0.63
18.	राजस्थान	128	3.84
19.	सिक्किम	45	1.35

1	2	3	4
20.	तमिलनाडु	75	2.24
21.	त्रिपुरा	69	2.07
22.	उत्तर प्रदेश	325	9.75
23.	पश्चिम बंगाल	1043	31.23
24.	चंडीगढ़	1	0.03
25.	दादरा और नगर हवेली	30	0.90
26.	दिल्ली	15	0.45
27.	दमन और दीव	4	0.12
28.	लक्षद्वीप	2	0.06
29.	पांडिचेरी	142	4.26
	जोड़ :	8135	243.51

(घ) सुन्दर वन क्षेत्र में, इस योजना के अन्तर्गत राहत का भुगतान बाघों द्वारा मारे गए गरीब लोगों को किया जाता है, सिवाए ऐसे मामलों के जहां पीड़ित व्यक्ति ने बिना बैध प्रविष्टि परमिट के परियोजना क्षेत्र में प्रवेश किया हो।

उड़ीसा में सुवर्णरेखा परियोजना के विस्थापितों का पुनर्वास

6404. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुवर्णरेखा बहुउद्देश्यीय परियोजना के कारण विस्थापित हुए परिवारों की संख्या कितनी है; और

(ख) उनके पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) उत्तर के लिए सामग्री एकत्र की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

गेमूर मनसा और सगनम में भारतीय स्टेट बैंक की शाखायें खोलना

6406. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल, 1987 में लाहौल स्पीति जिले के गेमूर गांव में बैंक शाखा खोलने के लिए और 4 जून, 1988 में मनसा और सगनम में दो बैंक शाखाएं खोलने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को लाइसेंस जारी किए थे;

(ख) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने अब तक अपनी शाखायें खोल दी हैं; यदि हां, तो ये शाखायें कौन-कौन सी तारीख से खोली गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इन शाखाओं को खोलने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इन्हें कब तक खोला जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय स्टेट बैंक को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के गेमूर केन्द्र में शाखा खोलने के वास्ते दिनांक 6 अप्रैल, 1987 को और मनसा तथा सगनम में शाखायें खोलने के लिए दिनांक 4 जून, 1988 को लाइसेंस जारी किए गए थे । आधारभूत सुविधायें न होने के कारण, भारतीय स्टेट बैंक ने इन केन्द्रों में अभी तक शाखायें नहीं खोली हैं ।

भद्राचलम को रेल लाइन से जोड़ना

6407. **श्री सोडे रमैया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भद्राचलम (आन्ध्र प्रदेश) को रेल लाइन से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी और इस समय इस मामले की क्या स्थिति है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइनें

6408. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की पूंजीगत ढांचे सम्बन्धी समिति ने सिफारिश की है कि पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाइनों के निर्माण की परियोजनाओं को उन रेल लाइनों के निर्माण के अर्थक्षम होने तक लाभांश भुगतान से छूट दी जानी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो क्या पिछड़े क्षेत्रों के विकास के हितों को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय इस सिफारिश को स्वीकार कर लेगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

टूंडला और दिल्ली के बीच शटल गाड़ी चलाना

6409. **श्री कैलाश यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टूंडला जंक्शन और दिल्ली के बीच एक शटल गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में भू-जल

[हिन्दी]

6410. **श्री मानकू राम सोढी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने दिसम्बर 1988 से मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में भूमिगत जल स्रोतों का पता लगाने हेतु किन-किन क्षेत्रों में खोज कार्य शुरू किया है;

(ख) बस्तर जिले में सामान्यतः कितनी गहराई पर जल उपलब्ध है;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकांश स्थानों में भूमिगत जल स्रोतों में लौह अयस्क के तत्व पाये जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने वर्ष 1988-89 के दौरान बस्तर जिले के दक्षिणी भाग के लगभग 13,460 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में जल भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए हैं।

(ख) बस्तर जिले में सामान्यतया भूजल की गहराई भू-स्तर से 1 से 13 मीटर तक नीचे है।

(ग) और (घ) भूजल में लौह सान्द्रता 0.2 से 1.1 मि० ग्रा०/लीटर तक है। राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग ने लौह तत्वों को निकालने के 500 संयंत्रों को प्रतिष्ठापित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य को 25 लाख रुपए निर्मुक्त किए हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रयोग किए जाने वाले बन्दूकों का रख-रखाव

6411. **श्रीमती मनोरमा सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक, बैंकों की सुरक्षा में प्रयोग किए जाने वाली बन्दूकों के उचित रख-रखाव के लिए गैर-सरकारी सुरक्षा विशेषज्ञों की सहायता ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह सुविधा इस समय कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंकों को उपलब्ध है; और

(घ) ये विशेषज्ञ किस प्रकार बन्दूकों का रखरखाव करते हैं और इस कार्य के लिए उन्हें कितनी धनराशि का भुगतान किया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फंलीरो) : (क) से (घ) प्राप्त सूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों में बन्दूकें सम्बद्ध सशस्त्र गार्ड के पास रहती हैं। जब कभी किसी हथियार में कोई त्रुटि पैदा हो जाती है तो उसे दूर करने के लिए प्राधिकृत शस्त्र विक्रेताओं से सम्पर्क किया जाता है। कुछ मामलों में, बैंक शाखाओं ने इस प्रयोजन के लिए स्थानीय प्राधिकृत शस्त्र विक्रेताओं के साथ वार्षिक आधार पर रख-रखाव सेवा संविदा भी किए हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा हथियारों के रख-रखाव के लिए गैर सरकारी सुरक्षा विशेषज्ञों से कोई सहायता नहीं ली जा रही है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली व्यापारिक कम्पनियां

[अनुवाद]

6412. **श्री सीताराम जे० गावली** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत कितनी व्यापारिक कंपनियां कार्य कर रही हैं; और

(ख) भारत में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कितनी व्यापारिक कंपनियों में विदेशी भागीदारों की 75 प्रतिशत से अधिक भागीदारी है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फंलीरो) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रथम श्रेणी "कार्ड पास" जारी करना

6413. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान जारी किए गए प्रथम श्रेणी के "कार्ड पासों" की संख्या का राज्यवार तथा संस्थावार ब्यौरा क्या है तथा ऐसे पास धारकों के नाम क्या हैं;

(ख) ऐसे पास जारी करने का मापदण्ड क्या है; और

(ग) क्या किसी पास धारक के जाली दावों को रोकने हेतु कोई तन्त्र है, यदि हां, तो इस बारे में कोई जांच की गई तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) सम्भवतः आशय रेल कर्मचारियों से इतर व्यक्तियों/संगठनों को दिए गए मानार्थ कार्ड पासों से है। वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान पहले दर्जे के क्रमशः 47, 43 और 48 कार्ड पास जारी किए गए थे। रेल मंत्रालय द्वारा ये कार्ड पास विख्यात व्यक्तियों, अखिल भारतीय स्तर के सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, खेलकूद और शैक्षिक गतिविधियों में लगे संगठनों को प्रदान किए गए हैं। ये पास मार्ग दर्शक सिद्धान्तों तथा प्रत्येक मामले के औचित्य/गुण-दोष के आधार पर जारी

किए गए हैं । सामान्यतः ये पास सभी भारतीय रेलों पर वैध हैं। अतः दिए गए पासों की राज्य-वार/ जोनवार तथा संस्थानवार सूचियां जारी करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) हर कार्ड पास प्रत्येक मामले के गुण-दोषों की जांच करने के बाद दिया जाता है ताकि जाती दावों से बचा जा सके ।

दिल्ली में आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापे

6414. **श्री शमिन्दर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के अगस्त महीने में आयकर विभाग ने दिल्ली में कितने छापे मारे;

(ख) किन विदेशी कम्पनियों पर छापे मारे गए और उपर्युक्त छापों के दौरान प्रत्येक कंपनी में कितनी आयकर चोरी का पता लगाया गया; और

(ग) इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) वर्ष 1988 के अगस्त माह में आयकर विभाग ने दिल्ली में 136 तलाशियां लीं ।

(ख) शून्य ।

(ग) जिन मामलों में कीमती वस्तुयें अभिगृहीत की गई थी, उन सभी मामलों में कर-निर्धारण अधिकारियों ने आयकर अधिनियम की धारा 132(5) के अध्यधीन आदेश पारित किए हैं जिनके तहत अघोषित आय का संक्षिप्ततः अनुमान लगाया गया है, करदेयता का निर्धारण किया गया है तथा अभिगृहीत-कीमती वस्तुओं को रोक रखने/वापस देने के आदेश दिए गए हैं । सभी मामलों में प्रत्यक्ष कर अधिनियमनों के अध्यधीन यथापेक्षित अन्य समुचित कार्यवाही की गई है ।

क्षेत्रीय रेलवे प्रयोक्ता समितियां

6415. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का यात्रियों एवं माल भाड़े के संदर्भ में अलग क्षेत्रीय रेलवे प्रयोक्ता समितियां बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तमिलनाडु बजट में घाटा

6416. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार को वित्तीय वर्ष 1988-89 भारी बजट घाटे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) राज्य सरकार के आकलन के अनुसार वर्ष 1988-89 के लिए तमिलनाडु का बजटीय घाटा 175.40 करोड़ रुपए है।

(ख) अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण करके, अतिरिक्त संसाधन जुटाकर और गैर-जरूरी खर्चे को कम करके बजट घाटे को कम करना राज्य सरकार का काम है। तथापि, केन्द्र सरकार ने वर्ष 1988-89 के लिए राज्य सरकार को 21.49 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बाजार-ऋण आबंटित किया है।

पश्चिम बंगाल की पाग्ला-बंसलोई नदी बेसिन योजना

6417. **श्री आयनल अबेदिन** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में पाग्ला-बंसलोई नदी बेसिन योजना के अन्तर्गत फाटक लगाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत फाटक लगाने का काम पूरा न होने के क्या कारण हैं;

(ग) यदि समय-सीमा बढ़ायी गयी हो तो फाटक लगाने के काम को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है; और

(घ) इस योजना के पूरा होने पर इससे प्रभावित किसानों की जल में डूबी कितने प्रतिशत भूमि पुनः कृषि योग्य बन जायेगी और फसल का उत्पादन कितना होगा ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) पाग्ला और बंसलोई नियामकों के फाटकों का लगभग 65 प्रतिशत काम प्राप्त हो गया है। फाटक लगाने और शुरू करने का कार्य मार्च, 1990 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

(घ) इन नियामकों से मानसून अवधि के बाद स्थिर जल को भगीरथी में निर्मुक्त करने की परिकल्पना है ताकि परम्परागत कृषि पद्धतियों को जारी रखा जा सके।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात

6418. **श्री अरुण कुमार नेहरू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम ने एक करोड़ अथवा उससे अधिक मूल्य की किन मुख्य मदों का आयात किया है;

(ख) किस अथवा किन स्रोतों से इनका आयात किया जा रहा है; और उनका मूल्य कितना है; और

(ग) क्या इन सौदों में कोई विदेशी एजेंट शामिल हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम ने

1 करोड़ रु० तथा उससे अधिक मूल्य की जिन वस्तुओं का आयात किया वे थीं : खाद्य तेल, वसा अम्ल, रबड़, चीनी, अखबारी कागज, दालें, सीमेंट, लौंग, केसिया तथा विभिन्न रासायनिक पदार्थ एवं औषधियां (अर्थात् मेथानोल, एल० डी० पी० ई०, डी० डी० टी०, एल० ए० बेन्जीन, कैल्सियम बोरेट, टिटेनियम डाइआक्साइड, एम० एम० ए० मोनोमर, कास्टिक सोडा, सोडियम बोरेट, बैंजीन, विटामिन 'ए', स्ट्रैप्टोमाइसीन सल्फेट आदि)।

(ख) जिन प्रमुख स्रोतों से उपरोक्त मदें आयात की गई वे हैं : अर्जेन्टिना, आस्ट्रेलिया, बंगलादेश, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चीन, चेकोस्लोवाकिया, कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य, फिनलैंड, जर्मन संघीय गणराज्य, फ्रांस, यूनान, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, हांगकांग, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेडागास्कर, मारिशस, मल्येशिया, न्यूजीलैण्ड, पोलैण्ड, कतर, रूमानिया, सऊदी अरब, सिंगापुर, श्रीलंका, स्वीडन, स्विटजरलैंड, ताइवान, तंजानियां, थाइलैण्ड, टर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत संघ तथा यूगोस्लाविया। राज्य व्यापार निगम द्वारा निविदाओं के आधार पर तथा/अथवा उत्पादकों/सप्लायरों के साथ सीधे बातचीत करके आयात किए जाते हैं। जिन कीमतों पर आयात किए जाते हैं वे प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों अथवा निविदाओं में सप्लायरों द्वारा उद्धृत की गई उस न्यूनतम कीमत तथा अन्य शर्तों पर आधारित होते हैं, जिसका सर्वाधिक लाभकारी शर्तें प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है।

(ग) ये आयात किए जाने के लिए राज्य व्यापार निगम किसी विदेशी एजेंट की सेवायें नहीं लेता है।

भारतीय रिजर्व बैंक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

6419. **श्री गंगा राम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक में बैंक चिकित्सा अधिकारियों स्टाफ अधिकारियों (चिकित्सा)/औषधालय निरीक्षकों और फार्मेसिस्टों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्ति हैं;

(ग) क्या उपर्युक्त सभी श्रेणियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित कोटे के सभी पद भरे गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और बैंक प्रबन्ध मंडल द्वारा पिछले बकाया रिक्त पदों को भरने के लिए क्या विशेष प्रयास किए गए हैं अथवा प्रयास किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क), (ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना नीचे दी गई है :—

(1) बैंक के चिकित्सा अधिकारी	68
(2) स्टाफ अधिकारी (चिकित्सा)/डिसपेंसरी पर्यवेक्षक	4
(3) फार्मेसिस्ट	96

भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि चिकित्सा अधिकारियों के पद अंशकालिक हैं और स्टाफ अधिकारियों (चिकित्सा) तथा फार्मेसिस्ट के पदों की संख्या कम होने के कारण इन पदों को,

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने के प्रयोजन से, बैंक के अन्य समतुल्य पदों के साथ मिला दिया गया है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

6420. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों में, इनके खुलने से लेकर 31 दिसम्बर, 1987 तक कुल कितनी धनराशि जमा हुई;

(ग) इन बैंकों द्वारा 31 दिसम्बर, 1987 तक ग्रामीणों को कितनी धनराशि के ऋण दिए गए;

(घ) इन बैंकों को 31 दिसम्बर, 1987 तक उक्त ऋणों की कुल कितनी धनराशि वसूल की गई;

(ङ) इन बैंकों को 31 दिसम्बर, 1987 तक बैंकिंग क्षेत्र से कुल कितनी कार्य पूंजी अथवा ऋण सहायता प्राप्त हुई है;

(च) 31 दिसम्बर, 1987 तक इन बैंकों को कुल कितना संचयी लाभ अथवा घाटा हुआ; और

(छ) 31 दिसम्बर, 1987 की स्थिति के अनुसार इन बैंकों की राज्यवार कुल कितनी शाखायें थीं और उनमें श्रेणीवार कितने कर्मचारी कार्य कर रहे थे ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के काम की समीक्षा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा नियमित आधार पर की जाती है।

(ख) और (ग) दिसम्बर, 1987 के अन्त में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल जमाराशियां 2305.82 करोड़ रुपए थी और इसी तारीख को इन बैंकों के कुल बकाया अग्रिमों की राशि 2232.26 करोड़ रुपए थी।

(घ) जून, 1987 को समाप्त वर्ष के लिए सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत 50 था।

(ङ) राष्ट्रीय बैंक, प्रायोजक बैंकों और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दिसम्बर, 1987 के अन्त में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को गई पुनर्वित्त सहायता की कुल बकाया राशि 1165.88 करोड़ रुपए थी।

(च) राष्ट्रीय बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1981 से 1987 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कुल 30.17 करोड़ रुपए का लाभ और 138.79 करोड़ रुपए की हानि हुई।

(छ) दिसम्बर 1987 के अन्त में इन बैंकों की कुल शाखाओं की राज्यवार संख्या और कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

दिसम्बर, 1987 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और कर्मचारियों की संख्या

क्रम सं०	राज्य	शाखाओं की सं०	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की संख्या				
			अधिकारी	क्षेत्रीय पर्यवेक्षक	लिपिक	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हरियाणा	260	291	155	564	147	1157
2.	हिमाचल प्रदेश	123	81	111	233	81	506
3.	जम्मू और कश्मीर	256	275	186	477	36	974
4.	पंजाब	146	195	11	200	12	418
5.	राजस्थान	1007	1186	353	1546	212	3297
6.	अरुणाचल प्रदेश	15	19	—	6	4	29
7.	असम	337	361	316	595	103	1375
8.	मणिपुर	23	21	19	24	2	66
9.	मेघालय	42	48	7	54	4	113
10.	मिजोरम	33	40	—	56	4	100
11.	नागालैण्ड	8	11	—	11	1	23
12.	त्रिपुरा	77	117	123	285	57	582
13.	बिहार	1777	1829	1114	2275	359	5577
14.	उड़ीसा	788	898	642	1647	256	3443
15.	पश्चिम बंगाल	737	870	741	1444	178	3233
16.	मध्य प्रदेश	1512	1765	789	1874	184	4612
17.	उत्तर प्रदेश	2905	3573	2115	4572	793	11053

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	गुजरात	313	353	98	386	39	876
19.	महाराष्ट्र	486	609	126	733	47	1515
20.	आंध्र प्रदेश	1052	1182	1055	1803	182	4222
21.	कर्नाटक	1034	1216	832	2215	375	4638
22.	केरल	262	402	230	1265	271	2168
23.	तमिलनाडु	160	228	106	319	63	716
	अखिल भारत :	13353	15570	9129	22584	3410	50693

बंगलौर और भुवनेश्वर के बीच रेल सेवा

6421. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर और भुवनेश्वर के बीच एक सीधी रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव काफी समय से लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसे अब तक कार्यान्वित न दिए जाने का क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसे वित्तीय वर्ष 1989-90 में कार्यान्वित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

2 अप्रैल, 1989 को सलेम के निकट केरल एक्सप्रेस का पटरी से उतरना

6422. **श्री टी० बशीर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2 अप्रैल, 1989 को सलेम के निकट केरल एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के कारणों की कोई जांच कराई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों की एक अन्तः विभागीय जांच समिति द्वारा इस दुर्घटना के कारणों की जांच की गयी थी। इसके निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई थी ।

केरल में सोना जब्त करना

6423. श्री के० मोहनदास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 में केरल समुद्रतट पर कुल कितने मूल्य का तस्करी का सोना जब्त किया गया;

(ख) क्या केरल समुद्रतट पर सोने की तस्करी में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या तस्करी की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए केरल में सीमा-शुल्क विभाग का कोई नया कार्यालय खोलने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) केरल तट पर कैलेण्डर वर्ष 1988 के दौरान पकड़े गए सोने का मूल्य एवं इसकी मात्रा नीचे सारणी में दी गई है :—

वर्ष	पकड़े गये सोने की मात्रा (किलोग्राम में)	पकड़े गए सोने का मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1988	349.566	11.28

(ख) और (ग) चूंकि तस्करी चोरी-छिपे किए जाने वाला एक धन्धा है, अतः यह अनुमान लगा पाना सम्भव नहीं है कि क्या केरल तट के समान्तर लगे हुए क्षेत्र में सोने की तस्करी में वृद्धि हुई है अथवा नहीं। तथापि, केरल तट से वर्ष 1987 के दौरान पकड़े गए लगभग 4.85 करोड़ रुपए मूल्य के 167.954 किलोग्राम सोने की तुलना में, वर्ष 1988 में पकड़े गए सोने की मात्रा एवं इसका मूल्य, जो ऊपर दिया गया है, अधिक है।

फिलहाल किसी नए कार्यालय के खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, तस्करी-रोधी अभियान तेज कर दिया गया है और केरल तट सहित सम्पूर्ण देश में तस्करी-रोधी तन्त्र को मजबूत बना दिया गया है। सोने की तस्करी सहित, तस्करी को रोकने एवं इसका पता लगाने के लिए सभी सम्बन्धित अभिकरणों के साथ घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा जा रहा है।

इलायची बागान के लिए राजसहायता

6424. श्री पी० ए० एन्टनी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची के बागानों को पुनः लगाने के लिए राजसहायता की राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या मसाला बोर्ड द्वारा दी जा रही सिंचाई राजसहायता और आगे की अवधि तक बढ़ाने का भी विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही सिंचाई उपदान योजनाओं को वर्ष 1989-90 के लिए भी बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है।

कोयले की कमी से रेलगाड़ियां रद्द करना

6425. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे को वाष्प कोयले की वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) रेलवे को पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना वाष्प कोयला उपलब्ध किया गया और चालू वर्ष में कितनी मात्रा उपलब्ध कराई जाएगी; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले की कमी के कारण किन-किन रेलगाड़ियों को तथा कितनी अवधि के लिए रद्द किया गया ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान कर्षण के लिए 5.5 मिलियन टन भाप कोयले की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलों पर कर्षण के लिए इस्तेमाल किए गये भाप कोयले और चालू वर्ष के दौरान कोयले की सम्भावित खपत का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1986-87	—	7.27 मिलियन टन
1987-88	—	6.72 " "
1988-89	—	5.88 " " (अनन्तिम)
1989-90	—	5.5 " " (सम्भावित)

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय राज्य व्यापार निगम की स्थापना का प्रस्ताव

6426. **श्री हरिहर सोरन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने अन्तर्राष्ट्रीय राज्य व्यापार निगम नामक एक नई कम्पनी स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो इस नई कम्पनी के मुख्य कार्य क्या होंगे;

(ग) क्या वर्ष 1989-90 के लिए निर्यात का अधिक लक्ष्य रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां ।

(घ) वर्ष 1989-90 के लिए एस० टी० सी० का निर्यात लक्ष्य 700 करोड़ रु० का रखा गया है जबकि वर्ष 1988-89 में वास्तविक निर्यात 530 करोड़ रु० मूल्य का है ।

(ङ) राज्य व्यापार निगम ने वर्ष 1989-90 के अधिक निर्यात लक्ष्य को पूरा करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं । इनमें शामिल हैं :—

— सहयोगी निर्यातकों को वित्तीय/विपणन और तकनीकी सहायता प्रदान करना ।

— नई मदों और नए बाजारों का विकास करने के लिए एक निर्यात व्यापार विकास समूह की स्थापना ।

— भारतीय निर्यातकों को बेहतर सुविधायें प्रदान करने के लिए एक ग्राहक सेवा केन्द्र खोलना ।

— निर्यातकों को कच्चे माल सम्बन्धी सहायता प्रदान करने के लिए ओ० जी० एल० पर कच्चे माल का आयात करने सम्बन्धी योजना बनाना ।

— विदेशी मुद्रा अर्जन बढ़ाने के लिए समुद्र तटीय व्यापार का विकास करना ।

— निर्यातकों को उरके अग्रिम लाइसेंसों के आधार पर बेन्जीन की आपूर्ति करना ।

— निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर एक्स-बाण्ड मिथानाल उपलब्ध कराना ।

— छोटे विनिर्माताओं के लिए बल्क औषधियों की मूल्य समर्थन योजना बनाना ।

विनिमय जोखिम संरक्षण योजना

6427. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय वित संस्थान अर्थात् आई० डी० बी० आई०, आई० सी० आई० सी०आई० और आई०एफ०सी०आई० ने विनिमय जोखिम संरक्षण नाम की एक योजना चलाई है जिसके द्वारा विदेशी मुद्रा उधार लेने वालों को इस प्रकार के संरक्षण लागत को एम्यूरी के रूप में उनमें वितरित करके ऋण लेने वालों को विनिमय जोखिम से बचाया जा सकेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) "विनिमय जोखिम प्रशासन योजना" नामक योजना पहली अप्रैल, 1989 से लागू हो गई है ।

(ख) विनिमय जोखिम प्रशासन योजना प्रारम्भ में 2 वर्ष की अवधि के लिए होगी । इस योजना का उद्देश्य विदेशी मुद्रा में उधार लेने वालों को विनिमय सम्बन्धी उतार-चढ़ावों के विषय में संरक्षण प्रदान करना है । पात्र उधारकर्त्ताओं को प्रत्येक नए ऋण के सम्बन्ध में इस योजना में शामिल

होने का विकल्प होगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में एक विनिमय जोखिम प्रशासन निधि की स्थापना की जाएगी, जिसमें इस योजना को चलाने के लिये इन वित्तीय संस्थाओं से प्रारम्भिक अंशदान प्राप्त किए जाएंगे। संवितरण की तारीख को उधारों को रुपयों में निश्चित किया जाएगा और वापसी अदायगी का दायित्व रुपयों में होगा। ब्याज में अन्य बातों के साथ-साथ इन संस्थाओं के उधार लेने की समग्र लागत के आधार पर भिन्नता होगी।

टिकट रद्द करने का प्रभार

6428. **श्री सोडे रमैया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को टिकट रद्द करने के प्रभार से काफी बड़ी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) विभिन्न रेलवे जोनों में वित्तीय वर्ष 1984-85 में टिकट रद्द करने के प्रभार के रूप में प्राप्त धनराशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टिकट रद्द करने की वर्तमान दरें बहुत अधिक हैं;

(घ) क्या सरकार का टिकट रद्द करने का प्रभार कम करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) टिकटें रद्द करने के लिए लगाये गये प्रभारों के कारण वसूल की गयी राशि के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) विस्तृत जांच के पश्चात् इस विषय पर नियम बनाए गए हैं।

सरकार की स्वीकृति के बिना सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन

6429. **श्री एम० वेंकटरत्नम** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने देश में विभिन्न राज्यों में विभिन्न चरणों में कार्यान्वित की जा रही सभी प्रमुख और मध्यम परियोजनाओं के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता सम्बन्धी स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय जल आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना परियोजनाओं का कार्यान्वयन न होने देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) इस समय राज्यों द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर भी कुछ व्यय किया जा रहा है। केन्द्र में स्कीमों के शीघ्र निर्बाधन के उद्देश्य से, राज्यों के परामर्श से मूल्यांकन की संशोधित प्रक्रिया को अन्तिम रूप दे दिया गया है। इस प्रक्रिया के आठवीं योजना में चालू हो जाने की आशा है, जिसके बाद राज्यों से आशा की जाएगी कि वे व्यय करने से पहले स्कीमों की जांच करने और उनका अनुमोदन करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाएं।

राजनीतिक दलों के लिए विशेष रेलगाड़ियां तथा अतिरिक्त डिब्बे

6430. **डा० ए० के० पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1988 को दिल्ली में आयोजित कांग्रेस (आई) की रैली में लोगों को ले जाने के लिए कितनी विशेष रेलगाड़ियां चलाई गईं तथा कितने अतिरिक्त डिब्बे उपलब्ध कराये गए;

(ख) कितने व्यक्तियों ने यात्रा की, कुल यात्रा व्यय कितना हुआ/कितनी धनराशि का भुगतान किया गया और यदि कोई भुगतान शेष है तो वह कितना है;

(ग) राजनीतिक तथा अन्य दलों द्वारा अतिरिक्त डिब्बे/रेलगाड़ियां बुक करवाने के लिए अग्रिम धनराशि/बाद में भुगतान करने सम्बन्धी सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे अनुरोधों को कितने दिन पहले तक स्वीकार किया जाता है, तथा उपर्युक्त रैली के मामले में अन्तिम अनुरोध कब प्राप्त हुआ था;

(ङ) उपर्युक्त प्रत्येक रेलगाड़ी के मामले में कितना विलम्ब शुल्क लिया गया; और

(च) विभिन्न कांग्रेस (आई) एककों की तरफ यदि पिछला बकाया है तो उसकी राशि तथा तारीख आदि का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क), (ख) और (घ) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) मांगपर्चीदाताओं द्वारा सवारी डिब्बों अथवा गाड़ियों में आरक्षण के लिए नियमों के अन्तर्गत निर्धारित की गयी राशि जमा कराया जाना अपेक्षित है।

बोलपुर, पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय

6431. **श्री गदाधर साहा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय, बोलपुर के लिए कार्यालय भवन, आवासीय परिसर और एक केन्द्रीय विद्यालय के निर्माण के सम्बन्ध में हुई प्रगति का अद्यतन ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराई है;

(ग) क्या इस परियोजना के निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि मंजूर की गई है और जारी कर दी गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस समाहर्तालय का कार्य क्षेत्र कितना है और इसके कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि इस समाहर्तालय ने निर्धारित राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्री से पुरस्कार प्राप्त किया है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) बोलपुर में केन्द्रीय

उत्पादन शुल्क समाहर्तालय के लिए कार्यालय भवन तथा आवासीय परिसर का निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है। उन्हें लागत अनुमान और भवन का नक्शा तैयार करना है। अनुमानों और भवन के नक्शे को शीघ्र तैयार करने के लिए, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, बोलपुर द्वारा इस मामले को सक्रियता से उनके साथ उठाया जा रहा है।

बोलपुर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 1.00 एकड़ तथा 4.9 एकड़ के दो स्थल केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग को अन्तरित कर दिए गए हैं।

(ग) सरकार ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय के लिए बोलपुर में कार्यालय तथा आवासीय भवनों का निर्माण करने के लिए प्रशासनिक अनुमति दे दी है तथा क्रमशः 1.63 करोड़ रुपए तथा 1.10 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के आधार पर व्यय की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है।

(घ) समाहर्तालय के क्षेत्राधिकार में सिक्किम राज्य तथा पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित "जिले" शामिल हैं अर्थात् :—

बर्दवान, बीरभूम, बांकुरा, पुरूलिया, माल्दा, मुर्शिदाबाद, नादिया, पश्चिम दिनाजपुर, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार।

राजस्व वसूली की दृष्टि से समाहर्तालय का कार्य-निष्पादन इस प्रकार है :—

1984-85	126 करोड़ रुपये
1985-86	184 करोड़ रुपए
1986-87	200 करोड़ रुपए
1987-88	193 करोड़ रुपए
1988-89	212 करोड़ रुपए (अनन्तिम)

(ङ) जी, हां, 1985-86 के लिए।

फरक्का बराज में गंगा के बांये किनारे की सुरक्षा

6432. **डा० सुधीर कुमार** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बराज प्राधिकारियों ने फरक्का बराज के ऊपर गंगा के बांये किनारे की सुरक्षा करने का दायित्व छोड़ दिया है;

(ख) क्या 1988 की बाढ़ के दौरान गंगा के बांये किनारे का लगभग 1900 मीटर भाग टूट गया था और पी० एस० कालियाचक्र का लगभग 35 वर्गमील क्षेत्र पानी में डूब गया था; और

(ग) यदि हां, तो फरक्का बराज प्राधिकारियों द्वारा अपने दायित्व को न निभाये जाने के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) बाढ़ प्रबन्ध कार्यों

का अनुरक्षण राज्य सरकार की गतिविधियों के कार्यक्षेत्र में आता है। फरक्का बराज परियोजना प्राधिकरण को बराज तथा उससे सम्बद्ध कार्यों के प्रचालन और अनुरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

रेगिस्तानी और पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को विशेष भत्ते

[हिन्दी]

6433. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेगिस्तानी और पर्वतीय क्षेत्रों के दुर्गम और कठिन भागों के केन्द्रीय और राज्य सरकार के कार्यालयों में अनेक पद रिक्त पड़े हैं क्योंकि सरकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति और यहां तक कि पदोन्नति पर भी वहां तैनात होना नहीं चाहते;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों के लोग शिक्षा और विकास योजनाओं के लाभों से वंचित रह जाते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को विशेष भत्ता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) प्रतिनियुक्ति और पदोन्नति पर नियुक्तियों सहित केन्द्रीय सरकार में विभिन्न नियुक्तियां भिन्न-भिन्न स्तरों पर की जाती हैं और ऐसी नियुक्तियों से सम्बन्धी सूचना एक स्थान पर नहीं रखी जाती है। राज्य सरकारों में पदों पर नियुक्तियां राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं।

(ग) और (घ) दूरस्थ/पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को विशेष प्रतिपूरक (दूरस्थ स्थान) भत्ता, खराब जलवायु भत्ता, आदिवासी क्षेत्र भत्ता, सीमा भत्ता, संयुक्त पर्वतीय प्रतिपूरक भत्ता, विशेष कार्य भत्ता तथा कठिनाई भत्ता जैसे कई भत्ते, ऐसे भत्ते दिए जाने के लिए निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुए, पहले ही दिए जा रहे हैं। अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में इस समय स्वीकार्य विशेष कार्य भत्ता द्वीपसमूह विशेष भत्ते के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

अनुग्रह राशि का भुगतान

[अनुवाद]

6434. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथे वेतन आयोग ने उन सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को जनवरी, 1986 से 300 रुपये प्रतिमाह अनुग्रह राशि का भुगतान करने की सिफारिश की थी जिन्होंने पेंशन के बदले सरकारी केन्द्रीय अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुना था और जिनका वेतन उनकी सेवानिवृत्ति के समय 500 रुपये प्रतिमाह से कम था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उदारीकृत पेंशन योजना की तुलना में केन्द्रीय अंशदायी

भविष्य निधि के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले लाभों की असमानता को ध्यान में रखते हुए उक्त सिफारिश को स्वीकार करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) चौथे वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि (1) 500 रुपये या कम वेतन पाने वाले उन सभी कर्मचारियों को प्रतिमाह 300 रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान जो भविष्य निधि के अन्तर्गत सेवानिवृत्त हुए हैं, (2) 500 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले उन सभी कर्मचारियों को, जो भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्त हुए हैं, पेन्शन योजना के अन्तर्गत आने के लिए विकल्प दिया जाए तथा (3) उन सभी कर्मचारियों की, जो भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्त हुए थे, विधवाओं/परिवार के सदस्यों को 150 रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाये ।

(ख) और (ग) सरकार ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद केवल ऊपर मद (3) पर दी गयी सिफारिश ही स्वीकार करने का निर्णय किया है। रेल मंत्रालय ने सरकार के निर्णय को कार्यान्वित कर दिया है ।

दमन गंगा जलाशय परियोजना से सिंचाई का जल ले जाने के लिए "फील्ड चैनल" का निर्माण

6435. **श्री गोपाल के० टंडेल** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दमन में जलाशय परियोजना से दमन के क्षेत्रों तक सिंचाई का जल ले जाने के लिए "फील्ड चैनल" के निर्माण के बारे में अब तक क्या कारवाही की गई है;

(ख) दमन में कृषि विकास कार्य सम्बन्धी "फील्ड चैनल" निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा दमन जिले में कृषि विकास सम्बन्धी कार्य समय पर और सुनियोजित ढंग से किये जायें, प्रभावी निगरानी की क्या व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) दमनगंगा जलाशय परियोजना के दमन क्षेत्र में खेत चैनलों का निर्माण दमन व दीव संघ शासित क्षेत्र से आवश्यक निधियां प्राप्त करने के बाद जमा कार्य के रूप में क्षेत्र विकास आयुक्त, सूरत द्वारा कार्यान्वित किया जाना है । 3410 हेक्टेयर दमन क्षेत्रों में खेत चैनलों और खेत नालियों के निर्माण के लिए 86.12 लाख रुपए की योजना तथा अनुमान दमन व दीव संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासनिक अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए गए हैं, इसकी अभी प्रतीक्षा है । तथापि दमन प्रशासन द्वारा 22-2-1989 को 22.60 लाख रुपए की निधियां जमा कराई गयी हैं और 84 हेक्टेयर दमन क्षेत्र में खेत चैनलों का कार्य 38,000 रुपए की लागत पर मार्च, 1989 तक पूरा हो गया है ।

(ख) जून, 1991 ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

चिट फंड कम्पनियों द्वारा ठगी और धोखाधड़ी

6436. **श्री डाल चन्द्र जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चिटफंड दिल्ली के रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मचारियों के साथ सांठ-गांठ से दिल्ली की चिटफंड कम्पनियों द्वारा व्यापक पैमाने पर ठगी और धोखा-धड़ी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या किसी कम्पनी पर मुकदमा भी चलाया गया है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उसे चिटफंड रजिस्ट्रार, दिल्ली के कार्यालय के कर्मचारियों के सांठ-गांठ से दिल्ली की चिटफण्ड कम्पनियों द्वारा व्यापक पैमाने पर ठगी और धोखाधड़ी किए जाने की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

बल्क औषधों के लिए निर्यात-आदेश

6437. **श्री एस० एम० गुरड्डी** :
श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय व्यापार संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत फरवरी, 1989 में यूरोप की यात्रा की थी;

(ख) क्या इस यात्रा के दौरान बल्क औषधों के निर्यात के लिए कोई समझौता हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और निर्यात के लिए क्रयादेश कब तक मिल जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) भारतीय बल्क औषध उद्योग से एक दस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय व्यापार संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 से 28 फरवरी, 1989 के बीच लन्दन, ब्रूसेल्स और हैम्बर्ग का दौरा किया । इस प्रतिनिधिमंडल को भारतीय मूल रसायन भेषज और सौन्दर्य सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई ने प्रायोजित किया था । निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रस्तुत

जानकारी के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल के सदस्य औषधों के निर्यात के लिए 7 करोड़ रु० मूल्य के आदेश बुक करने में सफल रहे। इनमें से 2.3 करोड़ रुपये मूल्यका पोतलदान पहले ही दिया जा चुका है। शेष मात्रा का पोतलदान जुलाई, 1989 के अन्त तक पूरा होने की आशा है।

अमरीका को इंजीनियरिंग सामान का निर्यात

6438. श्री एस० बी० सिदनाल :
श्री शान्ति लाल पटेल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका की सरकारों ने भारत से अमरीका को और अधिक इंजीनियरिंग सामान का निर्यात करने के बारे में कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) हालांकि भारत से अमरीका को अन्य मदों में इन्जीनियरी माल के निर्यात बढ़ाए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में भारत सरकार तथा अमरीका के बीच कोई निश्चित करार नहीं हुआ है।

चुनाव में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग

6439. श्री सोमनाथ रथ :
श्री प्रताप राव बी० भोसले :
श्री हरिहर सोरन :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी आम चुनावों में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो यह प्रणाली कितने संसदीय चुनाव क्षेत्रों में प्रारम्भ की जायगी और इस पर कितनी लागत आएगी;

(ग) क्या इन संसदीय क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है और यदि हां तो वे कौन-कौन से संसदीय चुनाव क्षेत्र हैं;

(घ) क्या सरकार ने निर्माताओं को इसके क्रयादेश दे दिए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन निर्माताओं का ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ङ) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर और इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद नामक पब्लिक सेक्टर उपक्रमों से एक लाख पचास हजार इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनें खरीदे जाने के लिए निर्वाचन आयोग को अनुमोदन भेज दिया गया है। इन मशीनों की अनुमानित लागत लगभग पचहत्तर करोड़ रुपए है। ये मशीनें, इस वर्ष होने वाले साधारण निर्वाचनों में, ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में उपयोग के लिए आशयित है, जिन्हें निर्वाचन आयोग संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र समझता है।

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा लघु औद्योगिक एककों के उत्पादों का खरीदा जाना

6440. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा लघु औद्योगिक एककों के कुल कितने लक्ष्य के उत्पाद खरीदे गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा कर्नाटक में निर्मित कितने मूल्य के इस प्रकार के उत्पाद खरीदे;

(ग) कर्नाटक में कितने लघु औद्योगिक एकक चल रहे हैं और इनमें ऐसे किन-किन उत्पादों का निर्माण करते हैं जिन्हें सरकार द्वारा खरीदा जा सकता है; और

(घ) क्या पूर्ति और निपटान महानिदेशालय का कर्नाटक के लघु औद्योगिक एककों द्वारा निर्मित और अधिक उत्पादों को खरीदने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) दिनांक 1-4-1988 से 31-1-1989 की अवधि के दौरान पूर्ति और निपटान महानिदेशालय ने लघु औद्योगिक एककों से कुल 241.27 करोड़ रुपये मूल्य के उत्पाद खरीदे ।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान पूर्ति और निपटान महानिदेशालय ने कर्नाटक के लघु औद्योगिक एककों से कुल 1.20 करोड़ रुपये मूल्य के उत्पाद खरीदे ।

(ग) और (घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार कर्नाटक में 31-3-89 तक पंजीकृत लघु औद्योगिक एककों की संख्या 73,518 बताई गई। इन एककों द्वारा विनिर्मित मदों में से उन मदों को बताना या श्रेणीबद्ध करना मुश्किल है जिन्हें सरकार/पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा खरीदा जा सकता है। केन्द्रीय क्रय संगठन होने के नाते पूर्ति और निपटान महानिदेशालय मांगकर्ता विभागों की निश्चित मांगों पर अपेक्षित विनिर्दिष्टियों के साथ, तथा अखिल भारतीय आधार पर खुली निविदाओं के जरिए प्रतियोगी कीमतों पर खरीद करता है। पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में कोई राज्यवार/क्षेत्रवार क्रय वरीयता नहीं है और न ही किसी राज्य को कोई क्रय कोटा आबंटित किया जा सकता है।

औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के माध्यम से उद्योगों को कार्यक्षम बनाना

6441. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के माध्यम से कितने उद्योगों को राज्य-वार कार्यक्षम बनाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि 28-2-89 की स्थिति के अनुसार बोर्ड ने रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 की धारा 18 के अधीन 23 रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों के पुनरुद्धार के लिए स्वीकृति प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त 59 मामलों में बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि सम्बन्धित रूग्ण औद्योगिक कम्पनी के लिए युक्तियुक्त समय सीमा के अन्दर अपने शुद्ध मालीयत को सकारात्मक बनाना सम्भव होगा और उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 17 (2) के अन्तर्गत

अनुमोदन प्रदान किया। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

28-2-89 की स्थिति के अनुसार उन एककों की संख्या जिनके मामले में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 की धारा 17(2)/धारा 18(4) के अन्तर्गत वर्णित योजना के अधीन आदेश पारित किया

क्रम सं०	राज्य का नाम	धारा 17(2) के अन्तर्गत एककों की संख्या	धारा 18(4) के अन्तर्गत एककों की संख्या
1.	महाराष्ट्र	13	8
2.	पश्चिम बंगाल	7	2
3.	आन्ध्र प्रदेश	8	2
4.	तमिलनाडु	6	5
5.	कर्नाटक	6	—
6.	गुजरात	5	1
7.	केरल	4	—
8.	हरियाणा	3	—
9.	बिहार	3	2
10.	उत्तर प्रदेश	2	1
11.	राजस्थान	1	—
12.	उड़ीसा	1	—
13.	हिमाचल प्रदेश	1	—
14.	पंजाब	1	2
	जोड़ :	61	23

टिप्पणी : दो कम्पनियों के एक से अधिक राज्यों में कारखाने हैं।

केरल में विकास कार्यों के लिए आठवें वित्त आयोग द्वारा पुरस्कार की सिफारिश

6442. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवें वित्त आयोग ने केरल में आठ क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए पुरस्कार की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकार की गई थी;

(घ) क्या इन परियोजनाओं का निर्माण पूरा हो गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राज्य सरकार ने पुरस्कार की अवधि एक वर्ष तक बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो क्या पुरस्कार की अवधि बढ़ाने का अनुरोध स्वीकार कर दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (च) सम्भवः मांगी गई सूचना केरल में प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए आठवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए सहायता अनुदान से सम्बन्धित है।

आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1985-89 की अवधि के लिए केरल में स्तर को बढ़ाने हेतु 1550.02 लाख रुपये के अनुदान की राशि स्वीकृत की गई थी, जो नीचे दिए गए अनुसार थी :—

	(लाख रुपए में)
1. पुलिस प्रशासन	668.98
2. जेल प्रशासन	89.86
3. जनजातीय प्रशासन	53.16
4. स्वास्थ्य	217.13
5. न्यायिक प्रशासन	308.90
6. जिला एवं राजस्व प्रशासन	50.95
7. प्रशिक्षण	122.04
8. खजाना और लेखा प्रशासन	39.00
	1550.02

ऊपर उल्लिखित राशि में पूंजी कार्यों के लिए 1355.83 लाख रुपये शामिल थे। इन कार्यों को 31-3-1989 तक पूरा किया जाना था। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार ये सभी कार्य मुख्यतः स्थल-निर्धारण, भूमि अधिग्रहण इत्यादि से सम्बद्ध प्रारम्भिक कठिनाइयों के कारण उक्त तारीख तक पूरे नहीं किए जा सके।

राज्य सरकार ने उन स्कीमों को पूरा करने के लिए कम-से-कम 30 सितम्बर, 1989 तक समय बढ़ाने हेतु अनुरोध किया है जो विचाराधीन है।

केरल को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की सहायता

6443. **श्री तम्पन थामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988 से कृषि प्रयोजनों के लिए ऋण देने की राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की नीति में कोई परिवर्तन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1989-89 के दौरान केरल को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा कितनी रकम के ऋण तथा अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता दी गई ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने दिनांक 29 नवम्बर, 1988 के अपने परिपत्र के तहत राज्य सहकारी बैंकों और राज्य भूमि विकास बैंकों से कहा है कि इसके पश्चात् राष्ट्रीय बैंक से जो पुनर्वित्त सहायता दी जाएगी वह जारी करने और उनकी वापसी अदायगी, ब्याज दरों, ऋणों का पुनर्निर्धारण/आस्थगन आदि से सम्बन्धित भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा निर्धारित अनेक निर्देशों को अनुपालन के आधार पर दी जाएगी।

पहली मार्च, 1988 से प्रभावी ब्याज दरों में कटौती किए जाने के पश्चात् राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा मंजूर की गई ऋण सीमाओं को नियन्त्रित करने वाले नियमों में कुछ परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन संक्षेप में नीचे दिए गए हैं :—

(एक) अब पुनर्वित्त सहायता राशि के ब्याज की दर का सम्बन्ध राष्ट्रीय और ग्रामीण विकास बैंक से लिए गए औसत ऋणों की प्रतिशतता से है। राष्ट्रीय बैंक केन्द्रीय सहकारी बैंक स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के नाम औसत बकाया राशि के आधार पर पुर्नवित्त सुविधा देता है।

(दो) सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों के पास मांग तथा अल्पावधिक जमाराशियां रखने के लिए स्वतन्त्र है बशर्ते कि वे न्यूनतम निर्धारित अन्तर्ग्रस्तता का पालन करते हों और अतिदेय भिन्न कवर में कोई कमी न हो।

(तीन) यदि बैंकों ने न्यूनतम निर्धारित अन्तर्ग्रस्तता का पालन कर लिया है तो वे अपने बाकी साधनों को गैर-कृषि क्षेत्रों को ऋण देने पर लगाने के लिए स्वतंत्र हैं ताकि वे ब्याज दरों में हुई कटौती में हुई हानि को पूरा कर सकें।

(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान योजनागत ऋणों के वास्ते केरल को दी गयी पुनर्वित्त सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	(लाख रुपए)
1986-87	5335
1987-88	5803
1988-89 (केवल 9 महीने)	7126

प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय के पूरा करने के लिए स्थायी कोष की स्थापना

6444. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सूखे और बाढ़ जैसे बारम्बार होने वाले प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक स्थायी और विशेष कोष स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विधि स्नातक पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा

6445. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एम० बी० बी० एस०, इन्जीनियरी पाठ्यक्रमों आदि में दाखिले के लिए कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो विधि स्नातक पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा न होने के क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) एम० बी० बी० एस०, इंजीनियरी पाठ्यक्रमों आदि के लिए प्रवेश परीक्षा देश के सभी भागों में समान रूप से आयोजित नहीं की जाती है।

(ख) संबंधित राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/शैक्षिक संस्थाओं को इस बात पर विचार करना है कि एल० एल० बी० पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कोई परीक्षा ली जानी चाहिए या नहीं।

खनन और इंजीनियरी सामान सम्बन्धी कार्यकारी दल

6446. **श्री एच० ए० डोरा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-आस्ट्रेलिया संयुक्त व्यापार परिषद के अन्तर्गत खनन और इन्जीनियरी सामान सम्बन्धी कार्यकारी दल का गठन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रयोजन और ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) इन्जीनियरिंग खनन पर भारत-आस्ट्रेलिया कार्यदल की संयुक्त बैठक में यह निश्चय किया गया कि व्यापार सुगम बनाने, आपसी जागरूकता बढ़ाने और प्रगति को मानीटर करने के लिए, दोनों पक्षों से तीन-तीन सदस्यों को मिलाकर एक लघु कार्यदल का गठन किया जाए। अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निश्चय किया गया कि :—

(1) व्यापार सम्भावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान करना और सहयोग की साध्यता की जांच करना;

(2) आस्ट्रेलिया को इन्जीनियरी सामान का निर्यात बढ़ाना;

(3) भारत में आस्ट्रेलियायी संविदाकर्ताओं को भारतीय उपस्करों की आपूर्ति; और

(4) तीसरे देशों की परियोजनाओं के लिए, आस्ट्रेलियायी पार्टियों को मुख्य-संविदाकर्ता रख कर, भारतीय अप-संविदा करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न उपाय भी अभिज्ञात किए गए।

नेफ्था पर आधारित उद्योगों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के अन्तर्गत तेलशोधन शाला का दर्जा देना

[हिन्दी]

6447. **श्री जितेन्द्र सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपथा पर आधारित उद्योगों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम के अंतर्गत तेलशोधनशाला का दर्जा दिया है;

(ख) यदि हां, तो कितने उद्योगों ने इस सुविधा के लिए सरकार से आवेदन किया है और उनमें से कितनों को यह सुविधा प्रदान की गई है; और

(ग) शेष उद्योगों को तेल शोधनशालाओं का दर्जा देने में विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) विगत में नेफ्था पर आधारित 10 कारखानों ने अपने-अपने परिसरों की तेलशोधक कारखानों के रूप में घोषणा किए जाने के सिलसिले में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए थे। इन 10 कारखानों में से, 9 कारखानों के परिसरों को 28-2-89 तक तेलशोधक कारखानों के रूप में घोषित कर दिया गया था। 1 मार्च, 89 से कच्चे नेफ्थे पर शुल्क की रियायती दर की सुविधा तेलशोधक कारखाने के रूप में कारखाने की घोषणा के बारे में बिना किसी शर्त के, विनिर्दिष्ट माल का निर्माण करने वाले सभी कारखानों को उपलब्ध है। अतः उपर्युक्त घोषणाएं भी निरस्त की जा चुकी हैं क्योंकि 1-3-89 के बाद ऐसी घोषणाओं की कोई आवश्यकता नहीं है।

समस्तीपुर डिवीजन में नैमित्तिक मजदूर

6448. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्तीपुर रेलवे डिवीजन में नैमित्तक मजदूरों की संख्या कितनी है और उनमें से कितनों को रोजगार दिया गया है और कितने व्यक्तियों को रोजगार देना बकाया है;

(ख) रोजगार दिए गए व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत व्यक्ति हरिजन और आदिवासी हैं

और कितने प्रतिशत हरिजन और आदिवासी व्यक्तियों के नाम रोजगार की प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं;

(ग) क्या सरकार ने पूर्व रेलवे को त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रेणी-III और श्रेणी-IV के पदों पर हरिजन और आदिवासी लोगों को नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया और उन नियुक्त व्यक्तियों में से समस्तीपुर डिवीजन के अन्तर्गत हरिजन लोगों की संख्या कितनी हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

स्विटजरलैंड के साथ समझौता ज्ञापन

6449. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**
श्री सैयद शाहबुद्दीन :
श्री दिनेश गोस्वामी :
श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और स्विटजरलैंड ने अपराधिक मामलों की जांच पड़ताल करने में परस्पर सहायता देने की दृष्टि से हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त दस्तावेज के माध्यम से सरकार को भारतीयों द्वारा स्विस बैंकों में जमा धनराशि की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा मिल गई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने भारतीयों द्वारा वर्ष 1988 के अन्त तक जमा धनराशियों की जानकारी प्राप्त कर ली है;

(घ) यदि हां, तो कुल जमा धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त धनराशि में से कितनी धनराशि गैर-कानूनी ढंग से अर्जित मानी गई है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) पारस्परिकता और दोहरी आपराधिकता के सिद्धान्त के आधार पर आपराधिक मामलों की जांच-पड़ताल में परस्पर सहायता की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, 20 फरवरी, 1989 को पत्रों का आदान-प्रदान करके स्विटजरलैंड सरकार के साथ एक समझौता किया गया है । इस समझौते की शर्तों के अनुसार, जांच-पड़ताल वाले विशिष्ट मामलों के सम्बन्ध में सूचना/प्रमाण एकत्रित करने के लिए विधि प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा स्विटजरलैंड के प्राधिकारियों से सहायता और सहयोग प्राप्त किया जा सकता है ।

(ग) से (ङ) भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते स्विटजरलैंड के बैंकों में भारतीयों द्वारा

जमा की गई धनराशियों के बारे में, इस समझौते के अन्तर्गत, सामान्य जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती।

आभूषणों के मामले में निर्यात बाजार में भारत का हिस्सा

[अनुवाद]

6450. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आभूषणों के विश्व निर्यात बाजार में भारत का हिस्सा एक प्रतिशत से भी कम है; और

(ख) यदि हां, तो विश्व निर्यात बाजार में पर्याप्त हिस्सा हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) हाल ही में सरकार ने आभूषणों का निर्यात बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं—स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम (1968) के अन्तर्गत कार्य प्रणालियों को सुगम बनाना, मूल्य निर्धारण व्यवस्था को सरल और कारगार बनाना, निर्यात विनिर्माणों के लिए ऋण की उपलब्धता में सुधार, भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा स्वर्ण के स्टाक और सप्लाई की व्यवस्था, कार्य-चालन पद्धतियों को सरल और कारगर बनाना आदि। आशा है कि ये उपाय दीर्घावधि आधार पर स्वर्णाभूषणों के निर्यात को सुविधाजनक बनायेंगे।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर की शाखाओं पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के छापे

6451. **श्री राज कुमार राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और 18 फरवरी, 1989 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा दिल्ली के स्टेट बैंक आफ इन्दौर की शाखाओं में छापों के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज पकड़े गए/सील किए गए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) बैंक के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) इन मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आग लगने के कारण तम्बाकू के कारोबार में नए नुकसान का मुआवजा

[हिन्दी]

6452. **श्री हरीश रावत** :

श्री दौलतसिंहजी जडेजा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा कम्पनी के साथ-साथ बीमाकृत व्यक्ति को तम्बाकू के कारवार में आग लग जाने के कारण हुए नुकसान का कुछ भाग सहन करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह नुकसान बीमा नियमों के अनुसार सहन करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो किस नियम के अनुसार; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रक्रिया को बन्द करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां। औद्योगिक जोखिम और भाण्डागारों को बीमा कवच प्रदान करने वाली स्टैंडर्ड फायर पालसी "सी" के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से प्रति जोखिम 2500 रुपए "अतिरिक्त" (एक्सेस) की व्यवस्था है जिसे बीमाकृत द्वारा वहन किया जाता है।

(ख) से (घ) ऐसे जोखिमों के मामले में जहां उनके निरन्तर प्रतिकूल नुकसान के परिणाम सामने आते हैं वहां बीमा कम्पनियों को कुछ हामीदारी मानदण्ड लागू करने पड़ते हैं और ऐसे ही मानदण्डों में एक यह भी है कि इस तरह के नुकसानों को कम करने के लिए हानि निवारण उपाय के प्रति बीमाकृत को सचेत करने के वास्ते अनिवार्य अतिरिक्त राशि को बढ़ाया जाए। यह पद्धति बीमा की अवधारणा के अनुकूल ही है जिसका उद्देश्य होने वाले नुकसान को कम से कम करना है। अन्यथा बीमा कंपनियों को प्रीमियम दरों के भार में वृद्धि करने पर मजबूर होना पड़ेगा ताकि नुकसान के प्रतिकूल प्रभावों से निपटा जा सके।

शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी आफ इंडिया द्वारा मत्स्य पालन एककों को पुनर्वास सहायता

[अनुवाद]

6453. **श्री डी० बाल गौड़** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी आफ इण्डिया से राहत और पुनर्वास सहायता के लिए आवेदन करने वाले सभी मत्स्य पालन एककों का विवरण क्या है;

(ख) उद्योग में व्याप्त मन्दी को देखते हुए इनके आवेदन पत्रों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या मत्स्य पालन एककों को कार्यगत पूंजी के रूप में कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कंपनी लि० ने सूचित किया है कि 24 मत्स्य कंपनियों ने ऋणों के पुनर्निर्धारण/ब्याज के आस्थगन का अनुरोध किया है। चूंकि अधिकांश मामलों में मूल्यांकन के लिए अपेक्षित विवरण नहीं भेजे गए हैं, अतः भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी लि० ने उनसे कंपनी की वर्तमान वित्तीय स्थिति, लाभप्रदता के पूर्वानुमान, ऋण परिशोधन की क्षमता, अतिदेय राशियों को चुकाने की विशिष्ट योजनाएं आदि से संबंधित सूचना मांगी है। जिन दो कंपनियों से

सम्बन्धित वांछित सूचना प्राप्त हो चुकी है, उनके लिए पुनरुद्धार सहायता कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है। शेष कंपनियों से वांछित सूचना प्राप्त करने के लिए भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कंपनी लि० पत्र-व्यवहार कर रही है।

(ग) कार्यशील पूंजी के लिए व्यवस्था प्रायः वाणिज्यिक बैंकों द्वारा की जाती है, अतः सरकार भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी लि० द्वारा इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

[हिन्दी]

6454. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम में विभिन्न श्रेणी के कुल कितने पद अनारक्षित किए गए;

(ख) क्या जीवन बीमा निगम का विचार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सभी पद रिक्तियों को सरकारी नीति के अनुसार भरने का है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जीवन बीमा निगम का आरक्षित पदों की प्रतिशतता को पूरा करने के लिए विशेष भर्ती करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों में अनारक्षित किए गए पदों की संख्या निम्न प्रकार है :—

श्रेणी	1985-86 अनुसूचित जाति/ अनु० ज० जा०	1986-87 अनुसूचित जाति/ अनु० ज० जा०	1987-88 अनुसूचित जाति/ अनु० ज० जा०
1	—	—	—
2	143	103	57
3	99	133	103
4	14	9	15

(ख) जी, हां। जो पद भरे नहीं जा सकेंगे उन्हें अब तब तक पिछली (बैकलाग) रिक्तियों के रूप में रखा जाएगा जब तक उपयुक्त अनु० जा०/अनु० ज० जा० के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो जाते।

(ग) जी, हां। यदि सामान्य भर्ती के दौरान अनु० जा०/अनु० ज० जा० के पर्याप्त उम्मीदवार नहीं मिल पाते तो जीवन बीमा निगम के प्रत्येक भर्ती कार्यालय द्वारा केवल अनु० जा०/अनु० ज० जा० के उम्मीदवारों के लिए विशेष भर्ती की जाती है।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

दिल्ली के चारों ओर अनुषंगी रेलवे स्टेशन

[अनुवाद]

6455. **प्रो० राम कृष्ण मोरे :**
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के चारों ओर अनुषंगी रेलवे स्टेशन स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में विद्यमान मुख्य स्टेशनों पर भीड़भाड़ में तेजी से वृद्धि हो रही है; और

(घ) सरकार का स्टेशनों पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) नयी दिल्ली स्टेशन पर हुई हाल की दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ की घटना से बहुत पहले होलम्बी कलां, विजवासन तथा आनन्द विहार में अनुषंगी स्टेशनों का विकास करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के परामर्श से प्रस्ताव तैयार किए गए थे। इन सभी तीनों स्थानों पर अपेक्षित भूमि के अधिग्रहण के लिए मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। इनमें से पहले दो स्टेशनों को यात्री एवं माल टर्मिनलों के रूप में तथा तीसरे स्टेशन को यात्री टर्मिनल के रूप में चरणों में विकसित किया जाएगा।

(ग) जी, हां।

(घ) उपर्युक्त दिशापरक टर्मिनलों का विकास हो जाने से नयी दिल्ली तथा दिल्ली जंक्शन पर यातायात का दबाव कम हो जाने की संभावना है। इसके अलावा, नयी दिल्ली के मौजूदा माल शेड को होलम्बी कलां में तथा सवारी डिब्बा अनुरक्षण सुविधाओं के एक भाग को हजरत निजामुद्दीन में शिफ्ट करके नयी दिल्ली में प्लेटफार्म सुविधाएं बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।

बिहार की अपर साकरी परियोजना

[हिन्दी]

6456. **श्री कुंवर राम : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार की अपर साकरी परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान बिहार सरकार को कितनी धनराशि दी जाएगी; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) परियोजना को सातवीं योजना में शामिल नहीं किया गया है जबकि बिहार के आठवीं योजना के प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

गुत्ती और द्रोणाचलम के बीच रेल लाइन का निर्माण तथा द्रोणाचलम और हैदराबाद के बीच रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

[अनुवाद]

6457. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश में गुत्ती और द्रोणाचलम के बीच एक सीधी बड़ी लाइन का निर्माण करने हेतु सर्वेक्षण कराने का विचार है;

(ख) क्या द्रोणाचलम्-कुरनूल-हैदराबाद रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने हेतु सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजकोट रेलवे स्टेशन

6458. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट स्टेशन पर रेलमार्ग का विद्युतीकरण करने, टी० वी०, कंप्यूटरीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने और स्लीपर लाइनों को जोड़ने की योजना तैयार की गई है ताकि यात्रियों को अधिक सुविधाएं प्रदान की जा सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य के कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) इस स्टेशन पर पहले से

ही बिजली लगी हुई है और वहां बिजली फिटिंग सुविधा की व्यवस्था की गयी है। राजकोट स्टेशन पर सी० सी० टी० वी० और कंप्यूटरीकरण की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

स्टेशन की इमारत के ढांचे में परिवर्तन सहित स्टेशन में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है और यह कार्य आवश्यक कार्यक्रम के रूप में चरणों में किया जाता है बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो। राजकोट स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। 30.60 लाख रुपये की प्रत्याशित लागत से वहां जिन सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है उनमें पीने का पानी, शौचालय, स्टेशन की इमारत के ढांचे में परिवर्तन, परिचलन क्षेत्र में सुधार, आदि शामिल हैं। ये कार्य प्रगति पर हैं और इनके आठवीं योजना के मध्य तक चरणों में पूरा हो जाने की आशा है।

मध्य प्रदेश में भू-जल की आपूर्ति करना

6459. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का भू-जल की कृत्रिम रूप से आपूर्ति करने हेतु जांच करवाने के लिए राज्यों को आर्थिक सहायता देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश को वर्ष 1989-90 के दौरान कितनी सहायता दी जाएगी ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट लिया जाना

6460. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1989 तक किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर-ड्राफ्ट लिए थे;

(ख) इनमें से प्रत्येक की ओर कितनी रकम बकाया है; और

(ग) जिन राज्यों ने निर्धारित ओवरड्राफ्ट-राशि से अधिक रकम ली है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) जो राज्य सरकारें 31 मार्च, 1989 को ओवरड्राफ्ट में थीं, उनके नाम तथा उनके ओवरड्राफ्टों की राशि नीचे दिए गए हैं :—

क्रम सं०	राज्य	ओवरड्राफ्ट की राशि (करोड़ रुपए)	लगातार कार्य-दिवसों की संख्या
1.	मध्य प्रदेश	14.96	5
2.	मिजोरम	2.56	3
3.	राजस्थान	57.98	1

(ग) इन राज्य सरकारों ने ओवरड्राफ्ट विनियमन स्कीम के अन्तर्गत दिए गए अनुसार सात लगातार कार्य-दिवसों की अवधि के अन्तर्गत ओवरड्राफ्टों का भुगतान कर दिया था और इस तरह भारतीय रिजर्व बैंक को कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं थी।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में भर्ती नियम

6461. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में कोई भर्ती नियम नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में 87 श्रेणियों के 473 पदों में से 459 पदों के लिए भर्ती नियम विद्यमान हैं।

जीवन बीमा निगम तथा सामान्य बीमा निगम द्वारा पालिसीधारकों से प्रीमियम की वसूली

6462. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश** :
श्री कमला प्रसाद सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के कार्यालयों में पालिसीधारकों को प्रीमियम के बारे में सूचित करने और प्रीमियम की वसूली के लिए इस समय क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) क्या इन निगमों के कार्यालयों के लिए यह अनिवार्य है कि वे पालिसीधारकों को नोटिस जारी करना सुनिश्चित करें; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के सम्बन्ध में सूचना इस प्रकार है :—

जीवन बीमा निगम : जीवन बीमा निगम द्वारा अपने पालिसीधारकों को प्रीमियम नोटिस समय से काफी पूर्व भेजे जा रहे हैं। प्रीमियम की राशि जीवन बीमा निगम के शाखा कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे निर्दिष्ट बैंकों में जमा करानी होती है; जिसके साथ जीवन बीमा निगम ने प्रीमियम एकत्र करने के सम्बन्ध में प्रबन्ध किए हुए हैं।

साधारण बीमा निगम : जीवन बीमा निगम के मामले के विपरीत, साधारण बीमा संविदाएं वार्षिक संविदाएं हैं और बीमाशुदा व्यक्ति उसी बीमाकर्ता के साथ संविदा का नवीकरण

अपनी इच्छानुसार कर सकता है अथवा नहीं भी करता है। पूर्ण प्रस्ताव फार्म अथवा अपेक्षित बीमा के ब्यौरे प्राप्त हो जाने पर, सम्बन्धित प्रभागीय/शाखा कार्यालय प्रीमियम दर का निर्धारण करता है और प्रीमियम की राशि कम्पनी के पास जमा कराने के लिए मौखिक रूप से अथवा पत्र द्वारा मांगी जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पालिसीधारकों को अनुस्मारक भेजना कोई कानूनी अथवा संविदात्मक दायित्व नहीं है। फिर भी, शिष्टाचार के नाते, पालिसीधारकों को अनुस्मारक नोटिस भेजने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

दिल्ली में रेल यातायात को सुव्यवस्थित करना

6463. **श्री पी० एम० सईद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने राजधानी में रेल यात्री और माल यातायात को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से दिल्ली के लिए एक वृहद योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसके कार्यान्वियन के लिए यदि कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो वे क्या हैं और इस योजना पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) नयी दिल्ली और निजामुद्दीन स्टेशनों पर अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था और नये टर्मिनलों का विकास।

(ग) लगभग 27 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निजामुद्दीन में कार्य को जून, 1990 तक पूरा किए जाने की योजना तैयार की गयी है। नयी दिल्ली और अन्य टर्मिनलों पर कार्यों को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। कुल लागत का अनुमान लगाना समय से बहुत पूर्व होगा।

मैं० इण्डियन टोबैको कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध बकाया उत्पाद-शुल्क

6465. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** :
श्री विजय एन० पाटिल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, सिगरेट निर्माताओं से अनुमानतः कितना उत्पाद-शुल्क वसूल किया जाना था और वास्तव में कितना उत्पाद-शुल्क वसूल किया गया;

(ख) 31 मार्च, 1989 को मैं० इण्डियन टोबैको कम्पनी लिमिटेड से उत्पाद-शुल्क के रूप में कुल कितनी राशि वसूल की जानी है; और

(ग) सरकार का उत्पाद-शुल्क की वसूली के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	अनुमानित उत्पाद-शुल्क (करोड़ रुपयों में)	वास्तव में वसूल किया गया उत्पाद-शुल्क
1986-87	1410	1363
1987-88	1575	1470
1988-89	1560 (संशोधित बजट अनुमान)	1493 (फरवरी, 1989 तक)

(ख) लगभग 122 करोड़ रुपए ।

(ग) बकाया राशियों को वसूल करने के लिए, कानूनी, प्रशासनिक और अन्य उपाय, जो समय-समय पर आवश्यक समझे जाते हैं, किए जाते हैं ।

जूतों का निर्यात

6466. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित देशों में जूता उत्पादन फैक्ट्रियों के लगातार बन्द होने को ध्यान में रखते हुए जूते के ऊपरी भाग के निर्यात में कमी आने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए हैं अथवा करने का विचार है कि चमड़े के सामान का निर्यात न केवल वर्तमान स्तर पर रहे बल्कि इसमें अत्यावश्यक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए धीरे-धीरे वृद्धि हो ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारतीय लेदर शू-अपर के निर्यातों में विगत कुछ वर्षों से पर्याप्त वृद्धि हो रही है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, निकट भविष्य में विश्व बाजार में शू-अपर की मांग में तेजी से गिरावट आने की कोई सम्भावना नहीं है ।

(ख) भारतीय चमड़े की वस्तुएं मूल्य तथा क्वालिटी की दृष्टि से विश्व बाजार में प्रतियोगी बनाने के लिए विदेशों में बाजार संवर्धन उपाय तथा भारत में उत्पाद विकास प्रयास निर्यात बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए हैं और जहां कहीं भी आवश्यक है वहां इन उपायों को जारी रखने और तेज करने का प्रस्ताव है ।

चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें

6467. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** :
श्री वी० श्री निवास प्रसाद :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने सरकार से चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों के विरुद्ध झूठे आरोप लगाने वाले व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए कानून में संशोधन करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो आचार संहिता का उल्लंघन करने के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और कानून में उक्त संशोधन कब किया जाएगा ?

विधि और न्यान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारतीय अभ्रक व्यापार निगम में भर्ती

[हिन्दी]

6468. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अभ्रक व्यापार निगम घाटे में चल रही है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को निगम में कथित भ्रष्टाचार, विशेषकर भर्ती के मामलों में, की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारतीय अभ्रक व्यापार निगम को 1987-88 में 146.96 लाख रु० तथा 1988-89 में 130.66 लाख रु० (अनन्तिम) का घाटा हुआ है ।

(ख) भारतीय अभ्रक व्यापार निगम में निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार गुणावगुण के आधार पर भर्ती की जाती है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नई दिल्ली-नागपुर-बम्बई और नई दिल्ली-नागपुर-हैदराबाद सेक्शनों पर गाड़ी सेवा/सुपरफास्ट गाड़ियां

6469. **श्री केशव राव पारधी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली-नागपुर-बम्बई और नई दिल्ली-नागपुर-हैदराबाद सेक्शनों पर रेलवे यातायात में सुधार लाने और सुपर फास्ट गाड़ियाँ चलाने के लिए मंजूर की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन गाड़ियों को कब तक चलाया जायेगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) फिलहाल नागपुर के रास्ते नयी दिल्ली-हैदराबाद/बम्बई के बीच अतिरिक्त गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर की शाखायें खोलना

6470. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक आफ इन्दौर को चालू वर्ष के दौरान शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी शाखायें खोलने के लाइसेंस दिये हैं;

(ख) क्या बैंक ने वर्ष 1988 में लाइसेंसों के अनुसार सभी शाखायें खोल दी हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत स्टेट बैंक आफ इन्दौर को 46 ग्रामीण और अर्ध-शहरी केन्द्रों के वास्ते और 3 शहरी केन्द्रों के वास्ते लाइसेंस जारी किए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, बैंक ने अभी तक एक शहरी केन्द्र सहित 14 केन्द्रों में शाखाएं खोली हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक से कहा है कि वह उन गिने चुने केन्द्रों को छोड़कर, जहां न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, बाकी केन्द्रों में शीघ्र शाखाएं खोले ।

आर्ट सिल्क प्रोसेसिंग उद्योग से उत्पाद-शुल्क वसूल करने की प्रणाली

[अनुवाद]

6471. **श्री सांभाजी राव ककाडे** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फिलामेंट और स्पन के फैब्रिक्स (धागे) पर अलग-अलग उत्पाद शुल्क वसूल करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार अलग-अलग वसूली करने से राजस्व की हानि होती है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या महाराष्ट्र प्रदेश फैब्रिक्स प्रोसेसिंग एसोसिएशन ने उत्पाद-शुल्क वसूली के पुनः मूल्यांकन किए जाने की अपील की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) सिंथेटिक फैब्रिकों पर उत्पादन शुल्क की दरों में इस आधार पर कोई भेद-भाव नहीं किया जाता है कि ऐसे फैब्रिकों को फिलामेंट यार्न से बनाया जाता है या स्पन यार्न से बनाया जाता है ।

(घ) और (ङ) महाराष्ट्र प्रदेश फैब्रिक प्रोसेसिंग एसोसिएशन ने अपने अभ्यावेदन में यह सुझाव दिया है कि सिंथेटिक फैब्रिकों पर लगाए जाने वाले शुल्क को यार्न स्तर पर लगाया जाए । इन सुझावों की जांच की गई है और ये स्वीकार्य नहीं पाए गए हैं ।

पोलैंड के साथ समझौता

[हिन्दी]

6472. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पोलैंड के बीच दोहरे कराधान से बचने के लिए कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समझौते से भारतीय उद्योगपतियों को पोलैंड की सहायता से उद्योग स्थापित करने में मदद मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो निकट भविष्य में पोलैंड की सहायता से स्थापित किए जाने वाले उद्योगों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) भारत और पोलैंड के बीच आय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान से बचने तथा राजस्व अपवंचन के निवारण के लिए व्यापक करार अभी तक सरकारी स्तर पर सम्पन्न नहीं किया गया है।

(ख) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस करार के लागू होने से भारत तथा पोलैंड दोनों में संयुक्त कार्यकलापों की स्थापना करने में तथा अन्य पारस्परिक औद्योगिक सहयोगों में प्रोत्साहन मिलेगा। स्थापित किए जाने वाले उद्योगों के नामों को इस स्तर पर बता पाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह निजी क्षेत्र के अलग-अलग संगठनों द्वारा किया जाता है। जिन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है, उनमें से कुछेक प्रस्तावों के अन्तर्गत कृषि-जन्य जिन्स के क्षेत्र आते हैं जिसमें चाय, होटल तथा अन्य सिविल निर्माण-कारी परियोजनाएं शामिल हैं।

भोपाल स्थित सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना

6473. **श्री के० एन० प्रधान : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भोपाल स्थित रेल सवारी-डिब्बा मरम्मत कारखाने हेतु कुछ सहायक औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सहायक/अनुषंगिक इकाइयों की स्थापना की जिम्मेदारी मूलतः राज्य सरकार के उद्योग

विभाग की होती है। बहरहाल, रेलों ने पारस्परिक सहमति आदि के आधार पर सूचना के प्रसार, उत्पादों के क्षेत्र, वार्षिक आवश्यकताओं, अनुसंधान और विकास सम्बन्धी सहायता, निरीक्षण तथा परीक्षण सुविधाएं प्रदान करके भोपाल के रेल सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना सहित 5 नये रेल कारखानों/उत्पादन इकाइयों में और इनके आस-पास सहायक इकाइयों को विकसित करने की व्यवस्था की है।

यलहंका-बंगारपेट छोटी रेल लाइन को मीटर गेज में बदला जाना

[अनुवाद]

6474. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिक्काबल्लापुर से होकर जाने वाली यलहंका-बंगारपेट नेरो गेज रेल लाइन को मीटर गेज में बदलने की काफी समय से मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस लाइन को बदलने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं। इसके बड़ी लाइन में अमान परिवर्तन की मांग की गयी है।

(ख) से (घ) इसके बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के लिए किए गए सर्वेक्षण से पता चला था कि यह परियोजना अलाभप्रद थी। इसके अलावा, संसाधनों की अत्यधिक तंगी और पहले की भारी वचनबद्धताएं हाथ में होने के कारण इस आमान परिवर्तन को शुरू करना कठिन है।

केरल के इडुक्की जिले में बैंक शाखाएं खोलना

6475. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के इडुक्की जिले में कोई क्षेत्र बैंक रहित है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इडुक्की जिले में शाखाएं खोलने के वास्ते केरल राज्य सरकार ने 12 केन्द्रों को पता लगाया था और नीति में निर्धारित मानदंडों के अनुसार शाखाएं खोलने के लिए उसने इन केन्द्रों में से 10 पात्र केन्द्र, बैंकों को आबंटित किए हैं। बैंकों ने 10 केन्द्रों में से 8 केन्द्रों में पहले ही शाखाएं खोल दी हैं। इन 10 केन्द्रों के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने की

सेवा क्षेत्र योजना को कार्यान्वित करने के वास्ते बैंकों को 4 केन्द्र आबंटित किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से बाकी केन्द्रों में शीघ्र शाखाएं खोलने के लिए कहा है।

सोने की कीमतें

[हिन्दी]

6476. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सोने के भण्डार एवं इसकी सप्लाई में भारी अन्तर होने के कारण देश में इसके मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इसके भण्डार एवं इसकी सप्लाई में कितना अन्तर रहा; और

(ग) इस अवधि के दौरान मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई तथा इसके मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) सोना चूंकि कोई आवश्यक वस्तु नहीं है अतः सरकार ने देश में सोने की मांग का अनुमान नहीं लगाया है। तथापि, देश में सोने का वर्षवार स्वदेशी उत्पादन इस प्रकार रहा है :

वर्ष	सोने का स्वदेशी उत्पादन (किलोग्राम)
1985	1852.7
1986	1931.1
1987	1864.2
1988	1942.7

1986 में 10 ग्राम मानक सोने का औसत मूल्य 2210/- रुपये था। 1988 में 10 ग्राम मानक सोने का औसत मूल्य 3202/- रुपए था। इस अवधि के दौरान सोने के मूल्य में 45 प्रतिशत वृद्धि हुई है। तथापि, सोना आवश्यक वस्तु न होने में कारण सरकार इसके मूल्य को नियंत्रित नहीं करती है।

उत्तर प्रदेश के पौड़ी जिले में बैंक शाखायें

[अनुवाद]

6477. **श्री सरफराज अहमद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पौड़ी जिले के लिए "लीड प्रमुख बैंक" कौनसा है और इस जिले में लीड बैंक के नेट वर्क के रूप में कौन सा बैंक कार्य कर रहा है;

(ख) बैंक शाखाओं की पारस्परिक दूरी कितनी है और क्या लीड बैंक की मैदानी क्षेत्रों में शाखाओं की पारस्परिक दूरी की तुलना में उपरोक्त शाखाओं की दूरी बराबर है;

(ग) क्या खेराखल के विशाल क्षेत्र में किसी बैंक की कोई शाखा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र में एक बैंक शाखा/एक्सटेन्शन काउन्टर खोलने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया हैं कि पौड़ी गढ़वाल जिले का अग्रणी (लीड) बैंक भारतीय स्टेट बैंक है, इस समय जिले में भारतीय स्टेट बैंक की 37 शाखाएं हैं तथा वर्ष 1985-90 को वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत उसे आबंटित 18 अन्य केन्द्रों पर शाखायें खोलनी हैं। पौढ़ी गढ़वाल जिले में 75 बैंक कार्यालय कार्य कर रहे हैं और वहां की प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या 8,000 है जो मैदानी इलाकों के अन्य जिलों के प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या की तुलना में ठीक है। आबंटित केन्द्रों पर शाखाएं खुल जाने के बाद सामान्यतः प्रत्येक गांव से 10 कि० मी० की दूरी के अन्दर-अन्दर एक बैंक शाखा उपलब्ध हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि खिर्सू ब्लाक के बैंक रहित केन्द्र खेराखल को जिसे वर्तमान योजना के अन्तर्गत, शाखा खोलने के लिए चुना गया था, अलकनन्दा ग्रामीण बैंक को आबंटित किया गया है। ब्लाक खिर्सू में जनसंख्या 36580 है, बैंकों की दस शाखाएं हैं जिनमें से 2 शाखाएं वर्तमान नीति के अन्तर्गत आबंटित की गई हैं। ये शाखाएं क्षेत्र की बैंकिंग सम्बन्धी, आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हैं।

चैकों के भुगतान न होने पर जुर्माना

6478. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे लोगों पर कुछ जुर्माना लगाने के बारे में सोच रही है जो बैंक खाते में धन न होने पर चैक काट देते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) किस संदर्भ में ऐसा किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार का अनादृत चैकों के अलावा अन्य चैकों के भुगतान अवधि में कमी करने के लिए बैंकों को निदेश जारी करने का भी प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) बैंककारी, लोक वित्तीय संस्था और परक्राम्य लिखत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968 दिनांक 1 अप्रैल, 1989 से लागू हो गया है। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या अंशतः निपटान के लिए किसी बैंकर के पास अपने खाते में से काटा गया कोई चैक बैंक द्वारा भुगतान किए बिना या तो इस कारण लौटा दिया जाता है कि उस

खाते में जमा धनराशि पर्याप्त नहीं है या वह उस रकम से अधिक है जिसका बैंक के साथ उस खाते में से भुगतान करने के लिए ठहराव किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपराध किया है और उसे एक साल की अवधि तक कारावास या जुर्माने से, जो चैक की रकम का दुगना हो सकता है, या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। इन कानूनी उपबन्धों को इसलिए अधिनियमित किया गया है ताकि दायित्वों का निपटारा करने के लिए चैकों की स्वीकार्यता को बढ़ाया जा सके।

(घ) से (ञ) बाहरी चैकों के शीघ्र समाशोधन के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कई उपाय किए हैं, जिनमें एम० आई० सी० आर० प्रौद्योगिकी को लागू करना, समाशोधन गृहों में कम्प्यूटरों से काम करना, राष्ट्रीय समाशोधन की स्थापना करना तथा कुरियर सेवा का अधिकाधिक प्रयोग करना शामिल है। बैंकों से यह कहा गया है कि वे व्यक्तिगत मामलों में 2,500 रुपये तक के बाहरी चैंकों के लिए तत्काल क्रैडिट देने की सुविधा प्रदान करें और एक निर्दिष्ट अवधि के बाद चैकों की देरी से उगाही के लिए बचत बैंक दर से ब्याज अदा करें।

चाय का उत्पादन

6479. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान चाय के उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था; और

(ख) क्या इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1988 के दौरान चाय का अनुमानित उत्पादन 700.28 मी० कि०ग्रा० के अभूतपूर्व स्तर का हुआ।

ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा ऋणों की वसूली

6480. **श्री शरद दिघे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक परिसंघ ने सरकार को यह सूचित किया है कि ऋणों को असन्तोषजनक वसूली और अन्य कारणों की वजह से कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक संकट में पड़ गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणों की वसूली और भी कम हो गई है; और

(घ) सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से ऋणों की वसूली के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) राष्ट्रीय बैंक ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक परिसंघ ने यह अभ्यावेदन दिया था कि ऋणों की असंतोषजनक वसूली, साधारण डिबेंचर कार्यक्रम के अन्तर्गत

नकारात्मक मार्जिन और ऋण पोर्टफोलियो के विविधीकरण में आने वाली कानूनी कठिनाईयों के कारण कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की अर्थक्षमता संकट में पड़ गयी है।

राष्ट्रीय बैंक सहकारी भूमि विकास बैंकों को अपनी ऋण प्रणालियों में त्रुटियां दूर करने के वास्ते और ऋण के अन्तिम उपयोग के नियंत्रण को सुधारने के लिए कहता रहा है। भूमि विकास बैंकों की तुलना में वसूली का प्रतिशत 1986-87 में 58.12 था जबकि गत वर्ष यह 61.16 प्रतिशत था। राष्ट्रीय बैंक इन बैंकों को अपनी वसूली को बढ़ाने के लिए कारगर कदम उठाने के लिए समय पर वसूली अभियान शुरू करने, विपणन एजेंसियों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने, राज्यों के प्राधिकारियों से आवश्यक सहायता प्राप्त करने और ऋणकर्ताओं के साथ कारगर सम्पर्क स्थापित करने और शिक्षित करने के कार्यक्रम शुरू करने के उपाय करने के वास्ते निदेश देता रहा है।

विद्युतचालित रेलगाड़ियों को अधिकतम गति से चलाने के लिए रेल मार्गों का नवीकरण

6481. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन से रेल मार्ग विद्युतचालित रेलगाड़ियां चलाने के लिए तैयार है;

(ख) क्या विद्युतचालित रेलगाड़ियों की गति डीजल और भाप इंजनों से चलने वाली रेलगाड़ियों की तुलना में अधिक होगी;

(ग) क्या मौजूदा रेल मार्गों पर विद्युत चालित रेलगाड़ियों की गति अधिकतम नहीं की जा सकती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या रेल विभाग द्वारा रेल मार्गों के नवीकरण पर विचार किया जा रहा है ताकि वे शीघ्र गति से विद्युतचालित रेलगाड़ियां चलाने हेतु उपर्युक्त बनाए जा सकें ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) देश में जो ट्रंक मार्ग तथा उनके हिस्से बिजली गाड़ियां सम्हाल सकते हैं, नीचे दिये गये हैं :—

1. दिल्ली—हावड़ा बरास्ता ग्रांड कार्ड
2. दिल्ली—बम्बई (पश्चिम रेलवे)
3. दिल्ली—भोपाल तथा दिल्ली-बम्बई का भुसावल-बम्बई (मध्य रेलवे)
4. हावड़ा—नागपुर का हावड़ा-दुर्ग
5. मद्रास—विजयवाड़ा-बेलमपल्ली
6. मद्रास—जोलारपेट्टे

(ख) जी हां, आमतौर पर।

(ग) और (घ) बिजली गाड़ियों की गति को अधिकतम क्षमता तक बढ़ाना रेल पथ की किस्म, सवारी डिब्बों, सिगनल व्यवस्था तथा अन्य पराचलों से जुड़ा है। इन सीमाओं के भीतर गाड़ियां विद्युत कर्षण के तहत अपेक्षाकृत तेज गति से चलायी जा रही हैं।

स्वतन्त्रता सेनानियों को मुफ्त रेल यात्रा के लिए जारी किए गए कार्ड पास
(शताब्दी एक्सप्रेस में इनकी वैधता)

6482. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता सेनानियों को रेल यात्रा के लिए जारी किए गए सम्मानार्थ "**कार्ड पास**" शताब्दी एक्सप्रेस में मान्य नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) शताब्दी एक्सप्रेस में इस गाड़ी के लिए विशेष किराया संरचना, जिसमें खान-पान की लागत भी शामिल है, के कारण स्वतन्त्रता सेनानियों को जारी किये गए पासों सहित सभी मानार्थ पास वैध नहीं हैं।

17/18 लिंक एक्सप्रेस को फिर से चलाना

6483. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में 17/18 लिंक एक्सप्रेस को फिर से चलाने की आवश्यकता है और इसके लिए लगातार मांग बढ़ती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) 17/18 लिंक एक्सप्रेस जो टिटलागढ़-विजयनगरम के बीच 47/48 हीराखंड एक्सप्रेस के साथ मिले जुले रूप से रूप से चल रही थी, को मई, 1989 से एक अलग गाड़ी के रूप में चलाने का प्रस्ताव है।

सागरपुर, नई दिल्ली में बैंक की शाखा खोलना

6484. **डा० पी० वल्लल पेरूमन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या वित्त मंत्री सागरपुर, नई दिल्ली में सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की शाखा खोलने के बारे में 11 दिसम्बर, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5319 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेण्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने सागरपुर, नई दिल्ली-110046 में अपनी शाखा खोलने का अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया है और इस आशय का एक प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा है;

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के किसी अन्य बैंक ने भी भारतीय रिजर्व बैंक को सागरपुर, में अपनी शाखा खोलने का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव पर हुई कार्यवाही प्रगति का अद्यतन ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलीरो) : (क) और (ख) सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया ने सूचित किया है कि उसने सागरपुर, दिल्ली में शाखा खोलने का प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के पास दिसम्बर 1987 में भेजा था। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया से महानगर केन्द्रों में शाखाएं खोलने के प्रस्ताव अगली अवधि अर्थात् 31-3-1990 के पश्चात् प्रस्तुत करने के वास्ते कहा है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सागरपुर, दिल्ली में शाखा खोलने के वास्ते उसे सरकारी क्षेत्र के किसी अन्य बैंक से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल के लिए अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाना

6485. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने से पूर्व दिल्ली से केरल जाने वाली रेलगाड़ियों में कुल कितनी सीटें उपलब्ध होती थीं;

(ख) इस समय कुल कितनी सीटें उपलब्ध हैं;

(ग) क्या इस मार्ग पर बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु अधिक सीटें उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) केरल एक्सप्रेस के दैनिक गाड़ी में बदले जाने से पूर्व 132 अप मंगला एक्सप्रेस सप्ताह में 5 दिन तथा 126 अप केरल एक्सप्रेस सप्ताह में दो दिन चला करती थी। इन गाड़ियों में उपलब्ध शायिकाओं की औसत दैनिक संख्या वातानुकूल 2-टियर में 59, पहले दर्जे में 28 तथा दूसरे दर्जे में 833 थी।

(ख) इस समय 126 केरल एक्सप्रेस में प्रतिदिन वातानुकूल 2-टियर में 92 शायिकाएं, पहले दर्जे में 44 शायिकाएं तथा दूसरे दर्जे में 936 शायिकाएं उपलब्ध रहती हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल के लिए गर्मियों में विशेष रेलगाड़ियां

6486. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्मियों में चलाई जाने वाली विशेष रेलगाड़ियों की घोषणा कर दी गई है;

(ख) गर्मियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए केरल के लिए कितनी रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं; और

(ग) इस बारे में अन्य ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केरल में अप्रैल, से जून, 1989 के दौरान निम्नलिखित ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियां चलाने की योजना तैयार की गयी है :—

(1) तिरुवनन्तपुरम-मद्रास	साप्ताहिक	22 अप्रैल से 14 जून तक
(2) मद्रास-कालीकट	साप्ताहिक	27 अप्रैल से 16 जून तक
(3) तिरुवनन्तपुरम-बंगलूर	साप्ताहिक	23 अप्रैल से 12 जून तक
(4) बम्बई वी टी-तिरुवनन्तपुरम	साप्ताहिक	8 अप्रैल से 13 जून तक

बम्बई उच्च न्यायालय में लम्बित पड़े मामले

6487. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्घटना के कारण हुई मौतों के सम्बन्ध में कितने मामले बम्बई उच्च न्यायालय में लंबित पड़े हैं;

(ख) लम्बित पड़े अन्य मामलों की स्थिति क्या है;

(ग) क्या उन्हें लोक अदालतों के माध्यम से निपटाना सम्भव है; यदि नहीं तो क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) तारीख 1-3-1989 को मुम्बई उच्च न्यायालय में दुर्घटना में हुई मृत्यु संबंधी 750 मामले और 1,44,520 अन्य मामले लम्बित थे।

(ग) और (घ) जी, हां। विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति और राज्य बोर्ड, इस प्रयोजन के लिए मुम्बई उच्च न्यायालय सहित, प्रत्येक उच्च न्यायालय को लोक अदालतें आयोजित करने हेतु प्रेरित करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं।

स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी कर्नाटक की सिंचाई परियोजनाएं

6488. **श्री एच० बी० रामुलु** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास लंबित पड़ी कर्नाटक की सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) हिप्पारगी और करन्जा सिंचाई परियोजनाओं का तकनीकी-आर्थिकमूल्यांकन पूरा किया जा चुका है । बेन्नीथोरा सिंचाई परियोजना के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गयी हैं ।

राज्य को इन परियोजनाओं पर पर्यावर्णिक दृष्टि से भी स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित है ।

फिल्म कलाकारों, वितरकों तथा निर्माताओं के विरुद्ध बकाया आय/सम्पदा कर

6489. **श्री सोमजीभाई डामर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फिल्म कलाकारों/वितरकों/निर्माताओं का ब्यौरा क्या है जिन पर आयकर और संपदा कर के एक लाख रुपए से अधिक की राशि बकाया है और इनमें से प्रत्येक के विरुद्ध आज तक कुल कितनी राशि बकाया है;

(ख) क्या इनके विरुद्ध आयकर अधिनियम की धारा 226(3) के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) फिल्म-क्षेत्र से संबंधित कलाकारों/वितरकों/प्रोड्यूसरों के ऐसे 144 मामले थे, जिनकी तरफ दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार आयकर तथा धनकर की एक लाख रुपए से अधिक की मांग बकाया थी । ऐसे व्यक्तियों के नाम तथा इन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति की तरफ बकाया राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) आठ मामलों में आयकर अधिनियम की धारा 226(3) के अध्यधीन कार्यवाहियां शुरू कीं गई हैं, जिसके अनुसार कर-निर्धारितियों के कर्जदारों को आयकर विभाग को कर्ज की रकम का सीधे भुगतान करना अपेक्षित होता है ।

(ग) आमतौर पर वसूली के लिए दण्ड लगाने जैसी सामान्य प्रक्रिया का प्रथमतः इस्तेमाल किया जाता है । वसूली के लिए 226(3) के अध्यधीन कार्यवाही करना एक कठोर कार्यवाही है और यह तभी की जाती है जब ऐसी सामान्य कार्यवाहियों के कोई परिणाम नहीं निकलते हैं । इसके अलावा, अधिकांश मामलों में मांग की वसूली न्यायालयों/अन्य प्राधिकारियों द्वारा रोक दी गई है अथवा ये मांगें अपीलों में विवादग्रस्त हैं । जिन मामलों में वसूली का काम न्यायालयों/अन्य प्राधिकारियों द्वारा रोक दिया गया है, उन मामलों में धारा 226(3) के अध्यधीन कार्यवाही नहीं की जा सकती है । यहां तक कि जिन मामलों में मांगें अपीलों में विवादग्रस्त हैं, उन मामलों में भी आमतौर पर धारा 226(3) के अध्यधीन कार्यवाही नहीं की जाती है ।

विवरण

फिल्म-क्षेत्र से सम्बन्धित कलाकारों/प्रोड्यूसरों/वितरकों की सूची, जिनकी तरफ दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार एक लाख रुपए से अधिक की आयकर/धनकर की मांग बकाया थी

क्रम सं०	कर-निर्धारिती का नाम	आयकर/धनकर की मांग की राशि (लाख रुपयों में)
1	2	3
1.	अमजद खान	84.92
2.	ए० वी० मोहन	16.80
3.	अरूण इन्टरनेशनल (प्रा०) लि०	129.82
4.	ए० श्रीदेवी	28.87
5.	ए० नागेश्वर राव	3.54
6.	अंजुहम पिक्चर्स	1.59
7.	आशा भौंसले	3.68
8.	आशा बी० पारिख	3.08
9.	बरखा राय	10.42
10.	विश्वजीत चटर्जी	1.89
11.	बालाजी फिल्म्स एण्ड फाईनेंस डिस्ट० कम्पनी (प्रा०) लि०	3.01
12.	भप्पी लहरी	2.51
13.	बी० डी० सकसेरिया	1.06
14.	छाया लोक (प्रा०) लि०	4.53
15.	चांदीवाली आउटडोर लोकेशन	3.03
16.	दर्शनलाल दीवान	15.55
17.	डीलक्स इन्टरनेशनल	23.19
18.	डी० वेंकटेश	3.05

1	2	3
19.	दादा कोंडके	1.24
20.	डिम्पल खन्ना	7.09
21.	फारुख अहमद फार्रपुरी (मृत)	38.88
22.	गुलाब एम० गुलबानी	35.43
23.	जी० माधवी	12.00
24.	जी० वेंकटेश्वरन	11.37
25.	जी० राधाकृष्ण	2.97
26.	जी० एस० आर० कृष्णमूर्ति	8.06
27.	जी० नागरथम्मा	3.51
28.	जी० वी० राघवैया (मृत)	2.72
29.	गोल्डन सिने स्टूडियोज लि०	1.78
30.	जी० सावित्री (स्वर्गीय)	6.84
31.	जी० विजया निर्मला	5.92
32.	गुरुदत्त फिल्मस (प्रा०) लि०	8.43
33.	हीराचन्द वस्तराम	6.90
34.	हेलन एन० रिचर्डसन	1.70
35.	हेमामालिनी	7.91
36.	इन्दिरा देवी	3.62
37.	जीतेन्द्र कपूर	11.25
38.	जे० जमुना	1.11
39.	के० आर० फिल्म्स (प्रा०) लि०	66.61
40.	केतन एम० देसाई	34.39
41.	कमल विजय प्रोडक्शन्स	43.64
42.	कृष्णा फिल्म्स इन्टरप्राइजेज	14.15
43.	के० कल्पना (मृत)	18.73
44.	के० सुब्रह्मण्यम	37.22
45.	के० भाग्यराज	9.82

1	2	3
46.	के० जे० जॉय	1.90
47.	के० चिरन्जीवी	5.92
48.	कल्पना मूवीज (प्रा०) लि०	1.45
49.	कादर खान	6.01
50.	कपिलेश्वर फिल्म्स (प्रा०) लि०	1.74
51.	के० ए० नारायण	8.67
52.	एल० आर० मीरचन्दानी	12.38
53.	लोहित इन्टरप्राइजेज (प्रा०) ट्रस्ट	8.28
54.	मोशन पिक्चर्स	188.85
55.	माद्रे थियेटर	1.63
56.	एम० एल० मेयप्पा चेट्टियार	2.30
57.	एम० एल० एम० मूवीज	2.59
58.	एम० उमायाल	1.61
59.	महेश बाबू	2.85
60.	एम० आर० राधिका	1.76
61.	एम० आर० आर० वासु	1.39
62.	मिनाको जैम मूवीज (प्रा०)	7.45
63.	मोहन कुमार शर्मा	7.44
64.	मौसमी चटर्जी	2.16
65.	एन० एन० सिप्पी	34.02
66.	मीरा पी० मेहरा	13.77
67.	नवरंग सिने सेन्टर (प्रा०) लि०	390.73
68.	एम० वीरास्वामी तथा अन्य	11.03
69.	एन० टी० रामाराव	9.42
70.	एन० वीरास्वामी	5.60
71.	एन० टी० रामाराव फेमिली ट्रस्ट	4.73

1	2	3
72.	ओ० पी० रल्हन	37.46
73.	प्रकाश मेहरा	182.51
74.	प्रकाश मेहरा कम्बाइन	24.97
75.	प्रेम नजीर	10.71
76.	पद्मालय स्टूडियोज (प्रा०) लि०	30.25
77.	पद्मालय फिल्म्स	15.51
78.	पद्मालय	2.66
79.	पद्मालय मूवीज	2.74
80.	प्रवीण फिल्म सर्किट	6.26
81.	पुष्पावती	1.84
82.	पद्मिनी कोल्हापुरे	2.77
83.	परवीन बाबी	3.80
84.	प्रमोद चक्रवर्ती	6.95
85.	रणवीर राजकपूर	50.55
86.	रंजीत सिंह विर्क	10.42
87.	राजेश खन्ना	28.73
88.	रेमनार्ड रिसर्च लैब	14.18
89.	रति अग्निहोत्री	16.68
90.	रविन्द्र के० बानकुद्रा	14.42
91.	आर० रजनीकान्त	31.53
92.	रामाकृष्ण सिने स्टूडियोज	2.03
93.	आर० एन० मांडे	2.07
94.	आर० के० कलर फिल्म लैब (प्रा०) लि०	1.67
95.	रंजीत बेदी	4.74
96.	रंधीर राजकपूर	4.42
97.	सत्येन्द्रपाल चौधरी	49.39
98.	संगम आर्ट इन्टरनेशनल	18.82
99.	शैला सेठी	18.30

1	2	3
100.	शशि राजकपूर	22.50
101.	सिप्पी फिल्म्स	15.86
102.	सुमीत फिल्म्स	15.67
103.	सुरेश देसाई एण्ड एसोसिएट्स	96.55
104.	सतराम दोहरा	42.99
105.	सुजाता फिल्म्स (प्रा०) लि०	193.60
106.	एस० कमल हासन	21.04
107.	संगम इन्टरप्राइजेज	1.56
108.	श्री प्रिया	2.31
109.	सुजाता वेंकटेश्वरन	1.78
110.	एस० एन० मरान	5.75
111.	एस० पी० वेंकन्नाबाबू	1.79
112.	एस० सेल्वन	1.69
113.	स्क्रीन फाइनेंस (प्रा०) लि०	3.46
114.	सुरेश प्रोडक्शन	1.11
115.	एस० एस० राजेन्द्रन	1.60
116.	शिवाजी फिल्म्स (प्रा०) लि०	6.84
117.	सचिन भौमिक	1.42
118.	संजय उर्फ अब्बास खान	1.36
119.	सरदार मालिक	5.17
120.	सारिका ठाकुर	1.44
121.	शक्ति कपूर	5.84
122.	शत्रुघ्न सिन्हा	7.06
123.	शैलेन्द्र कुमार शर्मा	5.13
124.	सावन कुमार टाक	!7.65
125.	शाह एण्ड शाह फिल्म्स	1.04
126.	शबाना आजमी	2.08
127.	सुजीत कुमार	1.71

1	2	3
128.	सुभाष घई	4.23
129.	एस० एन० सागर	1.55
130.	टवंटिएथ सेंचुरी फॉक्स फिल्म्स का०	18.17
131.	टी० आर० रामचन्द्रन	9.18
132.	वी० वेंकटराव	46.76
133.	विजय इन्टरप्राइजेज	4.38
134.	विजय पिक्चर	1.86
135.	वाणीश्री	5.50
136.	वी० सी० गणेशन	4.14
137.	वी० सी० षण्मुखम	5.65
138.	वी० सी० आर० सामी	2.03
139.	विद्या सिन्हा	7.41
140.	विक्रम उर्फ एम० एन० मकन्दर	3.38
141.	विनोद मेहरा	1.85
142.	विजय आनन्द	6.40
143.	यश राज चोपड़ा (धनकर)	15.51
144.	यश राज चोपड़ा	3.46

असम में बैंक डकैतियां

6490. **श्री अब्दुल हमीद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्र में, विशेष रूप से असम में बैंक डकैतियों के मामलों में वृद्धि होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान असम में कितनी बैंक डकैतियां हुई;

(ग) इन डकैतियों में कुल कितनी धनराशि लूटी गई और कितने बैंक कर्मचारी मारे गए; और

(घ) सरकारी धन और बैंक कर्मचारियों के जीवन की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फ्लैरो) : (क) से (ग) वर्ष 1987, 1988 और 1989 (31-3-89) के दौरान उत्तर-पूर्व क्षेत्र से बैंक लूटपाटों की 12 वारदातों की सूचना प्राप्त हुई थी। इस अवधि के दौरान, असम स्थित सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने लूट-पाटों के 7 मामलों की सूचना दी जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	बैंक लूटपाटों/डकैतियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त रकमें (लाख रुपये)
1987	3	4.72
1988	2	1.22
1989 (31-3-89 तक)	2	1.09

असम से प्राप्त सूचना के अनुसार इन वारदातों में कोई बैंक कर्मचारी नहीं मारा गया है।

(घ) बैंक लूटपाट/डकैतियां काफी हद तक स्थान विशेष के सामान्य सुरक्षा वातावरण पर निर्भर करती हैं। अलबत्ता, बैंक अपने सुरक्षा प्रबन्धों को सुधारने के वास्ते उपाय करते रहते हैं ताकि शरारती तत्वों को रोका जा सके। चूंकि यह एक निरन्तर प्रक्रिया है, इसलिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किए गए सुरक्षा उपायों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जब कभी उसमें और सुधार आवश्यक समझा जाता है, तब बैंकों को आवश्यव मार्गनिर्देश/अनुदेश दिए जाते हैं। अन्तर्ग्रस्त जोखिम को ध्यान में रखकर, शाखाओं में सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने, उचित अलार्म प्रणाली लगाने आदि जैसे उपाय किए गए हैं। इसके अलावा, लुटेरों/डकैतों का सामना करने के वास्ते बैंक कर्मचारियों, आम जनता तथा पुलिस को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार देने की एक योजना चल रही है।

बैंक शाखाएं और उनमें जमा धनराशि

6491. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986, 1987 और वर्ष 1988 में (एक) ग्रामीण, (दो) अर्द्ध-शहरी, (तीन) शहरी और (चार) महानगर केन्द्रों में भारतीय स्टेट बैंक समूह, राष्ट्रीयकृत बैंकों, अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और विदेशी बैंकों की राज्य-वार कितनी शाखाएं थीं; और

(ख) इस अवधि के दौरान इन बैंक समूहों में कुल कितनी धनराशि जमा की गई, कितनी धनराशि के ऋण दिए गए, कितनी आय हुई कितना व्यय हुआ और कुल कितना लाभ हुआ ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फ्लैरो) : (क) दिसम्बर 1986, दिसम्बर 1987 और सितम्बर 1988 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की राज्यवार और जनसंख्या समूहवार शाखाओं की संख्या क्रमश: संलग्न विवरण—एक, दो और तीन, में दी गई है।

(ख) दिसम्बर 1986, 1937 और 1988 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सभी

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियों और अग्रिमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	जमाराशियां	अग्रिमों
दिसम्बर 1986	102401	61608
दिसम्बर 1987	118608	68950
दिसम्बर 1988	139440*	80123*

*(आंकड़े अनन्तिम हैं)

भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1986 और 1987 (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान भारतीय स्टेट बैंक और इसके अनुषंगी बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारत के गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों का निवल लाभ क्रमशः 272 करोड़ रुपए और 341 करोड़ रुपए था।

विवरण-एक

दिनांक 31 दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की राज्य-वार और जनसंख्या समूहवार शाखाओं की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगर/ पत्तन नगर	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	2415	808	445	473	4141
2.	असम	662	218	101	—	981
3.	बिहार	3184	610	438	—	4232
4.	गुजरात	1511	672	511	395	3089
5.	हरियाणा	625	232	256	—	1113
6.	हिमाचल प्रदेश	482	79	—	—	561
7.	जम्मू और कश्मीर	525	65	137	—	727
8.	कर्नाटक	2150	752	434	601	3937

1	2	3	4	5	6	7
9.	केरल	619	1672	282	152	2725
10.	मध्य प्रदेश	2556	652	546	—	3754
11.	महाराष्ट्र	2082	758	666	1427	4933
12.	मणिपुर	41	9	17	—	67
13.	मेघालय	94	13	25	—	132
14.	नागालैंड	42	24	—	—	66
15.	उड़ीसा	1286	249	192	10	1737
16.	पंजाब	1082	471	455	—	2008
17.	राजस्थान	1724	521	438	—	2683
18.	सिक्किम	15	4	—	—	19
19.	तमिलनाडु	1671	984	567	612	3934
20.	त्रिपुरा	92	21	23	—	136
21.	उत्तर प्रदेश	4825	1132	1167	240	7364
22.	पश्चिम बंगाल	1689	553	329	867	3438
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9	1	—	4	14
24	अरुणाचल प्रदेश	55	1	—	—	56
25.	चंडीगढ़	13	5	89	—	107
26.	दादरा और नागर हवेली	6	8	—	—	6
27.	दिल्ली	73	5	—	981	1059
28.	गोवा, दमन और द्वीव	163	78	—	19	260
29.	लक्षद्वीप	5	—	—	—	5
30.	मिजोरम	42	8	—	—	50
31.	पाण्डिचेरी	28	10	—	25	63
	कुल :	29766	10607	7218	5806	53377

विवरण-दो

दिनांक 31 दिसम्बर, 1987 को स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की राज्य-वार और जनसंख्या समूहवार शाखाओं की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगर/पत्तन नगर	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	2433	912	447	471	4263
2.	अरुणाचल प्रदेश	55	1	—	—	56
3.	असम	695	217	101	—	1013
4.	बिहार	3153	681	437	—	4271
5.	गोआ	156	77	—	19	252
6.	गुजरात	1501	703	520	394	3118
7.	हरियाणा	699	242	256	—	1197
8.	हिमाचल प्रदेश	539	78	—	—	617
9.	जम्मू एण्ड कश्मीर	525	66	137	—	728
10.	कर्नाटक	2174	778	434	609	3995
11.	केरल	614	1705	283	150	2752
12.	मध्य प्रदेश	2661	658	550	—	3869
13.	महाराष्ट्र	2118	828	668	1431	5045
14.	मणिपुर	39	9	17	—	65
15.	मेघालय	95	13	25	—	133
16	मिजोरम	42	8	—	—	50
17.	नागालैंड	43	24	—	—	67
18.	उड़ीसा	1343	248	190	10	1791
19.	पंजाब	1119	474	454	—	2047
20.	राजस्थान	1785	547	437	—	2769
21.	सिक्किम	15	4	—	—	19

1	2	3	4	5	6	7
22.	तमिलनाडु	1679	1036	669	606	3990
23.	त्रिपुरा	87	28	24	—	139
24.	उत्तर प्रदेश	5067	1172	1183	242	7664
25.	पश्चिम बंगाल	1774	590	331	870	3565
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9	1	—	5	15
27.	चंडीगढ़	13	5	89	—	107
28.	दादरा और नागर हवेली	6	—	—	—	6
29.	दिल्ली	73	6	—	976	1055
30.	दमन दीव	1	9	—	—	10
31.	लक्षद्वीप	5	—	—	—	5
32.	पांडिचेरी	27	10	—	25	63
	कुल :	30545	11130	7252	5809	54736

विवरण-तीन

दिनांक 30 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की राज्य-वार और जनसंख्या समूहवार शाखाओं की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगर/पत्तन नगर	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	2495	914	455	478	4342
2.	अरुणाचल प्रदेश	56	1	—	—	57
3.	असम	720	217	103	—	1040
4.	बिहार	3227	681	454	—	4362
5.	गोवा	154	80	—	19	253

1	2	3	4	5	6	7
6.	गुजरात	1553	693	540	397	3183
7.	हरियाणा	728	243	259	—	1230
8.	हिमाचल प्रदेश	553	77	—	—	630
9.	जम्मू एण्ड कश्मीर	528	64	139	—	731
10.	कर्नाटक	2216	775	445	624	4060
11.	केरल	612	1729	290	151	2782
12.	मध्य प्रदेश	2711	648	574	—	3933
13.	महाराष्ट्र	2211	810	671	1447	5139
14.	मणिपुर	40	9	18	—	137
15.	मेघालय	98	12	27	—	67
16.	मिजोरम	42	8	—	—	50
17.	नागालैंड	44	14	—	—	68
18.	उड़ीसा	1386	239	193	13	1831
19.	पंजाब	1128	476	457	—	2061
20.	राजस्थान	1813	546	440	—	2799
21.	सिक्किम	21	4	—	—	25
22.	तमिलनाडु	1758	1036	671	618	4083
23.	त्रिपुरा	99	23	25	—	147
24.	उत्तर प्रदेश	5190	1169	1201	248	7808
25.	पश्चिम बंगाल	1912	595	320	873	3700
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9	1	—	6	16
27.	चंडीगढ़	13	5	89	—	107
28.	दादरा और नागर हवेली	6	—	—	—	6
29.	दमन और दीव	1	9	—	—	10
30.	दिल्ली	72	6	—	991	1069
31.	लक्षद्वीप	5	—	—	—	5
32.	पांडिचेरी	28	10	—	28	66
	अखिल भारत	31429	11104	7371	5893	55797

गंगटोक में बैंकिंग सेवा भरती बोर्ड कार्यालय खोलना

6492. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम तथा दार्जिलिंग में भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए भर्ती हेतु भारी संख्या में उम्मीदवार मिल सकते हैं;

(ख) क्या सरकार ने सिक्किम तथा दार्जिलिंग के स्थानीय उम्मीदवारों की भर्ती करने के लिए गंगटोक में बैंकिंग सेवा भरती बोर्ड का कार्यालय खोलने का विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलोरी) : (क) से (घ) बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों के क्षेत्राधिकार दो प्रकार के होते हैं : (1) भौगोलिक, जिसमें लिपिकीय संवर्ग के व्यक्तियों की भर्ती के वास्ते एक राज्य अथवा छोटे-छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र होते हैं और (2) किसी एक बैंक अथवा सहभागी बैंकों के रूप में पदनामित बैंकों के समूह के लिए अधिकारियों की अखिल भारत भर्ती। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों के लिए लिपिकीय संवर्ग के कार्मिकों तथा यूको बैंक में अधिकारी संवर्ग की भर्ती का काम बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, कलकत्ता के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। चूंकि देश के किसी भी भाग में रहने वाले उम्मीदवार बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा विज्ञापित पदों के वास्ते आवेदन कर सकते हैं और बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, कलकत्ता, दार्जिलिंग तथा सिक्किम में बैंक शाखाओं की स्टाफ आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, अतः गंगटोक में बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड का कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बोरीवली (बम्बई) में कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण

6493. **श्री अनूप चन्द शाह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे ने बोरीवली (बम्बई) में आरक्षण के लिए कम्प्यूटर प्रणाली आरम्भ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यह प्रणाली कब तक आरम्भ हो जाएगी; और

(ग) इस प्रणाली द्वारा कितनी गाड़ियों के लिए आरक्षण किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) रेल मंत्रालय द्वारा बम्बई में बोरीविली तक कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा का विस्तार करने का विनिश्चय किया गया है।

(ख) कार्य के 1991 के मध्य तक पूरा हो जाने की आशा है जो धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) बम्बई क्षेत्र में सम्हाली जा रही सभी गाड़ियां, जिनके लिए पश्चिम तथा मध्य दोनों रेलों पर आरक्षण किए जाते हैं, कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के अन्तर्गत आ जायेंगी।

विश्व बैंक ऋण का उपयोग

6494. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्व बैंक से प्राप्त विभिन्न प्राधिकरणों/कम्पनियों/क्षेत्रों को दिए गए ऋण का सही उपयोग किया गया है तथा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश भर में विभिन्न शहर विकास प्राधिकरण तेल क्षेत्रों और आवास परियोजनाओं को दिए गए विश्व बैंक ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(घ) किस प्रकार की निगरानी प्रक्रिया अपनाई गई है; और

(ङ) सरकार के माध्यम से प्राप्त सभी ऋणों के सही इस्तेमाल को सुसिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विश्व बैंक के ऋण विशेष परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान शहरी विकास, आवास तथा तेल क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराए गए ऋणों/उधारों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) परियोजनाओं को समय पर कार्यान्वित करने का सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से गहन पुनरीक्षणों द्वारा एक व्यापक मानीटरिंग प्रणाली कायम की गई है, जिसमें आर्थिक कार्य विभाग तथा सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय एवं राज्य सरकारें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की उच्च स्तर पर तिमाही पुनरीक्षण का कार्य आरम्भ करें।

विवरण

शहरी विकास, आवास तथा तेल क्षेत्रों में विश्व बैंक परियोजनाओं की सूची

क्रमांक	परियोजना का नाम	ऋण/उधार की राशि (लाख अमरीकी डालर)		करार की तारीख
		अं०पु०वि० बैंक	अं०वि० संघ	
1	2	3	3	4
1.	गुजरात शहरी विकास परियोजना	—	620	15-4-1986

1	2	3	4	5
2.	उत्तर प्रदेश शहरी विकास परियोजना	200	1300	21-12-1987
3.	तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना	—	3000	16-9-1988
4.	आवास विकास वित्त निगम (एच० डी० एफ० सी०) परियोजना	2500	—	21-4-1988
5.	भारतीय तेल पेट्रोलियम परियोजना	1400	—	29-6-1987
6.	पश्चिमी गैस विकास परियोजना	2950	—	21-4-1988

डिवीजनल रेलवे प्रबन्धक, आसनसोल के समक्ष लोगों द्वारा प्रदर्शन

6495. **श्री रेणुपद दास** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के आसनसोल डिवीजन के रेलवे प्रबन्धक के समक्ष 25 जनवरी, 1989 को ग्रामीण लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया था, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रदर्शनकारियों की मांगें क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) कुमारदुबी-बराकर खंड के मार्क्सिस्ट को-आर्डीनेशन कमेटी तथा पैसेंजर एसोसिएशन के पदाधिकारी 25-1-89 को अपर मंडल रेल प्रबन्धक, आसनसोल से मिले थे और उन्हें दो अलग-अलग अभ्यावेदन दिए थे जिनमें से एक अभ्यावेदन पूर्व रेलवे के ग्रांड-कार्ड खंड पर कालूबथान और छोटा अम्बाना स्टेशनों के बीच एलाकेन्द गांव में हाल्ट स्टेशन तथा दूसरा अभ्यावेदन आसनसोल और धनबाद के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने के लिए था।

(ग) आसनसोल-धनबाद खंड पर 1-5-89 से एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने का विनिश्चय किया गया है। कालूबथान और छोटा अम्बाना स्टेशनों के बीच एलाकेन्द गांव में एक हाल्ट स्टेशन खोलने का औचित्य नहीं समझा जाता है।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, हैदराबाद का निर्णय

6496. **श्री रेणुपद दास** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण मध्य रेलवे की स्वीचमैन कमेटी की विभिन्न शाखाओं से 30 अप्रैल, 1988 के केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, हैदराबाद के निर्णय को लागू करने के बारे में एक ही प्रकार के तार-संदेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, हैदराबाद के निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णयों को लागू करने के लिए कदम उठा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कदम हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) दक्षिण मध्य रेलवे की स्विचमैन समिति ने 1982 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसे बाद में 1986 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण हैदराबाद (सी० ए० टी०) में हस्तांतरित कर दिया गया था। अधिकरण ने दो निर्णय दिये थे—एक 1-2-88 को दूसरा 27-4-88 को। अधिकरण ने अपने 1-2-88 के निर्णय में अभ्यर्थियों को निदेश दिए थे कि राहत मांगने के लिए रेल प्रशासन को अभ्यावेदन करें, जबकि 27-4-88 के निर्णय में रेल प्रशासन को अभ्यावेदन शीघ्र निपटाने के निदेश दिये थे। अधिकरण के 1-2-88 के निर्णय का हवाला देते हुए दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा मण्डल के स्विचमैनों ने अपना अभ्यावेदन रेल प्रशासन के विचारार्थ भेजा था।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी व्यापारिक घरानों द्वारा पूंजी निवेश किए जाने को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव

6497. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार देश में पूंजीनिवेश, रोजगार और यहां से निर्यात में वृद्धि करने की दृष्टि से विदेशी व्यापारिक घरानों को 51 प्रतिशत शेयर रखने की अनुमति दिए जाने की संभावना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या होंगी ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

हीराकुड बांध और महानदी से खतरा

6498. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में हीराकुड बांध से उसके आसपास रह रहे लोगों को खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के खतरे की सम्भावना है;

(ग) क्या महानदी नदी पर बांध के निर्माण से पूर्व और बाद में उसमें आई बाढ़ों के बारे में यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है कि उसमें बाढ़ कितने-कितने समय के बाद आई; और

(घ) यदि हां, तो जांच निष्कर्ष क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) अध्ययन के निष्कर्षों से यह पता चलता है कि बांध के अनुप्रवाह पर नदी के भाग में बाढ़ों के आने की बारम्बारता कम हो गई है।

सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों का पुनर्वास

6499. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापित व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों का अब तक राज्य-वार पुनर्वास किया गया है;

(ख) अब तक उन्हें कितनी भूमि आबंटित की गई है और कितनी भूमि आबंटित करना शेष है और इस लम्बन्ध में आबंटन योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी विस्थापित व्यक्तियों का कब तक पुनर्वास किया जायेगा ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) गुजरात के 757 परिवार और महाराष्ट्र के 81 परिवार।

(ख) 371 हैक्टेयर भूमि आबंटित का गई है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए भूमि की समग्र आवश्यकता क्रमशः 7000 हैक्टेयर, 3364 हैक्टेयर और 15083 हैक्टेयर है।

(ग) जलाशय के भरने से पहले पुनर्वास को पूरा किया जाना है।

धीमी गति से चलने वाली विश्व बैंक परियोजनाएं

6500. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के उपाध्यक्ष ने भारत में धीमी गति से चल रही 16 विश्व बैंक परियोजनाओं के प्रति निराशा व्यक्त की है जैसाकि 26 फरवरी, 1989 के "इंडियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) ये कौन-कौन सी परियोजनाएं हैं और इनके पिछड़ने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं का प्राथमिकता के आधार पर नवीकरण करने के लिए क्या उपचारी कदम उठाए गए/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) जी, हां। जिस विवरण का हवाला दिया गया है, वह सम्बन्धित क्षेत्रों में अन्य परियोजनाओं की तुलना में अपेक्षाकृत धीमे संवितरण वाली परियोजनाओं का पता लगाने के लिए किए गए एक पुनरीक्षण के

निष्कर्ष पर आधारित है। पता लगाई गई ऐसी सोलह परियोजनाओं की सूची निम्नलिखित है :—

1. केन्द्रीय विद्युत पारेषण
2. इन्दिरा सरोवर
3. फरक्का तापीय विद्युत-2
4. केरल विद्युत
5. ऊपरी इन्द्रावती विद्युत
6. पश्चिमी बंगाल लघु सिंचाई
7. ऊपरी गंगा सिंचाई
8. महाराष्ट्र सिंचाई
9. वर्षापोषित जल-विभाजक
10. हिमालयई जल-विभाजक
11. राष्ट्रीय कृषि विस्तार-1
12. तमिलनाडु जल-आपूर्ति
13. मध्य प्रदेश शहरी
14. कलकत्ता शहरी-3
15. रेलवे विद्युतीकरण
16. झरिया कोकिंग कोयला

अपेक्षाकृत धीमे संवितरण निष्पादन के लिए उत्तरदायी मुख्य घटकों में से कुछ हैं—भूमि अधिग्रहण और अधिदेशात्मक स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब, जिनमें पर्यावर्णिक और वानिकी सम्बन्धी स्वीकृति भी सम्मिलित है, तकनीको समस्याएं, अप्रत्याशित लागत बचतें तथा राज्य क्षेत्र की परियोज़नाओं में दूसरे पक्ष द्वारा अपर्याप्त निधिकरण।

परियोजनाओं के यथा-समय क्रियान्वित हो जाने को सुगम बनाने के लिए गहन पुनरीक्षण के माध्यम से एक विस्तृत अनुश्रवण प्रणाली तैयार की गई है जिसमें आर्थिक कार्य विभाग, प्रशासनिक मंत्रालय तथा सम्बन्धित राज्य सरकार शामिल है। इसके अतिरिक्त इसी उद्देश्य से राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे विदेशी सहायता से चल रही परियोजनाओं के बारे उच्चस्तरीय त्रैमासिक पुनरीक्षणों की व्यवस्था करें।

गया रेलवे स्टेशन

6501. **श्री रेणुपद दास :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया रेलवे स्टेशन में यात्रियों के लिए अच्छी सुविधायें उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस स्टेशन के बिकास के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) गया स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। जिन सुविधाओं की व्यवस्था की जानी है उनमें पीने का पानी प्रसाधन, बेहतर रोशनी की व्यवस्था प्लेटफार्मों का विस्तार करना और उन्हें उन्नत बनाना तथा प्लेटफार्मों पर छत की व्यवस्था, विश्राम कक्ष, बेहतर बुकिंग और आरक्षण सुविधाएं, परिचलन क्षेत्र में सुधार आदि शामिल हैं। स्टेशन पर निर्माण कार्य प्रगति पर हैं तथा जिनके आठवीं योजना के मध्य तक विभिन्न चरणों में पूरा हो जाने की आशा है।

पालघाट रेलवे अस्पताल

6502. **श्री रेणुपद दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 फरवरी, 1989 के मलयालम दैनिक समाचार "एक्सप्रैस" में प्रकाशित इस समाचार की तरफ आकर्षित किया गया है कि पालघाट रेलवे अस्पताल में दाखिल छः रोगियों की मृत्यु के लिए इस अस्पताल के चिकित्सकों एवम् कर्मचारियों की कथित लापर-वाही, असहयोगात्मक और गैर-जिम्मेदाराना रवैया जिम्मेदार है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस अस्पताल की स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 18-2-1989 को गुमनास टेलेक्स संदेश प्राप्त होने पर और सन्दर्भाधीन समाचार अखबार में छपने से पहले इस मामले की दक्षिण रेलवे के पालघाट मंडल कार्यालय और प्रधान कार्यालय दोनों स्तरों पर विस्तृत जांच की गयी थी। पालघाट रेलवे अस्पताल में सभी छः मृत रोगियों के स्वास्थ्य की उचित रूप से देख-भाल की गयी थी और उनका उपयुक्त और पर्याप्त उपचार किया गया था और वहां कोई लापरवाही नहीं बरती गयी थी।

विदेशी पर्यटकों से अर्जित विदेशी मुद्रा

6503. **डा० दिग्विजय सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय होटलों में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों/पर्यटकों की तरफ से ट्रैवल एजेंटों द्वारा विदेशी मुद्रा का भुगतान ट्रैवल एजेन्टों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा मानी जाती है न कि होटल द्वारा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई योजना है तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) क्या जिन होटलों में विदेशी नागरिक ठहरते हैं उन्हें भी अर्जित विदेशी मुद्रा में से उनकी सेवाओं के लिए कुछ श्रेय/कमीशन मिलता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस असंगति को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दक्षिण में उच्चतम न्यायालय की पीठ

5504. श्री पीयूष तिरकी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में उच्चतम न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने की मांग है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का क्या निर्णय है;

(ग) इस मामले में विधि आयोग की क्या रिपोर्ट है;

(घ) क्या देश के अन्य भागों के लोगों ने भी इसी प्रकार की मांगें की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार, संविधान के अनुच्छेद 130 के निबन्धनों के अनुसार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से निर्देश प्राप्त होने पर ही इस बारे में कोई विनिश्चय कर सकती है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) विधि आयोग ने अपनी 125वीं रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि यदि उसकी सिफारिश के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संवैधानिक न्यायालय, अपील न्यायालय या फेडरल अपील न्यायालय में विभाजित कर दिया जाता है तो फेडरल अपील न्यायालय की न्यायपीठों के, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य भारत में, अधिविष्ठ होने पर कोई गम्भीर आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

(घ) और (ङ) जी, हां। कुछ विधिज्ञ संगमों और अन्य संगठनों ने ऐसी मांग की है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की बकाया राशि की वसूली

6505. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औद्योगिक गृहों/कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन पर 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की एक करोड़ रुपए या इससे अधिक की धनराशि बकाया है; और

(ख) इसकी वसूली के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) राशियों की वसूली के लिए, प्रशासनिक, विधिक और अन्य उपाय, जो भी समय-समय पर आवश्यक समझे जाते हैं, किए जाते रहते हैं।

विवरण

31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार जिन औद्योगिक गृहों/कम्पनियों के विरुद्ध पुष्ट मांग में एक करोड़ रुपए और इससे अधिक का केन्द्रीय उत्पादन शुल्क बकाया है, उनका ब्यौरा दिखाने वाली अनन्तिम सूची

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	औद्योगिक गृह
1	2	3
1.	जे० के० सिगरेट्स लि०	
2.	[illegible] इन्डस्ट्रीज	
3.	भाखड़ा-ब्यास प्रबंध बोर्ड	
4.	[illegible] टेक्नोलोजीज इण्डिया लि०	
5.	पुनस्टार इलेक्ट्रोनिक्स लि०	
6.	पंजाब नेशनल फर्टीलाइजर कारपोरेशन लि०	
7.	[illegible] मेटल इन्डस्ट्रीज	
8.	बम्बे टायर इन्टरनेशनल लि०	मोदी
9.	हिन्दुस्तान लीवर लि०	हिन्दुस्तान लीवर
10.	मैटल फोरजिंग्स लि०	
11.	मैटल बाक्स (इ०) लि०	मैटल बाक्स
12.	गुड ईयर इण्डिया लि०	
13.	अमरपाली स्ट्रानटारेड (प्रा०) लि०	
14.	फिक इण्डिया लि०	
15.	सुन्दर सिंह एण्ड कं० (प्रा०) लि०	
16.	[illegible] [illegible]किंग्टन लि०	
17.	गारवारे प्लास्टिक एण्ड पोलिएस्टर प्रा० लि०	गारवारे
18.	सूरत काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स प्रा० लि०	मफतलाल
19.	रेली मशीन लि०	रेलिस

1	2	3
20.	वुड पेपर मिल्स लि०	
21.	गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर कारपोरेशन	
22.	लखनपाल नेशनल लि०	
23.	आई० पी० सी० एल०	
24.	भारत अपथाल्मिक ग्लास लि०	
25.	न्यू स्वदेशी मिल्स	
26.	अरयोदमा स्पिनिंग एण्ड वीविंग कं०	
27.	अरविन्द मिल्स	कस्तूरभाई लालभाई
28.	अशोका मिल्स	—यथोक्त—
29.	अरूण मिल्स	—यथोक्त—
30.	एम० एच० मिल्स	
31.	अरबुदा मिल्स	श्री अम्बिका
32.	सोमा टेक्सटाइल्ज	
33.	मिहिर टेक्सटाइल्ज	मफतलाल
34.	अम्बिका मिल्स	श्री अम्बिका
35.	केलिको मिल्स	
36.	न्यू शोरराक मिल्स	
37.	कॉमशियल मिल्स	
38.	रूस्तम्स मिल्स	
39.	महिन्द्रा मिल्स	
40.	गुजरात मशीनरी मैनुफैक्चरर्स	
41.	एलिकान इन्जीनियरिंग कं०	
42.	श्री वल्लभ ग्लास वर्क्स	
43.	एस० एस० सिन्थेटिक्स	लोहिया मशीन्ज
44.	जे० के० काटन मिल्स	
45.	हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर कारपोरेशन	
46.	किर्लोस्कर ऑयल इन्जन लि०	किर्लोस्कर
47.	आई० सी० आई० एम० लि०	

1	2	3
48.	कस्त केमिकल्ज	
49.	माधवनागर काटन लि०	
50.	बजाज ऑटो लि०	बजाज
51.	थेरमेक्स प्रा० लि०	
52.	टेलको	टाटा
53.	डा० बेक एण्ड कं०	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा
54.	महिन्द्रा सिनटेरेड प्रोडक्ट्स	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा
55.	पीको इले० एण्ड इलेक्ट्रिक	फिलिप्स
56.	एस० ए० आई० एल०	
57.	सेवा पेपर लि०	
58.	एफ० सी० आई० लि०	
59.	जे० के० सिन्थेटिक्स लि०	जे० के० सिंघानिया
60.	मद्रास रीफाइनरीज लि०	
61.	अशोक लेलैण्ड	अशोक लेलैण्ड
62.	मद्रास शीट ग्लास	
63.	नेशनल कार्बन कम्पनी	
64.	मद्रास फर्टीलाइसर्ज लि०	
65.	मद्रास रबड़ फैक्ट्री	
66.	एम० एम० रबड़ कम्पनी	
67.	आर० सी० एफ० लि०	
68.	विजय सिन्थेटिक्स	
69.	मे एण्ड बेकर	
70.	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा
71.	मोदी येरोक्स लि०	मोदी
72.	आई० टी० सी० लि०	आई० टी० सी०
73.	विजय ट्रैक्टर	
74.	श्रीराम पिस्टन्स एण्ड रिंग्स लि०	श्रीराम

1	2	3
75.	मोदी क्लाथ मिल्स	
76.	मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग	मोदी
77.	मोदी पोन लि०	मोदी
78.	सी० ई० एम० एल०	
79.	विक्रान्त टायर्ज लि०	
80.	सिन्थो ग्लास कं०	
81.	जैस्सोप एण्ड कं० लि०	
82.	टीटागढ़ पेपर मिल्स	
83.	बर्न स्टैन्डर्ड कं० लि०	
84.	सिरपुर पेपर मिल्स	बिरला
85.	वोलटास लि०	टाटा
86.	गारवारे पेन्टस	गारवारे
87.	आई० ई० एल० (फाइबर डिविजन)	आई० सी० आई०
88.	न्यू रेशमा डाइंग	
89.	एन० ओ० सी० आई० एल०	मफतलाल
90.	शारदा सिन्थेटिक्स	
91.	सीयट टायर्ज	सीयट टायर्ज
92.	रेलीफैन	
93.	रेलीवोल्फ	रेलिस
94.	जानसन एण्ड जानसन	
95.	कोर्स (इं) लि०	
96.	राधा डाइंग	बिरला
97.	ओ० एन० जी० सी०	
98.	यूनीवर्सल हाइड्रोकार्बन	
99.	इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड, पटना	
100.	रोहतास इंडस्ट्रीज	
101.	टिस्को	टाटा
102.	इनकैब इंडस्ट्रीज लि०	

1	2	3
103.	भारत वैगन एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी लि०	
104.	अशोक स्टील	
105.	मदुरा कोट्स	मदुरा कोट्स
106.	डी० सी० डब्ल्यू० साहुपुरम	एस० पी० जैन
107.	फेन्नर (इं०) लि०	
108.	ओरियन्ट पेपर मिल्स	बिरला
109.	जयपुर शुगर मिल्स	वी० रामाकृष्णा
110.	हिन्दुस्तान पिलकिंग्टन ग्लास वर्क्स	सोमानी
111.	पुनालुर पेपर मिल्स	
112.	प्रीमियर टायर्ज	
113.	टीसन्ज रबड़ प्रोडक्ट्स	
114.	अपट्रोन इण्डिया कं० लि० (डिजिटल सिस्टम डिवीजन)	
115.	मजगांव डॉक लि०	
116.	कैन्टरीड्ज (प्रा०) लि०	
117.	बंगाल पेपर मिल्स	बंगुर
118.	एल० एम० एल० फाइबर्ज लि०	लोहिया मशीन
119.	वर्मा मुखर्जी (प्रा०) लि०	
120.	गोदरेज सोप्स लि०	गोदरेज
121.	लक्ष्या डाइंग	
122.	शार्प प्रिन्ट्स प्रा० लि०	
123.	स्पेशल स्टील लि०	
124.	राम गोपाल टेक्सटाइल्ज प्रा० लि०	टाटा
125.	एम्प्रो फूड प्रोडक्ट्स	
126.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि०	
127.	ओ० आर० सी० सिस्टम (मै० अम्बालाल साराभाई इन्टरप्राइजेज का एक प्रभाग)	
128.	भारतीय तेल निगम लि०	

1	2	3
129.	सुनील प्लास्टिक्स	
130.	पनामा लैब्स प्रा० लि०	
131.	हिन्डन रिवर मिल्स	श्रीराम
132.	विल्लार्ड इण्डिया लि०	
133.	स्वदेशी पौलिटैक्स लि०	
134.	आरयोदया गिन्निंग एण्ड मैनुफैक्चुरिंग कं० लि०	
135.	अहमदाबाद काटन फैनुफैक्चरिंग कं०	
136.	पायोमा इन्डस्ट्रीज	
137.	रामाकृष्णा मिल्स लि०	
138.	मणिकलाल हीरालाल मिल्स लि०	
139.	स्पार इक्युपमैन्ट्स प्रा० लि०	
140.	इन्डो असाही ग्लास कं० लि०	
141.	एफ० सी० आई०	
142.	आर० आई० लि०	
143.	एच० ई० सी०	
144.	दिलखुश डाइंग एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स	

डालर की तुलना में रुपए के अवमूल्यन के कारण अतिरिक्त प्रतिदेय राशि का भार

6506. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों में रुपए के मूल्य में डालर की तुलना में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी ऋणों के निगमित कर्जदारों पर कितना अतिरिक्त दबाव पड़ने का अनुमान है; और

(ग) डालर की तुलना में रुपए के मूल्य में कमी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) रुपए की विनिमय दर मुख्यतः उन देशों की मुद्राओं की डाली के मूल्य के संदर्भ में निर्धारित की जाती है जो भारत के व्यापार में प्रमुख भागीदार हैं। अस्थिर विनिमय दरों के इस युग में रुपए के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव एक सामान्य घटना है क्योंकि यह इन मुद्राओं के मूल्य में होने वाली घट-बढ़ पर

निर्भर करता है। तथापि यह बात सही है कि अमेरिकी डालर की तुलना में रुपए के मूल्य में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है।

चूंकि विदेशी मुद्रा आधार भिन्न-भिन्न मुद्राओं में होते हैं और इनके वापस करने की समयावधि भी भिन्न-भिन्न होती है इसलिए यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि विनिमय दर में होने वाली घटबढ़ का ऋण परिशोधन पर कितना प्रभाव पड़ेगा।

पालिस्टर फाइबर एककों द्वारा निर्यात संघ के लिए योजना

6507. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालिस्टर फाइबर एकक आर्डर प्राप्त करने के लिए एक निर्यात संघ गठित करने की योजना बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम का विचार इस व्यापार को चलाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) पोलिएस्टर फाइबर एककों द्वारा निर्यात संघ बनाने की योजना बनाए जाने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राज्य व्यापार निगम का पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर के निर्यात को हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि इस मद का निर्यात स्वयं व्यापारियों द्वारा किया जाता है।

अमरीकी एक्सप्रेस बैंक द्वारा सहायक बैंक स्थापित करना

6508. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी एक्सप्रेस बैंक ने व्यापारियों को ऋण देने तथा पूंजीगत विपणन सम्बन्धी अन्य सम्बद्ध सेवाओं के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ एक सहायक बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और भारत में व्यापारियों को ऋण देने सम्बन्धी इस प्रकार की ईकाई बनाने की अनुमति देने का क्या औचित्य है;

(ग) किन-किन भारतीय बैंकों के साथ सहायक बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया गया है;

(घ) इस कम्पनी को अर्जित लाभ में से कितनी धनराशि स्वदेश भेजने की अनुमति होगी; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक से मर्चेंट बैंकिंग आदि कार्य करने के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ मिलकर सहायक कम्पनी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

काजीपेट रेलवे स्टेशन

6509. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजीपेट रेलवे स्टेशन के घटिया रख-रखाव और वहां पर सफाई की उचित व्यवस्था न होने की जानकारी मंत्रालय के ध्यान में लाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई हैं;

(ग) क्या इस रेलवे स्टेशन के विकास के लिए धनराशि जारी करने करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (ङ) स्टेशन भवनों सहित स्टेशनों का सुधार एक सतत प्रक्रिया है तथा यह आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम से चरणों में किया जाता है बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध रहे । काजीपेट रेलवे स्टेशन पर प्रदान की गयी सुविधाएं यहां सम्हाले जाने वाले यातायात के मौजूदा स्तर के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं ।

टुंडला स्टेशन भवन

6510. **श्री कैलाश यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में टुंडला रेलवे स्टेशन पर एक अतिरिक्त प्लेटफार्म के अलावा नये भवन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कपड़वंज और मोडासा के बीच रेल लाइन तथा नाडियाद कपड़वंज के बीच रेल लाइन बदलना

6511. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्न कार्यों के लिए सर्वेक्षण कार्य किस वर्ष किया गया था :

(1) कपड़वंज से मोडासा तक नई रेल लाइन,

(2) गुजरात में नाडियाद से कपड़वंज तक मीटर रेल लाइन में बदलना,

(ख) सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या हैं और इन पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी;

(ग) क्या उपर्युक्त परियोजना के लिए कोई पुनः सर्वेक्षण किया गया है, यदि हां, तो कब तक और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं पर कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) सर्वेक्षण 1981 में पूरा किया गया था। कपड़वंज से मोडासा तक (60 कि० मी०) नयी बड़ी लाइन के निर्माण सहित नडियाद-कपड़वंज (45 कि० मी०) के आमान परिवर्तन की अनुमानित लागत उस समय 15.26 करोड़ रुपये आंकी गयी थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस परियोजना पर कार्य चल रहा है।

दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के नये सदस्य बनाना

6512. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के निदेशों के अनुसार दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज ने सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करके व्यावसायिक अनुभव वाले नए सदस्य बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने नए सदस्य बनाये गए हैं और यदि नहीं तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के नए सदस्य कब तक बनाये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) इसी विषय पर चल रही मुकदमे-बाजी और दिल्ली स्थित सम्माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए स्थगनादेश को देखते हुए दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में नए सदस्यों को ग्रहण करना सम्भव नहीं हो सका है।

टैरिफ और व्यापार के सामान्य करार के सम्बन्ध में भारत की नीति

6513. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने टैरिफ और व्यापार के सामान्य करार के ढांचे के अन्तर्गत वार्ता के लिए सेवाओं को शामिल करने का विरोध पहले प्रमुख रूप से किया था;

(ख) इस महीने के प्रारम्भ में उसमें हुई वार्ता के अन्तिम दौर में उस पर संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य औद्योगीकृत देशों का क्या रवैया था और इस महत्वपूर्ण मामले की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या टैरिफ और व्यापार के सामान्य करार के तत्वाधान में उरुग्वे में आयोजित बहुदेशीय व्यापार वार्ताओं में उदार व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गैर-टैरिफ अड़चनों और इन अड़चनों से निपटने के लिए प्रभावी संस्थागत प्रक्रियाएं संस्थापित करने की अनिवार्य आवश्यकता के बारे में भी चर्चा की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसमें यदि कोई निष्कर्ष निकला हो, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारत और कई अन्य विकासशील देशों द्वारा लिए गए आधार के परिणामस्वरूप, सितम्बर, 1986 में आयोजित पुनटा-डेल-एस्ट मंत्री स्तरीय बैठक, जिसमें बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं पर उरुग्वे राउण्ड शुरू किया गया, उसमें इस बात पर सहमति हुई कि सेवाओं पर वार्ता टैरिफ और व्यापार के सामान्य करार के ढांचे से बाहर अलग माहौल में होगी।

(ख) उरुग्वे राउण्ड वार्ताओं पर मंत्री स्तरीय मध्यावधि समीक्षा 5-9 दिसम्बर, 1988 तक माट्रियल में आयोजित की गई। इस बैठक में संयुक्त राज्य और अन्य औद्योगिक देशों सहित सभी भागीदारों सेवा क्षेत्र में आगामी वार्ताओं के लिए एक ढांचे पर सहमति व्यक्त की जिसमें विकास आयाम और विकासशील देशों के हितों का ध्यान रखा गया। अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात पर सहमति हुई कि ये वार्ताएं विश्व व्यापार में सेवाओं में विकासशील देशों की भागीदारी में वृद्धि करेगी और अपने सेवा निर्यात तथा घरेलू सेवा क्षमता को बढ़ाने में सहायता करेगी। इस बात पर भी सहमति हुई कि अलग-अलग विकासशील देशों को उनकी विकास स्थिति के अनुरूप सेवाओं के आयात के लिए बाजार में धीरे-धीरे प्रवेश दिलाने के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए उपयुक्त उदार व्यवस्था की जाएगी। जबकि सेवा सम्बन्धी क्षेत्र में माण्ट्रियल में एक करार किया गया था फिर भी माण्ट्रियल में प्राप्त परिणामों को, कृषि, सुरक्षा वस्त्र और क्लादिंग जैसे चार अन्य वार्ताओं के क्षेत्र में तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्पदा अधिकारों के व्यापार सम्बन्धी पहलुओं पर करार न होने के कारण "स्थगित" रखा गया। वार्ता सम्बन्धी समिति की अगली बैठक जेनेवा में 5-8 अप्रैल, 1989 को हुई थी जिसमें इन बार क्षेत्रों पर अन्ततोगत्वा करार किया गया। इसके फलस्वरूप सेवाओं के क्षेत्र सहित वार्ताओं की आगे की प्रक्रिया अबफिर से शुरू की जा रही है।

(ग) जी, हां। गाट के तत्वाधान में बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के उरुग्वे में गैर-टैरिफ प्रतिबंधों पर विचार-विमर्श किया गया। अब तक हुई परिचर्चा में व्यापक गैर-टैरिफ प्रतिबन्धों से निपटने के लिए उपाय करने तथा रूपात्मकता पर विचार किया गया।

(घ) माण्ट्रियल की बैठक में मंत्रियों ने यह स्वीकार किया कि गैर-टैरिफ उपायों को समाप्त करना ही उरुग्वे राउण्ड के सफल निष्कर्ष का मुख्य तत्व है। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया

गया कि सहमत सिद्धान्तों और मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए क्रियाविधियों सहित भावी वार्ताओं का ढांचा स्थापित किया जाए ताकि वार्ताओं को तुरन्त शुरू किया जा सके।

अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत मूल्य परिवर्धन प्रतिबन्ध

6514. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अधिक विदेशी मुद्रा की वसूली सुनिश्चित करने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत न्यूनतम मूल्य परिवर्धन प्रतिबन्ध लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड पर व्यय

6515. **श्री दौलतसिंहजी जदेजा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड पर इसकी स्थापना के समय से अब तक कुल कितना प्रशासनिक खर्च हुआ है और व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक कितनी कम्पनियों को स्वीकृति दी गई है; और

(ग) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को और सक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि रूग्ण एककों को पुनः चालू किया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि उसकी स्थापना की तारीख में बोर्ड (औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड) का कुल वार्षिक व्यय निम्नलिखित है :—

वर्ष	व्यय
1986-87	69.03 लाख रुपये
1989-88	92.53 लाख रुपये
1988-89	110.43 लाख रुपये

(ख) और (ग) दिनांक 28 फरवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार, बोर्ड ने 23 रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों के पुनरूद्धार के लिए मंजूरी दी थी। इसके अतिरिक्त, 59 मामलों में बोर्ड ने निर्णय लिया है कि सम्बन्धित रूग्ण औद्योगिक कम्पनी के लिए यह संभव होगा कि वह यथोचित समय के

अन्दर अपनी निवल सम्पत्ति को सकारात्मक बना ले, रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 की धारा 17(2) के तहत बोर्ड ने अनुमोदन प्रदान कर दिए ।

बोर्ड को सक्षम बनाने के लिए उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं : औद्योगिक एवं वित्तीय पुन-र्निर्माण बोर्ड के पास मामले भेजने के लिए आवेदन फार्म में संशोधन करना, अलग-अलग राज्यों को राजधानियों में सुनवाई के लिए बैठकें आयोजित करना तथा कार्यचालन एजेंसियों की संख्या में वृद्धि करना ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतन-मान

6516. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और अन्य लाभों के लिए एक राष्ट्रीय औद्यगिक न्यायाधिकरण का गठन किया है;

(ख) क्या न्यायाधिकरण ने कोई सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो न्यायाधिकरण अपनी सिफारिशें कब तक भेजेगा ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) ट्रिब्यूनल ने अभी तक कोई सिफारिशें नहीं की हैं । उसके पंचाट के शीघ्र प्राप्त होने की आशा है ।

तमिलनाडु से मसालों का निर्यात

6517. **श्री एम० डेनिस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु से मसालों का निर्यात किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं । तथापि, वर्ष 1987-88 में तमिलनाडु के मुख्य पत्तनों से निर्यातित मसालों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

पत्तन का नाम	मात्रा मी० टन	मूल्य (करोड़ रु०)
मद्रास	2216	3.73
तूतीकोरिन	5022	8.03

काफी के बीजों का मूल्य

6518. **श्री एन० डेनिस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता को बेचे जाने वाले काफी के बीजों के मूल्यों में हाल ही के महीनों में वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। न्यूनतम रिलीज कीमतों के संशोधन और कर्नाटक सरकार क्रय शुल्क लगाए जाने के फलस्वरूप काफी बोर्ड ने काफी के बीजों की कीमतों में संशोधन किया है। विभिन्न ग्रेडों की पिछली तथा वर्तमान कीमतें नीचे दी गई हैं :

(रु० प्रति कि०ग्रा०)

ग्रेड	अप्रैल, 1988 की कीमतें	मार्च, 1989 की कीमतें
बागान "पी बी"	23.00	29.10
बागान "ए"	22.20	28.00
राबेस्टा चेरी "ए बी"	19.20	22.10
रोबस्टा चेरी "पी बी"	19.40	22.30
अरेबिका चेरी "ए बी"/"पी बी"	20.50	25.80

मियादी जमा की सीमा

6519. **श्री एन० डेनिस** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक और वित्तीय संस्थाओं द्वारा लोगों से अपनी स्वीकृत सीमा से अधिक मियादी जमा राशियां स्वीकार किये जाने पर नियन्त्रण लगाने के लिये उनका मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक क्या कदम उठा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जहां तक गैर-बैंककारी गैर-वित्तीय कम्पनियों का सम्बन्ध है, ऐसी कम्पनियों द्वारा जमाराशियों के स्वीकार किए जाने पर कम्पनी (जमाराशियां स्वीकरना करना) नियम, 1975 के अन्तर्गत नियन्त्रण लगाया जाता है। गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों द्वारा जमाराशियां स्वीकार किये जाने की गतिविधियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी कम्पनियों के नाम जारी निर्देशों के अन्तर्गत नियंत्रित की जाती हैं। इन नियमों/निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसी कम्पनियों द्वारा स्वीकार की जाने वाली जमाराशियों की अवधि, जमाराशियों

पर देय ब्याज दर आदि का प्रावधान होता है। इन नियमों/निर्देशों में उन कम्पनियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने का भी प्रावधान है जो जमाराशियों की अधिकतम सीमा से सम्बन्धित उपबन्धों का उल्लंघन करती हैं।

मद्रास स्थित रेलवे अस्पताल

6520. **श्री एन० डेनिस** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास स्थित रेलवे अस्पताल में सामान्य व्यक्तियों को उपचार कराने की अनुमति है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रयोजन के लिए समय-समय पर निर्धारित किये गए प्रभारों के भुगतान के आधार पर बाहरी व्यक्तियों को उपचार के लिए विशेषकर कार्डिओ-वैसक्यूलर यूनिट में अधिकतम 25 प्रतिशत तथा पेरम्बूर अस्पताल के अन्य विभागों और मद्रास के अन्य रेलवे अस्पतालों में अधिकतम 10 प्रतिशत खाटों की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि रेलवे के लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की आवश्यकता पूरी करने के बाद स्थान उपलब्ध हो।

सी० टी० सी० चाय का निर्यात

6521. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ और अन्य यूरोपीय देशों को हो रहे सी० टी० सी० चाय के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि कुछ देशों को सी० टी० सी० चाय की तस्करी की जाती है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) सोवियत संघ और अन्य यूरोपीय देश मुख्यत: परम्परागत चाय के खरीदार हैं।

(ग) और (घ) उपलब्ध रिपोर्टों और किये गए अभिग्रहणों से किसी विशेष मात्रा में देश से बाहर भारतीय चाय की तस्करी का संकेत नहीं मिलता है।

जयपुर रोड पर "फैरो क्रोम संयन्त्र" के बारे में उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का प्रस्ताव

6522. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आई० डी० सी० ओ० एल०) ने उड़ीसा में जाजपुर रोड पर स्थित फैरो क्रीम संयन्त्र के जापानी सहायता से आधुनिकीकरण/विविधिकरण/नवीकरण के लिए एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य सरकार ने, जापान से सहायता के लिए उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (इडकोल) के एक एकक अर्थात् फेरोक्रोम संयंत्र द्वारा संयंत्र के आधुनिकीकरण और विविधिकरण के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव के पक्ष में सिफारिश की थी । इस प्रस्ताव के आधार पर कुल मिलाकर 55.80 करोड़ रुपए की लागत की मशीनरी और उपस्करों का आयात करना पड़ता था, जिसमें 11.20 करोड़ रुपए की लागत विदेशी मुद्रा के रूप में थी।

(ग) क्योंकि "मैसर्स इडकोल" द्वारा संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र पर सारवान कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए जापान से सहायता की मांग करने के प्रस्ताव की पूर्ति किए जाने की कार्रवाई नहीं की जा सकती ।

वित्तीय संस्थानों द्वारा शेयरों की बिक्री और खरीद

[हिन्दी]

6523. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजकल देश के शेयर बाजार में देश के वित्तीय संस्थानों द्वारा मुख्य रूप से शेयरों की बिक्री और खरीद के कारण उतार-चढ़ाव आता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 की तुलना में वर्ष 1988-89 के दौरान इन वित्तीय संस्थानों ने कितने मूल्य पर शेयर बेचे तथा खरीदे और इस समय इन वित्तीय संस्थानों के पास प्रत्येक कम्पनी के कितने-कितने, शेयर हैं;

(ग) इन वित्तीय संस्थानों का कब तक शेयर बेचने का विचार है; और

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान इन वित्तीय संस्थानों का देश के आर्थिक विकास में किस प्रकार मदद देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) शेयरों की कीमतों की घटबढ़ बहुत सी बातों पर निर्भर करती है; इसलिए ऐसा कहना ठीक नहीं होगा कि देश के शेयर बाजार में मुख्य रूप से वित्तीय संस्थानों द्वारा की जाने वाली शेयरों की बिक्री और खरीदारी के कारण ही मंदी तेजी आती रहती है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) वित्तीय संस्थान, अन्य बातों के साथ-साथ, औद्योगिक परियोजनाओं के लिए वित्त

की व्यवस्था करके और पूंजी बाजार के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करके, देश के आर्थिक विकास में सहायता देते हैं।

कपूरथला स्थित रेल डिब्बा कारखाने के लिए कर्मचारियों की भर्ती

[अनुवाद]

6524. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कपूरथला (पंजाब) स्थित रेल डिब्बा कारखाने के लिए हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में भर्ती न किए जाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान भर्ती किए गए कुल कर्मचारियों की तुलना में खुले विज्ञापनों के माध्यम से अथवा अन्य तरीकों से विभिन्न श्रेणी के पदों पर हिमाचल प्रदेश के कितने व्यक्ति भर्ती किए गए हैं;

(ग) कर्मचारियों की भर्ती के लिए वस्तुतः क्या प्रक्रिया अपनाई गई और प्रतिनियुक्ति अथवा अन्य तरीकों के जरिये इस कारखाने में कितने अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है; और

(घ) इस रेल डिब्बा कारखाने और रेलवे द्वारा संचालित अन्य परियोजनाओं में कर्मचारियों की भर्ती में सभी पड़ौसी राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) रेल सवारी डिब्बा कारखाने में भर्ती, सीधी भर्ती द्वारा और अन्य रेल प्रशासनों से कर्मचारी लेकर, दोनों तरह से की जाती है। जहां तक सीधी भर्ती का सम्बन्ध है, ग्रुप "सी" के पदों पर भर्ती रेल भर्ती बोर्डों, जो रिक्तियों के बारे में विज्ञापन देते हैं, के माध्यम से की जाती है। कारीगरों के पदों पर भर्ती रेल सवारी डिब्बा कारखाने द्वारा स्वयं खुला विज्ञापन देकर लिखित परीक्षा, व्यावसायिक परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से की जाती है। उम्मीदवारों का चयन उनके गुण-दोष के आधार पर किया जाता है। स्थापित यूनिटों/संगठनों में भर्ती के लिए किसी राज्य अथवा क्षेत्र के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, नयी रेल परियोजनाओं जैसे रेल सवारी डिब्बा कारखाना, कपूरथला के लिए 1984 में इस आशय के अनुदेश जारी किए गए थे कि प्रारम्भिक भर्ती में रेल प्रशासन द्वारा शैक्षणिक और तकनीकी अर्हताओं, आयु, आदि को ध्यान में रखते हुए कुछ सीमा तक स्थानीय लोगों को नियोजित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

रेल सवारी डिब्बा कारखाना, कपूरथला द्वारा भर्ती किए गए व्यक्तियों की लगभग संख्या और आवेदन-पत्रों में दिए गए पते के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य से सम्बद्ध व्यक्तियों की संख्या नीचे दी

गयी है :—

राज्य का नाम	कुल	हिमाचल प्रदेश
रेल भर्ती बोर्ड, चंडीगढ़ और जम्मू के माध्यम से	764	16
रेल सवारी डिब्बा कारखाना द्वारा खुले विज्ञापन के माध्यम से	2147	76
रेलों से कर्मचारी लेकर	721	—
नैमित्तिक श्रमिक जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनकी भूमि रेल सवारी डिब्बा कारखाना के लिए अधिग्रहीत कर ली गयी थी।	943	16

आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय के दो अधिकारियों और पंजाब सरकार के उद्यान विभाग के दो अराजपत्रित कर्मचारियों ने प्रतिनियुक्ति पर इस कारखाने में पदभार ग्रहण किया है।

तुला सेतु की स्थापना

6525. **डा० दिग्विजय सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के सभी जोनों में कोयले का लदान तथा डिलीवरी के समय वजन किया जाता है;

(ख) लदान के समय तथा मार्ग में यदि कोयले की कोई हानि होती है, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है; और

(ग) उचित जिम्मेदारी सौंपने के लिए सभी महत्वपूर्ण कोयला लदान रेलवे स्टेशनों पर तुला सेतु (वे ब्रिज) स्थापित क्यों नहीं किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जहां कहीं तौल सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां सामान्यतः बुकिंग से पहले कोयला तोला जाता है। जहां कहीं माल डिब्बे तोले नहीं जाते वहां परेषक द्वारा घोषित वजन स्वीकार किया जाता है। सामान्यतः रेलों द्वारा गंतव्य स्थलों पर कोयला माल डिब्बे तोले नहीं जाते हैं।

(ख) चूंकि कोयले का लदान कोयला-खानों द्वारा किया जाता है, इसलिए लदान के समय होने वाली किसी क्षति के लिए वे ही जिम्मेदार हैं। कोयला मालिक की जोखिम पर बुक किया जाता है और परिवहन में कमी की जिम्मेदारी भारतीय रेल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निश्चित की जाती है।

(ग) अधिकांशतः महत्वपूर्ण कोयला लदान स्थलों अथवा कोयला लदान स्थलों की सेवा करने

वाले यार्डों में तुला चौकियों की व्यवस्था की गयी है। तुला चौकियों की स्थापना के लिए कोयला-खानों को प्रोत्साहित करने के लिए रेलें ऐसी तुला चौकियों पर तोले जाने वाले कोयला पर छूट भी देती हैं।

विश्व बैंक के उच्च स्तरीय दल का दौरा

6526. **श्री एस० एम० गुरड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही परियोजनाओं की प्रगति के अध्ययन हेतु विश्व बैंक के एक उच्चस्तरीय दल ने देश का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस दौरे के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में सोना पकड़ा जाना

6527. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में 1 जनवरी, 1989 से कुल कितने मूल्य का कितनी मात्रा में सोना जब्त किया गया;

(ख) किस मामले में सबसे अधिक सोना पकड़ा गया और किन-किन स्थानों से कितना-कितना सोना जब्त किया गया;

(ग) क्या सबसे अधिक सोना सीमा शुल्क विभाग ने पकड़ा था अथवा पुलिस ने;

(घ) क्या सरकार को जब्त किए गए/पकड़े गए सोने के बारे में पुरस्कार के लिए कोई दावा मिला है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) वर्ष 1989 (28 फरवरी, 1989 तक) के दौरान, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के कथित उल्लंघन के सिलसिले में अभिगृहीत सोने की कुल मात्रा एवं मूल्य निम्नलिखित हैं :—

अभिगृहीत सोने की मात्रा (किलोग्राम में)	अभिगृहीत सोने का मूल्य (करोड़ रुपयों में)
669.560	21.67

(ख) केरल राज्य में 1989 (28-2-89 तक) के दौरान पकड़े गए सबसे अधिक सोने की मात्रा एवं उसका मूल्य और जिन-जिन स्थानों से जिस-जिस तारीख को उसे पकड़ा गया और जिन-जिन अभिकरणों ने ये बरामदगियां कीं, उनके सम्बन्ध में कोई निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत हैं :—

क्रम सं०	तारीख	मात्रा (किलोग्राम में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में लगभग)	अभिग्रहण का स्थान	बरामद करने वाला अभिकरण
1.	13-2-89	186.56	6.08	तेलापाड़ी चेक-पोस्ट	राजस्व आसूचना निदेशालय
2.	24-2-89	104.095	3.50	कोमेरी-कालीकट	पुलिस
3.	25-2-89	186.14	6.14	इडक्कान्नूर-तेल्लिचेरी	राजस्व आसूचना निदेशालय

(ग) सबसे अधिक सोना सीमा शुल्क विभाग द्वारा पकड़ा गया था।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारत में इलेक्ट्रानिकी तथा उद्योग के विकास के बारे में विश्व बैंक की रिपोर्ट

6528. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत की सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भारत में इलेक्ट्रानिकी तथा उद्योग के विकास के बारे में कोई रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसके स्वरूप, विस्तार एवं प्रतिस्पर्द्धा क्षमता तथा विकास सम्बन्धी बाधाओं और हाल ही में लागू की गई नीति के संदर्भ में इस उपयोग के सम्बन्ध में रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) विश्व बैंक स्टाफ ने "इण्डिया डेवलपमेंट आफ दि इलेक्ट्रोनिक्स इण्डस्ट्री-ए सैक्टर रिपोर्ट" नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया है जो उनके द्वारा किए गए क्षेत्रीय अध्ययनों का एक भाग है। यह विश्व बैंक का एक आंतरिक दस्तावेज है। विश्व बैंक द्वारा भारत सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं की गई है। इन मामलों में कोई भी निर्णय पूरी तरह से भारत की अपनी प्राथमिकताओं और नीतियों के अनुसार ही लिया जाएगा।

राष्ट्रीय आवास बैंक को संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से ऋण

6529. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**
श्री जी० एस० बासवराजू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक को संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से सहायता प्राप्त होगी;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राज्य एजेंसी किस कार्यक्रम के लिए सहायता प्रदान करेंगी;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने ऋण का उपयोग करने की कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय आवास क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के संयुक्त राज्य अमेरिका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के कार्यक्रम के अन्तर्गत उसका संयुक्त राज्य अमेरिका के पूंजी बाजार से 50 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण लेने का प्रस्ताव है। प्रारम्भ में इस राशि का उपयोग निम्न आय वर्ग के आवास के वास्ते पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने और आवास वित्त संस्थाओं का प्रवर्तन करने के लिए किया जाएगा।

(ग) और (घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के वास्ते राष्ट्रीय आवास बैंक, आवास वित्त कम्पनियों को मार्गनिर्देश जारी करेगा जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ आवास वित्त संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के प्रावधान भी होंगे।

सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापित लोगों का पुनर्वास

6530. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार के दो अन्य राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के इस परियोजना से प्रभावित सभी व्यक्तियों के पुनर्वास की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए सरदार सरोवर परियोजना के कार्य को आगे बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव को केन्द्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित पुनर्वास कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्यक्रम चलाने एवं इसकी देखरेख की जिम्मेदारी कार्यक्रम में किस संस्थान को सौंपी गई है;

(घ) क्या लोगों के विचार एवं प्रतिक्रियाएं जानने हेतु कार्यक्रम को प्रचारित किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) नमंदा जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुसार प्रथमतः गुजरात द्वारा अपने क्षेत्र में जलमग्नता से पूर्व सिंचाई भूमि तथा मकान के लिए स्थल अर्जित करके और उपलब्ध करके विस्थापितों को पुनः स्थापित करना अपेक्षित है। यदि गुजरात विस्थापितों को पुनः स्थापित करने में असमर्थ रहता है अथवा विस्थापित गुजरात द्वारा दिए गए क्षेत्र में रहना नहीं चाहते, तो गुजरात के व्यय पर मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र को ऐसे प्रावधान करने होंगे।

(ग) पुनः स्थापन तथा पुनर्वास की प्रगति देखने के लिए राज्यों द्वारा तथा नमंदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा केन्द्र स्तर पर अलग से प्रबोधन तथा मूल्यांकन अभिकरणों की व्यवस्था की जाती है।

(घ) और (ङ) पुनः स्थापन के कार्यों को अन्तिम रूप देते समय परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की इच्छा का पता लगाने का प्रयास किया गया है तथा इसके अनुसार लगभग 925 परिवारों को पुनः स्थापित कर दिया गया है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा केरल राज्य कृषि विकास सहकारी बैंक को दिए गए ऋण

6532. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, केरल राज्य कृषि विकास सहकारी बैंक को ऋण इत्यादि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ग) वर्ष 1989-90 के लिए सामान्य ऋण और केरल में प्रारम्भ की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं के लिए दिए जाने वाले ऋण के रूप में कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने केरल राज्य कृषि विकास सहकारी बैंक लि० को निम्नलिखित पुनर्वित्त सहायता प्रदान की है :—

वर्ष	लाख रुपए
1986-87	1986.00
1987-88	1850.22
1988-89	2910.97

(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने आगे सूचित किया है कि केरल राज्य भूमि विकास बैंक को अप्रैल-जून, 1989 की तिमाही के दौरान विशेष विकास ऋणपत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 163 लाख रुपए की पुनर्वित्त सहायता देने का प्रस्ताव है।

हीरों की तस्करी

6533. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से हीरों की भारी मात्रा में तथा कभी-कभी दुर्लभ किस्म के हीरों की तस्करी हो रही है;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई रिपोर्ट मिली है, यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों से यह संकेत नहीं मिलता है कि बड़ी मात्रा में अथवा दुर्लभ किस्म के हीरों की देश से बाहर तस्करी की जा रही है। तथापि, वर्ष 1988 तथा 1989 (मार्च तक) के दौरान क्रमशः 1.28 करोड़ रुपए तथा 11.65 लाख रुपए मूल्य के तराशे हुए तथा पालिशदार हीरे/बहुमूल्य रत्न, जिनकी देश से बाहर तस्करी किए जाने का प्रयास किया जा रहा था, तस्करी-रोधी एजेन्सियों द्वारा पकड़े गए थे।

(ग) तस्करी-रोधी एजेन्सियां हीरों सहित सभी निषिद्ध माल की तस्करी को रोकने के लिए सतर्क रहती हैं।

जापान और दक्षिण कोरिया को लौह अयस्क का निर्यात

6534. **श्री एच० ए० डोरा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान जापान और दक्षिण कोरिया को लौह अयस्क के निर्यात में परिमाण और मूल्य की दृष्टि से वृद्धि की जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान जापान और दक्षिण कोरिया को लौह अयस्क और लौह अयस्क सांद्रण के निर्यात 24.23 मिलियन टन होने का अनुमान है जिनका मूल्य 591 करोड़ रु० है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा सेनेगल में खनिज निकालने का ठेका

6535. **श्री एच० ए० डोरा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम को सेनेगल में खनिज निकालने के लिए हाल ही में कोई ठेका मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अशोक विहार, दिल्ली में रेलवे पुल

6536. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में अशोक विहार में प्रस्तावित भूमिगत रेल पुल के निर्माण पर अनुमानित कितनी लागत आएगी;

(ख) क्या इस पुल की सम्भाव्यता और आवश्यकता का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) अन्य अनेक अनिवार्य परियोजनाओं की तुलना में इस परियोजना को प्राथमिकता दिए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) काम की अनुमानित लागत अभी परिकलित नहीं की गयी है क्योंकि नगर निगम दिल्ली से पहुंच मांगों के अनुमान अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग) रेलवे तथा नगर निगम, दिल्ली द्वारा किए गए संयुक्त स्थल निरीक्षण से पता चला है कि पुल का निर्माण तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक तथा यातायात घनत्व के मानदण्डों के अनुसार औचित्यपूर्ण हैं।

(घ) ऐसे कार्यों को रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में मंजूरी देने के बारे में विचार करते समय रेलें सम्बन्धित राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पारस्परिक प्राथमिकता का ध्यान रखती हैं।

शत प्रतिशत निर्यात करने वाले नेफ्था क्रैकर कम्पलेक्स का प्रस्ताव

6537. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने शत प्रतिशत निर्यात करने वाला नेफ्था क्रैकर कम्पलैक्स स्थापित करने के लिए पश्चिम जर्मनी की एक कम्पनी को अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह परियोजना कब तक स्थापित कर दी जाएगी ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक योजना के अंतर्गत मै० लिंडे ए० जी० म्यूनिच को तमिलनाडु राज्य में 450,000 मी० टन प्रोपीलीन की वार्षिक क्षमता वाले एक नेफ्था क्रैकर संयंत्र स्थापित करने के लिए दिनांक 16-3-89 को एक आशय-पत्र प्रदान किया गया था।

(ग) उक्त आशय-पत्र एक वर्ष के लिए वैध है। इस अवधि के दौरान कम्पनी को एक

व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है और परियोजना की अर्थक्षमता सिद्ध करनी है। परियोजना की स्थापना के लिए एक वर्ष का समय निर्धारित किया गया है।

शराब त्रासदी को रोकने हेतु कानून में परिवर्तन

6438. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**
श्री जी० एस० बासवराजु :
श्री शांति लाल पटेल :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में हाल ही में शराब के कारण हुई मौतों को देखते हुए विधि आयोग से एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहने पर विचार कर रही है जिसमें आबकारी कानूनों और सामाजिक-आर्थिक कानूनों में संशोधन करने के लिए सुझाव दिए जाएं; और

(ख) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाएं

[हिन्दी]

6539. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितनी अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन हैं;

(ख) इन पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और ये कब तक पूरी हो जाएगी; और

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने के पश्चात् कुल कितने क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी और इससे किन जिलों को लाभ पहुंचेगा ?

जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) आठ परियोजनाएं।

(ख) मार्च, 1989 तक लगभग 365 करोड़ रुपए। परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा करने का कार्यक्रम है।

(ग) लगभग 4 लाख हेक्टेयर, अन्यों के साथ-साथ सिधी, शाहडोल, रीवा, सतना, गुना, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, ग्वालियर, भिन्ड, छतरपुर तथा बालाघाट जिलों को लाभ पहुंचेगा।

पाकिस्तान के साथ व्यापार संबंध

6540. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत से पाकिस्तान को तैयार सामान के निर्यात व्यापार-संबंधी शर्तों में भारत सरकार को बड़े पैमाने पर परिवर्तन करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो उन वस्तुओं के नाम क्या हैं जो पाकिस्तान को पहले ही निर्यात की जा रही हैं;

(ग) क्या इन वस्तुओं की कीमतें इनकी वास्तविक कीमतों से बहुत कम हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने पाकिस्तान के अनुरोध पर क्या निर्णय किया है तथा क्या पाकिस्तान सरकार को इससे अवगत कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) पाकिस्तान को निर्यात की गई मदों में अन्य सामान के साथ-साथ चाय, मसाले, मूल रसायन, इन्जीनियरिंग माल आदि शामिल हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

राजस्थान में रेलगाड़ी सेवाएं

6541. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में अनेक स्थानों पर गाड़ियों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कोटा, अजमेर, जयपुर और जोधपुर डिवीजनों के दैनिक यात्रियों के लिए पर्याप्त संख्या में गाड़ियां उपलब्ध कराने हेतु क्या ठोस कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) कुल मिलाकर मौजूदा सेवाएं यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। तथापि, नई गाड़ियां चलाना एक सतत प्रक्रिया है जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

फैजाबाद-बम्बई वी० टी० एक्सप्रेस में भोजन-यान

6542. **श्री निर्मल खत्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को फैजाबाद-बम्बई वी० टी० एक्सप्रेस में एक भोजन यान जोड़ने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है।

फैजाबाद बम्बई वी० टी० एक्सप्रेस में वातानुकूलित डिब्बा

6543. **श्री निर्मल खत्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को फैजाबाद-बम्बई वी० टी० एक्सप्रेस में एक वातानुकूलित शयनयान जोड़ने सम्बन्धी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रकार के सवारी डिब्बे सीमित संख्या में उपलब्ध होने के कारण ऐसा करना फिलहाल सम्भव नहीं है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश को बकाया देय राशि

[अनुवाद]

6544. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 और 1987-88 में केन्द्रीय सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश को बकाया देय राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस बकाया देय राशि का आंध्र प्रदेश को कब तक भुगतान किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढवी) : (क) और (ख) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार को देय तथा दी गई राशियां :—

(करोड़ रुपए)

	1987-88		1988-89	
	देय राशियां	दी गयी राशियां	देय राशियां	दी गयी राशियां
1	2	3	4	5
(1) राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता	305.45	305.45	342.14	341.66*

1	2	3	4	5
(2) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	**	13.67	**	35.78
(3) केन्द्रीय करों में हिस्सा	732.08	732.08	812.29	812.29
(4) रेलवे यात्री किराए पर कर के बदले अनुदान	7.29	7.29	7.29	7.29
(5) उन्नयन अनुदान	●	23.31	●	32.19
(6) लघु बचत ऋण	136.60	136.60	172.89	172.89

उपर्युक्त के अतिरिक्त, 1987-88 और 1988-89 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं की राहत के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में निम्नलिखित राशियां भी राज्य सरकार को दी गई थीं :—

(क) **1987-88** : राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए व्यय के आधार पर 1987-88 की बाढ़ों के लिए सीमान्त धन के केन्द्रीय हिस्से के रूप में 12.25 करोड़ रुपए के अलावा, 1986-87 की बाढ़ों के कारण अधिक दी गई 11.55 करोड़ रुपए की राशि को समायोजित करने के पश्चात्, राज्य को 1987-88 में सूखे के कारण 54.40 करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता दी गई थी।

(ख) **1988-89** : राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए व्यय के आधार पर 1987-88 के सूखे की बकाया राशि के कारण 17.82 करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता के अलावा 1988-89 की बाढ़ों के कारण राज्य को सीमान्त धन के केन्द्रीय हिस्से के रूप में 12.25 करोड़ रुपए दिए गए थे।

भद्रक-खड़गपुर सेक्शन पर पैदल चलने के ऊपरि पुल

6445. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में भद्रक-खड़गपुर सेक्शन के कई रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्मों के आर-पार जाने के लिए जहां दोहरी रेल लाइन काफी पहले बिछाई जा चुकी है; कोई ऊपरि पुल नहीं है;

*1986-87 तथा 1987-88 के लिए राज्य योजना में व्यय में कमी के कारण केन्द्रीय सहायता में 0.48 करोड़ रुपए की कमी की गई थी।

**राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय के प्रनमन तथा बाह्य दाता एजेंसियों से प्राप्त प्रतिपूर्ति के आधार पर राशि प्रदान की गई।

●व्यय/स्कीमों की प्रगति तथा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर अनुदान प्रदान किया गया।

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन स्टेशनों पर इन पुलों के न होने के कारण इन रेलवे लाइनों पर भारी संख्या में दुर्घटनाएं होती हैं;

(ग) सरकार की किसी रेलवे लाइन पर प्लेटफार्मों पर ऊपरि पुल का निर्माण करने सम्बन्धी नीति क्या है; और

(घ) इन रेलवे स्टेशनों पर, जहां दोहरी रेलवे लाइन उपयोग में है, यात्रियों को प्लेटफार्म के दूसरी ओर जाने के लिए ऊपरि पुल न बनाए जानें के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) खड़गपुर-भद्रक खंड पर 23 नियमित/फ्लैग स्टेशन तथा 4 हाल्ट स्टेशन हैं, 19 नियमित/फ्लैग स्टेशनों पर ऊपरी पैदल पुलों की व्यवस्था की गयी है। शेष स्टेशनों पर ऊपरी पैदल पुलों की व्यवस्था चरणों में शुरू की जाएगी जो इन स्टेशनों पर सम्हाले जाने वाले यातायात की मात्रा पर निर्भर करेगी, बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो।

(ख) विगत हाल ही में ऊपरी पैदल पुलों के न होने के कारण खड़गपुर-भद्रक खण्ड के किसी स्टेशन पर किसी दुर्घटना का मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ग) और (घ) स्टेशनों पर ऊपरी पैदल पुलों की व्यवस्था प्रत्येक स्टेशन पर संभाले जाने वाले यातायात की मात्रा को ध्यान में रखकर की जाती है। खड़गपुरभद्रक खंड के जिन स्टेशनों पर ऊपरी पैदल पुलों की व्यवस्था नहीं की गयी है वहां सम्हाले जाने वाले यातायात की मात्रा कम है तथा वहां इस समय ऊपरी पैदल पुलों के प्रावधान का औचित्य नहीं बनता है।

हॉलैंड को फूलों का निर्यात

6546. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फूलों का यूरोप में निर्यात बढ़ाने की अच्छी गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या कुछ भारतीय कम्पनियों ने हालैंड को फूलों के निर्यात के लिए क्रयादेश प्राप्त किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) यूरोप को भारतीय फूलों का निर्यात बढ़ाने की गुंजाइश है। बीज विकास सम्बन्धी जो नई बीज नीति दिनांक 1-10-1988 को लागू हुई उसका, अन्य बातों के साथ-साथ, लक्ष्य भारतीय कृषकों को निर्यात की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के फूलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए फूलों के उपलब्ध सबसे बढ़िया बीज और सजावटी पौधे उपलब्ध कराना है।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय अनुसूचित जाति विकास सहकारी समिति लि० ने सूचित किया है कि उन्हें हालैंड में फूलों के निर्यात के लिए 20 करोड़ रुपए मूल्य के आर्डर प्राप्त हुए हैं। यह निर्यात अक्तूबर, 1989 तथा मई, 1990 के बीच किया जाएगा।

आयात और रुपए का मूल्य

6547. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 मार्च, 1989 के "इकानोमिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें प्रकाशित हुआ है कि उन देशों से अधिक आयात किया जाता है, जिन देशों की मुद्राओं के मूल्य की रुपए की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार रुपए के मूल्य में तेजी से आने वाली गिरावट को रोकने के लिए अपने आयात स्रोतों को बदलने का प्रयास करेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) रुपए का विनिमय मूल्य मुख्यतः उन देशों के मुद्रा-समूह की गतिविधियों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो व्यापार में भारत के भागीदार हैं। चूंकि प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं में उतार-चढ़ाव हो रहा है, इसलिए मुद्रा-समूह की विनिमय दरों में भी लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे रुपए के बाह्य मूल्य को भी उसी तरह समायोजित करना आवश्यक हो जाता है। केवल रुपए के विनिमय दर में होने वाले परिवर्तन के विचार से आयात के स्रोत-पैटर्न को बदलना अभीष्ट नहीं है, क्योंकि आयात और इसके स्रोत घरेलू खपत, निवेश, उत्पादन और प्रौद्योगिकी उन्नत करने के लिए आवश्यक मदों की हमारी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं। फिर भी, रुपया व्यापार क्षेत्रों में अधिकतम सम्भव आयात के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे आयात अतिरिक्त निर्यातों से स्वतः ही संतुलित हो जाते हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन के आश्वासन

6548. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन में भारत को 900 मिलियन डालर देने का आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह राशि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन के प्रति देश के भुगतान दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी;

(ग) क्या भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास बैंक द्वारा संसाधनों में प्रतिवर्ष वृद्धि की जानी चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन ने इसे स्वीकार किया है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) 30 जून, 1988 को समाप्त होने वाले, विश्व बैंक के राजकोषीय वर्ष, 1988 के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने भारत को 71.72 करोड़ संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर की राशि के उधार देने का वचन दिया है ।

(ख) जी, हां। चालू वर्ष 1989-90 के लिए ब्याज और अन्य प्रभारों सहित कुल 307.95 करोड़ रुपए की वापसी अदायगी सम्बन्धी देनदारियां होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) भारत में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के संसाधनों में सम्बन्धित नौवें पुनर्भरण के बारे में शीघ्र ही समझौता करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवास संघ के उपलब्ध संसाधनों में पर्याप्त रूप में वृद्धि करने की आवश्यकता पर बल दिया है जिससे विकासशील देशों को और अधिक मात्रा में रियायती संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें। नौवें पुनर्भरण के बारे में चल रहे विचार-विमर्श अभी प्रारम्भिक दौर में ही हैं।

वर्ष 1988-89 के लिए निर्यात लक्ष्य

6549. **श्री एस० बी० सिदनाल :**
श्री कमला प्रसाद रावत :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के लिए कितना निर्यात लक्ष्य रखा गया था;

(ख) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान लक्ष्य को प्राप्त किए जाने की सम्भावना है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितना निर्यात किया गया और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) वित्तीय वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के लिए निर्यात लक्ष्य क्रमशः 13,800 करोड़ रु० तथा 18,795 करोड़ रु० के निर्धारित किए गए थे।

(ख) जी, हां।

(ग) उपलब्ध अनन्तिम व्यापार आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-फरवरी 1988-89 की अवधि के दौरान भारत के निर्यात 17875.91 करोड़ रु० मूल्य के रहे जबकि अप्रैल-फरवरी, 1987-88 के दौरान वे 13939.04 करोड़ रुपए के थे इस प्रकार इसमें 28.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(घ) अनन्तिम व्यापार आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-फरवरी, 1988-89 के दौरान भारत के आयात 25365.69 करोड़ रु० के थे इस प्रकार इसमें 27.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

भारत के ऋण के बारे में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन

6550. **श्री एच० ए० डोरा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की रिपोर्ट के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का ऋण वर्ष 1988 में 2.47 मिलियन डालर के रिकार्ड स्तर पर था;

(ख) क्या विकासशील राष्ट्रों में भारत ऋण लेने वाला चौथा बड़ा देश है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा जनवरी, 1989 में प्रकाशित "विदेशी ऋणभार सम्बन्धी सांख्यिकी" के अनुसार दिसम्बर, 1987 से जून, 1983 तक की अवधि के दौरान भारत पर विदेशी बैंक-दावों में 8440 लाख डालर की वृद्धि हो गई।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार

[हिन्दी]

6551. **श्रीमती मनोरमा सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारियों की वर्ष 1980 के बाद मृत्यु हुई, जिनके आश्रितों को अब तक रोजगार नहीं दिया गया है;

(ख) इनमें से कितने मामलों में पेंशन और उपदान का भुगतान अभी किया जाना है;

(ग) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ऐसी धनराशि पर भुगतान की तारीख तक का ब्याज भी देगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) से (ङ) पूर्व रेलवे से 1-1-1981 और 31-12-1988 के बीच प्रोदभूत मामलों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान में जयपुर और कोटा जिले में स्टेट बैंक आफ इन्दौर की शाखाओं में अनियमितताएं

6552. **श्री राज कुमार राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के जयपुर और कोटा जिलों में स्टेट बैंक आफ इन्दौर की शाखाओं द्वारा ऋण देने सम्बन्धी अनियमितताओं धोखा-धड़ी के कितने मामले पकड़े गए;

(ख) इन मामलों में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) राजस्थान के जयपुर और कोटा जिलों में बैंक की 3 शाखाओं द्वारा मंजूर किए गए ऋणों/

अग्रिमों के सम्बन्ध में 1986 और 1987 के वर्षों से सम्बन्धित अनियमितताओं के 23 मामले प्रकाश में आए हैं जिनमें 40.27 लाख रुपये की रकम अन्तर्ग्रस्त है। बैंक ने आगे चलकर सूचित किया है कि वर्ष 1988 के दौरान राजस्थान के जयपुर और कोटा जिलों में स्थित उसकी शाखाओं में अनियमितताओं के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(ग) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि अनियमितताओं के उपर्युक्त मामलों में दोषी पाए गए दो अधिकारियों को वेतनवृद्धि को रोकने का दण्ड दिया गया है और तीन अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर की इन्दौर स्थित शाखाओं में अनियमितताएं

6553. **श्री राज कुमार राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इन्दौर की मध्य प्रदेश में इन्दौर स्थित शाखाओं की संख्या कितनी हैं और पिछले दो वर्षों में दौरान इन शाखाओं में गोलमाल/अनियमितताओं के कितने मामले प्रकाश में आये हैं; और

(ख) इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त राशि का ब्यौरा क्या है और इनमें दोषी पाये गए अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फ्लैरो) : (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि इन्दौर शहर में एक सेवा शाखा सहित उसकी कुल 23 शाखाएं हैं। बैंक ने आगे बताया है कि गत दो वर्षों के दौरान इन्दौर शहर स्थित शाखाओं में घटित धोखा-धड़ी की घटनाओं की संख्या, उनके अन्तर्ग्रस्त राशि तथा उन घटनाओं में शामिल व्यक्तियों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है :—

वर्ष	उन शाखाओं की संख्या जहां धोखा-धड़ी की घटनाएं हुई	धोखाधड़ी के मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (लाख रुपयों में)	घटनाओं में शामिल अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या
1987	10	24	55.82	46
1988	7	8	13.72	12

(आंकड़े अनन्तिम)

लोनी (उत्तर प्रदेश) बार्डर के आवासीय क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोलना

6554. **श्री राज कुमार राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वर्ष के दौरान लोनी बार्डर (उत्तर प्रदेश) के आवासीय क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलने के लिए किन-किन बैंकों को लाइसेंस दिये हैं; और

(ख) इस क्षेत्र के निवासियों को बैंक की सुविधा कब तक उपलब्ध कराये जाने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि लोनी केन्द्र में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा कार्य कर रही है और 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के दौरान लोनी के आवासीय क्षेत्र में शाखा खोलने के वास्ते किसी बैंक को लाइसेंस आबंटित नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश में विद्युत पारेषण लाइनें बिछाने के लिए ऋण

6555. **श्री हरीश रावत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार अथवा राज्य विद्युत बोर्ड ने विद्युत पारेषण लाइनें बिछाने के लिए कुछ राष्ट्रीकृत बैंकों से ऋण देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो यह अनुरोध कब किया गया था और कितनी राशि के ऋण के लिए आवेदन किया गया था तथा संबंधित बैंकों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या यह अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और यह अनुरोध कब तक स्वीकार किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बिजली के वितरण के आधारभूत ढांचे के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के वास्ते उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने जुलाई 1987 में यूको बैंक के पास और सितम्बर 1987 में पंजाब नेशनल बैंक के पास प्रस्ताव भेजे थे। ये प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य नहीं पाए गए।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से ऋण

6556. **श्री हरीश रावत :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में कुछ और नदी घाटी जलाशय परियोजनाएं शुरू करने का विचार है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने भी विश्व बैंक सहित कुछ अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से कुछ नदी घाटी जलाशय परियोजनाओं हेतु ऋण प्राप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार की सिफारिशों के साथ इन प्रस्तावों को अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के पास भेज दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(च) इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें नहीं भेजा गया है और वे परियोजनाओं किस स्तर पर विचाराधीन हैं एवं इन्हें कब तक इन वित्तीय संस्थानों के पास भेज दिया जाएगा ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन राज्य सरकारो द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय सहायता ब्लाक अनुदानों के रूप में होती है तथा किसी विशेष परियोजना से जुड़ी नही होती है।

(ख) जी, हां।

(ग) बाह्य सहायता हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(1) सरयू नहर परियोजना सोपान-1

(2) शारदा सहायक परियोजना
(पोषक तथा शाखाओं को पक्का करना)

(3) कन्हार सिंचाई परियोजना

(4) लखवार-व्यासी परियोजना
(केवल व्यासी परियोजना)

(घ) से (च) प्रस्तावों की जांच की जा रही है तथा इन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा अभिज्ञान रिपोर्टें अभी तैयार की जानी हैं। इन परियोजनाओं के लिए बाह्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश में किसानों को बैंकों से ऋण

[अनुवाद]

6557. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक आन्ध्र प्रदेश में किसानों को दिये गये ऋणों के लिए उनसे अधिक प्रभार वसूल कर रहे हैं;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा आन्ध्र प्रदेश में किसानों से ऋणों की वसूली के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) क्या बैंकों को किसानों के विरुद्ध मामले दर्ज करने के बजाय जिसमें कि अधिक लागत आएगी, किसानों के साथ समझौता करने के लिए कोई मार्गनिर्देश दिए गए हैं/दिए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे दिए गए ऋणों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर अनुसूची के अनुसार, जिसमें कृषि ऋणों पर अपेक्षाकृत उदार ब्याज दरों का प्रावधान है, ब्याज वसूल करें।

(ख) बैंक अपने सामान्य वसूली प्रयासों के साथ-साथ वसूली अभियान को भी चलाते हैं।

(ग) बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किसान ऋणकर्ताओं को पुनर्निर्धारण सुविधाएं प्रदान करते हैं। जब अन्य सभी वसूली प्रयासों से वांछित परिणाम नहीं निकलते हैं तो बैंक चूक करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हैं।

रत्नों और आभूषणों का निर्यात

6558. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हीरा निर्यातक समुदाय को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए निर्यात बढ़ाने तथा इस सम्माननीय बाजार पर अपनी पकड़ बनाए रखने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान रत्नों और आभूषणों के निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1989-90 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) सतत आधार पर निर्यात को सुकर बनाने के लिए सरकार ने तराशे और पालिश किए हुए हीरों का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ उपाय अधिसूचित किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं : प्रतिपूर्ति की संशोधित दरें, बैंक ऋण सुविधा में सुधार, भारतीय कर अधिनियम की धारा 88 एय एय सी के अन्तर्गत छूट आदि। पिछले तीन वर्षों के दौरान रत्न और आभूषण के निर्यात नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	निर्यात (मूल्य करोड़ रुपए)
1986-87	2132
1987-88	2653
1988-89	4554* (अनन्तिम)

*स्रोत : रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद

(ग) और (घ) वर्ष 1989-90 का निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

राजकोट और बम्बई के बीच अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाना

6559. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में राजकोट और बम्बई के बीच चलने वाली सभी रेलगाड़ियों में यात्रियों की भारी भीड़ रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल विभाग ने इस रेलमार्ग पर अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) कुछ यात्री प्रतीक्षा सूची में रह जाते हैं।

(ख) से (घ) इस गर्मी के मौसम के दौरान यात्रियों को अतिरिक्त भीड़ की निकासी के लिए इस मार्ग पर 9 विशेष गाड़ियां चलाने की योजना है। अतिरिक्त गाड़ियां चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

दिल्ली और राजकोट के बीच सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाना

6560. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और राजकोट के बीच सीधी सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) झालावाड़ चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज।

(ग) मई, 1989 से हापा और जम्मू तवी (वाया राजकोट-नयी दिल्ली) के बीच एक साप्ताहिक सुपरफास्ट गाड़ी चलायी जा रही है।

जम्मू-तवी हापा एक्सप्रेस के नाम में परिवर्तन

6561. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हापा (जामनगर) और जम्मू तवी के बीच 2 अप्रैल, 1989 से शुरू की गई साप्ताहिक गाड़ी का नाम महर्षि दयानन्न सरस्वती एक्सप्रेस रखने सम्बन्धी कोई अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, वर्तमान नीति के अनुसार गाड़ियों के नाम किन्हीं व्यक्तियों के नाम पर नहीं रखे जाते हैं।

मोरबी-घांटीला रेल लाइन को पुनः चालू करना

6562. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावनि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में मोरबी-घांटीला छोटी रेल लाइन पर लगभग एक वर्ष से कोई गाड़ी नहीं चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उस क्षेत्र के लोग इस रेल लाइन को पुनः चालू करने की मांग कर रहे हैं; और

(घ) इस रेल मार्ग पर रेलगाड़ियां पुनः चलाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मंत्रालय के उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले वर्ष मानसून के दौरान इस लाइन को भारी नुकसान पहुंचा था जिसे मरम्मत के लिए गैर-किफायती पाया गया और इसलिए यह खंड बन्द कर दिया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) चूंकि यह लाइन अलाभप्रद है और वैकल्पिक सड़क सेवाएं उपलब्ध हैं, इसलिए इस लाइन की मरम्मत करने और इस पर पुनः गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव नहीं है।

सिंडीकेट बैंक द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण

6563. **श्री भद्रेश्वर तांती** :
डा० वी० वेंकटेश :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंडीकेट बैंक प्रबन्धकों द्वारा सी० ए० II बी० परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को कोई प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय बैंकर्स संस्थान के अलग-अलग केन्द्र/उपरोक्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों सहित सभी बैंक कर्मचारियों के वास्ते सी० ए० आई० आई० बी० परीक्षा के लिए कोचिंग कक्षाएं चलाते हैं।

रेल डिब्बे निर्माता उद्योग के लिए खरीद योजना

6565. **श्री भद्रेश्वर तांती :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने फैसला किया है कि रेल डिब्बा निर्माता उद्योग को उनकी खरीद योजना के बारे में तीन वर्ष अग्रिम ही सूचना दे दी जाए;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेल मंत्रालय ने इस उद्योग को बिना देरी के सामान की सप्लाई सुनिश्चित करने का भी निश्चय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) अग्रिम योजनाओं से वे अपने उत्पादन सम्बन्धी समग्र कार्यकलापों की योजना बनाने में समर्थ होते हैं ।

(ग) और (घ) जी, नहीं । इस्पात तथा निःशुल्क सप्लाई के पहिया सेटों, बेयरिंगों आदि जैसे कुछ कल-पुर्जों को छोड़कर माल डिब्बा निर्माण की सामग्रियां मुहैया करने की जिम्मेदारी मुख्यतः माल डिब्बा निर्माताओं की है । इस्पात तथा निःशुल्क सप्लाई के कल-पुर्जों के लिए आर्डर रेलों द्वारा दिये जाते हैं । सम्बन्धित सप्लायरों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने की जिम्मेदारी, माल डिब्बा निर्माताओं की है ।

चाय बोर्ड मुख्यालय

6566. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैदावार वाले क्षेत्रों में ही पैदावार से सम्बन्धित बोर्ड को स्थापित करने की सरकार की नीति के अनुसरण में चाय बोर्ड के मुख्यालय को कलकत्ता से असम स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

राजघाट बांध परियोजना के कारण विस्थापित लोगों का पुनर्वास

6567. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजघाट बांध परियोजना के पूरा होने पर राज्य-वार कितनी भूमि और कितने गांवों के जलमग्न हो जाने की संभावना है;

(ख) विस्थापित लोगों के पुनर्वास और उन्हें मुआवजे की अदायगी के बारे में क्या व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या सम्बन्धित प्राधिकारियों के पास अपेक्षित धनराशि उपलब्ध है; और

(घ) क्या बेतवा रिवर बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश को अपेक्षित धनराशि उपलब्ध करवाई गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) मध्य प्रदेश में 11,779 हेक्टेयर (31 गांव) तथा उत्तर प्रदेश में 12,752 हेक्टेयर (38 गांव) के जलमग्न होने की सम्भावना है।

(ख) भूमि और सम्पदा के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान सम्बन्धित राज्य सरकार के विद्यमान नियमों के अनुसार किया जाता है, जबकि पुनर्वास के अनुदान का भुगतान सम्बन्धित राज्य सरकार के माध्यम से बेतवा नदी बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हाँ।

मध्य प्रदेश की राजघाट अन्तर्राज्यीय परियोजना

6568. **श्री महेन्द्र सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजघाट अन्तर्राज्यीय परियोजना पर कुल कितनी लागत आई और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा इसकी लागत और लाभ का किस प्रकार बंटवारा किया जायेगा;

(ख) परियोजना के पूरा करने की समयसारणी क्या है और इसके निर्धारित समय में पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें क्या अड़चने हैं और इसे पूरा करने की संशोधित समय-सारणी क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) राजघाट बांध परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत 214 करोड़ रुपए है। लागत तथा लाभों को मध्य प्रदेश तथा उत्तर-प्रदेश द्वारा समान रूप से बांटा जाना है।

(ख) और (ग) परियोजना को जून, 1992 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेट फार्म व्यवस्था और सीटों की उपलब्धता

[हिन्दी]

6569. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार का यहाँ से "गुड्स शेड" को बिजवासन और तुगलकाबाद स्थानान्तरित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी संख्या को ध्यान में रखकर उन्हें सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) नई दिल्ली रेलवे स्टेशने पर यात्रियों द्वारा अनारक्षित डिब्बों में सीट प्राप्त करने के मामले में फैली गुण्डागर्दी को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नयी दिल्ली स्टेशन पर स्थित माल गोदाम को बदलकर होलम्बी कली के प्रस्तावित दिशिक टर्मिनल पर ले जाया जायेगा।

(घ) मौजूदा माल गोदाम को होलम्बी कलां में तथा सवारी डिब्बा अनुरक्षण सुविधाओं के एक भाग को हजरत निजामुद्दीन में स्थानान्तरित करके नयी दिल्ली स्टेशन पर प्लेटफार्म सुविधाएं बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(ङ) अनारक्षित सवारी डिब्बों में सीटों को हथियाने की बुराई की रोकथाम के लिए रे० सु० ब० और रा० रे० पु० कर्मियों की सहायता से टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा अचानक जांच की जा रही है।

बैंक शाखाएं

[अनुवाद]

6570. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्यालय किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार, इनकी शाखाओं की राज्यवार प्रतिशतता कितनी है;

(ग) प्रत्येक राज्य में बैंक शाखाओं की बैंक-वार प्रतिशतता कितनी है;

(घ) उन जिलों में के, राज्य-वार नाम क्या हैं जहां प्रमुख बैंक का उस क्षेत्र में संचालित बैंक शाखाओं की कुल संख्या के कम से कम 50 प्रतिशत पर नियन्त्रण हो तथा प्रत्येक मामले में यह कितना प्रतिशत है; और

(ङ) उन जिलों के, राज्यवार नाम क्या हैं जहां उनके बीच भारतीय स्टेट बैंक के प्रमुख बैंक का उस क्षेत्र में संचालित की जा रही बैंक शाखाओं की कुल संख्या के कम से कम 50 प्रतिशत पर नियन्त्रण हो ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) अलग-अलग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रधान कार्यालयों के स्थानों के नाम निम्नानुसार हैं :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बैंक का नाम जिसका प्रधान कार्यालय वहां पर स्थित है
महाराष्ट्र	बैंक आफ इण्डिया
	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
	यूनियन बैंक आफ इण्डिया
	देना बैंक
	बैंक आफ महाराष्ट्र
गुजरात	बैंक आफ बड़ौदा (अलबत्ता, बैंक का केन्द्रीय कार्यालय महाराष्ट्र में स्थित हैं)
कर्नाटक	केनरा बैंक
	विजया बैंक
	सिंडीकेट बैंक
	कार्पोरेशन बैंक
पश्चिम बंगाल	इलाहाबाद बैंक
	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया
	यूको बैंक
तमिलनाडु	इण्डियन बैंक
	इण्डियन ओवरसीज बैंक
आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्रा बैंक
संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	पंजाब नेशनल बैंक
	न्यू बैंक आफ इण्डिया
	ओरियन्ट बैंक आफ कामर्स
	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक

(ख) और (ग) दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की राज्यवार प्रतिशतता और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की बैंकवार प्रतिशतता के सम्बन्ध में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी सूचना संलग्न विवरण-1 और 2 में दर्शायी गयी है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, उन जिलों के जहां पर अग्रणी

बैंक की, कुल कार्यरत बैंक शाखाओं में से कम से कम 50 प्रतिशत शाखाएं हैं, राज्यवार नाम तथा प्रत्येक मामले में उनकी प्रतिशतता, संलग्न विवरण-3 में दी गयी है।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार जहां पर अग्रणी बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक, दोनों का संयुक्त रूप से उन जिलों में कार्यरत कुल बैंक शाखाओं में से कम से कम 50 प्रतिशत शाखाओं पर नियन्त्रण है, के नाम नीचे दिए गए हैं।

राज्य का नाम	जिलों का नाम
आन्ध्र प्रदेश	ईस्ट गोदावरी, वैस्ट गोदावरी, प्रकाशम
बिहार	बेगुसराय, धनबाद, हजारीबाग, माधोपुरा, पटना
गुजरात	बानसकण्ठा, साबरकण्ठा
हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर, शिमला, सिरमूर, बिलासपुर, ऊना, पूंछ
मध्य प्रदेश	बेतुल
महाराष्ट्र	अमरावती, बुलढ़ाना, धूलें, रायगढ़, वर्धा
मणिपुर	मणिपुर नार्थ और टेंगनाऊंपल
राजस्थान	डूंगरपुर
उत्तर प्रदेश	मथुरा
पश्चिम बंगाल	साऊथ 24 परगना

विवरण-1

31-12-1988 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की राज्य-वार प्रतिशतता

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बैंक का नाम							
		इलाहाबाद बैंक	आंध्रा बैंक	बैंक आफ बड़ौदा	बैंक आफ इण्डिया	बैंक आफ महाराष्ट्र	केनरा बैंक	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	कारपोरेशन बैंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1.23	78.60	2.32	2.48	2.04	6.66	3.25	13.20
2.	असम	3.50	—	0.53	0.29	—	0.57	2.00	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	बिहार	13.06	0.33	3.49	14.71	0.09	4.26	11.19	0.23
5.	गोआ	0.06	—	1.26	1.34	0.68	1.04	0.83	5.42
6.	गुजरात	0.89	0.45	29.27	10.39	3.11	1.66	7.75	3.56
7.	हरियाणा	1.03	—	0.77	0.89	0,48	2.29	2.75	—
8.	हिमाचल प्रदेश	0.13	—	0.24	0.15	—	0.36	0.9	—
9.	जम्मू और कश्मीर	0.2	—	0.19	0.29	0.09	0.31	0.37	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	कर्नाटक	0.48	2.13	1.45	2.23	3.41	23.00	1.85	41.96
11.	केरल	0.27	0.67	1.35	0.64	0.29	10.04	2.41	8.96
12.	मध्य प्रदेश	9.97	0.67	3.15	11.18	10.03	1.14	14.21	1.17
13.	महाराष्ट्र	4.88	2.70	12.16	24.01	74.26	7.23	16.03	6.83
14.	मणिपुर	0.13	—	0.04	—	—	—	0.03	—
15.	मेघालय	0.06	—	0.09	0.04	—	0.05	0.07	—
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	नागालैंड	0.27	—	0.19	—	—	—	0.03	—
18.	उड़ीसा	2.31	7.31	0.58	4.17	—	1.56	1.36	0.47
19.	पंजाब	1.85	0.11	2.03	2.83	0.48	3.64	3.25	0.47
20.	राजस्थान	1.23	0.11	13.16	1.49	0.58	0.72	2.91	0.23
21.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	0.34	—
22.	तमिलनाडु	1.03	3.04	3.78	4.32	1.07	20.97	5.40	12.73
23.	त्रिपुरा	0.06	—	0.04	—	—	—	0.03	—
24.	उत्तर प्रदेश	35.90	1.01	18.51	8.00	0.87	8.38	13.08	1.41
25.	पश्चिम बंगाल	18.22	1.46	3.58	8.15	0.97	2.75	7.22	1.41
26.	अण्डमान एवं निकोबार	—	—	—	—	—	0.05	—	—
27.	चण्डीगढ़	0.13	0.11	0.14	0.14	0.09	0.15	0.22	0.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	दादरा एवं नागर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	दमन और दीव	—	—	—	0.04	—	—	0.03	—
30.	दिल्ली	4.07	1.12	2.52	2.03	1.26	2.91	2.34	1.65
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—
32.	पांडिचेरी	0.06	0.11	0.04	0.04	0.09	0.15	0.03	—

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	देना बैंक	इण्डियन बैंक	इण्डियन ओवरसीज बैंक	न्यू बैंक आफ इण्डिया	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	सिंडिकेट बैंक	यूको बैंक	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	युनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	विजया बैंक
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	आंध्र प्रदेश	1.59	15.24	8.70	0.76	0.60	0.61	1.00	18.25	2.40	6.18	0.95	9.94
2.	असम	0.19	1.39	0.60	0.70	0.20	0.61	1.30	0.34	6.18	1.70	12.89	1.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	0.11	—	0.08	0.14
4.	बिहार	0.69	2.00	1.04	1.76	0.40	1.53	13.03	1.43	11.63	4.00	9.58	1.00
5.	गोवा	1.49	0.26	0.95	0.17	0.20	—	0.11	1.15	0.28	0.58	0.08	0.28
6.	गुजरात	50.69	3.04	4.20	2.99	2.43	1.07	2.34	2.92	4.41	9.48	1.04	3.02
7.	हरियाणा	0.39	1.13	0.69	13.58	12.37	5.35	8.30	2.79	1.48	1.47	0.17	0.28

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
8.	हिमाचल प्रदेश	—	0.17	0.26	2.46	1.01	1.53	5.38	0.06	6.70	0.53	—	—
9.	जम्मू और कश्मीर	0.19	0.08	0.08	1.94	1.01	0.91	1.80	0.13	0.68	0.29	0.17	0.28
10.	कर्नाटक	1.79	4.61	4.78	0.70	0.20	0.76	0.84	28.47	1.48	4.41	0.52	50.86
11.	केरल	0.89	5.92	7.65	0.70	0.40	0.45	0.26	6.47	1.03	6.36	0.17	9.07
12.	मध्य प्रदेश	7.37	0.95	0.60	3.17	4.25	4.28	5.84	1.49	6.93	8.42	0.52	0.86
13.	महाराष्ट्र	22.90	5.40	4.78	2.99	4.86	3.06	3.88	8.51	6.18	15.96	2.09	6.19
14.	मणिपुर	—	—	0.08	—	—	0.15	0.03	—	0.17	—	1.39	0.28
15.	मेघालय	—	0.08	0.08	—	—	—	0.15	0.06	0.22	0.11	0.78	0.28
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	0.14
17.	नागालैण्ड	—	0.08	—	—	—	0.15	—	—	0.11	—	0.17	0.43
18.	उड़ीसा	0.19	2.78	5.30	1.58	0.20	0.30	0.61	1.43	8.42	1.82	7.31	0.72
19.	पंजाब	0.79	1.74	3.04	23.10	21.5	47.01	12.5	0.68	4.87	3.00	0.34	0.86
20.	राजस्थान	0.99	0.60	0.78	11.11	7.09	2.75	5.76	0.54	7.62	2.23	0.43	1.00
21.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	0.11	—	—	—
22.	तमिलनाडु	1.89	44.33	43.60	1.58	0.40	0.91	2.03	5.85	3.38	6.06	0.78	4.75
23.	त्रिपुरा	—	0.08	0.08	—	—	0.15	—	—	0.22	0.05	2.70	0.14
24.	उत्तर प्रदेश	2.98	2.69	5.22	15.87	29.61	16.99	24.50	12.46	6.76	20.91	2.96	3.74
25.	पश्चिम बंगाल	2.29	4.00	4.43	5.11	4.86	2.14	5.50	2.65	15.70	3.71	52.70	2.16

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
26.	अण्डमान एवं निकोबार	—	0.08	—	—	—	—	0.03	0.27	0.05	—	—	—
27.	चण्डीगढ़	0.09	0.17	0.08	1.41	1.60	1.68	0.50	0.06	0.17	0.11	0.05	0.14
28.	दादरा और नागर हवेली	0.49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	दमन और दीव	0.09	—	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—
30.	दिल्ली	1.89	1.65	2.17	8.28	7.70	7.50	4.15	3.33	2.12	2.41	2.00	2.30
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	0.40	—	—	—	—
32.	पांडिचेरी	—	1.39	0.60	—	—	—	0.03	0.13	0.34	0.05	—	—

विवरण-2

31-12-1988 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की बैंक-वार प्रतिशतता

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बैंक का नाम								
		इलाहाबाद बैंक	आंध्रा बैंक	बैंक आफ बड़ौदा	बैंक आफ इण्डिया	बैंक आफ महाराष्ट्र	केनरा बैंक	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	कारपोरेशन बैंक	देना बैंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	0.41	15.91	1.09	1.14	0.47	2.91	1.96	1.27	0.36
2.	असम	4.80	—	1.03	0.56	—	1.03	4.99	—	0.18
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	बिहार	4.32	0.06	1.63	6.73	0.02	1.86	6.73	0.02	0.15
5.	गोवा	0.39	—	10.23	10.62	2.75	7.87	8.66	9.05	5.90
6.	गुजरात	0.40	0.12	18.74	6.48	0.99	0.99	6.36	0.46	15.79
7.	हरियाणा	1.21	—	1.29	1.45	0.40	3.55	5.90	—	0.32
8.	हिमाचल प्रदेश	0.31	—	0.78	0.47	—	1.09	3.76	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	जम्मू और कश्मीर	0.40	—	0.54	0.81	0.13	0.81	1.36	—	0.27
10.	कर्नाटक	0.17	0.46	0.73	1.09	0.85	10.80	1.19	4.34	0.43
11.	केरल	0.14	0.21	1.00	0.46	0.10	6.92	2.29	1.36	0.32
12.	मध्य प्रदेश	3.64	0.15	1.63	5.64	2.58	0.55	9.44	0.12	1.85
13.	महाराष्ट्र	1.36	0.46	4.82	9.28	14.64	2.67	8.15	0.55	4.42
14.	मणिपुर	2.98	—	1.49	—	—	—	1.49	—	—
15.	मेघालय	0.71	—	1.43	0.71	—	0.71	1.43	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	नागालैंड	5.88	—	5.88	—	—	—	1.47	—	—
18.	उड़ीसा	2.22	3.52	0.65	4.55	—	1.62	1.95	0.10	0.10
19.	पंजाब	1.30	0.04	2.03	2.76	0.24	3.39	4.16	0.09	0.38
20.	राजस्थान	0.63	0.03	8.85	1.05	0.21	0.49	2.71	0.03	0.35
21.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	34.61	—	—
22.	तमिलनाडु	0.36	0.65	1.88	2.10	0.26	9.75	3,46	1.30	0,46
23.	त्रिपुरा	0.65	—	0.65	—	—	—	0.65	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	6.62	0,11	4.85	2.04	0,11	2.04	4.39	0.07	0.38
25.	पश्चिम बंगाल	7.11	0.34	1.98	4.40	0.26	1.42	5.13	0.16	0.61
26.	अण्डमान एवं निकोबार	—	—	—	—	—	3.88	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	चण्डीगढ़	1.86	0.93	2.80	2.80	0.93	2.80	5.00	0.93	0.93
28.	दादरा और नागर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	83.33
29.	दमन और दीव	—	—	—	10.00	—	—	10.00	—	10.00
30.	दिल्ली	3.24	0.92	4.82	3.80	1.20	5.19	5.75	0.64	1.76
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32.	पांडिचेरी	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	4.54	1.51	—	—

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	इण्डियन बैंक	इण्डियन ओवरसीज बैंक	न्यू बैंक आफ इण्डिया	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	सिंडिकेट बैंक	यूको बैंक	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	युनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	विजया बैंक
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	आंध्र प्रदेश	3.99	2.28	0.09	0.06	0.09	0.59	6.11	0.95	2.39	0.25	1.57
2.	असम	1.50	0.65	0.37	0.09	0.37	3.20	0.47	10.16	2.73	13.93	0.65
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	1.75	1.75
4.	बिहार	0.52	0.27	0.22	0.04	0.22	7.70	0.47	4.61	1.54	2.50	0.15
5.	गोआ	1.18	4.33	0.39	0.39	—	1.18	6.69	1.96	3.93	0.39	0.78
6.	गुजरात	1.08	1.52	0.52	0.37	0.21	1.89	1.33	2.38	4.99	0.37	0.65
7.	हरियाणा	1.05	0.64	6.22	4.93	2.82	17.46	3.31	2.10	2.02	0.16	0.16

1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
8.	हिमाचल प्रदेश	0.31	0.47	2.19	0.78	1.56	21.94	0.15	18.33	1.41	—	—
9.	जम्मू और कश्मीर	0.13	0.13	1.49	0.68	0.81	6.40	0.27	1.63	0.68	0.27	0.37
10.	कर्नाटक	1.29	1.34	0.09	0.02	0.12	0.53	10.21	0.63	1.85	0.14	8.62
11.	केरल	2.44	3.15	0.14	0.07	0.10	0.25	3.40	0.64	3.87	0.07	2.26
12.	मध्य प्रदेश	0.27	0.17	0.45	0.52	0.70	3.81	0.55	3.03	3.59	0.15	0.15
13.	महाराष्ट्र	1.19	1.05	0.32	0.46	0.38	1.94	2.40	2.07	5.20	0.46	0.82
14.	मणिपुर	—	1.49	—	—	1.49	1.49	—	4.47	—	23.88	2.98
15.	मेघालय	0.71	0.71	—	—	—	2.87	0.71	2.87	1.43	6.47	1.43
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	2.00	—	—	2.00
17.	नागालैण्ड	1.47	—	—	—	1.47	—	—	2.94	—	2.94	4.41
18.	उड़ीसा	1.73	3.30	0.48	0.05	0.10	0.86	1.13	7.96	1.68	4.55	0.27
19.	पंजाब	0.96	1.69	6.34	5.13	14.88	15.75	0.48	4.12	2.47	0.19	0.29
20.	राजस्थान	0.24	0.31	2.22	1.23	0.63	5.29	0.28	4.69	1.34	0.17	0.24
21.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	7.69	—	—	—
22.	तमिलनाडु	12.32	12.13	0.21	0.04	0.14	1.28	2.08	1.42	2.49	0.21	0.79
23.	त्रिपुरा	0.65	0.65	—	—	0.65	—	—	2.61	0.65	20.26	0.65
24.	उत्तर प्रदेश	0.39	0.73	1.14	1.85	1.40	8.08	2.32	1.49	4.50	0.43	0.33
25.	पश्चिम बंगाल	1.23	1.36	0.77	0.64	0.37	3.84	1.04	7.35	1.69	16.25	0.40

1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
26.	अण्डमान और निकोबार	5.88	—	—	—	—	5.88	23.52	5.88	—	—	—
27.	चण्डीगढ़	1.86	0.93	7.47	2.80	10.28	12.14	0.93	2.80	1.86	0.93	0.93
28.	दादरा और नागर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	—	10.00	—	—	—
30.	दिल्ली	1.76	2.32	4.36	3.52	7.50	10.02	7.50	3.43	3.80	2.13	1.48
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	100.00	—	—	—	—
32.	पांडिचेरी	24.24	10.60	—	—	—	1.51	3.03	9.09	1.51	—	—

विवरण-3

उन जिलों के, जहां पर अग्रणी बैंक की कुल कार्यरत बैंक आखाओं में से कम से कम 50 प्रतिशत शाखाएं हैं राज्य-वार नाम और प्रत्येक मामले में शाखाओं की प्रतिशतता

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिला	अग्रणी बैंक का नाम	कुल शाखाओं की संख्या की प्रतिशतता
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार	अंडमान	भारतीय स्टेट बैंक	50.00
दीप समूह	निकोबार	,,	66.66
अरुणाचल प्रदेश	दिबंग वैली	,,	100.00
	ईस्ट कामेंग	,,	100.00
	लोहित	,,	80.00
	तवांग	,,	100.00
	तिरप	,,	100.00
	वेस्ट कामेंग	,,	100.00
	वेस्ट सियांग	,,	75.00
दादरा और	दादरा नागर	देना बैंक	83.33
नागर हवेली	हवेली		
दमन और दीव	दमन	भारतीय स्टेट बैंक	60.00
	दीव	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	60 00
हिमाचल प्रदेश	लाहुल स्पिति	भारतीय स्टेट बैंक	83.33
लक्षद्वीप	लक्षद्वीप	सिंडिकेट बैंक	100.00
मणिपुर	मणिपुर साऊथ	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	80.00
मेघालय	ईस्ट गारो हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक	90.90
	वेस्ट गारो हिल्स	,,	91.30
मिजोरम	चिमथीपुरी	,,	50.00
	लुंगलेई	,,	50.00

1	2	3	4
नागालैंड	मोकोचुंग	भारतीय स्टेट बैंक	66.66
	मोन	,,	50.00
	फेक	,,	83.33
	तेनसांग	,,	100.00
	जुन्हेबोटो	,,	66.66
उड़ीसा	फुलबनी	,,	54.71
पांडिचेरी	यानम	इंडियन बैंक	50.00
सिक्किम	ईस्ट सिक्किम	भारतीय स्टेट बैंक	50.00
	नार्थ सिक्किम	,,	100.00
	साऊथ सिक्किम	,,	100.00

चुनाव आयोग सचिवालय

6571. **डा० ए० के० पटेल** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव आयोग द्वारा दिए गए चुनाव सुधार सम्बन्धी प्रस्तावों में एक सिफारिश यह भी है कि इसे सुरक्षा और विशेषाधिकार प्रदान किए जाएं, जैसे कि संविधान में संसद आदि को दिए गए हैं, जिससे इसे कार्यपालिका से पूर्ण सुरक्षा मिल जाए और इसका सांविधानिक दर्जा भी सुदृढ़ हो जाए;

(ख) विभिन्न राजनैतिक दलों ने संसद में और संसद के बाहर इस बारे में क्या विचार व्यक्त किए हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या आयोग के कर्मचारियों की पदोन्नति या तबादला करने और उन्हें दण्ड देने आदि की शक्ति इस समय विधि मन्त्रालय को प्राप्त है और इस बारे में आयोग को अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार नहीं है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) जी, हां। निर्वाचन आयोग ने 1982 में निर्वाचन सुधारों के लिए अन्य प्रस्तावों के साथ ही ऐसा ही एक प्रस्ताव किया है। तत्पश्चात् निर्वाचन आयोग ने इस प्रस्ताव को पुनः नहीं दुहराया है।

हाल ही में संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1988 और लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1988 पर हुए विचार-विमर्श के अनुक्रम में कुछ मानव व सदस्यों ने यह संप्रेक्षण किया था कि निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों को वे ही विशेषाधिकार प्राप्त होने चाहिए जो संसद, नियन्त्रक महालेखापरीक्षक आदि के कर्मचारियों को प्राप्त हैं। संविधान के निर्माताओं ने ऐसा कोई उपबन्ध नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, समूह "ख" राजपत्रित स्तर के पद धारण करने वाले व्यक्तियों की बाबत

सभी प्रशासनिक और सेवा सम्बन्धी मामलों में अन्तिम प्राधिकार निर्वाचन आयोग में निहित है। समूह "क" के व्यक्तितों की बाबत राष्ट्रपति नियुक्ति प्राधिकारी हैं, इस कारण विधि और न्याय मन्त्रालय की भी भूमिका बनी रहती है। तथापि व्यावहारिक रूप में निर्वाचन आयोग की सिफारिशों पर स्वीकृति के लिए कार्यवाही सदैव की जाती है। आनुषंगिक रूप से उन मामलों को छोड़कर, जिनके लिए भर्ती नियमों में अन्तरण पर नियुक्ति के लिए उपबन्ध विद्यमान हैं, निर्वाचन आयोग के कर्मचारी निर्वाचन आयोग से बाहर अन्तरित नहीं किए जाते हैं।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में विधि आयोग की रिपोर्ट

6572. **डा० ए० के० पटेल** : क्या विधि और न्याय मंत्री राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग के बारे में 29 जुलाई, 1988 को अतारांकित प्रश्न संख्या 418 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विधि आयोग की 116वीं और 118वीं रिपोर्ट के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों, उच्च न्यायालयों, इत्यादि की टिप्पणियां प्राप्त हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री० बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) विधि आयोग की 116वीं और 118वीं रिपोर्टों में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के बारे में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः सरकार ने इन रिपोर्टों पर अभी कोई विनिश्चय नहीं किया है।

चैकों के भुगतान न किए जाने की प्रक्रिया

6573. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा चैक के भुगतान न किए जाने (डिसऑनरिंग) के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) क्या ऐसे मामलों में बैंक खाताधारी को सूचित किए बिना ही उसके नामे कुछ रकम डाल देते हैं; और

(ग) यदि हां, तो बैंकों की खातेधारी से ठीक ढंग से पत्र व्यवहार करने की कुशलता में सुधार हेतु क्या व्यवस्था की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि चैक विभिन्न कारणों से नकारे जाते हैं जैसे (i) उत्तरदिनांकित चैक, और (ii) खाते में धनराशियों का न होना। चैक नकारते समय ऐसे कारण बताए जाते हैं। व्यवस्था नहीं की गई, आहर्ता से पूछिए, पूरी राशि प्राप्त नहीं हुई, चैक की राशि व्यवस्था से अधिक है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंक धनराशियां न होने की स्थिति में 10/- रुपए प्रति चैक के हिसाब

से रकम नामे डालते हैं। बैंकों को चैक तत्काल लौटाने होते हैं और इसलिए चैक लौटाने से पूर्व वे खाताधारी को सूचित नहीं कर पाते । अलबत्ता, बैंक यथासम्भव चैक लौटाने से पहले खाताधारी से सम्पर्क करते हैं। खाताधारी की सूचना के लिए नामे डाले गए प्रभारी को खाते के आवधिक विवरण में दिखाया जाता है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वर्तमान पद्धति सन्तोषजनक रूप से चल रही है।

बीड़ी उद्योगपतियों से वसूल किए जाने वाले बकाया उत्पादन शुल्क

[हिन्दी]

6574. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बीड़ी निर्माताओं द्वारा राज्यवार तथा वर्षवार दिए गए उत्पादन शुल्क का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये उद्योगपति अपने बीड़ी उत्पादन पर पूरा उत्पादन शुल्क जमा करते हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या उनके विरुद्ध उत्पादन के बाद का खर्च और उत्पादन शुल्क में घोटालों को लेकर अन्य कारणों सहित उत्पादन शुल्क सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन के मामले लम्बित पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) चूंकि बीड़ियों पर विनिर्दिष्ट दरों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क उद्ग्रहणीय होता है अतः निर्माणोत्तर खर्चों और उत्पादन शुल्क की हेरा-फेरी का प्रश्न ही नहीं उठता है। तथापि, उत्पादन शुल्क का अन्यथा उल्लंघन किए जाने सम्बन्धी मामले हैं।

(घ) लगभग 100 मामले ऐसे हैं जिनमें लगभग 1.03 करोड़ रुपए का केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ग्रस्त है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम के तहत इन मामलों पर न्याय निर्णय किए जाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। मांगों की पुष्टि कर दिए जाने के बाद ही राशि को वसूल करने के लिए प्रशासनिक, कानूनी और अन्य उपाय, जो आवश्यक समझे जाएंगे, किए जायेंगे।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान बीड़ी निर्माताओं द्वारा अदा किए गए उत्पाद शुल्क के राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरे

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य	1986-87	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5
1.	महाराष्ट्र	1254.00	1362.00	1421.95
2.	गुजरात	35.00	37.00	31.88
3.	तमिलनाडु	2073.00	2404.00	2517.10
4.	कर्नाटक	1948.00	2335.00	2285.48
5.	आंध्र प्रदेश	2307.00	2614.00	3058.75
6.	केरल	540.00	590.00	581.00 (फरवरी, 89 तक)
7.	पश्चिम बंगाल	320.00	1468.00	1391.03
8.	उड़ीसा	157.00	178.00	180.78
9.	बिहार	752.00	809.00	836.57
10.	उत्तर प्रदेश	965.00	1120.00	1089.48
11.	मध्य प्रदेश	3162.00	3220.00	3563.56
12.	राजस्थान	147.00	156.00	162.11
13.	हरियाणा	—	—	—
14.	असम	13.40	13.19	10.16
15.	पंजाब	—	—	—
16.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—
17.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
18.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
19.	नागालैंड	—	—	—
20.	मेघालय	—	—	—

1	2	3	4	5
21.	मणिपुर	—	—	—
22.	सिक्किम	—	—	—
23.	गोआ	—	—	—
24.	त्रिपुरा	2.18	3.64	3.61
25.	मिजोरम	—	—	—

वित्त मंत्रालय द्वारा त्रिवेन्द्रम में प्लाटों का अधिग्रहण

[अनुवाद]

6575. **श्री टी० बशीर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने त्रिवेन्द्रम में अपने कार्यालय स्थापित करने के लिए वहां किसी प्लाट का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो प्लाट का क्षेत्रफल कितना है और वह कहां पर हैं; और

(ग) प्रस्तावित भवन का आकार क्या है और कब तक बन कर तैयार हो जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) आयकर विभाग के लिए कोडियार, त्रिवेन्द्रम में 1.50 एकड़ भूमि की खरीद कर दी गई है तथा उट्टुकूमी, विवेन्द्रम में राज्य सचिवालय के पीछे 54 सेन्टस भूमि और उस पर निर्मित "स्यानुविलास" भवन का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के कार्यालय आवास के निर्माण हेतु, अधिग्रहण कर लिया गया है।

(ग) कोडियार में कार्यालय भवन के निर्माण का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और 15 जून, 1987 से यह भवन आयकर विभाग के कब्जे में है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के लिए एक बहुमंजिले भवन के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है।

केरल में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनायें

6576. **श्री टी० बशीर** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में निर्माणाधीन बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले वर्ष इन योजनाओं के लिए केरल सरकार ने कितनी केन्द्रीय सहायता की मांग की थी; और

(ग) पिछले वर्ष इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि मन्जूर की ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 630.85 हजार हेक्टेयर की चरम सिंचाई क्षमता की 17 बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनायें निर्माणाधीन हैं।

(ख) राज्य सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

समुद्र से भू-कटाव रोकने के लिए केरल को आबंटित धनराशि

6577. **श्री टी० बशीर** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तटवर्ती क्षेत्र में समुद्र से होने वाले भूकटाव को रोकने के लिए केरल सरकार को आबंटित की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) केरल राज्य को अब तक कितनी धनराशि आबंटित की जा चुकी है; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में 12.5 करोड़ रु० का परिव्यय प्रदान किया गया है।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना से मार्च, 1989 तक 44.62 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं।

(ग) केरल राज्य सरकार द्वारा मार्च, 1988 तक केन्द्रीय ऋण सहायता को शामिल करते हुए, लगभग 83.14 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं।

फिनलैंड के साथ व्यापार

6578. **श्री बी० एस० बासवराजु** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फिनलैंड के साथ व्यापार में वृद्धि की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे दोनों देशों के बीच व्यापार में कितनी वृद्धि होगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ) भारत और फिनलैंड के बीच व्यापार में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है डी० जी० सी० आई० एण्ड एस० के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1987-88 में व्यापार की मात्रा 114.69 करोड़ रुपए थी जबकि 1986-87 में 84.20 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ था। वृद्धि की प्रवृत्ति अप्रैल-दिसम्बर, 1988 में बनी रही जब पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए 72.04 करोड़ रुपए की तुलना में व्यापार की मात्रा 110.24 करोड़ रुपए रही।

दिनांक 29 जून, 1987 को भारत और फिनलैंड के बीच एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें "गाट" के दायित्वों के अनुरूप सीमा शुल्क, आदि के सम्बन्ध में एक दूसरे को परमानुगृहीत राष्ट्र का व्यवहार देने का प्रावधान है ।

यह कहना कठिन है कि भविष्य में दोनों देशों के बीच व्यापार में किस स्तर तक वृद्धि होगी ।

निर्यातकों की समस्याएं

6579. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और सीमाशुल्क अधिकारियों के बीच तालमेल का अभाव विश्व बाजार में रुपए के मूल्य में गिरावट और विमानों के माल लदान के लिए स्थान की कमी, निर्यातकों का राजस्व की हानि के प्रमुख कारण हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने निर्यातकों की समस्याओं के समाधान के लिए किन्हीं प्रयासों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं । जनवरी से जून के व्यस्त मौसम के दौरान निर्यात्त माल लाने ले जाने के सम्बन्ध में विशेषत: निर्यातों में विस्तार के कारण वायु कार्गो अवस्थापना पर और एयरलाइन क्षमता पर दबाव बढ़ा है । भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन प्राधिकरण, सीमाशुल्क विभाग, एयरलाइन्स, वायु कार्गो अभिकरण और निर्यातकों सहित विभिन्न अभिकरणों के बीच समन्वय के द्वारा कठिनाइयां दूर कर दी गई हैं । विनिमय दर का रुपए में निर्यात वसूली पर प्रभाव पड़ता है । वसूली तब अधिक होती है जब रुपए के मूल्य में उस देश की मुद्रा की तुलना में गिरावट आती है जिसे निर्यात किया जाए ।

आस्ट्रेलिया को इन्जीनियरिंग सामान का निर्यात

6580. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आस्ट्रेलिया को इन्जीनियरिंग सामान का निर्यात बढ़ाने के लिए भारत-आस्ट्रेलिया संयुक्त व्यापार परिषद के तत्वाधान में एक कार्यदल की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यदल की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) आस्ट्रेलिया को इन्जीनियरिंग सामान के निर्यात में कितनी वृद्धि होगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) सरकार ने आस्ट्रेलिया को इन्जीनियरिंग सामान का निर्यात बढ़ाने के लिए किसी कार्यदल की स्थापना नहीं की है । फिर भी इन्जीनियरिंग/खनन पर भारत-आस्ट्रेलिया कार्यदल की संयुक्त बैठक में यह निश्चय किया गया था । व्यापार को सुगम बनाने, आपसी ज्ञान-वृद्धि तथा प्रगति पर निगरानी रखने के उद्देश्य से एक छोटे कार्यदल का गठन किया जाए, जिसमें प्रत्येक पक्ष से तीन-तीन सदस्य शामिल हों ।

घोंघों का निर्यात

6581. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत घोंघों और उनके मांस के निर्यात को बढ़ावा दे रहा है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन किस्मों के घोंघों और मांस का देशवार निर्यात किया गया और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) भारत में अभी तक घोंघों और घोंघों के मांस का निर्यात नहीं किया है। फिर भी समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अनुगा फेयर, कोलोग्ने (एफ० आर० जी०) (अक्तूबर, 1987) में प्रशीतित घोंघे के मांस के प्रदर्शन की व्यवस्था की थी।

लघु उद्यमियों की मत्स्य नौकाओं के लिए उपकरण

6582. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **वित्त मंत्री** लघु उद्यमियों द्वारा मत्स्य नौकाओं की खरीद के बारे में 2 दिसम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3199 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि लघु उद्यमियों को अपनी मत्स्य नौकाओं के लिए ऐसे इंजन और उपकरण खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है जिनका न तो पहले परीक्षण किया हुआ होता है और जिन्हें न ही वे चाहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शिपिंग केडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी आफ इण्डिया (एस० सी० आई० सी० आई०) द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) मत्स्यन नौकाओं के निर्माण का कार्य, जिसमें इंजन की फिटिंग भी शामिल है, खरीदारों और जहाज निर्माताओं के बीच हुए निर्माण अनुबंध के अन्तर्गत किया जाता है अतः उद्यमियों को अपनी नौकाओं के वास्ते ऐसे इंजन और उपकरण लेने के लिए बाध्य करने का प्रश्न ही नहीं उठता जिनकी जांच नहीं की गई हो।

बैंकों द्वारा मुकदमों पर व्यय

6583. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा वर्ष 1987 और 1988 में पृथक-पृथक मुकदमों पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) क्या बैंकों में मुकदमेबाजी आम बात हो गई है;

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दायर किए जाने वाले मामलों को कम करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) बैंकों को इस आशय की प्रेरणा क्यों नहीं दी जाती कि वे मुकदमेबाजी से बचें ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) बैंकों की लेखा प्रणाली से "विधि प्रभार" शोर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय की सूचना प्राप्त होती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रकाशित वार्षिक लेखाओं के अनुसार, वर्ष 1987 में इस शोर्ष के अन्तर्गत 13.43 करोड़ रुपए खर्च हुए जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 1988 से सम्बन्धित आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, क्योंकि वर्ष 1988 के लिए बैंकों ने अपने वार्षिक लेखे 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार बन्द करने शुरू कर दिए हैं।

(ख) से (घ) बैंक अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए अन्य सभी सम्भव उपायों को कर लेने के बाद ही मुकदमेबाजी का सहारा लेते हैं। बैंक अपने हितों की रक्षा करने के लिए अन्तिम हथियार के रूप में मुकदमा दायर करते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे अग्रिमों पर कड़ी निगरानी और नियन्त्रण रखें तथा अवरुद्ध (स्टिकी) अग्रिमों पर कड़ी नजर रखें ताकि अन्ततोगत्वा मुकदमेबाजी से बचा जा सके।

विवरण

क्रम सं०	बैंक के नाम	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का विधि प्रभार के अन्तर्गत व्यय (लाख रुपयों में)
1	2	3
1.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	9.66
2.	बैंक आफ महाराष्ट्र	5.14
3.	देना बैंक	12.17
4.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	195.30
5.	बैंक आफ बड़ौदा	113.45
6.	बैंक आफ इण्डिया	68.10
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	87.88
8.	सिंडिकेट बैंक	12.10
9.	यूको बैंक	16.25
10.	पंजाब नेशनल बैंक	268.60
11.	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	60.69
12.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	13.83
13.	विजया बैंक	3.99

1	2	3
14.	न्यू बैंक आफ इण्डिया	65.69
15.	कार्पोरेशन बैंक	5.98
16.	आन्ध्र बैंक	37.56
17.	इण्डियन बैंक	5.52
18.	इलाहाबाद बैंक	35.58
19.	केनरा बैंक	23.01
20.	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	11.62
21.	भारतीय स्टेट बैंक	239.42
22.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	8.25
23.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	12.43
24.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	6.95
25.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	3.05
26.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	7.30
27.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	13.08
28.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	0.72

बंगलौर सिटी रेलवे स्टेशन पर पार्सल कार्यालय

6584. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर सिटी रेलवे स्टेशन के निकट पुराने पार्सल कार्यालय का पुनर्निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस पर अनुमानतः कितनी धनराशि व्यय की जाएगी;

(ग) उक्त कार्य के लिए वर्ष 1989-90 हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(घ) प्रस्तावित भवन के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कार्य को बेंगलूरू सिटी जंक्शन-मैसूर आमान परिवर्तन परियोजना के भाग के रूप में 8.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत से शुरू करने का प्रस्ताव है और कार्य की इस मद के लिए अलग से कोई विशिष्ट आबंटन नहीं किया गया है। इस कार्य के मार्च, 1991 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय में कम्प्यूटर का प्रयोग

6585. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक उच्च न्यायालय में इसकी लाइब्रेरी में तथा न्यायालय के मामलों को विषय-वार कम्प्यूटरीकृत करने के लिए, कम्प्यूटर का प्रयोग किया जाता है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या कर्नाटक उच्च न्यायालय में इसकी लाइब्रेरी में तथा कानून के प्रत्येक विषय पर समूची जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, कम्प्यूटर का प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

रेलगाड़ियों में जंजीर खींचने की घटनाएं

6586. **श्री कमला प्रसाद सिंह :**
श्री सोडे रमैया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 12 महीनों के दौरान रेलगाड़ियों में जंजीर खींचने के कारण कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया/जुर्माना किया गया और ये आंकड़े, गत तीन वर्षों की तुलना में कितने अधिक अथवा कम हैं;

(ख) गत तीन महीनों के दौरान पूरे देश में रेलगाड़ियों में जंजीर खींचने की कितनी घटनाएं हुई हैं और इससे रेलगाड़ियों के कार्य संचालन पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान गिरफ्तार/जुर्माना किए गए क्रमशः 1,017, 1,342 और 1,950 व्यक्तियों की तुलना में अप्रैल, 88 से मार्च, 89 तक की अवधि के दौरान 1,786 व्यक्तियों को गिरफ्तार/जुर्माना किया गया था।

(ख) जनवरी, 1989 से मार्च, 1989 तक की अवधि के दौरान, 58,208 बार खतरे की जंजीर खींची गयी थी जिसके परिणामस्वरूप गाड़ियों की रूकौनी हुई और गाड़ियां विलम्ब से चलीं ।

(ग) रे० सु० ब०/रा० रे० पु० कर्मियों की सहायता से वाणिज्य कर्मचारियों द्वारा अचानक जांच की जाती है तथा विशेष अभियान चलाए जाते हैं । 83 जोड़ी गाड़ियों, जिनमें खतरे की जंजीर खींचने की घटनाएं बहुत अधिक होती थीं, से खतरे की जंजीर के उपकरण हटा लिए गए हैं ।

थाईलैंड के साथ संयुक्त उद्यम

6587. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाईलैंड में संयुक्त उद्यमों के चालू होने से भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार में कई गुना वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो थाईलैंड में किन-किन क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम चालू हुए हैं/चालू होने की सम्भावना है;

(ग) क्या थाईलैंड में संयुक्त उद्यमों की संभावना का पता लगाने के लिए हाल ही में किसी भारतीय दल ने थाईलैंड का दौरा किया था; और

(घ) यदि हां, तो उन्होंने क्या सिफारिशें की हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां। संयुक्त उद्यम द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में सहायक होंगे।

(ख) जिन संयुक्त उद्यमों ने पहले ही थाईलैंड में कार्य करना आरम्भ कर दिया है वे संश्लिष्ट सूती यार्न, रसायन, विस्कोस स्टैपल फाइबर, कटिंग टूल, कार्बन ब्लैक, पल्प, इस्पात, तथा इस्पात उत्पाद, रंजक सामग्री आदि के विनिर्माण के क्षेत्र में है। होटल उद्योग और भेषज एवं औषधियों के क्षेत्र में दो संयुक्त उद्यमों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) सी० ई० आई० के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने अगस्त, 1988 में थाईलैंड की यात्रा की और सिफारिश की कि मशीन टूल, आटो एंसीलरीज, कृषि मशीनरी, वस्त्र और चमड़ा मशीनरी, पम्प और कम्प्रैशर आदि क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों के लिए काफी गुंजाइश है।

छोटे अभ्रक व्यापारियों के हित

[हिन्दी]

6588. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान सोवियत संघ, रूमानिया, जर्मन जनवादी गणराज्य से प्राप्त अभ्रक निर्यात के आर्डर भारतीय अभ्रक व्यापार निगम तथा अन्य छोटे अभ्रक व्यापारियों के हितों की उपेक्षा करके बैंक से बैंक के आधार पर झूमरी तिलैया के बड़े निर्यातकों के माध्यम से कार्यान्वित किए गए हैं;

(ख) क्या 85 प्रतिशत छोटे अभ्रक व्यापारियों ने अपना कारोबार बन्द कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय अभ्रक व्यापार निगम तथा अन्य छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार क्या उपाय करने पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

किसानों को बैंकों से ऋण

[अनुवाद]

6589. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों ने किसानों के लिए कितने प्रतिशत ऋण मंजूर किए हैं; और

(ख) सरकार का किसानों के लिए ऋण की प्रतिशतता में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) दिसम्बर, 1987 तथा दिसम्बर, 1988 के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के समस्त बैंकों के कुल बकाया अग्रिमों में प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों का अंश क्रमशः 16.8 प्रतिशत तथा 16.6 प्रतिशत था।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा गया है कि वे मार्च, 1990 के अन्त तक कुल बकाया अग्रिमों में प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के अंश को बढ़ाकर 18 प्रतिशत तक ले आएं।

स्थानीय गाड़ियों को बम्बई से पुणे तक चलाना

6590. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई से करजत तक चलने वाली सभी स्थानीय गाड़ियों को पुणे तक चलाने का कोई प्रस्ताव है ताकि पुणे जंक्शन से लोनावला और बम्बई वी० टी० से करजत तक चलने वाली स्थानीय गाड़ियों का मिलान किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बम्बई वी० टी० पुणे खण्ड बिजली गाड़ी सेवाओं के थ्रू चालन के लिए उपयुक्त नहीं है।

बम्बई वी० टी० और पनवेल और बसई के बीच सीधी स्थानीय रेलगाड़ियां

6591. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बम्बई वी० टी० और बसई, बरास्ता दिवा जंक्शन सीधी स्थानीय रेलगाड़ियां चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजधानी और डीलक्स एक्सप्रेस की बारम्बारता

6592. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नई दिल्ली बम्बई राजधानी एक्सप्रेस और डीलक्स एक्सप्रेस की सेवाओं में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ताकि ये प्रतिदिन चलाई जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब से किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) बम्बई सेन्ट्रल-नयी दिल्ली के बीच इन गाड़ियों के फेरों में वृद्धि करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

काफी की खेती पर राजसहायता

6593. **श्री बक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड ने काफी की खेती के लिए राजसहायता देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1989-90 में कितनी धनराशि राजसहायता के रूप में देने का विचार है; और

(घ) इससे कितने काफी उत्पादकों को लाभ मिलने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ) सरकार ने प्रसार उपदान, ब्याज उपदान तथा पुनरोपण उपदान जैसी विभिन्न उपदान योजनाओं के प्रचालन को वर्ष 1989-90 के दौरान पहले से विद्यमान मापदण्डों के आधार पर जारी रखने का अनुमोदन कर दिया है।

इस उद्देश्य के लिए बजट प्राक्कलन .989-90 में 80 लाख रु० का प्रावधान किया गया है किन्तु इनसे लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि वास्तविक लक्ष्य क्षेत्रों के रूप में ही निर्धारित किए जाते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक की "अपना घर बनाओ योजना"

6594. **श्री बक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने "अपना घर बनाओ" नामक एक आवास योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा योजना के लिए पात्रता हेतु क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान इस योजना का कितने व्यक्तियों ने लाभ उठाया; और

(घ) चालू वर्ष में इस योजना के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसने 15 सितम्बर, 1988 को मकान बनाने/खरीदने और किसी मकान में अतिरिक्त निर्माण करने/उसे बढ़ाने के लिए "अपना घर बनाओ" नाम से आवास के लिए जमा राशियों से जुड़ी ऋण योजना शुरू की है। इस योजना के अनुसार नियमित रूप से 36 महीने तक कम से कम 100 रुपए और अधिक से अधिक 2400 रुपये प्रतिमाह जमा कराने वाले स्थानिक निवासी इस आवर्ती जमा के परिपक्वता मूल्य का दो गुना या भवन की लागत का 65 प्रतिशत इनमें से जो भी कम हो, ऋण ले सकते हैं। ऋण की सीमा 8,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक की होगी। इस पर 12.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लिया जायेगा जो ऋण की राशि पर निर्भर करेगा। ऋण की वापसी अदायगी 10 साल की सुविधाजनक मासिक किस्तों में करनी होगी। ऋण की जमानत की व्यवस्था भवन-सम्पत्ति को बन्धक रखकर की जाएगी। यह योजना बैंक की सभी शाखाओं द्वारा अमल में लाई जाएगी।

(ग) और (घ) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि इस योजना से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या से सम्बन्धित आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं तथा इस योजना के लिए कोई और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

नई दिल्ली-लखनऊ-बरौनी सेक्शन पर गाड़ियां

[हिन्दी]

6595. **श्री केशवराव पारधी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली-लखनऊ-बरौनी मार्ग पर यातायात में सुधार, यात्रियों को अधिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए आरम्भ की जाने वाली विचाराधीन और कार्यान्वयनाधीन नई गाड़ियों के बारे में योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ये योजनायें कब तक लागू हो जायेंगी?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) लखनऊ के रास्ते नई दिल्ली और बरौनी के बीच नई गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मई, 1989 से इलाहाबाद-मुगलसराय-पटना-बरौनी के रास्ते दिल्ली और कटिहार के बीच 983/984 एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जा रही हैं। यात्रियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था सहित स्टेशनों में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है और यह कार्य "आवश्यक कार्यक्रम" के आधार पर चरणों में किया जाता है बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो।

सरदार सरोवर परियोजना से पारिस्थितिकी क्षति

[अनुवाद]

6596. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार सरोवर परियोजना के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पारिस्थितिकी संतुलन और पर्यावरण को कितनी क्षति हुई है;

(ख) इस परियोजना के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी; और

(ग) कितनी धनराशि का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) मध्य प्रदेश में 20,822 हेक्टेयर क्षेत्र और महाराष्ट्र में 9.599 हेक्टेयर क्षेत्र जलमग्न होने जा रहा है, जिसमें से वन क्षेत्र क्रमशः 2,731 हेक्टेयर और 6,489 हेक्टेयर है।

(ख) अनुमोदित परियोजना अनुमान के अनुसार लगभग 317 करोड़ रुपये।

(ग) हालांकि पुनर्वास के लिए प्रावधान सामान्यतः परियोजना के लिए किए गए समग्र प्रावधान में शामिल होता है, तथापि मार्च, 1989 तक किया गया व्यय 14.52 करोड़ रुपये है।

निर्धारित मूल्यों में की गई वृद्धि में राज्यों का हिस्सा

6597. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्तुओं के निर्धारित मूल्यों में वृद्धि करने के पश्चात्, वृद्धि के परिणामस्वरूप प्राप्त धन में राज्यों को हिस्सा दिया जाता है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अपनी नीति में परिवर्तन करने तथा निर्धारित मूल्यों में वृद्धि करने से उपलब्ध होने वाले राजस्व में से राज्यों का हिस्सा देने का है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार के लिए राजस्व प्राप्त करने हेतु प्रशासित मूल्यों में संशोधन करना कोई उपाय नहीं है। इसका आशय कुछ विशिष्ट सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को उनके उत्पादन की लागत में वृद्धि की पूर्ति करने की अनुमति देना है। इसलिए, राजस्व में राज्य सरकारों के साथ भागीदारी करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

"मिस्टिरियस चैक फार वी० पी० सिंह" शीर्षक से समाचार

6598. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 फरवरी, 1989 के "स्टेट्समैन" (दिल्ली संस्करण) में "मिस्टिरियस चैक फार वी० पी० सिंह" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त जांच के क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने मद्रास स्थित अपराध प्रभाग के पुलिस महानिरीक्षक के पास एक शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस की जांच-पड़ताल अभी जारी है।

(ग) और (घ) पुलिस से प्राप्त अन्तरिम सूचना के आधार पर और उसके साथ परामर्श करने के पश्चात्, भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने, नियमानुसार 3 कर्मचारियों को मुअत्तिल कर दिया है और सम्बद्ध अधिकारियों से लिखित रूप में जवाब तलब किया गया है।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में वितरित ऋण

[हिन्दी]

6599. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के शहरी और ग्रामीण निर्धन लोगों को कुल कितना ऋण वितरित किया है;

(ख) वितरित ऋण में से अब तक कितनी प्रतिशत धनराशि वसूल की गई है;

(ग) क्या इन ऋणों को दीर्घकालिक ऋणों में परिवर्तित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (घ) बैंकों की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। अलबत्ता, सितम्बर, 1988 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं में क्रमशः 723 करोड़ रुपए और 1347 करोड़ रुपए के बकाया अग्रिम थे। जबकि इसी अवधि के लिए मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों की शहरी/महानगरीय शाखाओं के सम्बन्ध में बकाया अग्रिम क्रमशः 1662 करोड़ रुपए और 3087 करोड़ रुपए के थे। जून 1987 को समाप्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम के सम्बन्ध में मांग की तुलना में वसूली की प्रतिशतता क्रमशः 46.0 और 60.9 थी।

वसई-दिवा रेल लाइन

[अनुवाद]

6600. **श्री सांभाजीराव ककाडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वसई-दिवा रेल लाइन पर कितने रेलवे स्टेशन हैं;

(ख) इस लाइन के निर्माण पर कितनी रकम खर्च की गई है;

(ग) क्या इस लाइन पर यात्री गाड़ियां चलाने के लिए कोई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) एक ।

(ख) 30 करोड़ रुपये ।

(ग) यात्री गाड़ियां चलाने के लिए सुविधाएं विकसित की जा रही हैं क्योंकि इस समय वे अपर्याप्त हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बैंकों की ग्रामीण और शहरी शाखाएं

6601. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ने राष्ट्रीयकरण के बाद बड़ी संख्या में राष्ट्रीयकृत बैंकों की ग्रामीण शाखाएं मन्जूर करने और खोलने का आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में 31 मार्च, 1989 को ग्रामीण और शहरी/अर्धशहरी शाखाओं की बैंकवार अलग-अलग वास्तविक संख्या कितनी थी और हिमाचल प्रदेश में इनके जिला-वार नाम क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की परिभाषा वही मानता है जो जनगणना प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक रूप से क्या परिभाषा अपनाई गई है; और

(ङ) क्या कुछ मामलों में, जिला मुख्यालय, नगरपालिका और अधिसूचित क्षेत्रों तक की शाखाएं भी ग्रामीण शाखाओं के रूप में मानी जाती हैं और इसके क्या कारण हैं तथा क्या इसका पुनः वर्गीकरण सुनिश्चित किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जून 1969 से सितम्बर, 88 तक की अवधि के दौरान देश में ग्रामीण, अर्धशहरी और शहरी शाखाओं की संख्या 5154 से बढ़कर 49904 हो गई है । 30-9-1988 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी शाखाओं की राज्य-वार और बैंक-वार संख्या क्रमशः संलग्न विवरण 1 और 2 में दी गई है। 30-6-1988 की स्थिति के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण,

अर्ध-शहरी और शहरी शाखाओं की संख्या नीचे दी गई है :—

जिले का नाम	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी
बिलासपुर	34	—	—
चम्बा	46	5	—
हमीरपुर	42	—	—
कांगड़ा	119	9	—
किन्नौर	14	—	—
कुल्लू	30	8	—
लाहुल और स्पीती	6	—	—
मंडी	58	20	—
शिमला	79	23	—
सिरमौर	30	5	—
सोलन	53	8	—
ऊना	35	—	—
कुल जोड़ :	546	78	—

(ग) से (ङ) बैंक शाखा आंकड़ों के प्रयोजन के लिए किसी केन्द्र का वर्गीकरण 1981 की जनगणना के अनुसार उसकी जनसंख्या पर आधारित है। 10,000 से कम की आबादी वाले केन्द्रों को ग्रामीण, 10,000 से 1,00,000 के बीच की आबादी वाले केन्द्रों को अर्ध-शहरी, 1 लाख से 10 लाख के बीच की आबादी वाले केन्द्रों को शहरी और 10 लाख से अधिक की आबादी वाले केन्द्रों को महानगरीय केन्द्रों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जबकि जनगणना परिचालन के प्रयोजन के लिए नगरपालिका, निगम, अथवा नगर क्षेत्र समिति के रूप में अधिसूचित स्थानों को शहरी केन्द्रों के रूप में माना जाता है और उन सभी क्षेत्रों को, जो शहरी नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है।

विवरण-1

30-9-88 की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण, अर्धशहरी और शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की राज्य-वार संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2495	914	455

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	56	1	—
3.	असम	720	217	103
4.	बिहार	3227	681	454
5.	गोआ	154	80	—
6.	गुजरात	1553	693	540
7.	हरियाणा	728	243	259
8.	हिमाचल प्रदेश	553	77	—
9.	जम्मू और कश्मीर	528	64	139
10.	कर्नाटक	2216	775	445
11.	केरल	612	1729	290
12.	मध्य प्रदेश	2711	648	574
13.	महाराष्ट्र	2211	810	671
14.	मणिपुर	40	9	18
15.	मेघालय	98	12	27
16	मिजोरम	42	8	—
17.	नागालैंड	44	24	—
18.	उड़ीसा	1386	239	193
19.	पंजाब	1228	476	457
20.	राजस्थान	1813	546	440
21.	सिक्किम	21	4	—
22.	तमिलनाडु	7758	1036	671
23.	त्रिपुरा	99	23	25
24.	उत्तर प्रदेश	5190	1169	1201
25.	पश्चिम बंगाल	1912	595	320
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9	1	—
27.	चंडीगढ़	13	5	89
28.	दादरा और नागर हवेली	6	—	—

1	2	3	4	5
29.	दमन और दीव	1	9	—
30.	दिल्ली	72	6	—
31.	लक्षद्वीप	5	—	—
32.	पांडिचेरी	28	10	—
	अखिल भारत	31429	11104	7371

विवरण-2

30-9-88 की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण, अर्धशहरी और शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की बैंक-वार संख्या

क्रम सं०	बैंक/बैंक समूह	ग्रामीण	अर्धशहरी	शहरी
1	2	3	4	5
1.	भारतीय स्टेट बैंक	3688	2156	1094
2.	**भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंक**			
	1. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	280	173	124
	2. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	282	188	67
	3. स्टेट बैंक आफ इन्दौर	115	82	67
	4. स्टेट बैंक आफ मैसूर	195	115	73
	5. स्टेट बैंक आफ पटियाला	256	122	117
	6. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	123	97	53
	7. स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	81	394	69
	VI का जोड़	1332	1171	571

1 2	3	4	5
3. राष्ट्रीयकृत बैंक			
1. इलाहाबाद बैंक	806	242	238
2. आंध्रा बैंक	376	237	144
3. बैंक आफ बड़ौदा	995	386	363
4. बैंक आफ इंडिया	1014	354	328
5. बैंक आफ महाराष्ट्र	495	171	162
6. केनरा बैंक	713	495	337
7. सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	1198	637	458
8. कारपोरेशन बैंक	167	87	87
9. देना बैंक	425	197	186
10. इंडियन बैंक	464	273	212
11. इण्डियन ओवरसीज बैंक	473	271	192
12. न्यू बैंक आफ इण्डिया	249	106	125
13. ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	222	89	106
14. पंजाब एण्ड सिंध बैंक	296	102	161
15. पंजाब नेशनल बैंक	1332	484	462
16. सिंडिकेट बैंक	645	333	234
17. यूको बैंक	896	309	302
18. यूनाइटेट बैंक आफ इंडिया	814	339	298
19. युनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	560	200	183
20. विजया बैंक	257	150	147
III का जोड़	12397	5462	4725
4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	12611	911	140
5. अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	1383	1388	825
6. विदेशी बैंक	—	2	9
7. गैर-अनुसूचित बैंक	18	14	7
ब्रहत जोड़	31429	11104	7371

रेल परियोजनाओं हेतु राज्यों द्वारा सहायता

6602. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने इस समय निर्माणाधीन किसी नई रैल लाइन परियोजना हेतु भूमि मुफ्त देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य सरकार का तथा सम्बन्धित नई रेल लाइनों के नाम क्या हैं, ये आश्वासन कब दिए गए तथा इनमें से प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी भूमि दी गई तथा भूमि दिए जाने के समय उसकी अनुमानित लागत कितनी थी;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारें बाद में अपने आश्वासन से मुकर गई जिसके फलस्वरूप रेलवे को सारी लागत उठानी पड़ी; और

(घ) यदि हां, तो ओनवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

परिक्रमा रेलवे, दिल्ली

6603. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में यातायात को सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से, सरकार का परिक्रमा रेलवे को कारगर बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस प्रयोजन के लिए एक स्वायत्त निकाय गठित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक गठित किया जाएगा और तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का दिल्ली में यातायात को सुव्यवस्थित बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) रिंग रेलवे, दिल्ली पहले ही कारगर ढंग से उपयोग में लाई जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन/सम्बन्धित स्थानीय निकायों द्वारा कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

बाघा सीमा को खोलना

6604. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ उद्योगपतियों के वाघा-अटारी सीमा को खोलने के अनुरोध पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सड़क से माल को लाने ले जाने के लिए वागा-अटारी सीमा को खोलने के लिए सरकार को उद्योगपतियों के अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) रेल से माल को लाने ले जाने के लिए वागा-अटारी सीमा पहले से ही खुली है।

गृह निर्माण अग्रिम की किश्तों पर आयकर से छूट

6605. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1987 के पश्चात् अपना निर्माण कार्य पूरा करने वाले सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम की किश्तों की अदायगी पर आयकर से छूट दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या मार्च, 1987 से पूर्व अपना निर्माण-कार्य पूरा करने वाले इन कर्मचारियों को अग्रिम की किश्तों की अदायगी पर आयकर से छूट नहीं दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों को समान लाभ पहुंचाने के लिए गृह निर्माण अग्रिम की सभी किश्तों पर आयकर से छूट देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) यदि गृह निर्माण कार्य दिनांक 31 मार्च, 1987 के पश्चात् पूरा किया गया हो तो वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा प्रतिस्थापित, आयकर अधिनियम की धारा 80-ग की उपधारा (2) के खंड (ज) के तहत अन्य बातों के साथ-साथ किसी रिहायशी मकान के क्रय अथवा निर्माण हेतु विनिर्दिष्ट स्रोतों (जिसमें सरकार भी शामिल है) से किसी व्यक्ति द्वारा उधार ली गई राशि को चुकता करने के लिए उसके द्वारा अदा की गई राशि की कुल आय की संगणना से कटौती की व्यवस्था की गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) उपर्युक्त के अनुसार कर से रियायत देने का आशय रिहायशी मकानों के निर्माण को प्रोत्साहन देना है। इस तरह के प्रोत्साहन को उन मामलों में आवश्यक नहीं समझा गया था जहां कोई गृह निर्माण कार्य दिनांक 31 मार्च, 1987 को अथवा उससे पूर्व पूरा कर लिया गया था।

(घ) सरकार इस समय ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ङ) भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

कर्नाटक एक्सप्रेस रेलगाड़ी में अतिरिक्त डिब्बे

6606. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता ने मांग की है कि नई दिल्ली और बंगलौर के बीच चलने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस रेलगाड़ी में अतिरिक्त डिब्बे लगाए जाएं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय के उप मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) मई, 1989 से कर्नाटक एक्सप्रेस को 21 सवारी डिब्बों के साथ रोजाना चलाया जाएगा।

समुद्री उत्पादों के निर्यात पर बीमा योजना

6607. **श्री प्रताप राव बी० भोसले** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री उत्पादों के निर्यात पर बीमा योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना से क्या-क्या लाभ प्राप्त होने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां। भारतीय साधारण बीमा निगम ने चयनात्मक आधार पर समुद्री उत्पाद निर्यात को बीमा कवच प्रदान करने के लिए 1-4-1989 से एक योजना आरम्भ की है।

(ख) समुद्री बीमा कवच, जिसमें अस्वीकृति (रिजेक्शन) बीमा कवच भी शामिल है, समुद्री उत्पादों के उन चुने हुए निर्यातकों को उपलब्ध है जो यू० एस० फूड एण्ड ड्रग्स एडमिनिस्टेशन द्वारा श्रेणी "क" में सूचीबद्ध हैं और जिनके उत्पाद संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्बाध रूप से प्रवेश कर सकते हैं। यह कवच 1-4-1989 से प्राप्त करवाया गया है। इस बीमे के लिए प्रीमियम दरें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान और आस्ट्रेलिया को निर्यात करने के सम्बन्ध में 4 प्रतिशत और अन्य देशों को निर्यात करने के सम्बन्ध में 3.5 प्रतिशत देय हैं।

(ग) बीमा, विदेशी मुद्रा अर्जन का एक अप्रत्यक्ष साधन है और इसलिए भारत में इस कारोबार को शुरू करने से निश्चय ही लाभ होगा क्योंकि अब निर्यातक अपने-अपने उत्पादों का लदान सी० आई० एफ० आधार पर कर सकते हैं और वे विदेशी खरीदकर्ताओं से बीमे के प्रीमियम सहित वस्तुओं के बढ़े हुए मूल्य वसूल कर सकते हैं।

विद्युत और इंजीनियरी उद्योगों को सहायता

6608. **डा० फुलरेणु गुहा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विद्युत उद्योग और इंजीनियरी उद्योगों को आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता नहीं मिलती हैं;

(ख) क्या सरकार का उनकी सहायता करने के लिए कोई कार्यक्रम है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि राज्यों में बिजली पैदा करने वाली परियोजनाओं की आवश्यकता प्रायः विद्युत वित्त निगम द्वारा पूरी की जाती है। यह निगम इस सम्बन्ध में राज्य बिजली बोर्डों के प्रयत्नों में पूरक सहायता प्रदान करता है। यदि वित्त पोषण में कोई कमी रह जाय तो वित्तीय संस्थाएं उसे पूरा करने पर विचार कर सकती हैं। ये संस्थाएं विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इन्जीनियरी उद्योग को वित्तीय सहायता दे रही हैं बशर्ते कि परियोजनाएं अर्थक्षमता और संस्थाओं के अन्य मानकों को पूरा करती हों। इस सहायता की शर्तें वही होती हैं जो इन संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित अन्य उद्योगों पर लागू होती हैं।

भाप के इंजनों को बदलना तथा रेल मार्गों का विद्युतीकरण

6609. **डा० फुलरेणु गुहा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान किन-किन जोनल रेलवे में भाप इंजन की जगह डीजल के इंजन बदल दिए गए हैं; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान जोनवार कितने रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया गया ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महाबीर सिंह) : (क) 1987-88 के दौरान सभी क्षेत्रीय रेलों पर कुछ भाप रेल इन्जनों के बदले डीजल रेल इंजन लगाए गए हैं।

(ख) सूचना नीचे दी गयी है :—

रेलवे	1987-88 और 1988-89 के दौरान विद्युतीकरण किए गये मार्ग किलोमीटर
मध्य	641
पूर्व	15
उत्तर	19
दक्षिण	2
दक्षिण मध्य	383
दक्षिण पूर्व	98
पश्चिम	266
जोड़ :	1424

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए उड़ीसा को दी गयी धनराशि

6610. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य सरकार को कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू करने के कितनी धनराशि दी और उसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान उड़ीसा सरकार को कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता क्रमशः 275.74, 290.15 और 512.48 लाख रुपये हैं।

वर्ष 1986-87 और 1987-88 की निमुक्तियों का राज्य सरकार द्वारा लगभग पूर्णतः उपयोग किए जाने की सूचना मिली है।

काला धन

6611. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अवैध निर्माणों के माध्यम से प्रतिवर्ष कितना काला धन कमाया जा रहा है;

(ख) दिल्ली में विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में उन प्रोपटी डीलरों की संख्या क्या है, जिनके विरुद्ध वर्ष 1988 और और 1989 के दौरान जांच की गई;

(ग) आयकर विभाग, सतर्कता विभाग और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अवैध वाणिज्यिक निर्माण करने वाले भवन निर्माताओं के विरुद्ध कितने छापे मारे हैं और उनके विरुद्ध कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(घ) शहरी क्षत्रों में उन बाजारों की संख्या क्या है जहां से सरकार ने सम्पत्ति कर वसूल किया है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) दिल्ली में निर्माण गतिविधि से, चाहे वह वैध हो अथवा अवैध, कितना काला धन पैदा किया जाता है, इसका सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(ख) और (ग) आयकर विभाग की जांच शाखा ने, जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की समग्र देख-रेख में कार्य करती है, दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलरों तथा भवन-निर्माताओं के मामलों में जितनी तलाशियां लीं उनका ब्यौरा निम्नानुसार है :—

वर्ष	ली गई तलाशियों की संख्या	
	प्रॉपर्टी डीलर	भवन-निर्माता
198१	2	3
1989	11	10

आयकर विभाग के सतर्कता निदेशालय को कर-अपवंचकों के मामलों में जांच पड़ताल करने अथवा तलाशियां लेने का काम नहीं सौंपा जाता है।

(घ) शुद्ध धन के सिलसिले में धनकर व्यष्टियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के मामले में उस स्थिति में आयद किया जाता है जब उसकी मात्रा उस अधिकतम सीमा से अधिक हो जो धनकर अधिनियम के अध्यधीन कर प्रभार्य नहीं होती है। धनकर व्यापारियों पर आयद नहीं किया जाता है।

किसानों की ओर बकाया ऋण

6612. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में वित्तीय संस्थाओं का किसानों की ओर बकाया ऋण अनुमानतः कितना है; और

(ख) प्रत्येक राज्य में किसानों की ओर बकाया ऋण राशि पर औसतन प्रतिवर्ष कितनी ब्याज राशि बन जाती है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फ्लीरो) : (क) जून 1987 के अन्त की स्थिति (अद्यतन उपलब्ध) के अनुसार समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया कृषि अग्रिमों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती। फिर भी, कृषि कार्यकलापों के लिए ब्याज की दर निम्नलिखित है :—

ऋण की राशि	ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर
उत्पाद ऋण :	
7500 रुपये तक	10
7500 रुपये से अधिक तथा 15000 रुपये तक	11.5
15000 रुपये से अधिक और 25000 रुपये तक	12
25000 रुपये से अधिक	14 से 15.5
निवेश ऋण	
लघु सिंचाई तथा भूमि विकास के लिए	10
अन्य प्रयोजनों के लिए—	
छोटे किसानों से	10
अन्य किसानों से	12.5

विवरण

जून 1987 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि के लिए दिया गया राज्यवार अग्रिम

(राशि हजार रुपए)

राज्य संघ राज्य क्षेत्र	कृषि		जोड़
	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	
	बकाया राशि	बकाया राशि	बकाया राशि
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र	**18933695**	**2864132**	**21797827**
हरियाणा	3978378	373393	4351771
हिमाचल प्रदेश	500553	48191	548744
जम्मू और कश्मीर	377627	42631	520258
पंजाब	7482273	699023	8181302
राजस्थान	4352528	736703	5089231
चंडीगढ़	1779124	259830	2038954
दिल्ली	463206	704361	1167567
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**1058776**	**236652**	**1295428**
असम	685707	139024	874731
मणिपुर	35447	9514	44961
मेघालय	71045	5292	76337
नागालैंड	96333	5800	102133
त्रिपुरा	123792	23122	146914
अरूणाचल प्रदेश	14480	—	14480
मिजोरम	9624	3400	13024
सिक्किम	22348	500	22843

1	2	3	4
पूर्वी क्षेत्र	**10204526**	**1936247**	**12140773**
बिहार	3955695	885712	4941407
उड़ीसा	2373443	312700	2686143
पश्चिम बंगाल	3857138	637398	4494536
अण्डमान और निकोबार	18250	437	18687
मध्य क्षेत्र	**14749189**	**2256267**	**17005456**
मध्य प्रदेश	5190437	707797	5898284
उत्तर प्रदेश	9558702	1548470	11107172
पश्चिमी क्षेत्र	**14509693**	**2206420**	**16716113**
गुजरात	5155834	719233	5875067
महाराष्ट्र	9156451	1469222	10625673
गोवा, दमन और दीव	192359	17840	210199
दादरा और नागर हवेली	5049	125	5174
दक्षिणी क्षेत्र	**35941185**	**4742306**	**40683491**
आन्ध्र प्रदेश	11759679	1808663	13568342
कर्नाटक	8925861	1234179	10160040
केरल	4491041	286782	4777823
तमिलनाडु	10527502	1409285	11936787
पांडिचेरी	233706	3397	237103
लक्षद्वीप	3396	—	3396
अखिल भारत	95397064	14242024	109639083

टेलीफोनों आदि पर व्यय में छूट

6613. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आयकर अधिकारी टेलीफोन, यात्रा, नकद ऋण आदि व्ययों पर छूट देने के मामलों में करदाताओं में भेदभाव करते हैं;

(ख) यदि हां, तो आयकर अधिकारियों द्वारा इस बारे में क्या तरीका अपनाया जाता है;

(ग) क्या इंधन की खपत जैसे परिवहन प्रभार आदि पर किया गया समस्त व्यय को आयकर भुगतान विवरण में छूट दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो क्या कुछ मामलों में यह छूट नहीं दी गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आयकर अधिकारियों द्वारा उनके अधिकारों का पक्षपातपूर्ण उपयोग करने को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, नहीं । टेलीफोन यात्रा आदि पर किए गए खर्चों पर केवल उतनी सीमा तक कटौती की अनुमति दी जाती है, जितनी सीमा तक ये खर्चे पूर्णतया तथा अनन्यतया कारोबारी अथवा व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए ही किए गए हों । इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कटौती की अनुमति नहीं देना प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर निर्भर करता है ।

(ख) इसका प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(ग) और (घ) परिवहन प्रभारों अर्थात् इंधन की खपत आदि पर किए गए व्यय पर कर-निर्धारिती की कराधेय आय की संगणना करने के मामले में उतनी सीमा तक कटौती की अनुमति दी जाती है, जितनी सीमा तक ये खर्चे पूर्णतया तथा अनन्यतया कारोबारी अथवा व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए ही किए गए हों । इस प्रकार, किए गए व्यय के सम्बन्ध में कटौती की अनुमति देना अथवा नहीं देना प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर निर्भर करेगा ।

(ङ) प्रश्न के भाग (क) से (घ) के सम्बन्ध में दिए गए उत्तर को देखते हुए आयकर अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करने के मामले में भेदभाव बरतने की रोकथाम के लिए उपाय किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है । फिर भी, आयकर अधिकारियों द्वारा पारित किए गए कर-निर्धारण आदेशों में असत्यता का पता लगाने के लिए पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा आवधिक आधार पर निरीक्षण किए जाते हैं । इसके अलावा, यदि कर-निर्धारिती को आयकर अधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी कर-निर्धारण आदेश से कोई कष्ट है तो वह उस मामले के बारे में अपील कर सकता है/पुनरीक्षण के लिए अनुरोध कर सकता है ।

राजधानी एक्सप्रेस (दिल्ली-बम्बई) की गति

6614. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई से दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस के पूरे मार्ग पर विद्युत इंजन से चलने वाली गाड़ियों की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सुविधा उपलब्ध होने के कारण बम्बई-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के आने-जाने के समय में पर्याप्त कटौती की जाएगी;

(ग) यदि हां, तो नई व्यवस्था के अन्तर्गत राजधानी एक्सप्रेस के लिए कितना समय अपेक्षित होगा;

(घ) समय सम्बन्धी इस लाभप्रद व्यवस्था को कब तक लागू किया जाएगा;

(ङ) क्या इस नई समय सारणी को कार्यान्वित किए जाने में कोई अन्य बाधाएं सामने आ रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) 1989-90 के दौरान रतलाम तक इस गाड़ी की अधिकतम अनुमेय रफ्तार बढ़ाकर 130 कि० मी० प्रति घण्टा करने का विचार है। यात्रा समय में कमी मार्गवर्ती स्थाई गति, अधिकतम अनुमेय रफ्तार, रेलपथ, सवारी डिब्बों, सिगनल आदि जैसे अनेक कारकों की किस्म पर निर्भर करती है और अनुसूची संशोधित किए जाने के बाद ही ब्यौरा तैयार किया जा सकेगा।

खान-पान विभाग के कर्मचारी

6615. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में कार्यरत रेलवे कैंटीन कर्मचारी नैमित्तिक आधार पर कार्य करते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो ये कैंटीन कर्मचारी किन शर्तों पर नियुक्त किए जाते हैं;

(ग) क्या कैंटीन कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि के बाद नियमित किया जाता है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) कुछ वेंडर तथा बेयरे कमीशन के आधार पर लगे हैं।

(ग) और (घ) जब भी रिक्तियां होती हैं कमीशन बेयरों को नियमित कर्मचारियों के रूप में समाहित कर लिया जाता है। कमीशन वेंडरों को कमीशन बेयरों के समाहन के पश्चात् समाहित किया जाता है।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण समितियों का गठन

6616. **श्री के० प्रधानी** : क्या वाणिज्य मन्त्री जापान को झींगा मछली के निर्यात के बारे में 31 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4267 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान को दूषित झींगा मछली के निर्यात में शामिल कम्पनियों का कोई अधिकारी समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की समितियों में किसी भी पद पर कार्य कर रहा है;

(ख) क्या ऐसी कम्पनियों के मालिक और सम्बन्धित अधिकारी समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में भी हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) जैसाकि दिनांक 31 मार्च, 1989 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 4267 के उत्तर में पहले ही उल्लेख कर दिया गया है, वर्ष 1986 में जापान की पांच फर्मों द्वारा निर्यातित समुद्री उत्पादों के निर्यातों के पांच मामलों में सरकार को कालरा संदूषण की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इन पांच कम्पनियों का कोई भी मालिक या अधिकारी समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) की समितियों में किसी भी रूप में सेवारत नहीं है। फिर भी वर्ष 1984 में मै० जार्ज मैंजो कम्पनी मद्रास द्वारा जापान को निर्यात की गई 2 टन प्रशीतित श्रिम्पों और वर्ष 1985 में मै० त्रिवेणी फूड प्रोडक्ट्स द्वारा जापान को निर्यात की गई 0.46 मी० टन प्रशीतित श्रिम्पों में कालरा संदूषण पाया गया। श्री टी० एम० जोसेफ जो मै० जार्ज माजों कम्पनी से सम्बद्ध है और श्री आर० भट्टाचार्य जो मै० त्रिवेणी फूड प्रोडक्ट्स से सम्बद्ध हैं, एम्पीडा के सदस्य हैं।

मलयेशिया के साथ व्यापार

6617. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मलयेशिया को निर्यात की जाने वाली अथवा वहां से आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन-कौन सी हैं;

(ख) क्या सरकार ने भारत मलयेशिया व्यापार बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारत से मलयेशिया को निर्यात की जाने वाली प्रमुख मदों में शामिल हैं : मसाले फल और सब्जियां, मांस और उनसे तैयार सामान, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, इन्जीनियरी सामान, सूती यार्न आदि तथा मलयेशिया से आयात की जाने वाली प्रमुख मदों में शामिल हैं कच्चा रबड़, खाद्य तेल, कार्बनिक रसायन, मूल इस्पात, ढलवा लोहे पर आधारित मदें, अलौह मदें आदि।

(ख) और (ग) जी, हां। व्यापार विकास प्राधिकरण का एक कार्यालय मलयेशिया में स्थापित किया गया है। व्यापार प्रसार के लिए दोनों पक्षों के व्यापार समुदाय में अधिक अन्तर क्रिया के लिए एक भारत-मलयेशियाई संयुक्त व्यापार सहयोग समिति की स्थापना की गई है। इसके अलावा, मलयेशिया, वार्ता आधार पर भारतीय कम्पनियों को कुछ परियोजनाएं प्रदान करने पर सहमत हो गया है।

निर्यातोन्मुख एककों द्वारा सूती धागे का निर्यात

6618. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात व्यापारियों के माध्यम से निर्यात करने के लिए सूती धागे का निर्माण करने वाले शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों के कोई आवेदन पत्र लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन आवेदन पत्रों को स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(घ) उन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी; और

(ङ) इस पर अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ङ) एक शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक मै० नव महाराष्ट्र सहकारी सूत गिरानी लि० जो कि सूती यार्न के विनिर्माण के लिए अनुमोदित है, ने जानना चाहा है कि क्या व्यापारी निर्यातकों के माध्यम से रुपया मुद्रा क्षेत्र को निर्यात किए जा सकते हैं। चालू आयात एवं निर्यात नीति के पैरा 173 के अनुसार जो एककें 100% निर्यातोन्मुख एकक योजना के सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। वे विशेष रूप से तीसरी पार्टी को किए जाने वाले निर्यातों की सुविधा लेने से वंचित कर दी गई हैं।

केरल एक्सप्रेस का दुर्घटनाग्रस्त होना

6619. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने के पश्चात् यह गाड़ी कितनी बार दुर्घटनाग्रस्त हुई है;

(ख) क्या यह रेलगाड़ी हाल ही में तमिलनाडु क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और कारण क्या हैं; और

(घ) इस रेलगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) 3 (तीन)।

(ख) और (ग) जी, हां। मैगनेसाइट जंकशन से गुजरते समय 126 केरल मंगला एक्सप्रेस के इंजन और पांच सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए थे। यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई है।

(घ) ड्राइवरों और गाड़ी गुजारने से सम्बन्धित ड्यूटियां करने वाले अन्य कोटियों के कर्मचारियों को गहन परामर्श दिया जा रहा है। सभी मंडलों में अपनाए जा रहे संरक्षा सम्बन्धी उपायों का निरीक्षण तथा निगरानी करने के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों के बहु-उद्देशीय दल गठित किए गए हैं।

तन्जौर और मद्रास के बीच सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाना

6620. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तन्जौर और मद्रास के बीच एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी को कब तक शुरू किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा आयात

6621. **श्री अरुण कुमार नेहरू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खनिज और धातु व्यापार निगम एम० एम० टी० सी० ने एक करोड़ और उससे अधिक मूल्य की किन प्रमुख मदों का आयात किया है;

(ख) किस अथवा किन स्रोतों से इनका आयात किया जा रहा है और इनका मूल्य कितना है; और

(ग) क्या इन सौदों में कोई विदेशी एजेन्ट भी शामिल है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान एक करोड़ रु० और इससे अधिक मूल्य की आयात की गई प्रमुख मदें थी, अलोह धातुएं (अर्थात् तांबा, जिंक, शीशा, टिन, निकल, अल्यूमिनियम) औद्योगिक कच्चा माल (अर्थात् कच्चा एस्बेस्टोस, एसिड ग्रेड फलोस्पर, पारा), उर्वकर (अर्थात् यूरिया, डी० ए० पी० एम० ओ० पी० एस० ओ० पी० एन० पी०/एन० पी० के० राक फोस्फेट और सल्फरी और लोहे तथा इस्पात की मदें।

(ख) वे स्रोत जहां से उपरोक्त मदें आयात की जा रही हैं, ये हैं :—आस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, आस्ट्रिया, ब्राजील, बहरीन, बेल्जियन, बुल्गारिया, कनाडा, चीन, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, जर्मन, जनवादी गणराज्य, हालैण्ड, हंगरी, इटली, इन्डोनेसिया, जापान, जोर्डन, मलयेशिया, उत्तर कोरिया, नार्वे, पोलैण्ड, रूमानिया, सऊदी अरब, स्पेन, स्वीडन, सिंगापुर, स्विट्जरलैण्ड, सोवियत संघ, ब्रिटेन, सं० रा० अमरीका, वेनेजुएला, पश्चिमी जर्मनी, यूगोस्लाविया, जाम्बिया, जायरे, जिम्बाब्वे आदि।

भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम निविदाओं के आधार पर और/अथवा उत्पादकों/सप्लायरों से सीधी वार्ताएं करके आयात करता है। आयात की कीमतें और अलोह धातुओं के मामले में एल० एम० ई० कीमतों अथवा ऐसी निविदाओं में सप्लायरों द्वारा दी गई कीमत और मूल्य शर्तों पर आधारित होती हैं जिनका अधिकतम लाभप्रद शर्तें प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है।

(ग) भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम यह आयात करने में किसी भी विदेशी एजेन्ट की सेवाएं नहीं लेता है।

बैंकों के चेयरमैन, प्रबन्ध निदेशक और निदेशक मण्डल के सदस्यों के रिक्त पद

6622. **श्री अरुण कुमार नेहरू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के किन-किन बैंकों में चेयरमैन, प्रबन्ध निदेशक और निदेशक मण्डल के सदस्यों के पद रिक्त हैं; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों में चेयरमैन, प्रबन्ध निदेशक और निदेशक मण्डल के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्ुआर्डो फैलीरो) : (क) सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों में से केवल यूनियन बैंक आफ इण्डिया और बैंक आफ महाराष्ट्र में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का पद खाली है। यद्यपि 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक-मण्डलों में कोई भी गैर-सरकारो निदेशक नहीं हैं, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड और भारतीय स्टेट बैंक के कुछ अनुषंगी बैंकों के निदेशक-मण्डलों में गैर-सरकारी निदेशकों के कुछ पद खाली हैं। जहां तक कर्मचारी निदेशकों का सम्बन्ध है, 7 बैंकों में कर्मकार कर्मचारी निदेशकों के पद और 27 बैंकों में गैर-कर्मकार कर्मचारी निदेशकों के पद खाली हैं।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों तथा निदेशक-मण्डलों के सदस्यों के नाम

1. भारतीय स्टेट बैंक

1. श्री डी० एन० घोष	अध्यक्ष
2. श्री वी० अटल	प्रबन्ध निदेशक
3. प्रो० एम० एस० खान	
4. श्री परमपाल सिंह मान	
5. श्री यावर रशिद	
6. डा० रजत कुमार चक्रवर्ती	
7. श्री के० पूरनचन्द्र राव	
8. श्री सी० एल० आनन्द	
9. डा० चक्रधर सिन्हा	
10. श्रीमती अनील आर० ढोलकिया	
11. डा० किशन कानूनगो	
12. श्री श्रीकांत जी० रूपरेल	
13. श्री अरुण जशवन्त लाल	
14. श्री मस्त राम अवस्थी	
15. श्री आर० एन० गोडबोले	

16. श्री एल० आर० नायक

17. डा० वाई० बी० अब्बा सायूलू

18. श्री बी० पी० साहनी

19. डा० सी० रंगाराजन

20. डा० दीपक नय्यर

2. भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंक

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर

1. श्री टी० के० सिन्हा	प्रबन्ध निदेशक
2. श्री जे० पी० कुन्दरा	
3. श्री एस० सी० मरवाहा	
4. श्री एस० गुरुमूर्ति	
5. श्री प्रदीप कुमार	
6. श्री तेज बहादुर राय	
7. श्री शिव प्रसाद वर्मा	
8. डा० (श्रीमती) प्रतिभा जैन	
9. श्री दुर्गा प्रसाद साबू	
10. श्री विमल चन्द सुराणा	

स्टेट बैंक आफ हैदराबाद

1. डा० ए० के० भट्टाचार्य	प्रबन्ध निदेशक
2. श्री जे० पी० कुन्दरा	
3. श्री एस० सी० मरवाहा	
4. श्री पी० आर० अनन्तरामन	
5. कुमारी रंजना रे	
6. श्री श्याम एस० कुलकर्णी	
7. श्री बी० सी० एच० वी० सुब्बाराव	
8. डा० पी० बी० पार्थसारथी	
9. डा० प्रणव कुमार मण्डल	

10. डा० के० एस० रमेश
11. डा० के० एस० उपाध्याय

स्टेट बैंक आफ इन्दौर

1. डा० एम० के० सिन्हा　　　　प्रबन्ध निदेशक
2. श्री जे० पी० कुन्दरा
3. श्री एस० सी० मरवाहा
4. श्री ए० एल० भाटिया
5. श्री एच० संतोष कुमार
6. श्री प्रकाश हरदास
7. श्री विजय सिंह
8. डा० जे० पी० श्रीवास्तव
9. श्री एस० के० खंडेलवाल
10. श्रीमती कुसुम विग
11. डा० आर० डी० अग्रवाल

स्टेट बैंक आफ मैसूर

1. श्री एम० वी० सुब्रामणियम　　　　प्रबन्ध निदेशक
2. श्री जे० पी० कुन्दरा
3. श्री एस० सी० मरवाहा
4. श्री बी० कामत
5. श्री वाई० पी० सेठी
6. श्री एम० अंजनी
7. डा० बी० वी० कृष्णामूर्ति
8. श्री नरेश सी० गुप्ता
9. श्री एम० आर्य मित्र
10. श्री आर० ऊमाचन्द्र

स्टेट बैंक आफ पटियाला

1. श्री बी० के० कपूर　　　　प्रबन्ध निदेशक

2. श्री जे० पी० कुन्दरा
3. श्री एस० सी० मरवाहा
4. श्री आर० वेंकटेशन
5. श्री एच० सन्तोष कुमार
6. श्री ए० एन० शर्मा
7. श्री राजेन्द्र के० साबू
8. श्रीमती नीना मल्होत्रा
9. श्री नोरबू बरंगपा
10. श्री कर्णवीर सिंह सिंधु
11. श्री रवि पाल सिंह

स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र

1. श्री एच० मुखर्जी — प्रबन्ध निदेशक
2. श्री जे० पी० कुन्दरा
3. श्री एस० सी० मरवाहा
4. श्री जे० आर० प्रभु
5. श्री के० सी० पाण्डियन
6. श्री आर० बी० भट्ट
7. श्री चिन्तन एन० पारीख
8. श्री दाह्यलाल ए० आनन्दपुरा
9. प्रो० एन० के० चुडासामा
10. डा० बी० एम० देसाई
11. सुश्री हसुबेन आर० गुर्जर

स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर

1. श्री जे० सी० सोआरेस — प्रबन्ध निदेशक
2. श्री जे० पी० कुन्दरा
3. श्री एस० सी० मरवाहा
4. श्री बी० एन० लक्ष्मीपति

5. कुमारी रंजना रे
6. श्री एस० ए० पिल्लई
7. श्रीमती गौरी लक्ष्मी बाई
8. श्री टी० पी० चेलप्पन
9. श्री एन० एस० श्रीनिवासन
10. डा० वी० के० शशिधर

3. राष्ट्रीयकृत बैंक

सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया

1. श्री एम० एन० गोईपोरिया — अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
2. श्री एन० एम० मिस्त्री — कार्यपालक निदेशक
3. श्री ओ० पी० सोढानी
4. श्री एम० एन० [illegible]
5. श्री सी० एच० वेंकटाचलम

बैंक आफ इण्डिया

1. श्री आर० श्रीनिवासन — अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
2. कुमारी आई० टी० वाज
3. श्री [illegible]
4. श्री जी० जी० कृष्णामूर्ति

पंजाब नेशनल बैंक

1. श्री जे० एस० वार्ष्णेय — अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
2. श्री रशिद जिलानी — कार्यपालक निदेशक
3. श्री के० पी० कुलकर्णी
4. श्री वी० पी० साहनी
5. श्री पी० पी० घोराय

बैंक आफ बड़ौदा

1. श्री प्रेमजीत सिंह — अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

2. डा० ए० सी० साह	कार्यपालक निदेशक
3. कुमारी बी० विश्वनाथन	
4. श्री ए० के० अग्रवाल	
5. श्री के० आई० तलरेजा	

यूको बैंक

1. श्री के० एम० शिणाय	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
2. श्री हरभजन सिंह	कार्यपालक निदेशक
3. श्री ए० के० बोस	
4. श्री ए० के० अग्रवाल	

केनरा बैंक

1. श्री एन० डी० प्रभु	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
2. श्री पी० के० पार्थसारथी	
3. श्री एम० सी० सत्यवादी	
4. श्री यू० एस० राव	

यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया

1. श्री जे० बी० सेट्टी	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
2. श्री एस० ए० हुसैन	
3. श्री एम० एन० बुच	
4. श्री पी० डे	

देना बैंक

1. श्री जी० एस० दहोत्रे	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
2. श्री एस० दोरेस्वामी	कार्यपालक निदेशक
3. श्री ए० पी० कुरियस	
4. श्री मन्त्रेश्वर झा	
5. श्री सी० ए० पाठक	

सिंडिकेट बैंक

1. श्री पी० एस० बी० मल्या	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
2. श्री के० लक्ष्मीनारायणन	कार्यपालक निदेशक
3. श्री आर० के० चौधरी	
4. श्री एम० एन० बुच	
5. श्री बी० एम० करकेरा	

यूनियन बैंक आफ इण्डिया

1. श्री युवराज करण	कार्यपालक निदेशक
2. श्री के० एन० भार्गव	
3. श्री मन्त्रेश्वर झा	
4. श्री एम० के० मण्डल	

इलाहाबाद बैंक

1. श्री आर० एल० वधवा	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
2. श्री एस० एम० चिटणीस	कार्यपालक निदेशक
3. श्री बी० के० बासु	
4. श्री एस० के० पुरकायस्थ	

इण्डियन बैंक

1. श्री एम० गोपालकृष्णन	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
2. श्री बी० बी० शेट्टी	कार्यपालक निदेशक
3. श्री वी० सुब्रामणियम	
4. श्री ए० के० अग्रवाल	

बैंक आफ महाराष्ट्र

1. श्री एन० डी० परमेश्वरन
2. श्री प्रदीप कुमार
3. श्री एस० बी० नंगारे

इण्डियन ओवरसीज बैंक

1. श्री सी० एस० गोपालकृष्णन	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
2. श्री ए० बालसुब्रमण्यम	कार्यपालक निदेशक
3. श्री डी० एस० रामचन्द्र राजू	
4. श्री मन्त्रेश्वर झा	

आन्ध्रा बैंक

1. श्री के० आर० नायक	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
2. श्री ए० डी० अकोलकर	कार्यपालक निदेशक
3. श्री आर० रामानुजम	
4. श्री एस० के० पुरकायस्थ	
5. श्री वी० के० राव	

कारपोरेशन बैंक

1. श्री वाई० एस० हेगड़े	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
2. श्री के० आर० राममूर्ति	कार्यपालक निदेशक
3. श्री टी० आर० वेंकटरामन	
4. श्री वाई० पी० सेठी	

न्यू बैंक आफ इण्डिया

1. श्री आर० सी० सुनेजा	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
2. श्री जे० सेठी	
3. श्री एस० एस० रानाडे	
4. श्री सी० डब्ल्यू० मीरचन्दानी	

ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स

1. श्री एस० पी० तलवार	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
2. श्री एस० के० सोनी	कार्यपालक निदेशक
3. श्री आर० के० जालान	
4. श्री मन्त्रेश्वर झा	

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

1. श्री एम० एम० बहल — अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
2. श्री एम० एल० टी० फर्नान्डीज
3. श्री एम० एन० बुच
4. श्री आर० एस० खेड़ा

विजया बैंक

1. श्री के० सदानन्द शेट्टी — अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
2. श्री के० शिवराम शेट्टी — कार्यपालक निदेशक
3. श्री एस० जे० ठक्केर
4. श्री सी० डब्ल्यू० मीरचन्दानी
5. श्री आर० दमोदरन

नमक पर माल भाड़ा

6623. **डा० दिग्विजय सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 के रेल बजट में नमक पर माल भाड़े प्रभार में वृद्धि न किए जाने की घोषणा के बावजूद 500 किलोमीटर की दूरी के बाद इस पर 10 प्रतिशत अधिक माल भाड़ा लिया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश नमक 500 किलोमीटर से अधिक दूरी जाने वाले स्थानों को भेजा जाता है;

(ग) यदि हां, तो माल भाड़े में इस वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) माल भाड़े में वृद्धि को समाप्त करने तथा सरकार द्वारा ऐसा न किए जाने की घोषणा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) से (ग) यद्यपि माल यातायात की दरों में की गई 11% की सामान्य वृद्धि से खाने के नमक को छूट दी गई थी फिर भी रेल बजट 1989-90 में किए गए प्रस्तावों के अनुरूप इसके वर्गीकरण में संशोधन किया गया था जिसके परिणामस्वरूप माल भाड़ा दरों में वृद्धि हुई ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भुगतान सन्तुलन की समस्या के समाधान हेतु नीति

6624. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने नया ऋण लिए बिना भुगतान सन्तुलन की समस्या के समाधान हेतु एक नीति पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से नया ऋण लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। भुगतान शेष की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा आरम्भ की गई कार्य योजना का उद्देश्य निर्यात बढ़ाने, आयातों को नियन्त्रित करने और पर्यटन से होने वाली प्राप्तियों सहित निवेश एवं प्रेषणाओं के जरिए विदेशी मुद्रा राशियों को बढ़ाने के लिए उपाय करना है।

भारतीय चमड़ा उत्पाद संगठन को अपने उत्पादों के लिए बाजार का विस्तार करने हेतु सहायता

6625. **श्री बी० एस० बासवराजू** :
श्री एस० एम० गुरड्डी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चमड़ा उत्पाद संगठन को अपने उत्पादों के लिए बाजार का विस्तार करने हेतु सहायता समय पर मंजूर की जाती रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह सहायता न मिलने से अमरीकी बाजार में इन उत्पादों की मांग बढ़ाने के प्रयास पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारतीय चमड़ा उत्पाद संस्था (आई० एल० पी० ए०) एक मान्यता प्राप्त संगठन नहीं हैं और इस प्रकार यह बाजार विकास सहायता के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने की हकदार नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजधानी एक्सप्रेस में चोरी

6626. **श्री सरफराज अहमद** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1989 में बम्बई से दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस से कुछ सूटकेसों की चोरी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो कब तथा किस तरह;

(ग) क्या रेलवे स्टाफ यात्रियों का सामान पर्ची दिखाने पर ही उन्हें सौंपता है और इस सामान की जिम्मेदारी रेलवे विभाग की होती है;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में नियुक्त जांच अधिकारी का नाम क्या है तथा जांच कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ङ) क्या रेलवे विभाग ने इन यात्रियों को कोई मुआवजा दिया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) राजधानी एक्सप्रेस जो बम्बई से 16-1-1989 को चली थी 17-1-1989 को 1.15 बजे रतलाम पहुंचने पर उसका सामान यान बिना सील तथा पैड लाक के पाया गया था। इसे पुनः सील किया गया था। रतलाम पहुंचने से पहले यह गाड़ी थांडला रोड स्टेशन के बाहर रुकी थी क्योंकि इसके मार्ग के लिए होम सिगनल नहीं मिला था। 17-1-1989 को गाड़ी के नयी दिल्ली पहुंचने पर पता चला कि सामान यान से कुछ सूटकेस, थैले तथा इस्पात के बने ट्रंक चोरी चले गए हैं।

(ग) यात्रियों को तुलन पर्ची एवं सामान टिकटें प्रस्तुत करने पर वस्तुएं सौंपी जाती हैं। सुपुर्दगी न किए जाने के लिए भारतीय रेल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार रेलवे उत्तरदायी है।

(घ) रा० रे० पु०/मेघानगर, मध्य प्रदेश मामले की जांच कर रही है। जांच-पड़ताल कब तक पूरी होगी इसका सही समय बताना सम्भव नहीं है।

(ङ) प्राप्त 13 दावों के सम्बन्ध में दावेदारों से अपने दावे संशोधित करने को कहा गया है क्योंकि लापता सामान में से कुछ बरामद कर लिया गया था और उन्हें सौंप दिया गया था। चार संशोधित दावें प्राप्त हुए हैं जिनके निपटान के लिए कार्रवाई की जा रही है।

दिल्ली में आरक्षण काउंटरों पर कदाचार

6627. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि केरल एक्सप्रेस में आरक्षण प्राप्त करने के दिल्ली में आरक्षण काउन्टर में समय पर आरक्षण करने वाले वास्तविक आरक्षणकर्त्ताओं को आरक्षण नहीं मिलता है; और

(ख) यदि हां, तो इस गाड़ी में आरक्षण के मामले में कदाचार को रोकने के लिए क्या उप-चारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) दिल्ली क्षेत्र में आरक्षणों के कम्प्यूटरीकरण के बाद मुख्य आरक्षण कार्यालय तथा इससे दूर स्थित कई स्थानों पर उपलब्ध किसी भी काउन्टर से आरक्षण प्राप्त किए जा सकते हैं। केरल एक्सप्रेस के लिए ऊंचे दर्जे की शायिकाएं बहुत ही कम समय में पूर्णतया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बुक की जाती हैं। कदाचार का कोई मामला नोटिस में नहीं आया है।

राज्यों को जल संसाधन विकास के लिए धनराशि का आबंटन

6628. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को विभिन्न जल संसाधन विकास परियोजनाओं के लिए हाल ही में केन्द्रीय सहायता जारी की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन जल संसाधन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर यह सहायता उपयोग की जाएगी; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार के सुझावों पर कोई विचार किया है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) सातवीं योजना में परिकल्पित खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई विकास को त्वरित करने के लिए 14 राज्यों को वर्ष 1988-89 के दौरान निम्नवत केन्द्रीय सहायता संस्वीकृत/निर्मुक्त की गयी थी :—

(लाख रुपये में)

राज्य का नाम	बृहद-मध्यम के लिए	टैंक सिंचाई के लिए	कमान क्षेत्र विकास घटक के लिए
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	932	134.50	73.50
असम	234	—	25.70
बिहार	1004.50	—	50.00
गुजरात	243	40.00	120.78
हरियाणा	400	—	135.00
कर्नाटक	244	—	88.00
मध्य प्रदेश	160	640.00	24.50
महाराष्ट्र	513	—	48.50
उड़ीसा	937	920.00	21.00

1	2	3	4
पंजाब	240	—	—
राजस्थान	215	140.00	—
तमिलनाडु	426	320.00	—
उत्तर प्रदेश	2045.50	—	222.00
पश्चिम बंगाल	200	—	49.08
कुल राज्य	7805	2194.50	858.16

इसके अतिरिक्त, राजस्थान राज्य को वर्ष 1988-89 के दौरान इन्दिरा गांधी नगर परियोजना के लिए 21 करोड़ रुपये की राशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में आबंटित की गयी थी।

(घ) आबंटनों पर निर्णय लेते समय उड़ीसा सहित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया गया था।

पत्रिकाओं के भागीरथ समूह का सम्पादकीय स्टाफ

6629. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "भागीरथ" (हिन्दी और अंग्रेजी) पत्रिका के सम्पादकों की योग्यता और अनुभव का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन्हें नियुक्त करने का तरीका क्या है तथा वर्तमान सम्पादकों को किस तरीके से भर्ती किया गया है;

(ग) इस पत्रिका समूह में कार्यरत स्टाफ के लिए पदोन्नति के अवसरों तथा पदोन्नति के तरीकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पत्रिका के प्रकाशन को सुचारू बनाने तथा यदि कोई अनियमिततायें हों तो इन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सम्पादक, भगीरथ (हिन्दी) का पद खाली है। वर्तमान सम्पादक, भगीरथ (अंग्रेजी) की अर्हतायें और अनुभव संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) सम्पादक, भगीरथ (हिन्दी) के पद के भर्ती नियमों में सम्पादक (हिन्दी) के पद के लिए सहायक सम्पादक, भगीरथ (हिन्दी) के पद के धारक की उपयुक्तता के मूल्यांकन का प्रावधान है, जिसके असफल होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा अथवा संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा उक्त पद को भरने का प्रावधान है। संघ लोक सेवा आयोग ने सीधे भर्ती के जरिए नियुक्ति हेतु एक उम्मीदवार की सिफारिश की है, जिसने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।

सम्पादक, भगीरथ (अंग्रेजी) का पद संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधे भर्ती द्वारा भरा जाता है और वर्तमान पदधारी तदनुसार नियुक्त किया गया है।

(ग) यह पहलू सम्बद्ध भर्ती नियमों के सांविधिक प्रावधानों द्वारा शासित किए जाते हैं।

(घ) भगीरथी पत्रिकाओं के मुद्रण और प्रकाशन में कोई अनियमिततायें नहीं हैं।

विवरण

वर्तमान सम्पादक, भगीरथ (अंग्रेजी) की अर्हताएं और अनुभव

अर्हताएं

1. बी० एस० सी० "बी जी"
2. बी० एड०
3. एम० ए० (समाजशास्त्र)
4. एम० एड०
4. पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
6. पुस्तक प्रकाशन विशिष्टीकरण (सम्पादन) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
7. फोरेन्सिक विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स
8. रूसी भाषा में प्रवीणता प्रमाण-पत्र
9. दक्षिण पूर्व भारत में स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों तथा सेवाओं की अनुपालना और अध्ययन के लिए भारत सरकार की सिफारिशों पर आई० एन० डी० एच० ई० डी० 005 कार्यक्रम के तहत विश्व स्वास्थ्य संगठन फैलोशिप प्राप्त की।

अनुभव

(1) स्वास्थ्य शिक्षा टेकनीशियन (इन्स्ट्रूमेन्टल सामग्री) के रूप में पत्रकारिता कार्य में 5 वर्ष का अनुभव।

(2) उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार में सम्पादकीय क्षेत्र में उप-सम्पादक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव।

(3) पत्रकारिता के क्षेत्र में वरिष्ठ व्यवसायिक सहायक (प्रचार) के रूप में 2 वर्ष का अनुभव।

रेल उप मंत्री के दौरे

6630. **श्री राम बहादुर सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल उप मन्त्री अनेक रेलवे जोन मुख्यालयों का दौरा करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988 के दौरान उन्होंने विभिन्न मुख्यालयों के कितने दौरे किए;

(ग) क्या वह उत्तर रेलवे के अनेक महत्वपूर्ण स्टेशनों का दौरा करते रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो वह वर्ष 1989 के दौरान कितनी बार गोरखपुर के दौरे पर गये; और

(ङ) वर्ष 1988 में मन्त्री के गोरखपुर के दौरे पर कितनी धनराशि खर्च की है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) 26.

(ग) जी, हां।

(घ) 1989 के दौरान-9.

(ङ) रेल उप मंत्री ने अपने द्वारा किए गए दौरों के लिए कोई यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता का दावा नहीं किया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

6631. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**
श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या वाणिज्य यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988-89 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों ने कितने मूल्य का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार किया और वर्ष 1989-90 में कितने मूल्य का व्यापार किए जाने का अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : अप्रैल-दिसम्बर, 1986 के दौरान संसाधित खाद्य उत्पादों के निर्यात अनन्तिम रूप से 184.72 करोड़ रुपए के आंके गए हैं। कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1988-89 के दौरान इन मदों के 272 करोड़ रुपये के निर्यात होने का अनुमान लगाया है। वर्ष 1989-90 के लिए निर्यातों का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है, क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार परिस्थिति जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा।

शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड से मछली पकड़ने वाले पोतों की खरीद के लिए ऋण

6632. **श्री टी० बाल गौड़ :**
श्री दौलतसिंहजी जडेजा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड मछली पकड़ने वाले पोतों की खरीद के लिए धनराशि वितरित करने वाली एजेंसी है;

(ख) यदि हां, तो क्या मछली पकड़ने वाले पोतों की खरीद के लिए दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की शर्तें और उसकी अदायगी की अवधि मन्त्रालय द्वारा निर्धारित की जाती है;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने इस सम्बन्ध में शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड को कोई निदेश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा सरकार के निदेशों और नीतियों का निष्ठापूर्वक कार्यान्वित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(च) क्या शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड के बोर्ड में मंत्रालय के कोई निदेशक हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलोरी) : (क) भूतपूर्व नौवहन विकास निधि समिति द्वारा वित्त पोषित ट्रालरों के सम्बन्ध में निर्माण कार्य के प्रत्येक चरण के अन्त में पोत कारखानों को धनराशियों का संवितरण करने के लिए सरकार ने नौवहन विकास निधि समिति (उत्सादन) अधिनियम, 1986 की धारा 16 के अन्तर्गत भारतीय नौवहन ऋण एवं निवेश कम्पनी को (अभिहित) प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया था और ऐसे चरणबद्ध भुगतानों के खर्च को पूरा करने के वास्ते उसके पास पर्याप्त धनराशियों की व्यवस्था की है। उपर्युक्त के अलावा, भारतीय नौवहन ऋण एवं निवेश कम्पनी ने अपने सामान्य वाणिज्यिक कारबार के एक भाग के रूप में, गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के ट्रालरों की खरीद का वित्तपोषण करने का काम भी शुरू किया है।

(ख) से (घ) भूतपूर्व नौवहन विकास निधि समिति द्वारा वित्तपोषित मछली पकड़ने के ट्रालर खरीदने की शर्तें, जिसमें ब्याज की दर तथा वापसी अदायगी का कार्यक्रम आदि भी शामिल है, ऋण करारों तथा भूतपूर्व नौवहन विकास निधि समिति जहाज निर्माताओं और ऋणी मत्स्यन कम्पनियों के बीच हुए त्रिपक्षीय करारों में दी गई हैं। शिपयार्डों को चरणबद्ध रीति से किए जाने वाले संवितरण इन करारों के अनुसार भारतीय नौवहन ऋण एवं निवेश कम्पनी के द्वारा/माध्यम से किए जाते हैं और मत्स्य कम्पनियों को ऋण की तथा ब्याज की किस्तों की अदायगी करारों के अनुसार करनी होती है। भूतपूर्व नौवहन विकास निधि समिति द्वारा मंजूर किए गए ऋणों की शर्तें सम्बन्धित पक्षों द्वारा करारों पर हस्ताक्षर करते समय लागू मार्गनिर्देशों के अनुरूप हैं।

(ङ) और (च) भारतीय नौवहन ऋण एवं निवेश कम्पनी तथा सरकार के बीच परस्पर नियमित सम्पर्क रहता है। भारतीय नौवहन ऋण एवं निवेश कम्पनी के मण्डल में वित्त मन्त्रालय भूतल परिवहन मन्त्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के प्रतिनिधि हैं।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल आपने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थी जहां तक कर्नाटक में स्थिति और केन्द्रीय हस्तक्षेप का सम्बन्ध है वहां संविधान के अनुसार कार्यवाही की जाएगी तथा संवैधानिक तंत्र का अनुपालन किया जाएगा। यह बात हमारी नोटिस में लाई गई है कि जिन लोगों के बारे में यह माना जा रहा है कि उन्होंने अपना समर्थन वापस लेने के लिए पत्र दिए थे, उन 19 में 13 ने यह कहा है वे बोम्मई सरकार को समर्थन वापस लेने के लिए लिखे गए पत्रों को वापस ले रहे हैं। मुख्य मन्त्री श्री बोम्मई को सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर दिए बिना यह राज्यपाल रिपोर्ट भेज रहे हैं। मैंने कर्नाटक के राज्यपाल को पद से हटाने की मांग के बारे में नियम 184 के अन्तर्गत प्रस्ताव दिया है। मुझे उस प्रस्ताव को रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे उत्तर क्यों नहीं देने देते ? प्रोफेसर, यह अभी भी एक काल्पनिक प्रश्न है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मुझे मालूम नहीं कि क्या हो रहा है। यह केवल तभी हो सकता है जब मेरे हाथ में कुछ आएगा तभी मैं कुछ कर सकता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : एक बार वे राष्ट्रपति शासन लागू कर दें तब मेरे पास क्या साधन रह जाता है ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जब इसके बारे में कुछ आएगा तब हम देखेंगे। इससे पहले मैं कुछ नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप शोर क्यों कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बताएं मैं क्या कर सकता हूं ? मैं काल्पनिक प्रश्न पर कार्यवाही नहीं कर सकता।

प्रो० मधु दण्डवते : नियम 184 के अन्तर्गत मुझे प्रस्ताव रखने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : किसके लिए ?

प्रो० मधु दण्डवते : राज्यपाल को पद से हटाने के लिए।

अध्यक्ष महोदय : जब तक कि कुछ घटना नहीं घटती मैं काल्पनिक प्रश्न पर कार्यवाही नहीं कर सकता।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : एक बार वे राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं तो उसका उपचार क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम नहीं। यह सभा के ऊपर निर्भर है। इसे सभा पटल पर रखना होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं।

श्री थम्पन थामस (मवेलिकरा) : हमें इस पर चर्चा करने का अधिकार है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां ऐसी कोई बात नहीं है। यदि कोई बात होती है तो मैं उस पर विचार कर सकता हूं। मैं यहां काल्पनिक प्रश्नों पर कार्यवाही नहीं कर सकता।

12.02 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के गढ़वी) : श्री ए० के० पांजा की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7559/89]

निक्षेप बीमा तथा ऋण की गारण्टी निगम सामान्य विनियम, 1961 के तुलन-पत्र तथा राजस्व लेखा के रूपविधानों में संशोधन

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलेरो) : मैं निक्षेप बीमा तथा ऋण गारंटी निगम सामान्य विनियम, 1961 के विनियम संख्या 18 द्वारा विहित तुलन-पत्र तथा

राजस्व लेखा की रूपविधानों में किए गए संशोधन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7760/89]

आयात और निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, तथा टी बोर्ड, कलकत्ता का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और उसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : मैं आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) आयात (नियन्त्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1989, जो 21 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 217 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का० आ० 218 (अ), जो 21 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1988 के 'ओपन जनरल लाइसेंस' संख्या 16/88 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का० आ० 219 (अ), जो 21 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1988 के 'ओपन जनरल लाइसेंस' 1/88 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का० आ० 252 (अ), जो 31 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 30 मार्च, 1988 के 'ओपन जनरल लाइसेंस' संख्या 2/88 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7761/89]

(2) (एक) टी बोर्ड कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) टी बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) टी बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7762/89]

छितौनी-बगहा पुल के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 1357 के 3 मार्च, 1989 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

[हिन्दी]

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : मैं (एक) छितौनी-बगहा पुल के बारे में श्री मदन पांडे द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1357 के 3 मार्च, 1989 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7763/89]

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुमानों की विस्तृत मांगें

[अनुवाद]

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० नामग्याल) : मैं जल, भू-तल परिवहन मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7764/89]

12.03½ म० प०

प्राक्कलन समिति

की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

[अनुवाद]

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : मैं रक्षा मंत्रालय—रक्षा कैंटीन स्टोर सामान्य के बारे में प्राक्कलन समिति (आठवीं लोक सभा) के 39वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति (आठवीं लोक सभा) के 53वें प्रतिवेदन के अध्याय-1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.04 म० प०

प्राक्कलन समिति

72वां और 75वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)—सीमा-शुल्क अधिकृत माल का हिसाब-किताब, भंडारण, कीमत निर्धारण तथा निपटान के बारे में प्राक्कलन समिति का 75वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति का तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(2) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग)—भारतीय खेल प्राधिकरण के बारे में प्राक्कलन समिति (आठवीं लोक सभा) के 65वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति का 72वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

12.04½ म० प०

लोक लेखा समिति

157वां प्रतिवेदन

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : मैं कलकत्ता पत्तन न्यास के बारे में लोक लेखा समिति का एक सौ सतावनवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप गृह मंत्री को वक्तव्य देने का निदेश दें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि गृह मंत्री कोई जानकारी देना चाहते है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : गृह मंत्री को निदेश दीजिए……

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि वह कुछ जानकारी देना चाहते हैं, तो मैं उन्हें मना नहीं कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें रोक नहीं रहा हूं। यदि वह कुछ कहना चाहते हैं तो उनका स्वागत है किन्तु मैं उन्हें निदेश नहीं दे सकता।

श्री वसुदेव आचार्य : आप उनसे कहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें कैसे कह सकता हूं ? मैं उन्हें क्यों कहूं ? उनका स्वागत है। मैं उन्हें मना नहीं कर रहा हूं।

प्रो मधु दण्डवते (राजापुर) : नियम 184 के अधीन राज्यपाल के विरुद्ध मैंने जो निंदा प्रस्ताव दिया था उसका क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : किसलिए ? यदि कुछ हुआ, तो मैं देखूंगा। यदि आपका ऐसा प्रस्ताव है तो मैं इस पर विचार कर सकता हूं। मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं। आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप राज्यपाल के व्यवहार का अनुरोध करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि क्या हुआ है ?

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : राज्यपाल के विरुद्ध दिए गए मेरे निन्दा प्रस्ताव का क्या हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे स्वीकार कर सकता हूं, मुझे कोई कठिनाई नहीं है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, जहां तक नियम 184 के अधीन दिए गए आपके प्रस्ताव का संबंध है, मुझे इसे स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है। प्रश्न यह है···

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, इस पर अभी चर्चा करवाइए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे इस तरह डराया मत करो।

मि० जयपाल जी, जब आप ऐसे डराते हो तो मुझे डर लगने लगता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिए। मैं आपसे प्यार से बात करता हूं और आप मुझे डरा रहे हैं। ऐसे नहीं होता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री तम्पन्न थामस (मवेलिकरा) : एक बार इसे रद्द कर दिए जाने के बाद, इस पर चर्चा कराने का उद्देश्य क्या है ? तब यह निष्फल हो जाएगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपके शोर करने से फायदा थोड़े ही होता है। मैं जब आपसे आराम से बात करना चाहता हूं, आप मुझे डराने की कोशिश क्यों करते हैं। क्या आपका ख्याल है कि मैं डर सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सवाल यह है कि इसके दो तरीके होते हैं : तो एक मोशन एडमिट होता है, वह करना मेरे जिम्मे होता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कब मना करता हूं लेकिन मुझे डराने की चेष्टा तो आप कर रहे हैं। मैं सुनता कब नहीं हूं। मैं आपको बताने की चेष्टा कर रहा हूं कि इसके दो तरीके होते हैं, प्रोफेसर साहब, आप भी जानते हैं, एक नियम 184 के अन्तर्गत मोशन एडमिट करने का तरीका होता है, जो मेरे अधिकार में है, दूसरा टाइम देने वाली बात का जहां तक ताल्लुक है···

[अनुवाद]

यह कार्य सभा कर सकती है या कार्य मंत्रणा समिति करती है। मैं यह काम कैसे कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : फिर भी यह काल्पनिक प्रश्न है। मैं नहीं जानता कि राज्यपाल ने कुछ टिप्पणी की है अथवा नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : सिर्फ एक कठिनाई है। आप स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आपने कहा है कि इसका निर्णय सभा या कार्य मंत्रणा समिति करेगी कि क्या मेरा निंदा प्रस्ताव लिया जा सकता है या नहीं। लेकिन एक समय ऐसा भी आ सकता है कि वे उस सरकार को बर्खास्त कर देंगे और मेरा प्रस्ताव निष्फल हो जाएगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे तो पता नहीं कि गवर्नर ने क्या लिखा है।

[अनुवाद]

यदि वह कुछ करते हैं, तो मैं वह प्रस्ताव स्वीकार कर दूंगा। यदि वह कुछ असंवैधानिक कार्य करते हैं, तो मैं देखूंगा। लेकिन अभी भी यह प्रश्न काल्पनिक है।

(व्यवधान)

12.06½ म० प०

"इस समय प्रो० मधु दण्डवते और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।"

12.07 म० प०

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि इस सदन में 24 अप्रैल 1989 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा।

(1) आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

(2) निम्नलिखित मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान :—

क. श्रम

ख. वाणिज्य

(3) बुधवार, 26 अप्रैल, 1989 को अपरान्ह 6.00 बजे 1989-90 के लिए बकाया अनुदानों की मांगों (सामान्य) का सदन में मतदान के लिए उपस्थापन।

(4) विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1989 का पुरःस्थापन, विचार तथा पारित करना।

(5) वित्त विधेयक, 1989 पर विचार तथा पारित करना।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करने की कृपा करें।

आज देश में किसानों की स्थिति ठीक नहीं है। उन्हें समय पर बीज, खाद और पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ किसानों को उनकी कृषि उपज का उचित मूल्य नहीं प्राप्त हो रहा है। मैं भारत सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि किसानों को उचित समय पर बीज, खाद और पानी की व्यवस्था करते हुए कृषि-उपज का मूल्य दिया जाना सुनिश्चित करे।

आज देश में करीब 70 प्रतिशत खेतिहर मजदूरों की स्थिति चिन्ताजनक एवं विस्फोटक है। पूरे देश में खेतिहर मजदूरों में करीब 70 फीसदी खेतिहर मजदूर अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों

के होते हैं और उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी नहीं प्राप्त हो रही है और खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी हर हालत में उपलब्ध कराने का मुकम्मल इन्तजाम करें।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मानकू राम सोढी को छोड़कर, किसी भी अन्य सदस्य की बात को रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मानकू राम सोढी (बस्तर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे इस विषय को अगले हफ्ते की कार्य सूची में लिया जाए :—

"देश की आदिवासी उपयोजना में केन्द्र शासन द्वारा विशेष विकास के लिए राज्य के बजट प्रावधान के अतिरिक्त काफी धनराशि दी जाती है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान मुख्य है। इसी आयोजन में लोक स्वास्थ्य सेवा का भी विशेष स्थान है। उसी के तहत बस्तर जिले में 32 विकास खंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आते हैं। बहुत से केन्द्र में एक्स-रे मशीन लगाई गई हैं। जहां तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति की गई है वहां बराबर काम हो रहा है पर बहुत सी जगहों में स्टाफ की नियुक्ति लम्बे अर्से तक नहीं की गई है। लाखों रुपए की मशीन बिना उपयोग के बेकार पड़ी हैं।

अतः केन्द्र शासन ने अनुरोध है कि केन्द्र की राशि जिस मकसद से दी गई है उसका लाभ लोगों को मिले, इसलिए स्वास्थ्य केन्द्र में लगी एक्स-रे-मशीनों को शीघ्र चलाने हेतु तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति हेतु राज्य शासन को निर्देश दें।

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :

हमारे कच्चे लोहे की गुणवत्ता में सुधार करने के बाद उसके निर्यात करने की संभावना बहुत अच्छी हो जाएगी। पश्चिमी जर्मनी के परामर्शदाताओं ने उसकी गुणवत्ता में सुधार, उत्पादन के आधुनिकतम नियन्त्रण तरीकों को अपनाने, प्रयोगशालाओं के प्रभावी उपयोग, कर्मचारियों के प्रशिक्षण, ढलाई की अच्छी सतही चमक और वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई निगम वर्तमान एल०आई० परियोजनाओं का संचालन और रखरखाव करने तथा इन परियोजनाओं के लिए वितरण प्रणाली की व्यवस्था करने में भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहा है।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि के माध्यम से पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया है, अन्यथा रबी कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं किया जा सकेगा और फसलों के पूर्णतया नष्ट होने के कारण किसानों को भारी हानि होगी।

[हिन्दी]

श्री कम्मोदी लाल जाटव (मुरैना) : अध्यक्ष महोदय, मेरे निम्नांकित विषय को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाए :

"प्रायः देखा जा रहा है कि अन्य प्रदेशों के अलावा म० प्र० में शिक्षित बेरोजगार लड़कों की इस वक्त दयनीय हालत है। 400 जगह नौकरी के लिए निकलती हैं और हजारों नौकरी के लिए दौड़ते हैं, लेकिन लिये केवल 100 ही जाते हैं। बाकी का समय व पैसा बरबाद होता रहता है। घर पर और कोई धंधा नहीं है न उनके पास जमीन वगैरह का साधन है। इस कारण शिक्षित बेरोजगार हर प्रदेश में नौकरी प्राप्त करने के लिए जगह-जगह घूमते रहते हैं। मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि शिक्षित बेरोजगारों को तत्काल नौकरी देने का उपाय सोचें। धन्यवाद।"

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को सम्मिलित किया जाये :

बिहार में हजारीबाग, उत्तरप्रदेश में मथुरा, राजस्थान में मकराना और बिगोड, मध्य प्रदेश में बुरहानपुर तथा महाराष्ट्र में धूलिया जैसे अनेक स्थानों पर हिंसा भड़कने से साम्प्रदायिक स्थिति में खेदजनक बिगाड़ हुआ है। विवादास्पद मुद्दों का समय पर समाधान नहीं किया जा सका और पुलिस की भूमिका के विरुद्ध बहुत सारी शिकायतें की गई। इन स्थानों पर स्थिति की जांच करने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजने की आवश्यकता है। साम्प्रदायिक सदभाव को बढ़ावा देने के लिए भी प्रभावशाली कार्यप्रणाली की जानी चाहिए।

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूचि में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाएं :

संघ लोक सेवा आयोग समय-समय पर संसद में अपने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता रहा है।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उम्मीदवारों का चयन हमारे प्रशासनिक तंत्र के अन्तर्भाग से किया जाता है। कार्मिकों के कार्यनिष्पादन के नियुक्ति उपरान्त विश्लेषण से हमारे परामर्शदात्री तंत्र की किसी मामले में प्रभावशालिता की कुशलता या अकुशलता का पता लगाने में सहायता मिली है।

संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्टों पर सदन में चर्चा की जानी चाहिए।

2. एक्सेन्ड्रम, कनाकोना, गोआ में विदेशियों के लिए, कारवाड, कर्नाटक में स्थित नौसैनिक अड्डे 'सी बर्ड' के 75 किलोमीटर दायरे के अन्तर्गत समुद्र विश्राम स्थल का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रस्तावित परियोजना के मालिकों ने परियोजना को चालू रखने के लिए कई गैर-कानूनी बातों का

सहारा लिया है। क्योंकि इस परियोजना का निर्माण हमारे एक महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डे के समीप किया जा रहा है इसलिए इस बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालकर ऐसी परियोजनाओं की अनुमति दी जानी चाहिए अथवा नहीं।

श्री नित्यानन्द मिश्र (बोलनगीर) : कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को सम्मिलित किया जाये :

बोलनगीर जिला उड़ीसा के कम वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित है जिसके कारण वहां अपर्याप्त वर्षा और सूखे की स्थिति रहती है जिससे लोगों को भारी कठिनाई और नुकसान होता है और इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है। प्रभावित लोगों के लिए जो सूखा-राहत व्यवस्था की जाती है उससे किसानों को हुई हानि की पूर्ति मुश्किल से हो पाती है। राहत के लिए खर्च किए गए संसाधनों से अस्थाई लाभ ही मिलता है। इस समस्या का स्थायी समाधान समय की तत्कालीन आवश्यकता है। इस जिले में इस चिरस्थायी समस्या के समाधान के लिए केन्द्रीय सरकार को कार्योपाय सोचने चाहिए और बड़े पैमाने पर प्रभावशाली और स्थायी सूखा-रोधन कार्यवाही करनी चाहिए, सिंचाई व्यवस्था में पर्याप्त सुधार करना चाहिए और सूखे का सामना करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देनी चाहिए।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :

भारतीय दूरसंचार तकनीकज्ञ संघ के तकनीकज्ञ और पर्यवेक्षक उच्च वेतनमानों के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करने के लिए बहुत सी समितियां नियुक्त की हैं जिन्होंने उनके लिए उच्च वेतनमानों की सिफारिश की है। केन्द्रीय चतुर्थ वेतन आयोग ने इस बारे में उचित निर्णय लेने की बात सरकार पर छोड़ दी है। इन तकनीकज्ञों के लिए उच्च वेतन-मानों की सिफारिश करने वाले बहुत से समझौतों और आनुक्रमिक संचार मन्त्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों को पूरा नहीं किया गया है। सरकार को तुरन्त ही अपने आश्वासनों को कार्यान्वित करना चाहिए।

2. आवश्यक खाद्य वस्तुओं जैसे चावल, गेहूं, चीनी इत्यादि की सप्लाई में कटौती होने के कारण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे अनेक राज्य, जिनमें कमजोर वर्गों के लिए रियायती दरों पर चावल की सप्लाई की जाती है, गम्भीर संकट का सामना कर रहे हैं। कर्नाटक में पहले चावल का कोटा 70,000 टन प्रतिमाह था जिसमें कटौती करके 40,000 टन प्रतिमाह कर दिया गया है। क्योंकि पिछले वर्ष अच्छी फसल हुई थी इसलिए हमें यह मालूम नहीं है कि सरकार ने चावल अथवा गेहूं के कोटे को क्यों कम कर दिया है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह पुनः पहले जितना कोटा देना शुरू करे। महोदय, अब मैं, सदन से उठकर बाहर जा रहा हूं।

12.18 म० प०

तत्पश्चात् श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर सभा-भवन से बाहर चले गए।

अध्यक्ष महोदय : क्या, यह एक दोहरा वाक आउट है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पौन्नानी) : क्या वे अपने वक्तव्य के विरोध में ही सदन से उठकर बाहर जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कभी-कभी गुस्से में आदमी कुछ भी कर सकता है ।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : अध्यक्ष महोदय, सरकार का मत है कि पंजाब में पंचायतों के चुनाव करा देने के उपरान्त पंजाब की वर्तमान स्थिति में सुधार आ जाएगा, किन्तु यदि पंजाब की वर्तमान हालत पर गम्भीरता से विचार किया जाए तो सरकारी मत पर विश्वास करने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। हत्याओं, अपहरणों, लूट और आतंकवादियों की निरन्तर बढ़ती हुई संख्या, ग्रामों से शहरों को और शहरों से अन्य प्रदेशों को सभी वर्ग के लोगों का पलायन जारी है । इस प्रकार की कानून व्यवस्था के रहते हुए पंचायतों के चुनावों का निष्पक्ष एवं प्रभावी हो पाना सर्वथा असंभव है । दूसरे गुप्तचर विभाग ने भी ग्रामों में पंचायती चुनाव न कराने की सलाह दी है। अतः मेरा अनुरोध है कि इन हालातों को मद्देनजर रखते हुए ग्राम पंचायतों के चुनाव न किए जायें और यदि सरकार पंजाब में जन-प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार देकर फिलहाल कोई प्रयोग करना ही चाहती है तो गत बीस वर्षों से न होने वाले नगरपालिकाओं के चुनाव कराए जायें।

इस महत्वपूर्ण विषय के समस्त पहलुओं पर आगामी सप्ताह सदन में विचार किया जाए ।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं माननीय सदस्यों द्वारा किए गए इन निवेदनों को कार्य मंत्रणा समिति के ध्यान में लाऊंगा ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। श्री भद्रेश्वर तांती । नहीं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पौन्नानी) : महोदय, माननीय गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ।

महोदय, ऐसा पता चला है कि कर्नाटक के राज्यपाल ने एक रिपोर्ट भेजी है। कम से कम अब हमें यह जानना चाहिए कि वहां क्या स्थिति है। महोदय, इस सरकार को हटाने में क्या हिचकिचाहट है? यह हिचकिचाहट कहां है ? आपके माध्यम से गृह मंत्री से यह मेरा अनुरोध है कि इस संवैधानिक गतिरोध को जारी रखने की अनुमति क्यों दी गई है ? इस बारे में शीघ्रता से कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ? क्या आप उन्हें वक्तव्य देने के लिए कहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य करने के लिए आपका स्वागत है। मैं उनसे नहीं कहूंगा परन्तु मैं उन्हें आपको यह जानकारी देने से रोकूंगा भी नहीं ।

श्री जी० एम० बनातवाला : वे क्यों हिचकिचा रहे हैं यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

अध्यक्ष महोदय : आप अभी उनसे पूछ सकते हैं ।

(व्यवधान)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

नागालैंड की सीमा पर असम के गांव राजापोखरी में निर्दोष व्यक्तियों की हत्याएं किए जाने और अन्य अनेक व्यक्तियों को घायल किए जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री पराग चालिहा (जोरहाट) : महोदय, असम की सीमा पर हुई हाल ही की हत्याओं से उत्पन्न स्थिति पर ध्यानाकर्षण नोटिस स्वीकार करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। चूंकि मैं उस जिले का एक प्रतिनिधि हूं……

अध्यक्ष महोदय : आप पहले यह मुद्दा उन्हें बताएं, फिर वह वक्तव्य देंगे। तब आप अपना प्रश्न कर सकते हैं।

श्री पराग चालिहा : जी हां, महोदय। मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह सरकार इस बारे में वक्तव्य दें :

> "नागालैंड की सीमा पर असम के गांव राजापोखरी में नागालैंड से आ रहे सशस्त्र बदमाशों द्वारा बड़ी संख्या में निर्दोष व्यक्तियों की हत्याएं किए जाने और अन्य अनेक व्यक्तियों को घायल किए जाने से उत्पन्न स्थिति तथा इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : महोदय, असम सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 7-4-1989 को लगभग 3.30 बजे प्रातः बन्दूकों, राइफलों, बरछों आदि से लैस नागालैंड से आए लगभग 100 बदमाशों ने असम नागालैंड सीमा पर असम के गांव राजापोखरी पर आक्रमण किया और अंधाधुंध गोलाबारी की और घरों को आग लगा दी। इसके परिणामस्वरूप 7 महिलाओं और पांच बच्चों सहित, 25 व्यक्ति मारे गए और 64 व्यक्ति गोली लगने से घायल हुए। 178 घरों को जलाया गया और 1889 व्यक्ति बेघर हो गए जिन्होंने असम सरकार द्वारा स्थापित राहत शिविरों में शरण ली। इसके अलावा असम सरकार के अनुसार गांवों से लगभग 6500 पड़ौसी व्यक्तियों ने आतंकित होकर भिन्न-भिन्न स्थानों में शरण ली राज्य सरकार ने राज्य के अपर मुख्य सचिव द्वारा घटना की जांच कराए जाने के आदेश दे दिए हैं।

12.23 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

2. नागालैंड सरकार ने घटना की पुष्टि की है लेकिन कहा है कि लूटपाट और हत्याएं अज्ञात उपद्रवियों द्वारा की गई। उन्होंने सूचित किया है कि वहां आकर बसे मुसलमानों ने 62 घरों और गांव हो खाई में नागाओं द्वारा बनाए गए चर्च को जला दिया तथा एक वृद्ध महिला को पीटा और उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। उन्होंने यह भी बताया है कि घटना के बाद एन० एस० सी० एन० और यू० एल० एफ० ए० द्वारा इसी उद्देश्य से हस्ताक्षर किए गए कुछ परचे राजापोखरी गांव में पाए गए। उन्होंने यह भी बताया है कि असम सरकार ने विभिन्न चौकियों पर पुलिस कुमुक-भेज दी है तथा विद्यार्थी और उपद्रवी तत्व सीमा पर एकत्र हो रहे हैं और नागा ग्रामवासियों पर आक्रमण करने के लिए

शस्त्र इकट्ठा कर रहे हैं। तथापि, उन्होंने सूचित किया है कि नागालैंड सरकार घटना की जांच पड़ताल कर रही है तथा अपराधियों की पहचान हो जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

3. घटना के बारे में सूचना प्राप्त होने पर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए असम-नागालैंड सीमा पर तटस्थ बलों को सावधान किया गया। असम और नागालैंड के मुख्य मन्त्रियों से इस बारे में अनुरोध किया गया है कि ये दोनों राज्य उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों में विश्वास की भावना को बहाल करने, संयम बरतने, आपसी सहयोग से मामले की जांच करने, अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार एवं दण्डित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें। उनको यह सलाह भी दी गयी है कि वे आपस में मिलकर इस मामले को हल करें।

श्री पराग चालिहा : महोदय, मैं देखता हूं कि गृह मंत्रालय के वक्तव्य में उन तथ्यों को ही दर्शाया गया है जिन्हें हम जानते हैं। एक असम नागालैंड सीमा पर योजनाबद्ध तरीके से चलने वाली ऐसी निर्मम गतिविधियों का एकमात्र उदाहरण या घटना जिस प्रकार से असम-नागालैंड के बीच सीमा पर बल प्रयोग हुए हैं, भारत में सीमा विवाद को हल करने के लिए कहीं भी ऐसा बल प्रयोग नहीं हुआ है।

नागालैंड असम का एक जिला था; और यह शिवसागर और जोरहाट के साथ लगता है जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। अहोम शासन के दौरान, इन दोनों सरकारों के बीच इतनी अधिक निकटता, और सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध थे कि अभी तक हमारे यहां कुछ ऐसे बाजार हैं जहां नागा लोग नियमित रूप से आते हैं। गृह मंत्री स्वयं यह जानते होंगे। हमारे यहां नागा हाट के नाम से बाजार है। नागालैंड की सीमा तथा मेरे जिले शिवसागर के साथ-साथ नागा बंट के नाम से रास्ते हैं जिनके द्वारा नागालैंड की पहाड़ियों से छोटे व्यापारी अपने व्यापार के लिए आते हैं। ये सम्बन्ध इतने अच्छे रहे हैं कि अहोम राजा के उच्च अधिकारी का नाम बोरपातरा गोहाइं रखा गया था; बोरपातरा गोहाइं के पीढ़ी दर पीढ़ी संबंध हैं क्योंकि उनकी मां नागालैंड से थी। इस प्रकार हमारे अत्यधिक सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध रहे हैं, लेकिन कुछ ताकतें अभी भी एक स्वतन्त्र नागालैंड की मांग करके नागालैंड को पूर्णतया पृथक कर देना चाहती हैं; और ये ताकतें असम और नागालैंड के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनाए हुए हैं, यहां तक कि मौजूदा घटना तो पिछले कुछ वर्षों के दौरान हुई तीन बड़ी घटनाओं में से एक है। हमारे दोनों राज्य की एक ही सीमा 434 किलोमीटर तक है। संवैधानिक और कानूनी रूप से तो विवाद हो ही नहीं सकता क्योंकि जब राज्य बना तो इस संसद में पारित असम-नागालैंड अधिनियम, 1962 के द्वारा नागालैंड की सीमा पूर्णतया निर्धारित कर दी गई थी। हर मुद्दा स्पष्ट कर दिया गया है। इसके बाद जो भी घटनाएं हो रही हैं, वे अतिक्रमण अथवा लालच का परिणाम हैं अथवा नागालैंड सरकार द्वारा भारत के साथ पूर्णतया टकराव का रवैया रखने का परिणाम है। इस प्रकार, इस मामले को पृथक रूप में न लिया जाए, इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। क्या हमें अपने सीमा विवादों को इस प्रकार से हल करना है? कर्नाटक और महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में भी सीमा समस्या हैं। कहीं भी इससे कोई हल न निकलेगा। नागालैंड को छोड़कर ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए किसी ने भी बल प्रयोग द्वारा किसी के सीमा क्षेत्र को नहीं लिया है। अभी तक 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। 4-6-85 को मेरापानी की एक घटना में, एक गैर-सरकारी सूचना के अनुसार, असम से अर्धसैनिक पुलिस कर्मियों सहित सैंकड़ों लोगों को मार दिया गया और नागालैंड के अनेकों लोगों द्वारा असम पुलिस के शस्त्रों तक को छीन लिया गया और ये शस्त्र अभी तक वापस नहीं किए गए हैं। 5-1-1979 को छुंगिया में एक संघर्ष हुआ जिसमें असम के अनेक लोग मारे गए। हाल की घटना में गृह मंत्री के वक्तव्य के अनुसार ही 25 व्यक्ति मार दिए गए,

कत्ल कर दिए गए जिनमें सात महिलाएं और पांच बच्चे थे। हम कहां रह रहे हैं? क्या हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं? क्या ये दोनों मित्र राज्य महान भारत देश के भाग नहीं हैं? क्या इस समस्या का हल गोलियों और भालों से होना है? यह तो विचित्र स्थिति है। इस घटना का सबसे दुखद भाग तो यह है कि इस क्षेत्र में तैनात अर्धसैनिक बल न सिर्फ निष्क्रिय रहते हैं बल्कि वे एक प्रभावित नेपाली महिला की अत्यन्त मार्मिक चिल्लाहट को भी नहीं सुनते हैं, यह महिला उनके कमांडर के पास मदद के लिए गयी थी लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की मदद देने से इन्कार कर दिया। मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह हमें उस सी० आर०पी०एफ० कम्पनी अथवा उसके कमांडेंट का नाम बताएं जो वहां तैनात और जब कत्लेआम हो रहा था तो उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। और मारे गए लोग कौन थे? हम अल्पसंख्यकों के प्रति अत्यधिक चिंतित रहते हैं। मारे गए लोगों में कुछ मुस्लिम थे। एक दिन श्री भद्रेश्वर तांती ने जलाई गई कुरान का एक पन्ना दिखाया था। बोडो लोगों का कत्ल किया गया था। चाय बागान के श्रमिकों के सैंकड़ों मकान जलकर पूर्णतया नष्ट हो चुके हैं। ये सभी लोग एकदम निचले वर्ग के थे। और नागालैंड पुलिस वहां गई। वहां पर एक पुलिस पदक भी पाया गया है। मैं समझता हूं कि सीमापार से कुछ तत्वों ने इसे भड़काया था। इतना ही नहीं है। गैर-सरकारी रिपोर्टें कहती हैं, गृह मन्त्री इनमें शुद्धि कर सकते हैं, इस घटना से दो या तीन दिन पूर्व नागालैंड के मुख्य मन्त्री ने एक बैठक की थी। इसका क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ है कि चूंकि असम सरकार संविधान के उपबन्धों को स्वीकार कर रही है, इसलिए इसे एक कमजोरी माना गया और नागालैंड के लोग आधुनिक बलों के उपयोग द्वारा अतिक्रमण करना चाहते हैं और जमीन को हमेशा के लिए हथियाना चाहते हैं। अभी भी नागा लोगों ने असम की 27,000 एकड़ भूमि का अतिक्रमण कर रखा है। क्यों? ऐसा कैसे है? केन्द्र सरकार एक मूक दर्शक क्यों बनी हुई है?

सुन्दरम् रिपोर्ट में सब कुछ काफी विस्तार से बताया गया था। तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री मोरार जी देसाई के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने नागालैंड सरकार से इसे स्वीकारने का अनुरोध किया था। असम सरकार ने रिपोर्ट पूर्ण रूप से स्वीकार कर ली थी। लेकिन इसके बाद कुछ नहीं हुआ। नागालैंड और असम के मुख्य मन्त्रियों के बीच मध्यवर्ती बैठकें हुई हैं। कांग्रेस (आई) के मुख्यमन्त्रियों सहित असम के सभी मुख्य मन्त्री केन्द्र के हर कथन और सुन्दरम् रिपोर्ट को स्वीकारते रहे हैं लेकिन नागालैंड सरकार ने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों है?

1980, 1982 और विशेषकर 1987 के चुनावों में भी नागालैंड सरकार मतदान केन्द्र के लिए असम की भूमि का उपयोग करती रही है। 1987 में तो इसने एक सर्वदलीय ज्ञापन तक राष्ट्रपति के पास भेजा था। इस सर्वदलीय ज्ञापन पर कांग्रेस (आई) के लोगों, ए० पी० सी० सी० के प्रेजीडेन्ट, भारतीय जनता पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, एस० यू० सी० आई० तथा प्लेंस ट्राइबल काउंसिल के लोगों ने हस्ताक्षर किए थे और इस काउंसिल के श्री समरब्रह्म चौधरी तो यहां उपस्थित हैं। इन सभी ने असम सरकार के मत का समर्थन किया था। परन्तु दुर्भाग्यवश चूंकि नागालैंड की सरकार कांग्रेस (आई) की ही सरकार है, उनके लिए नागालैंड के सम्बन्ध में सही बात कहना शायद कठिन है। समय-समय पर हुए विभिन्न समझौतों को स्वीकार करने की बात नागालैंड की सरकार को कहने में वे सदा झिझकते रहे हैं। किसी भी स्वतन्त्र प्रेक्षक को और, मैं इसमें श्री सन्तोष-मोहनदेव को भी शामिल करूंगा जो असम का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह बात स्वीकार करनी होगी कि कम से कम इस मामले में असम सरकार अपने मार्ग से जरा सा भी नहीं हटी है। दूसरी ओर से ही ये सारी बातें हो रही हैं।

दूसरी गम्भीर बात यह है कि अधिकांशतः ये अवैध कब्जे और हत्यायें किसी चुनाव के ठीक पहले होती हैं। पहली घटना 1979 में हुई थी, दूसरी 4-6-1985 को हुई थी और अब जबकि संसदीय चुनाव बिल्कुल करीब हैं ये हत्यायें हुई हैं। ऐसा क्यों? पहले भी 1964 में हत्यायें हुई थी। अतः ये सब कुछ सुनियोजित ढंग से हो रहा है।

लेकिन अब एक बात है। गृह मंत्री मुझसे सहमत हैं कि यदि कोई सीमा सम्बन्धी विवाद है तो उसका निपटारा गोलियों द्वारा, या अवैध कब्जे द्वारा अथवा लूटखसोट द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा किसी अन्य जगह नहीं हुआ है और यह कहते हुए मुझे बहुत खुशी होती है।

कुछ दिन पूर्व मैं नागालैंड के मुख्यमन्त्री से मिला था। उन्होंने मुझसे कहा था कि समस्या के समाधान के लिए असम और नागालैंड के मुख्यमंत्रियों की बैठक 25 अप्रैल, 1989 को होनी है। स्थिति को बिगाड़ने के लिए आपकी ओर से हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। हमें अभी भी आशा है कि वातावरण सौहार्दपूर्ण बनेगा। असम की ओर से स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की जाएगी। 1979 में जब हत्यायें हो रही थी तो दूसरी ओर मैंने शिवसागर में एक सांस्कृतिक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें नागालैंड और अन्य पड़ोसी राज्यों के अनेक सांस्कृतिक दलों ने भाग लिया। इस प्रकार हम पड़ोसी राज्यों के साथ मधुर सम्बन्ध और आत्मीयता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नागालैंड सरकार ने अहंकारपूर्ण और हठी रवैया अपनाया है। मैं यहां स्थिति को और बिगड़ने वाली बात नहीं करूंगा। आग तो असम में लगी है न कि नागालैंड में क्योंकि असम के कुछ भाग ही नागालैंड के कब्जे में हैं। अतः इस सीमा विवाद को लेकर चलने वाली बातचीत को बिगाड़ने के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। मैं पूरी शक्ति के साथ माननीय गृहमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कुछ ठोस कदम उठाएं ताकि इन वार्ताओं से कुछ ठोस नतीजा सामने आ पाए। जब तक केन्द्र द्वारा इन सीमा विवादों के समाधान के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाए जायेंगे तब तक कोई भी ठोस या स्थाई समाधान नहीं होगा। अतः माननीय केन्द्रीय गृह मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि असम और नागालैंड के बीच सीमा विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए वे कुछ करें। मैं यह भी दोहराता हूं कि अधिनियम के अन्तर्गत संवैधानिक प्रावधानों द्वारा नागालैंड की सीमा का निर्धारण पूर्णरूप से कर दिया गया है। अतः संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन लाये बगैर सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अपनी ओर से हम सिर्फ यही चाहते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष यह नहीं चाहता है। अतः मैं भारत सरकार और गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे वास्तविक स्थिति को समझें तथा राजनीतिक दृष्टि-कोण से स्थिति पर गौर न करें, पक्षपातपूर्ण रवैया न अपनायें क्योंकि असम पहले ही विभाजन का शिकार हो चुका है।

मेरी सिर्फ यह प्रार्थना है कि आगामी 25 अप्रैल को असम और नागालैंड के मुख्यमन्त्रियों के बीच होने वाली वार्ता लाभकारी हो। मैं पुनः यह बात कहूंगा कि हम अस्थायी हल नहीं चाहते हैं बल्कि हम इन सीमा विवादों का स्थायी समाधान चाहते हैं। लेकिन साथ ही असम और नागालैंड के लोगों के बीच का मधुर सम्बन्ध जोकि एक ऐतिहासिक तथ्य रहा है, भी बना रहना चाहिए। किसी भी दलगत हित या इस प्रकार की अन्य बातों से हट कर इस ऐतिहासिक सम्बन्ध को हमें बनाए रखना है। मैं शिवसागर जिले के प्रतिनिधि की हैसियत से कहता हूं कि हम सभी एक हैं। इन दिनों भी आप देखेंगे कि नागालैंड से लोग व्यापार और अन्य उद्देश्यों से असम में आ रहे हैं। हम भविष्य में भी सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, सीमा विवाद जब दो राज्यों के बीच में हो और यदि कोई पक्ष उस विवाद को बल प्रयोग द्वारा, चाहे वह राज्य सरकार हों या उस राज्य में रहने वाले लोग हों, हल करने की कोशिश करते हैं या उसमें किसी प्रकार का बल का प्रयोग हो, तो यह उचित नहीं है। इससे न केवल दो राज्यों के बीच में सम्बन्ध बिगड़ते हैं बल्कि राज्यों की जनता के में ताल्लुकात में फर्क आता है।

पराग चालिहा साहब जब यहां पर बोल रहे थे तो कह रहे थे कि नागालैंड असम के कुछ हिस्सों को मिला करके बना है। यह तो एक ऐतिहासिक तथ्य है। मगर असम के लोगों को यह नहीं समझना चाहिए कि हम बड़े हैं। बल्कि जो छोटे राज्य हैं उनके दृष्टिकोण के प्रति उनकी भावनाओं के प्रति उनमें सहानुभूति होनी चाहिए। उन्होंने नागालैंड की सरकार के एटीच्यूड की बात कही और यह भी कहा कि वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है इसलिए केन्द्र सरकार उनको कोई राय देने में हिचकिचा रही है। जबकि स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। असम की गवर्नमेंट ने केन्द्र से जो भी मदद मांगी वह मदद केन्द्र की सरकार ने असम सरकार को मुहैया करवाई और नागालैंड की सरकार को भी मुहैया करवाई।

मैं समझता हूं कि इस विषय में केन्द्र का दृष्टिकोण हमेशा बिल्कुल निष्पक्ष रहा है। लेकिन असम और नागालैंड का यह विवाद कोई नया नहीं है, न यह कोई पहली बार हो रहा है। इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं वहां पर एक से अधिक बार हो चुकी हैं। इस विषय में दोनों पक्षों को सूझ-बूझ और विवेक से काम लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि दोनों पक्षों के सर्वोच्च नेतागण जब मिल रहे हैं तो वे लोग आपस में मिल कर के इस मामले को सुलझा सकेंगे।

सर आज स्थिति यह है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे को दोष दे रहे हैं। नागालैंड की सरकार यह तो स्वीकार करती है कि कुछ बदमाश लोग, जिनमें यह भी शक है कि कुछ नागा विद्रोही, कुछ उग्रवादी तत्व भी थे, उन लोगों ने असम के अन्दर, गांवों के अन्दर घुस कर के हत्याओं की वारदात की। मगर असम की गवर्नमेंट का यह कहना है कि इसको नागलैंड की गवर्नमेंट ने पेट्रोनाईज किया। नागालैंड की गवर्नमेंट यह कहती है कि असम की तरफ से बराबर ऐसी एक्टीविटीज होती रहती हैं।

जब एक दूसरे पर दोनों पक्ष आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हों तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार ने किसी सीनियर अफसर को वहां भेजा होगा। यदि आपने किसी अफसर को भेजा है तो उसकी फाइंडिंग्ज क्या हैं, क्या उसकी जानकारी है, एक तो मेहरबानी कर के यह बताने की कृपा करें। आपने अपने बयान में कुछ बताया है कि दोनों सरकारों ने अपने-अपने तरीके से इंकवायरी सेट-अप कर ली है। असम की सरकार ने वहां के एडीशनल चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में इन्कवायरी शुरू करवायी है और नागालैंड की गवर्नमेंट ने भी इन्कवायरी की है। जहां एटीच्यूड में इतना फर्क हो और एक दूसरे के खिलाफ भावनायें भड़की हों तो मैं नहीं समझता कि दोनों राज्य सरकारों की तरफ से अफसरों के स्तर पर जो इन्कवायरी कराई जा रही है उससे कुछ निकलने वाला है। हो सकता है कि इससे एक दूसरे पर दोषारोपण करने के लिए आरगुमेंट्स जुटाने का काम किया जाए। एक-दूसरे के खिलाफ विष-वमन करने के लिए कुछ कहा जाए। ऐसी स्थिति में केन्द्र का उत्तरदायित्व और रिस्पांसिब्लिटी और भी बढ़ जाती है।

मैं गृह राज्य मंत्री जी ने यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी हालत में जबकि असम और नागालैंड गवर्नमेंट्स अलग-अलग स्टेंड लिए हुए हों और अलग-अलग इंकवायरी कराना चाहती हों तो उससे सिचुएशन के और बिगड़ जाने का खतरा है। क्या आप केन्द्रीय सरकार की तरफ से कोई निष्पक्ष इंकवायरी इसमें इंस्टीच्यूट करने की बात करेंगे? क्या आप कोई ऐसी इंकवायरी करायेंगे जिससे सिचुएशन और न बिगड़े ? **(व्यवधान)**

मैं गृह राज्य मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा या केन्द्रीय सरकार अपनी तरफ से कोई इंडीपेंडेंट इंकवायरी कराने की कोशिश करेगी या बिठायेगी ?

पैरा मिलिट्री फोर्सिज के विषय में बहुत कहा जाता है। असम की गवर्नमेंट मे जब भी पेरा मिलिट्री फोर्सिज की मांग की तो वह केन्द्र सरकार ने दी। मैं समझता हूं कि उनके एक्शन के विषय में कुछ कहना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। इससे पैरामिल्ट्री फोर्सेस जो वहां पर बहुत ही कठिन परिस्थितियों में, दिक्कतों में काम कर रही हैं, उनका मनोबल गिरता है, उनके मारेल पर असर होता है, अगर वे अनावश्यक तरीके से इनकी आलोचना करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से ए० जी० पी० के दोस्तों से निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपनी सरकार से और वहां के लोगों से कहने की कृपा करें कि अनावश्यक तरीके से पैरामिल्ट्री फोर्सेस की आलोचना न करें। यदि पैरामिल्ट्री फोर्सेस की आलोचना करेंगे तो नार्थईस्ट के अन्दर जिन परिस्थितियों के अन्दर उनको काम करना पड़ रहा है, उसमें उनको काफी मुश्किल हो जाएगी।

आखिर में मैं माननीय मन्त्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं कि क्या आपको ऐसी कोई जानकारी है कि इस इंसीडेंट के पीछे उग्रवादी तत्व, एन० एस० सी० एन० जैसे एलीमेंट्स का हाथ न होने की संभावना है, इस विषय में बताने की कृपा करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : महोदय, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आप नहीं पूछ सकते।

श्री दिनेश गोस्वामी : चुनाव के समय स्थिति विस्फोटक हो जाती है······

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : गोस्वामी जी कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं······

(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि जो घटना घटी है वह बहुत ही निन्दनीय है चाहे इसके लिए जो भी जिम्मेवार है। जैसाकि श्री पराग चालिहा ने कहा कि यह सत्य है कि नागालैंड और असम के लोगों के बीच अच्छे सम्बन्ध हैं और इन दोनों

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

राज्यों के लोगों के बीच कोई तनाव नहीं है। लेकिन यह भी सत्य है कि पांच हजार वर्ग मील के इस क्षेत्र में जोकि दोनों सरकारों के अनुसार विवादग्रस्त क्षेत्र हैं विगत काल में वारदातें हुई थी। इस महीने की 7 तारीख को हुई घटना बहुत ही शर्मनाश घटना है। मारे गए, घायल और प्रभावित लोगों की संख्या बहुत अधिक है जैसाकि मैंने अपने बयान में कहा है। 25 व्यक्ति मारे गए हैं, अनेक लोग घायल हुए हैं और भयग्रस्त होकर बच्चों सहित अनेक लोग शिविरों में चले गए हैं। इस घटना की सूचना पाते ही तुरन्त मैंने स्वयं नागालैंड के मुख्यमंत्री से सम्बन्ध स्थापित किया, उनसे बात की और उन्हें घटना स्थल का मुआयना करने का निर्देश दिया। हमें यह सूचना मिली कि असम के गृह मन्त्री ने घटनास्थल का मुआयना किया है। दोनों राज्यों की सरकारों ने अपने-अपने क्षेत्रों में स्थिति पर नियन्त्रण किया।

अपने भाषण के दौरान श्री पराग चालिहा ने कहा कि समस्या का एक स्थाई हल होना चाहिए। इस बात का कोई विरोध नहीं है। यह समस्या एक लम्बे अर्से से दोनों राज्यों में तनाव उत्पन्न कर रही है। विगतकाल में जनता शासन के दौरान इस सम्बन्ध में कदम उठाए गए थे और कांग्रेस के शासनकाल में भी इस सम्बन्ध में कदम उठाए गए हैं। इस प्रश्न को लेकर सुन्दरम आयोग का गठन किया गया और समस्या के समाधान के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति भी की गयी थी। दुर्भाग्यवश इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। वरन दूसरी ओर जैसाकि बिल्कुल सही कहा गया है कि विगतकालों में चुनावों के समय, इस पिछले चुनाव सहित, काफी तनाव रहा था। लेकिन यह आरोप लगाना बिल्कुल गलत होगा कि—निश्चित तौर पर यह आरोप किसी ने नहीं लगाया है लेकिन राष्ट्रीय प्रेस में मैंने यह आरोप छपा देखा है—कि ऐसी कारवाही एक गैर कांग्रेसीदल की सरकार को हटाने के लिए कांग्रेस (आई) की सरकार ने की है। दस्तावेजों का अध्ययन करने पर मैंने देखा है कि 1979 में जब वहां घटना घटी थी तो असम के मुख्यमंत्री श्री गुलाब बोरबोरा थे और नागालैंड के मुख्यमंत्री श्री विजोल ते······(**व्यवधान**)

श्री पराग चालिहा : हम लोगों ने ऐसा नहीं कहा है।

श्री संतोष मोहन देव : नहीं, आपने ऐसा नहीं कहा है। राष्ट्रीय प्रेस में ऐसा छपा है। मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं। 1985 में श्री सैकिया और श्री जमीर मुख्यमंत्री थे। अतः हमें मिली सूचना के अनुसार यह विशेष घटना कुछ लोगों द्वारा फसल के बटवारे के कारण हुई थी। आप्रावासी मुस्लिम लोग वहां खेती किया करते थे। नागालैंड के लोगों के साथ वे फसल में बटाईदारी किया करते थे और इसमें ही कुछ विवाद उत्पन्न हुआ और यह उस स्थिति की ही परिणति है जोकि अन्ततः इस दुर्भाग्य-वश घटना में परिणत हो गयी। अब हम एक स्थाई समाधान चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इसका समाधान किया जाना चाहिए। अनेक अवसरों पर गृहमंत्री ने भी ऐसा कहा है। महोदय, पिछले चुनाव के समय जब मतदान केन्द्र बनाने की बात आयी थी तो असम की सरकार ने उच्चतम न्यायालय की सहायता की और उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को यह निर्देश दिया कि दोनों राज्य सरकारों से बातचीत कर उनके प्रेक्षक वहां भेजे जायें और वे वहां कुछ मतदान केन्द्रों की स्थापना करें और यह भी कहा गया है कि वहां समस्या का एक स्थाई समाधान होना चाहिए क्योंकि प्रत्येक पांच वर्ष बाद चुनाव होंगे। लेकिन चूंकि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है और मैं कानून का ज्ञाता नहीं हूं मैं नहीं जानता हूं कि इस समय हम क्या कर सकते हैं? लेकिन मुझे खुशी है कि असम और नागालैंड के मुख्यमन्त्रियों की बैठक 25 ता० को हो रही है जैसाकि श्री पराग चालिहा ने कहा और यदि वे

समस्या के किसी व्यावहारिक समाधान तक पहुंच सकें तो निश्चित तौर पर मामलों को न्यायालय से वापस लिया जा सकता है और इसका निर्णय हो सकता है। अब हमें इस बात की प्रतीक्षा करनी है कि कैसे इसका समाधान किया जा सकता है।

फिर, यह आरोप लगाया गया है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सक्रिय नहीं है, उन्होंने सही वक्त पर कार्यवाही नहीं की और यदि उन्होंने सही समय पर कार्यवाही की होती तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। यह आरोप लगाया गया है। अब हमें घटना और लगाए गए आरोपों की जानकारी हो गयी है।

हमने एक वरिष्ठ अधिकारी को भेजा था उसने रिपोर्ट दे दी है हम उस पर गौर कर रहे हैं। हमने यह निर्णय किया तथा श्री हरीश रावत ने भी सुझाव दिया कि भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी को समूचे मामले की जांच करनी चाहिए और यह पता करना चाहिए कि इसमें कोई चूक हुई है और ऐसा पाया गया तो सुझाव देना चाहिए कि क्या कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनायें न हों। तथ्य यह है कि वहां असम सरकार के उपमहानिरीक्षक (सीमा) के नेतृत्व में अर्धसैनिक बल हैं, तथा सूचना देना, दिशानिर्देश देना या हस्तक्षेप करना असम सरकार का कार्य है इस घटना के बारे में कोई खुफिया रिपोर्ट नहीं है, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता। सी० आर० पी० एफ० का यही कहना है कुछ लोगों का कहना है कि 1½ कि० मी० की दूरी थी। परन्तु हमें कुछ रिपोर्ट मिली हैं कि घटना के प्रथम चरण में आधा कि० मी० की दूरी थी। सी० आर० पी० एफ० ने कहा कि वे 15 मिनट में घटना स्थल पर पहुंच गए। कुछ लोगों ने कहा कि वे तीन घंटे या छः घंटे बाद घटना-स्थल पर पहुंचे। परन्तु हम इस विरोधी बयान से खुश नहीं हैं। हमने निश्चय किया है कि भारत सरकार उच्च स्तरीय जांच कराए और रिपोर्ट मिलने के पश्चात् यदि किसी की गलती है तो उचित कार्यवाही करे। परन्तु हमारा सभी से अनुरोध है कि एक दूसरे पर आरोप न लगायें क्योंकि हमें देखना है कि तनाव समाप्त हो और आगे ऐसी घटनायें न हों। मुझे बताया गया है नागालैंड और असम के उप-महानिरीक्षकों की बैठक हुई उसमें उन्होंने विचार किया कि स्थिति को किस प्रकार सामान्य बनाया जाए, लोग फसल की कटाई किस प्रकार करें, लोग अपने स्थानों को वापस कैसे जा सकें तथा स्थिति को सामान्य बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। इसी प्रकार मुख्यमंत्रियों की बैठक से भी स्थिति और सामान्य होगी। इसलिए मुझे विश्वास है कि सरकार ने सही दिशा में कार्यवाही की है। परन्तु हमें इस बात की खुशी नहीं है कि राज्य सरकार स्वतन्त्र रूप से जांच करे। इससे तनाव और अन्य बातें पैदा होंगी। इसलिए हमने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह स्वतन्त्ररूप से जांच न करे। इसकी जांच के लिए भारत सरकार के अधिकारी होने चाहिए ताकि दोनों राज्य सरकारें अपने दृष्टिकोण तथा शिकायतें प्रस्तुत कर सकें तत्पश्चात् रिपोर्ट मिलने के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी।

श्री दिनेश गोस्वामी : हमने सुन्दरम समिति की रिपोर्ट मान ली है।

श्री संतोष मोहन देव : मैं इसके बारे में विस्तार से नहीं कहना चाहता। यह बहुत विस्तृत जांच है। मैं भी असम का निवासी हूं परन्तु मैं असम सरकार का दृष्टिकोण नहीं जानता। मैं यहां का दृष्टिकोण जानता हूं। मैं यहां भारत सरकार में एक मन्त्री के रूप में हूं। इस दृष्टिकोण से मुझे यह कहना पड़ता है कि दोनों सरकारें विवाद कर रही हैं तथा मामला न्यायालय में चला गया है परन्तु विगत चुनाव में असम सरकार ने उदारता दिखाई है और उन्होंने मतदान केन्द्रों को स्थापित करने की

अनुमति दे दी इसके लिए हमें खुशी है। आदान-प्रदान की भावना से इस विवाद को हल किया जाना चाहिए जैसा कि श्री पराग चालिहा ने बिल्कुल उचित कहा है कि नागालैंड असम से बना है तथा पारस्परिक और सांस्कृतिक रूप से नागालैंड तथा असम बहुत निकट हैं। नागाओं की भाषा लगभग असमियों के समान है। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि वहां बड़ी जटिल स्थिति पैदा हो गयी है ऐसा नहीं होना चाहिए परन्तु वहां जो कुछ हुआ है हमें उसकी निन्दा करनी चाहिए, जो दोषी हो उसे दण्ड दिया जाना चाहिए, दोनों सरकारों को भारत सरकार द्वारा गठित जांच समिति का सहयोग करना चाहिए यदि किसी की गलती हो तो नियमानुसार उचित कार्यवाही की जानी चाहिए तथा रिपोर्ट मिलने के पश्चात् हम अर्धसैनिक बलों को और मजबूत बनायेंगे क्योंकि सुझाव भी दिए गए हैं कि वहां तैनात अर्धसैनिक बल पर्याप्त नहीं है। हम उसकी तरफ ध्यान देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं उन सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया तथा मुझे विश्वास है कि वहां शांति बहुत जल्दी बहाल होगी। फिलहाल इसके लिए बातचीत शुरू हुई है कि समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाए मैं उन सबका भला चाहता हूं तथा मृतकों के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त करता हूं तथा मुझे खुशी है कि असम सरकार ने उन लोगों के परिवारों को धनराशि देकर पुनर्वास योजना का प्रस्ताव रखा है जिनके सदस्यों की हत्याएं हुई हैं, जो घायल हुए हैं और उनके लिए शिविर लगाए गए हैं, वे शीघ्र ही अपने स्थानों पर जा सकेंगे। परन्तु यह सीमा विवाद का मुद्दा नहीं है यह फसल की हिस्सेदारी का मामला है तथा घटनास्थल सीमा विवाद का क्षेत्र है इसलिए मेरा विचार है कि इसकी उसी दृष्टिकोण से जांच की जानी चाहिए तथा उस विशेष क्षेत्र में यही एक मुद्दा है। कुछ लोगों की शिकायतें हैं कि वहां कुछ नागाओं के घर जला दिए गए हैं, सच यह है कि पहली घटना दूसरी तरफ से शुरू हुई।

जहां तक नागालैंड की पुलिस का हाथ होने का आरोप है, यह जांच से स्पष्ट हो जाएगा। जहां तक एन० एस० सी० एन० और यू० एल० एफ० ए० के सम्बन्ध में श्री हरीश रावत के विवाद का सम्बन्ध है, हमें रिपोर्ट मिली है कि उनकी पर्चे उपलब्ध हैं परन्तु ये सब सूचना का स्रोत हैं इसकी घटनास्थल पर जांच की जाए कि सच क्या है और क्या सच नहीं है। इसलिए जब तक प्रस्तावित जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती, मैं सही निर्णय नहीं ले सकता, यदि रिपोर्ट मिल जाएगी तो मुझे विश्वास है कि सभा के सदस्य इसके बारे में जान जाएंगे।

एक माननीय सदस्य : क्या मध्याह्न भोजन अवकाश नहीं होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सब चाहते हैं कि मध्याह्न भोजन अवकाश होना चाहिए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री दिनेश गोस्वामी : मध्याह्न भोजन के पश्चात् चर्चा शुरू करें। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, यदि आप सब लंच करना चाहें तो अवश्य कीजिए।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : लंच के बाद, और मैम्बर्स भी आप की बात सुन लेंगे।

श्री भजन लाल : हां, ठीक है, दो बजे कर लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सब चाहते हैं कि हमें सभा कार्यवाही मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित कर देनी चाहिए क्योंकि अधिकांश सदस्य कृषि मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में चर्चा का जवाब सुनेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सन्तोष मोहन देव : श्री दिनेश गोस्वामी विपक्षी सदस्यों को मंत्री महोदय की बात सुनाने के लिए लाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सब चाहते हैं तो हम सभा की कार्यवाही मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित कर देंगे और 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत होंगे।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : हम सभा की कार्यवाही मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित करते हैं और 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत होंगे।

12.58 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.06 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.06 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

अनुदानों की मांगें, 1989-90

(एक) **कृषि मंत्रालय**—जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा और मतदान कराया जाएगा।

श्री भजन लाल बोलें।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : माननीय सभापति महोदय, पिछले 4 दिनों से कृषि विभाग की डिमांड्स पर बहस चल रही है। इसमें बहुत से माननीय सदस्यों ने भाग लिया और बहुत ही मूल्यवान विचार यहां पर रखें। जिन-जिन महानुभावों ने इस विषय की चर्चा में भाग लिया, मैं उन सब को धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और देश की 70 फीसदी आबादी गांवों में बसती है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा का निवास गांव में है और गांवों में बसने वाले भाइयों की हालत जब तक ठीक नहीं होगी तब तक देश की हालत ठीक नहीं होगी क्योंकि सारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। चाहे कोई भाई देहात में बसता हो और चाहे कोई भाई शहर में क्यों न बसता हो असली बेस कृषि ही है। कृषि की हालत सुधारने के लिए महात्मा गांधी जी के कथानुसार पण्डित जवाहर लाल जी नेहरू जो कि पहले प्रधानमन्त्री इस मुल्क के बने थे, ने योजनाबद्ध तरीके से इस देश के निर्माण के लिए सबसे पहले कृषि को पहल दी। पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा था कि दुनिया में और सब चीजें इन्तजार कर सकती हैं लेकिन कृषि इन्तजार नहीं कर सकता है यानी कि यह नितान्त आवश्यक है। कृषि के क्षेत्र में जो काम पिछले 42 सालों में हुए हैं वह बहुत ही सराहनीय काम हुए हैं। आप जानते हैं कि जब देश आगे बढ़ता है और तरक्की करता है तो उसमें कुछ कमियां भी रह जाती हैं। उन कमियों को उठाने के साथ-साथ उनकी अच्छाइयों को भी इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों और महानुभावों ने उठाया। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। वे बहुत गहराई में गए हैं।

आप हमारे देश के वैज्ञानिकों को तो जानते हो हैं। हमारे पहले प्रधान मंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश की ऐसी नींव रखी जिससे हमारा देश ऊपर उठा। किसान को और कृषि को कैसे मजबूत किया जा सकता है उसकी तरफ उन्होंने खास तौर से ध्यान दिया। किसानों के लिए जहां बांध बन सकते थे वहां बांध बनाकर किसानों के खेतों में पानी देने की कोशिश की।

जहां ट्यूबवैल लग सकते थे, वहां ट्यूबवैल लगाने की कोशिश की, जहां और किसी रास्ते से पानी दिया जा सकता था, पानी देने की कोशिश की। यही नहीं कितने अच्छे-अच्छे खाद के कारखाने इस मुल्क में लगे, कितनी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज इस देश में बनी और बड़ी भारी जानकारी किसान के घर तक पहुंचाई। हमारे देश के विशेषज्ञों ने, साइंसदानों ने बड़ा भारी काम इस मुल्क में किया और 16 सौ किस्म के नए बीज पैदा करके किसान के खेत तक पहुंचाए और किसान को उसकी जानकारी दी, बड़ा भारी योगदान हमारे देश के साइंटिस्ट का और हमारे देश के किसान का है कि किसान ने बड़ी भारी लगन के साथ, निष्ठा के साथ काम करके इस देश का आतमसम्मान बढ़ाया।

सभापति महोदय, आप जानते हैं हमारी युगदृष्टा प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक ही बात कही थी कि देश का आत्मसम्मान तभी बढ़ेगा जब कृषि के मामले में हम आत्मनिर्भर होंगे। कृषि के मामले में अगर आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो देश का सम्मान नहीं बढ़ सकता, देश आगे नहीं बढ़ सकता और देश जब आगे नहीं बढ़ता तो देश का सम्मान नहीं होता है, उस देश की प्रतिष्ठा कम होती है। इन्दिरा जी ने पूरा बल देकर कृषि को बढ़ावा देने की कोशिश की और उसी रास्ते पर आगे बढ़कर आज हमारे युवा प्रधान मंत्री राजीव गांधी भी चाहते हैं कि हर हाल्त में किसान को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज दी जाएं, किसान के खेत में बिजली दी जाय, पानी दिया जाए, अच्छे बीज, अच्छा खाद दिया जाए, सारी सुविधाएं दी जाएं, अच्छा लाभकारी मूल्य उसको मिले। सारी बातों के लिए प्रधानमंत्री जी ने इतनी दिलचस्पी ली है कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। आज उसी का नतीजा है कि खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर ही नहीं हुए, आज अगर किसी मुल्क में मुसीबत के समय में कोई दिक्कत आ जाए तो हिन्दुस्तान उसको अनाज सप्लाई भी कर सकता है, आज इतनी शक्ति हिन्दुस्तान रखता है। यह कैसे हो पाया, यह तभी हो पाया जब हमारे देश की नीति, हमारे देश की पॉलिसी, हमारे देश का

प्रोग्राम, का आधार इतना मजबूत है, देश की नींव इतनी मजबूत है कि उसी की वजह से आज सब कुछ हो पाया है। आप जानते हैं कि पिछले 4 सालों में लगातार सूखा पड़ा और लगातार सूखा पड़ने के बावजूद भी देश में अनाज का उत्पादन जो लोग चर्चा करते थे कि पता नहीं क्या हिन्दुस्तान में हो जाएगा, 4 साल से सूखा पड़ रहा है लेकिन देश में अनाज का उत्पादन बहुत कम गिरा। कम गिरने का एक ही कारण था कि हमारे देश के किसान ने बहुत मजबूती के साथ जो जानकारी, जो ज्ञान हमारे साइंटिस्टों ने दिया, उसको अपनाया और देश के उत्पादन को कम नहीं होने दिया और बड़ी लगन और निष्ठा से काम करके इस देश के मान और मर्यादा को कायम रखा।

आप जानते हैं कि देश की आजादी से पहले एक दफा 2 साल के अकाल में लाखों आदमी बंगाल की सड़कों पर भूख के मारे मर गए थे लेकिन अब 4 साल तक भयंकर सूखा पड़ने के बावजूद एक भी आदमी भूख से नहीं मरे तो यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे इस देश का सम्मान और मान बहुत बढ़ा है।

जहां तक उत्पादन गिरने का सवाल है, उत्पादन में टोटल से 3.5 परसेण्ट की कमी देश के उत्पादन में आई। आप जानते हैं कि 1983-84 में 152 मिलियन टन अनाज देश में उत्पादन हुआ और 1987-88 के आंकड़ों को मिलाकर एवरेज करते हैं तो 144.5 मिलियन टन यानी कुल 3.5 परसैण्ट की कमी आई। आप जानते हैं अमेरिका बहुत आगे तरक्की वाला मुल्क है और कहते हैं कि उसने साईंस में बहुत भारी तरक्की की है, हर चीज में उसने आगे बढ़ने की कोशिश की है। अमेरिका में एक साल सूखा पड़ा तो उसकी वजह से सारी दुनिया में तहलका मच गया कि अमेरिका में सूखा पड़ गया, पता नहीं क्या हो जाएगा और आंकड़े कहते हैं कि एक साल के सूखा पड़ने से 30 परसेण्ट की गिरावट अमेरिका के उत्पादन में आई, अमेरिका जैसे मुल्क में एक साल सूखा पड़ने की वजह से और हिन्दुस्तान में लगातार 4 साल सूखा पड़ा लेकिन उत्पादन में 3.5 परसेण्ट गिरावट आई, यह बहुत बड़ी बात है ही नहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है।

आप जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ था, उस वक्त देश की क्या हालत थी। उस समय सारे मुल्क में 50 मिलियन टन अनाज पैदा होता था। आज हमारा टारगेट 166 मिलियन टन का है। उस टारगेट को एचीव करने के लिए 170 मिलियन टन अनाज इस मुल्क में इस साल पैदा होगा। जोकि एक रिकार्ड है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सारी उपलब्धि किसानों को पूरी फैसिलिटी, चाहे वह लोन की शक्ल में हो, चाहे बीज की शक्ल में हो और चाहे खाद की शक्ल में हो, हर तरह की सहायता और किसानों की मेहनत से आज इतना उत्पादन देश में हुआ है।

यहां पर जिन महानुभावों ने डिबेट में हिस्सा लिया, उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। विभिन्न माननीय सदस्यों ने जिन-जिन विषयों पर चर्चा की है, उनके नाम मैं आपको बताना चाहता हूं। इन पर मैं डिटेल्स में बात करूंगा और जो बाकी रह जाएगा उनकी बात का जवाब मैं बाद में दूंगा। कृषकों के लिए लाभकारी मूल्य की आवश्यकता और समर्थन मूल्य में वृद्धि—कृषि लागत और मूल्य आयोग की समर्थन मूल्य को निर्धारित करने की प्रणाली में सुधार—गैर सरकारी प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहन-प्याज के मूल्य को समर्थन—इस पर जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया उनके नाम हैं :—

श्री मदन पांडेय

श्री राम नारायण सिंह

श्री विजयराघवन

श्री डी० जी० सिंह

श्री नित्यानन्द मिश्र

श्री जायनल अबेदिन

श्री उत्तम राठौड़

प्रो० पी० जे० कुरियन

श्री विजय कुमार यादव

प्रो० एन० जी० रंगा

श्री मुरलीधर माने

श्री मुहो राम सैकिया

डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुहा

श्री मोहम्मद अयूब खां

श्री बी० एस० रामूवालिया

श्री डी० बी० पाटिल

श्री के० डी० सुल्तानपुरी

डा० जी० एस० राजहंस

श्री हरीश रावत

श्री आई० रामा राय

श्री वी० कृष्ण राव

इन महानुभावों ने इन बातों के बारे में कहा है।

सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता भूमिगत जंल के प्रयोग का विकास—इसके बारे में जिन माननीय सदस्यों ने कहा है, वे हैं :—

श्री राम नारायण सिंह

श्री एम० रघुमा रेड्डी

श्री नित्यानन्द मिश्र

श्री विजय कुमार यादव

श्री अख्तर हसन

श्री तपेश्वर सिंह

श्री जनक राज गुप्त

श्री के० डी० सुल्तानपुरी

श्री बी० डी० दुबे

श्री एन० टोम्बी सिंह

सभी फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने की आवश्यकता जिसकी विकसित देशों द्वारा प्राप्त स्तर से तुलना की जा सके। इसके बारे में जिन्होंने चर्चा की है, वे हैं :—

श्री डी० जी० सिंह

श्री एम० रघुमा रेड्डी

श्री के० प्रधानी

प्रो० पी० जे० कुरियन

श्री विजय कुमार यादव

डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुहा

श्री राम बहादुर सिंह

बागवानी को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता—प्लानटेशन फसल, नारियल काली मिर्च इत्यादि का विकास—

श्री डी० जी० सिंह

श्री नित्यानन्द मिश्र

प्रो० पी० जे० कुरियन

श्री मुही राम सैकिया

श्री हरीश रावत

श्री के० एस० राव

अच्छे किस्म के बीजों का उत्पादन और आपूर्ति की आवश्यकता—मिनि किट का विस्तृत उपयोग—बीजों के गुण पर नियन्त्रण :—

श्री मदन पांडेय

श्री राम नारायण सिंह

श्री राम सिंह यादव

श्री के० प्रधानी

श्री नित्यानन्द मिश्र

श्रीमती बासवराजेश्वरी

श्री डी० पी० यादव

श्री जनकराज गुप्त

श्री राम बहादुर सिंह

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह

श्री आई० रामा राय

श्री जी० एस० बासवराजु

उर्वरक की आपूर्ति, गुण (क्वालिटी) नियन्त्रण जैव खाद को प्रोत्साहन उर्वरक और दूसरे इनपुट की उचित व्यवस्था और समन्वय :—

श्री राम नारायण सिंह

श्री जगदीश अवस्थी

श्री नित्यानन्द मिश्र

प्रो० पी० जे० कुरियन

श्री जनक राज गुप्त

श्री के० डी० सुल्तानपुरी

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह

श्री हरीश रावत

फसल बीमा लागू करने की आवश्यकता :—

श्री जगदीश अवस्थी

श्री विजयराघवन

श्री उत्तम राठौड़

श्री मुरलीधर माने

श्री मुही राम सैकिया

श्री तपेश्वर सिंह

श्री जनक राज गुप्त

श्री वृद्धि चन्द्र जैन

श्री राम बहादुर सिंह

कृषि मन्त्रालय और दूसरे सम्बन्धित मंत्रालयों में समन्वय की आवश्यकता जैसे ऊर्जा और जल

संसाधन मंत्रालय—जिला और ब्लाक के स्तर पर समन्वय की आवश्यकता :—

श्री एम० रघुमा रेड्डी

प्रो० एन० जी० रंगा

श्री मुरलीधर माने

श्री डी० पी० यादव

भूमि सुधार :—

श्री मदन पांडेय

श्री जायनल अबेदिन

श्री डी० जी० सिंह

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया

श्री शांताराम नायक

श्री शंकर लाल

श्री जुझार सिंह

इन इन महानुभावों ने इन बातों के बारे में चर्चा में विशेष हिस्सा लिया। उनके बारे में मैं तफसील से आंकड़ों के साथ आपको बताना चाहता हूं। जो बात इसमें नहीं आएगी उसके बारे में अलग से जिक्र करूंगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय मन्त्री जी, लैंड रिफार्म्स के बारे में मैंने भी कहा था लेकिन मेरा नाम गायब कर दिया।

श्री भजन लाल : आपको आना चाहिए, आपने कहा भी था। मैं गिनकर नहीं आया, मैं अभी बताऊंगा—

सभापति महोदय, पिछले वर्ष जब मैंने कृषि मंत्रालय की मांगों को प्रस्तुत किया था, उस समय देश एक भयंकर सूखे से संघर्ष कर रहा था। प्रधान मन्त्री जी के निर्देश पर एक विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके तहत देश के 14 राज्यों के 169 जिलों में 5 मुख्य फसलों—चावल, गेहूं, मक्का, अरहर व चने का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाये गए। इस प्रोग्राम के अन्तर्गत छोटे व सीमान्त किसानों को नए कुएं व ट्यूबवैल लगाने के लिए सबसिडी देने, खाद की खपत बढ़ाने, नए बीजों के उत्पादन व प्रयोग तथा कीटनाशक और खर-पतवार नाशक दवाओं का प्रयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त एन० आर० ई० पी० व आर० एल० ई० जी० पी० कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जातियों के छोटे व सीमान्त किसानों के लिए 10 लाख कुएं मुफ्त देने का प्रोग्राम भी शुरू किया गया।

प्रधान मन्त्री जी ने इन 14 राज्यों के मुख्य मन्त्रियों से इस सम्बन्ध में एक बैठक की। मैंने भी इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों से अलग-अलग बैठकें की। इस कार्यक्रम के इम्पलीमेन्टेशन के लिए अधिकारियों के स्तर पर भी पूरी कोशिश की गई।

आज मुझे यह कहते हुए गौरव हो रहा है कि हमारे देश के बहादुर किसानों की मेहनत, राज्य सरकारों के सहयोग व हमारे वैज्ञानिकों तथा विस्तार कार्यकर्त्ताओं और हमारे सीनियर अधिकारियों के मिले-जुले प्रयासों से 1987-88 के भीषण सूखे के बावजूद भी देश में कृषि की उन्नति में कोई खास कमी नहीं आई और 1988-89 का साल तो भारतवर्ष में कृषि विकास का एक नया अध्याय माना जा सकता है।

हाल के वर्षों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में भारतीय कृषि में वृद्धि की काफी क्षमता दिखाई दी है। यह उल्लेखनीय है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान सूखे की स्थिति के बावजूद भी 1985-86 से 1987-88 के दोरान खाद्यान्नों का औसत उत्पादन 144.5 मिलियन टन रहा। यह छठी योजना के 138.20 मिलियन टन के खाद्यान्नों के औसत उत्पादन से कहीं अधिक था। 1987-88 में गम्भीर सूखे के होते हुए भी 1987-88 में खाद्यान्नों का 138.4 मिलियन टन हुआ जो 1986-87 के उत्पादन से केवल 3.5 प्रतिशत कम था।

नवीनतम अनुमानों के अनुसार चालू वर्ष 1988-89 के दौरान ऐसी आशा की जाती है कि खाद्यान्नों का उत्पादन 170 मिलियन टन से भी अधिक होगा। यह स्वयं में एक रिकार्ड है। यह वर्ष कई दृष्टियों से रिकार्ड उत्पादन का वर्ष माना जा सकता है जिसमें बहुत-सी जिन्सों के पिछले रिकार्ड उत्पादन के मुकाबले पर्याप्त वृद्धि होगी। चावल, गेहूं, तिलहन, मूंगफली, तोरिया, सरसों और सोयाबीन तथा गन्ना और दालों के उत्पादन में रिकार्ड उपलब्धियां इसी वर्ष प्राप्त होने की आशा है।

अभी तक का सबसे अधिक चावल का उत्पादन वर्ष 1985-86 में 63.83 मिलियन टन और गेहूं का उत्पादन 47.05 मिलियन टन हुआ था जो इस वर्ष चावल का 70.14 मिलियन टन तथा गेहूं का 51 मिलियन टन होने की उम्मीद है। इसी प्रकार गन्ने का उत्पादन पिछले वर्ष के 196.72 मिलियन टन के मुकाबले में 200 मिलियन टन होगा।

जैसाकि सदन को ज्ञात है कि सरकार ने तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने तथा इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सन् 1986-87 में एक टैक्नौलॉजी मिशन की स्थापना की थी। मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि टैक्नोलॉजी मिशन की समेकित नीतियों व प्रयासों से तिलहन फसलों के उत्पादन में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। वर्ष 1988-89 के लिए तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 155 लाख टन का था। नवीनतम अनुमानों के अनुसार ऐसी आशा की जाती है कि तिलहन उत्पादन 160 लाख टन से भी अधिक होगा।

सभापति महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि तिलहन फसलों के अधिक उत्पादन से खाद्य तेलों के आयात की मात्रा में बहुत अधिक कमी होने की सम्भावना है जिससे मूल्यवान विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

हमारी आम जनता के भोजन में प्रोटीन का साधन दालें ही हैं। इनका रिकार्ड उत्पादन 1985-86 में 13.36 मिलियन टन हुआ था जो कि इस वर्ष 15.38 मिलियन टन होने की आशा है।

यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्वाधीनता के बाद भारत में कृषि विकास सारे संसार के लिए एक अनूठा उदाहरण है। यह कृषि वैज्ञानिकों, विस्तार कार्यकर्त्ताओं, नीति-निर्णायकों और प्रशासकों

द्वारा किए ठोस और संगठित प्रयासों और उससे भी महत्वपूर्ण कृषकों द्वारा नई टेक्नोलोजी को अपनाने में दिखाई गई दिलचस्पी तथा साहस का परिणाम है।

स्वाधीनता के बाद योजना बनाने की प्रक्रिया में सदा ही कृषि को अधिक महत्ता दी जाती रही है। हमारी लगातार यह कोशिश रही है कि कृषि सम्बन्धी समस्याओं के लिए अनुसंधानों और नई टेक्नोलॉजी का सर्वदा प्रयोग होता रहे। हमारे किसानों ने बेहतर टेक्नोलॉजी के उपयोग और उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने की दिशा में बहुत धैर्य और क्षमता दिखाई है। यही कारण है कि खाद्यान्नों का उत्पादन स्वाधीनता के बाद तीन गुना से भी अधिक बढ़ गया है। दूसरी फ़सलों के उत्पादन में भी इसी प्रकार प्रशंसनीय वृद्धि हुई है।

कृषि में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना राष्ट्र के आत्मसम्मान का प्रश्न है। यह पंडित जवाहर लाल नेहरू और इन्दिरा जी के दृढ़ निश्चय का ही परिणाम है कि हम आज भारतवर्ष अनाज के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सका है। हम आज गौरव से सिर उठा कर कह सकते हैं कि भारत खाद्यान्न के मामले में केवल आत्मनिर्भर ही नहीं है बल्कि जरूरत पड़ने पर औरों की भी सहायता कर सकता है।

हमारे माननीय प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी जी ने इसी नीति का परम्परा को नया बल और नई दिशा दी है। प्रधान मंत्री जी ने सातवीं योजना के प्राक्कथन में यह कहा है कि "कृषि सम्बन्धी नीति ने पिछले दशक में असाधारण सफलता प्राप्त की है और सातवीं योजना में हमें इसे और अधिक उत्साह से आगे बढ़ाना चाहिए। प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में आज राष्ट्र कृषि विकास के नये लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पशील है।"

स्वतन्त्रता के बाद कृषि विकास की दर में उन्नति हुई है। विकास दर जो आजादी के तुरन्त बाद 2.65 प्रतिशत थी आज वह 3% वार्षिक है। हमारा लक्ष्य यह भी है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर 4 प्रतिशत हो। हमारा दीर्घकालीन लक्ष्य यह भी है कि इस शताब्दी के अन्त तक खाद्यान्न का उत्पादन 235 से 240 मिलियन टन तक पहुंचे।

आजादी के पश्चात् 1950-51 में खाद्यान्न उत्पादन 50.52 मिलियन टन था। अब 1988-89 में खाद्यान्न उत्पादन के 170 मिलियन टन हो जाने की पूरी सम्भावना है।

इसी प्रकार अनाज की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो 1950-51 में 522 किलोग्राम थी वह अब 166 किलोग्राम 1987-88 में प्रति हेक्टेयर है। गेहूं का उत्पादन इस अवधि में 65 लाख टन से बढ़कर लगभग 510 लाख टन 1988-89 में अनुमानित हो गया है। चावल का उत्पादन इस अवधि में 206 लाख टन से बढ़कर 701 लाख टन 1988-89 में अनुमानित हो गया है। खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो 1951 में 144.1 किलोग्राम प्रति व्यक्ति थी, वह बढ़कर 169.9 किलोग्राम प्रति वर्ष हो गई है।

गन्ने का उत्पादन जो 57 मिलियन टन था वह आज 198-200 मिलियन टन (अनुमानित 1988-89) हो गया है। यह वृद्धि तीन गुना से ज्यादा है।

इस अवधि में कपास उत्पादन 1950-51 में 30 लाख गांठें था जोकि 1988-89 में 100 लाख गांठों का अनुमानित है। पटसन का उत्पादन 33 लाख गांठों से बढ़कर 70-72 लाख गांठें हो

गया है। दालों का उत्पादन इस अवधि में लगभग 84 लाख टन था, इन माल इसमें रिकार्ड वृद्धि हुई है और आशा की जाती है कि इस साल उत्पादन 153 लाख टन से भी अधिक होगा।

तिलहन का उत्पादन लगभग 52 लाख टन था। इस साल आशा की जाती है कि तिलहन का उत्पादन बढ़कर 160 लाख टन से भी अधिक हो जाएगा। यह स्वयं में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आलू का उत्पादन उस समय लगभग 15 लाख टन था, यह बढ़कर करीब 27 लाख टन हो गया है। दूध का उत्पादन 1951 में लगभग 170 लाख टन था, आज यह बढ़कर 487 लाख टन हो गया है (**व्यवधान**) अन्डों का उत्पादन 1951 में 1.8 अरब था, आज यह लगभग 18 अरब से ज्यादा है।

देश में उस समय कुछ काश्त रकबा, ग्रास क्राप्ड एरिया 1950-51 में 13 करोड़ हैक्टेयर था जबकि अब लगभग साढ़े चौदह करोड़ हैक्टेयर है। इसी तरह से देश में कुल सिंचित रकबा उस समय सवा दो करोड़ हैक्टेयर था जबकि अब लगभग साढ़े 5 करोड़ हैक्टेयर है। सिंचाई में यह वृद्धि मुख्यतः नहरों के विकास और ट्यूबवैलों के निर्माण के कारण हुई है।

खाद्यान्न उत्पादन में भारत का चावल में चीन के बाद दूसरा स्थान है। गेहूं में रूस, चीन और अमरीका के बाद चौथा स्थान है, बाजरे में पहला, ज्वार में अमरीका के बाद दूसरा, मूंगफली में चीन के बाद दूसरा, गन्ने में ब्राजील के बाद दूसरा, सब्जियों में चीन के बाद दूसरा, फलों में ब्राजील के बाद दूसरा, कपास में रूस, अमरीका और चीन के बाद चौथा, अंडों में रूस, चीन, अमरीका, जापान और फ्रांस के बाद छटवां स्थान है।

हमें अपने किसानों की मेहनत, वैज्ञानिकों की सूझबूझ पर पूरा विश्वास है और हम इस तालिका में भारत का स्थान और ऊपर ले जाएंगे।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से किसानों को बिजली की सप्लाई बहुत कम मूल्य पर की जाती है। कृषि क्षेत्र द्वारा उपयोग की गई बिजली का शेयर 1950 में कुल 3.9 प्रतिशत था जो अब 1986 में बढ़ाकर 22 प्रतिशत हो गया है। सरकार पंप सैटों को बिजली देने के काम को बहुत अधिक प्राथमिकता दे रही है। 120 लाख पम्प सैटों को चालू किए जाने की अनुमानित क्षमता की तुलना में 30-9-88 तक 74 लाख पंप सैट पहले ही चालू किए जा चुके हैं। फसलों के लिए तैयार किए गए विभिन्न विकास कार्यक्रमों और योजनाओं के जरिए किसानों को राज-सहायता और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के तहत छोटे और सीमांत किसानों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फसलों के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस प्रकार हैं—

विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम, पूर्वी राज्यों में विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना, तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि (ध्रस्ट) परियोजना, वर्षा सिंचित खेती के लिए राष्ट्रीय वाटर-शेड विकास कार्यक्रम, गहन कपास विकास कार्यक्रम, गहन पटसन विकास कार्यक्रम।

इन कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को लघु सिंचाई सहित अपने फार्म संसाधनों के विकास तथा बीज, वनस्पति रक्षण, रसायन/उपकरण, उर्वरक फार्म उपस्कर जैसे आदानों के लिए सहायता दी जाती है। फसल उत्पादन कार्यक्रमों में अच्छे किस्म के बीज सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। 1979-80 में 14

लाख क्विंटल प्रमाणीकृत बीजों का वितरण किया गया। 1988-89 के दौरान 57 लाख क्विंटल बीज किसानों में वितरित किया गया। किसानों को गेहूं, चावल, गन्दम, कपास और तिलहन-दलहन के अधिक उपज देने वाले तथा उन्नत किस्मों के बीजों की सप्लाई रियायती दरों पर की जा रही है तथा 150 रुपये से 250 रुपये प्रति क्विंटल तक राजसहायता यानि सब्सिडी के तौर पर दिए जाते हैं। उत्पादन में उन्नत प्रौद्योगिकी को लागू करने तथा इसको लोकप्रिय बनाने के लिए बीज मिनी किटों का वितरण करना महत्वपूर्ण साधन है। चावल, गेहूं और मोटे अनाजों के 18 लाख 65 हजार मिनी किट 1988-89 में वितरित किए गए। भारत सरकार ने बीज विकास की एक नई नीति की घोषणा की है जिसके अन्तर्गत मोटे अनाजों, दालों तिलहनों, सब्जियों, फलों और फूलों के विषय में कहीं भी उपलब्ध सबसे बढ़िया कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आयात किए जा सकते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद के महत्व को समझते हुए सरकार ने इस क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है। आजादी के बाद विशेषरूप से पिछले 7-8 वर्षों में इसमें अपूर्व वृद्धि हुई है। 1950-51 में नाइट्रोजन खाद की उत्पादन क्षमता 17 हजार टन थी, जो 31 मार्च, 1989 की बढ़कर 81 लाख 48 हजार टन हो गई। इसका उत्पादन 1950-51 में 10 हजार टन के मुकाबले 1988-89 में 67.12 लाख टन तक पहुंच गया है। इसी प्रकार फास्फेटिक खाद की उत्पादन की क्षमता 1950-51 में 20 हजार टन से बढ़कर 1988-89 में 26 लाख 50 हजार टन हो गई है। इसी समय के दौरान फास्फेटिक खाद का उत्पादन 8 हजार टन से बढ़कर 22 लाख 51 हजार टन हो गया है। उर्वरक उद्योग को इनके उत्पादन का उचित मूल्य देने तथा किसानों को खाद सस्ते दर पर दिलाने के लिए सरकार ने एडमिनिस्टर्ड मूल्यों की प्रणाली लागू की है। यद्यपि खाद की उत्पादन लागत अधिक है, किसानों को खाद पिछले सात-आठ वर्षों से उसी दर पर उपलब्ध कराई जाती रही है, हालांकि दाम और अधिक बढ़े हैं। उत्पादन लागत और विक्रय मूल्य के बीच का अन्तर सरकार सब्सिडी देकर खुद वहन करती है। 1977-78 के जनता राज में खाद और सब्सिडी की मात्रा 25 करोड़ रुपये कुल से थी, जो बढ़कर 1988-89 में 3250 करोड़ रुपये हो गई। अगले वर्ष 1989-90 के बजट में 3 हजार 651 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जोकि एक रिकार्ड होगा। रासायनिक खाद के देशी उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। खाद के कारखानों की उत्पादन क्षमता, उपयोगिता सन् 1951-52 में 53 प्रतिशत के मुकाबले बढ़कर 1988-89 में 85.6 प्रतिशत रही है। बहुत से कारखानों में उत्पादन क्षमता उपयोगिता 100 प्रतिशत से भी अधिक है। इसी प्रकार देश ने उर्वरक के क्षेत्र में पहले से ज्यादा आत्म-निर्भरता प्राप्त की है। पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं में उर्वरक की पचास प्रतिशत मांग आयात से पूरी की गई। छठी पंचवर्षीय योजना में आयात पर निर्भरता कम होकर तीस प्रतिशत तक आ गई, परन्तु 1987 से नाइट्रोजन खाद यानि यूरिया को शत-प्रतिशत आवश्यकता स्वदेशी कारखानों से पूरी की जा रही है। रासायनिक उर्वरक की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1951-52 से 1988-89 के बीच खाद की खपत 167 गुना बढ़ गई है। पिछले वर्ष 1987-88 में 90.11 लाख टन के मुकाबले 1988-89 में 110 लाख टन खाद की खपत हुई जोकि 22 प्रतिशत अधिक है। जबकि 1988-89 के लिए लक्ष्य केवल 101.75 लाख टन का था। फटिलाइजर्स के उपयोग को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए 1988-89 में करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से देश 5 सभी 446 जिलों में पचास हजार छः सौ अतिरिक्त खुदरा केन्द्र खोलने की योजना मंजूर की गई'''इसी योजना के अन्तर्गत प्रत्येक खुदरा केन्द्र को सहायता के रूप में 1200 रुपए दिए जाते हैं।

इसके साथ-साथ 25 किलोग्राम, 15 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम के छोटे पैकेटों में उर्वरकों की सप्लाई की जा रही है। ताकि दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले किसान भी उर्वरकों का उपयोग कर सके और उन्हें खाद ले जाने में दिक्कत न हो।

सरकार की यह हर संभव कोशिश है कि किसानों को खाद उचित मूल्य पर उनके घर के निकट व सही समय पर प्राप्त हो। इसके लिए सरकार ने अनिवार्य जिन्स अधिनियम के अन्तर्गत उर्वरकों के सांविधिक अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित किए हैं। किसानों को देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी जगह एक ही दर पर खाद उपलब्ध कराई जाती है।

सरकारी प्रयासों के जरिए किसानों को ऋण की उपलब्धता काफी बढ़ा दी गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी समितियां भी शामिल हैं, के माध्यम से ऋण के वितरण में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यह 1985-86 में 7,354 करोड़ रुपये से बढ़कर 1987-88 में 8214 करोड़ रुपये हो गयी। वर्ष 1988-89 के लिए 11,751 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है।

2.41 म० प०

[इस समय दर्शक दीर्घा से कुछ नारे सुनाई दिए।]

अल्पावधि कृषि ऋणों पर 15,000 रुपये तक ऋणों के सम्बन्ध में 1-3-88 से ब्याज की दरों में 1.5 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत तक की कमी की गई है। इसके अलावा 15,000 रुपये से अधिक और 25,000 रुपये तक की श्रेणी में आने वाली अग्रिम राशियों के लिए 1-3-89 से ब्याज की दर 14 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दी गयी है।

भारत में सहकारिता आन्दोलन का निरन्तर विकास हुआ है। 30-6-88 को सहकारी समितियों की संख्या 3.50 लाख थी, जिनके सदस्यों की कुल संख्या 15 करोड़ थी। कृषि के क्षेत्र में ऋण के वितरण, उर्वरक तैयार करने तथा वितरण और अन्य क्षेत्रों में सहकारी समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए जलवायु और कृषि स्थिति के आधार पर 15 योजना टीमें स्थापित की गयी हैं। भारतवर्ष में जलवायु और कृषि सम्बन्धी स्थितियां बहुत विभिन्न हैं। इसके कारण हर क्षेत्र की अपनी विशेषताएं हैं और क्षमताएं हैं। इन क्षमताओं का पूरा पूरा उपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि उन विशेष परिस्थितियों का पूरा ध्यान किया जाये और इसी के अनुसार फसल उत्पादन और अन्य कृषि सम्बन्धी गतिविधियों की योजना बनाई जाए। इन योजना टीमों के अध्यक्ष सम्बन्धित कृषि विश्वविद्यालयों के वाईस-चांसलर हैं। कृषि और सहकारिता विभाग के प्रतिनिधि भी इन टीमों में सम्मिलित हैं।

इन योजना टीमों के द्वारा योजना की प्रणाली में विकेन्द्रीकरण होगा और फसल उत्पादन वैज्ञानिक आधार पर संगठित किया जाएगा। इसके द्वारा स्थानीय हितों का भी पूरा प्रतिनिधित्व हो सकता है। योजना प्रणाली की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, जहां हमने सारे देश को 15 क्लाइमैटिक आधार पर 15 जोनों में बांटा है, ताकि वहां की आबोहवा के हिसाब से किसानों को खेती की पूरी जानकारी दी जा सके कि वहां किस प्रकार की फसल अच्छी हो सकती है, उसका ज्ञान किसानों को दिया जाए और किसानों को वहां की आबोहवा के हिसाब से फसल बोने के लिए प्रेरित किया जा सके, उसके साथ-साथ लगभग 15 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने

एक सुपर कम्प्यूटर देश के लोगों को अर्पित किया है, जिसके जरिए किसानों को बताया जाएगा कि आज के बाद, आने वाले तीन से 7 दिनों के भीतर किस एरिया में, कि जगह पर बरसात होने की सम्भावना है ताकि वहां के किसान उसके मुताबिक अपनी तैयारी कर सकें।

श्री बी० आर० भगत (आरा) : क्या वह सुपर कम्प्यूटर इस महीने काम करना शुरू कर देगा।

श्री भजन लाल : हां, बहुत जल्दी ही वह शुरू हो जाएगा। उसकी विशेषता यह है कि वह 3 से 7 दिन पहले ही जानकारी किसानों को दे सकेगा कि फलां एरिया में बरसात होने की संभावना है। इन एग्रो क्लाइमेटिक जोनों के अतिरिक्त, हमने पूरे देश में 126 सब-जोन भी बनाये हैं ताकि वे भी मौसम के सम्बन्ध में फोरकास्ट कर सकें, किसानों को बता सकें···

श्री अताउर्रहमान (बारपेटा) : बरसात के बारे में बतायेगा, वह तो ठीक है, क्या फ्लड्स के बारे में भी कम्प्यूटर कोई जानकारी देगा या नहीं, यह भी बतायें।

श्री भजन लाल : अब आप समझ सकते हैं···

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उसकी दी गई खबर सच्ची होगी क्या इसकी कोई जांच की गयी है। कहीं किसानों के साथ धोखा तो नहीं होगा।

श्री भजन लाल : सुपर कम्प्यूटर वैसे तो दुनिया भर से सबसे उत्तम क्वालिटी का निर्मित किया हुआ हमने लिया है और यहां लाने के बाद बाकायदा उसको टैस्ट किया गया है, जब वह जांच में सही पाया गया है, तभी देश के लोगों को समर्पित किया गया है।

वहां से ला कर के उसको बकायदा टैस्ट किया गया है और टैस्ट में सही पाया गया है तभी देश के लोगों को समर्पित किया गया है और बाकायदा आपको उसका पूरा पता लग जाएगा। लेकिन आपने कहा कि फ्लड के बारे में वह पूरी जानकारी देगा या नहीं, या कहां-कहां बरसात होने की सम्भावना है। इस बारे में तो आप जानते हैं कि सौफीसदी जानकारी तो शायद परमात्मा के पास भी न हो लेकिन इतना कह सकता हूं कि इससे बड़ा लाभ किसानों को होगा। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो पानी से पहले बोई जाती हैं। कुछ थोड़े से पानी में बोई जा सकती हैं। मान लीजिए राइस बोना है, तो उसमें शुरू से कम पानी से काम चल जाएगा और यदि किसानों को यह जानकारी मिल जाएगी कि अब बरसात आने वाली है, तो उनको अपने खेतों को भरने के लिए पम्प नहीं चलाने पड़ेंगे और इस प्रकार से उनकी बचत हो सकती है क्योंकि बरसात से ही उनके खेत पानी से भर जाएंगे। इस प्रकार से इससे किसान को बहुत बड़ा लाभ होगा। इसके द्वारा तीन से सात दिन पहले की पूरी जानकारी दी जाएगी, ताकि किसान उसका लाभ उठा सकें।

महोदय, पशु-पालन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं। देश में आपरेशन फ्लड डेरी और फल विकास के लिए प्रमुख साधन हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 23315 ग्राम डेरी विकास सहकारी समितियों की स्थापना की गई है जिनमें 38 लाख 98 हजार दुग्ध उत्पादक कृषक हैं। ये छोटे-छोटे सीमांत और भूमिहीन श्रमिकों की श्रेणी के हैं।

मत्स्यिकी मत्स्य के विकास का मुख्य उद्देश्य। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना तथा मछुआरों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। मत्स्य उत्पादन 1984-85 में 28.01 लाख

टन था वह 1988-89 के दौरान बढ़कर 31.35 लाख टन हो गया है। 1973-74 में केवल 10 वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते थे। 1988-89 में सरकार ने 21 वस्तुओं के खरीद समर्थन मूल्य घोषित किए हैं। भारत सरकार बुवाई मौसम के शुरू होने से काफी पहले मूल्य घोषित करती है ताकि किसान को बता दें कि आने वाली फसल में आपकी जिन्स का यह भाव मिलेगा जिससे किसान उसी हिसाब से अपने खेत में वह जिन्स बो सके। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1979-80 की तुलना में 1988-89 में न्यूनतम समर्थन मूल्य/अधिप्राप्ति मूल्य में धान के लिए 68.4 प्रतिशत मोटे अनाज के लिए 52.6 प्रतिशत, दालों के लिए 105 से 118 प्रतिशत तक, छिलके वाली मूंगफली के 125 प्रतिशत और सूरजमुखी के लिए 157 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए कृषि लागत तथा मूल्य आयोग का विस्तार 3 गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल कर के किया गया है, जो किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हैं—(1) श्री नागेश्वर राव, जिला गुंटूर (आन्ध्र प्रदेश) (2) चौ० रणधीर सिंह, सोनीपत (हरियाणा) और (3) श्री आर० टी० रम्बाई, शिलांग (मेघालय), हमेशा माननीय सदस्यों की यही शिकायत रहती थी कि इसमें किसानों के नुमाइंदे नहीं हैं। इसलिए अब हमने ये तीन किसान और शामिल कर दिए हैं। कृषि लागत तथा मूल्य आयोग, कृषक द्वारा कृषि श्रमिक को अदा की गई वास्तविक मजदूरी के आधार पर अपनी सिफारिशें तैयार करता है। ये नुमाइन्दे हमने सारे मुल्क की तीनों दिशाओं से छांटे हैं। ताकि सारे देश का प्रतिनिधित्व हो सके। और किसानों के साथ बैठकर बातचीत हो सके।

श्री मुरलीधर माने (नासिक) : मंत्री महोदय, जैसा प्रधान मंत्री जी ने भी कहा था कि इसमें जो प्रतिनिधि रखे जाएंगे, जो नुमाइंदे लिए जाएंगे, वे इर्रीगेटेड और नॉन इर्रीगेटेड, दोनों एरिया से लिए जायेंगे, क्या ऐसा है ?

श्री भजन लाल : मैं आपसे अर्ज करूं, इसमें कुछ सीनियर आफीसर्स उन प्रदेशों के भी हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इसमें डेजर्ट एरिया के नुमाइंदे नहीं हैं ?

श्री भजन लाल : व्यास जी, आप तो जानते हैं, डैजर्ट एरिया में तो डेजर्ट को ठीक करना है। वहां इनका उत्पादन कम होता है और भाव वही तय होंगे जहां अनाज पैदा होगा। डैजर्ट एरिया में अनाज पदा नहीं होता है इसलिए उनके नुमाइंदे लेने की बात नहीं उठती। उत्तरी भारत से चौधरी रन्धीर सिंह हैं जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। वह किसान के घर में पैदा हुए हैं। वह खुद भी किसान हैं और इस बात को समझते हैं। वह आपके पड़ोस के हैं।

किसानों को फसल काटने के बाद मंडी में उचित व लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने गेहूं और चावल की खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम, पटसन के मामले में भारतीय पटसन निगम और कपास के लिए भारतीय कपास निगम की स्थापना की है। मोटे अनाज, दालें व तिलहन का मूल्य समर्थन मूल्यों से नीचे न गिरने देने की जिम्मेदारी नैफेड को सौंपी गई है। जल्दी खराब होने वाली जिन्सों जैसे आलू, प्याज, अदरक आदि के मामले में भी नैफेड स्टेट फैडरेशन के सहयोग से मंडियों में हस्तक्षेप करके उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाती है।

अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र से कुछ शिकायतें आई कि वहां प्याज की हालत बहुत खराब हो गई है और किसानों का प्याज बहुत सस्ता बिक रहा है। आज से चार दिन पहले एक मीटिंग करके यह फैसला लिया गया कि महाराष्ट्र में जिन दो जगहों में प्याज ज्यादा पैदा होता है वहां नेफेड और वहां

की स्टेट गवर्नमेंट उस प्याज को 60 से लेकर 100 रुपये क्विटल तक में परचेज करेगी। उसमें जो नुकसान होगा उसका आधा भारत सरकार वहन करेगी। ऐसा फैसला हमने किया है ताकि किसानों को कोई नुकसान न हो।

सब्जियों का कोई समर्थन मूल्य नहीं होता है और वे बहुत दिनों तक ठहर भी नहीं सकती हैं। इसलिए नेफेड को बीच में आना पड़ता है जो कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया द्वारा इस कार्य के लिए नामित की गयी है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : जीरे की फसल के भाव गिर गए हैं।

श्री भजन लाल : जब ऐसी शिकायतें आती हैं चाहे वह जीरे की फसल हो या फिर सब्जियों···

(व्यवधान)

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक (मुरादाबाद) : यही हालत आलू की है। आलू सड़ रहा है।

श्री भजन लाल : आलू, प्याज और अदरक के मामले में नेफेड स्टेट फैडरेशन के सहयोग से मंडियों में खरीद के लिए उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाता है। जहां आलू के बारे में दिक्कत आएगी वहां नेफेड को कहेंगे। वह हमने कह भी दिया है। ऐसे में वह बीच में आएगा।

कृषि और सहकारिता विभाग सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि तथा भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए समय रहते सहायता प्रदान करता रहा है। 1987-88 के अभूतपूर्व सूखे के बारे में सदस्य अवगत हैं। इस वर्ष में सूखा राहत सहायता के लिए 1445 करोड़ रुपए के व्यय की अधिकतम सीमा स्वीकृत की गई। अगस्त और सितम्बर, 1988 के महीनों में असम, पश्चिम बंगाल और कुछ उत्तरी राज्यों में बाढ़ के कारण व्यापक तबाही हुई। बाढ़ से प्रभावित 18 राज्यों जिन्होंने वर्ष के दौरान राहत कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी थी, के लिए 527 करोड़ रुपए के व्यय की अधिकतम सीमा मंजूर की गई।

1989-90 के बजट में किसानों की सुविधाओं के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की गई है। मैं इन महत्वपूर्ण निर्णयों का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। यह निश्चित किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक उत्पादन के लिए आवश्यक ऋण पहले से ज्यादा देंगे। पिछले साल किसानों के लिए आवश्यक सुविधा पूरे ऋण का 17 प्रतिशत था। अब यह 1989-90 में 18 प्रतिशत हो जाएगा। इसके फलस्वरूप ऋण की सुविधा में 1989-90 में 4000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वृद्धि होगी।

कुक्कुट मनुष्य के आहार में कम से कम समय में पौष्टिकता प्रदान करता है। यह अधिकांश व्यक्तियों की विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को अतिरिक्त आय तथा व्यवसाय का सुअवसर प्रदान करता है। नये बजट में कुक्कुट व्यवसाय से प्राप्त आय पर 33.3 प्रतिशत टैक्स की छूट मंजूर की गई है जिससे इस व्यवसाय को प्रोत्साहन मिल सके। नए बजट में स्किम्ड दुग्ध चूर्ण पर उत्पादकता शुल्क 15 परसेण्ट से 10 परसेण्ट किया गया है।

इसके अतिरिक्त यह उल्लेखनीय है कि उर्वरक, कीटनाशक दवाएं और कृषि उपकरणों पर लगाए गए शुल्क में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

अत: यह स्पष्ट है कि नये बजट में किसानों के हित की रक्षा के लिए पूरा ध्यान दिया गया है ।

मुझे यह बताने में बहुत खुशी हो रही है कि प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी के निदेशानुसार कृषि मन्त्रालय ने ट्रेड फेयर एथारिटी ऑफ इण्डिया के सहयोग से इस वर्ष 25 मार्च से 10 अप्रैल तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि मेले का बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजन किया । इस मेले का मुख्य उद्देश्य "कृषि में आत्म-निर्भरता" को दर्शाना था । इस मेले में कृषि मशीनें और उपकरण, अनुसंधान एवं विकास, खाद्य संसाधन, ग्रामीण विकास एवं पशु पालन पर विशेष जोर दिया गया । इसके अतिरिक्त एक भव्य पशु मेले का भी आयोजन किया गया । इसमें लगभग दो लाख रुपए के नकद पुरस्कार वितरित किए गए ।

राष्ट्रीय कृषि मेले में लगभग सभी राज्य सरकारों, केन्द्र के कृषि से सम्बन्धित मन्त्रालयों एवं विभागों, सार्वजनिक संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और निजी क्षेत्र की कम्पनियों ने भाग लिया । देश के विभिन्न भागों से बहुत बड़ी संख्या में किसानों ने इस मेले को देखा । प्रत्येक दिन किसानों के लिए किसान गोष्ठियों का भी आयोजन किया गया जिसमें कृषि वैज्ञानिकों ने कृषि के उन्नत तरीकों पर प्रकाश डाला । कृषि मन्त्रालय ने बाहर से आये हुए किसानों के ठहरने एवं उनके स्थानीय आवागमन का प्रबन्ध किया ।

माननीय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी ने 25 मार्च, 1989 को इस मेले का उद्घाटन किया । उन्होंने हमें निदेश दिया है कि अगले वर्ष हम एक अन्तर्राष्ट्रीय कृषि मेले का आयोजन करें । हम उनके निदेशों का पालन करेंगे ।

गरीबी हटाने के लिए सरकार ने गरीबी पर सीधे प्रहार की योजनाओं की शुरुआत लगभग 10 साल पहले की थी । इसके लिए अनेक कार्यक्रम जैसे आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी०, डी० डी० पी०, डी० पी० ए० पी० आदि चलाए जा रहे हैं । सरकार की यह कोशिश रही है कि इन कार्यक्रमों को ज्यादा से ज्यादा तेजी से चलाया जाए । सामाजिक न्याय के साथ उन्नति के उद्देश्य से गरीबी अनुपात को कम करने के लिए निश्चित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं । सातवीं योजना के अन्त तक गरीबी अनुपात को 28 प्रतिशत और 1995 तक 10 प्रतिशत तक ले आने की संभावना है ।

इन दोनों कार्यक्रमों के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना में 2995 करोड़ रुपए का प्रावधान था लेकिन योजना के पहले चार वर्षों में 4833 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं जोकि पूरी योजना के प्रावधान का 162 प्रतिशत है । इन दोनों कार्यक्रमों के अन्तर्गत पूरी सातवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 250 करोड़ मानस दिवस रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य था । अब तक राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार 255 करोड़ से अधिक मानस दिवस रोजगार उपलब्ध कराए जा चुके हैं । इस प्रकार योजना के चार वर्षों में ही 100 प्रतिशत से ज्यादा का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है । इस वर्ष इन कार्यक्रमों को नई दिशा दी गई है जिसमें लगभग 80 करोड़ मानस दिवस रोजगार जुटाने का लक्ष्य रखा गया है । यह पिछले चार सालों में हुई उपलब्धि का एक तिहाई है ।

वर्ष 1989-90 का बजट प्रस्तुत करते समय माननीय वित्त मन्त्री ने एक नई योजना का सूत्रपात करने की घोषणा की थी । इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की

गई है जिन्हें देश के विशेष पिछड़े जिलों में, जहां बेरोजगारी विकराल रूप में व्याप्त है, चालू किया जाना था।

क्योंकि यह कार्यक्रम ग्रामीणों के लाभ के लिए हैं इनके कार्यान्वयन में उनकी दिलचस्पी व हिस्सेदारी बढ़ाने तथा स्थानीय स्तर पर होने वाली त्रुटियों और संसाधनों के दुरुपयोग को दूर करने के लिए सरकार ने इन दोनों रोजगार योजनाओं यानी एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० को इकट्ठा करके, एक नई योजना चलाने का निश्चय किया है।

3.00 म० प०

इसका नाम जवाहर रोजगार योजना रखा गया है। जवाहर रोजगार योजना के बारे में प्रधान मंत्री जी शीघ्र की पूरी जानकारी पूरी तफसील के साथ सदन को देंगे। इस योजना के बारे में जानकारी प्रधान मन्त्री जी हाउस और सारे मुल्क के लोगों को देंगे। (व्यवधान)

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : यह घोषणा क्या इसी अधिवेशन में की जाएगी ?

श्री भजन लाल : कोशिश यह होगी कि इसी अधिवेशन में इसकी घोषणा करेंगे। (व्यवधान)

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पिछले आठ वर्षों से चलाया जा रहा है और इसकी प्रगति सराहनीय है। अब तक 2.98 करोड़ परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 1988-89 में हमने लगभग 35 लाख परिवारों को 1200 करोड़ रुपए का बैंक ऋण उपलब्ध करवाया है। इसके अतिरिक्त लगभग 750 करोड़ रुपए केन्द्र और राज्य सरकारों की ओर से खर्च किए गए जो मुख्यतया इन परिवारों को सब्सिडी के रूप में दिया गया। लाभार्थ परिवारों में लगभग 33 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 14 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति और 23 प्रतिशत महिलाएं थीं। जब से यह योजना शुरू की गई है, अभी तक लाभार्थियों को दस हजार करोड़ से अधिक की परिसम्पत्ति दी जा चुकी है। 6,983 करोड़ रुपए बैंकों द्वारा दिया गया ऋण और 3,100 करोड़ रुपए अनुदान शक्ल में है।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाने की दृष्टि से हम यह कोशिश कर रहे हैं कम से कम 25 प्रतिशत खर्च प्रोजेक्ट के आधार पर किया जाए। इससे यह लाभ होगा कि हम लाभार्थियों के समूह के लिए कच्चे माल और मार्केटिंग की उचित व्यवस्था कर सकेंगे। निश्चित रूप से लाभार्थियों को इससे अधिक लाभ होगा। कार्यक्रम के प्रशासनिक ढांचे में सुधार के लिए प्रोफेशनल दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। इसके लिए हमने पायलट आधार पर प्रबन्ध संस्थाओं से कुछ यंग प्रोफेशनल्स को लिया है और उनकी सेवाएं चुने हुए डी० आर० डी० ए० को उपलब्ध कराई है। साथ ही राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि वे डी० आर० डी० ए० में चुनकर ऐसे अधिकारी लगाएं जिनके पास मैनेजमेंट की कुशलता हो।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू का यह स्वपन था कि शक्ति और अधिकार जनता के हाथों में होना चाहिए। इसको अमल में लाने के लिए हमने पंचायती राज संस्थाएं बनाई। पिछले वर्षों के अनुभव से हमने यह महसूस किया कि जहां कुछ स्थानों पर इन संस्थाओं ने अच्छा काम किया है, अधिकतर पंचायती राज का ढांचा उतना सुदृढ़ नहीं हो पाया है जितना हम चाहते थे।

प्रधान मन्त्री जी की प्रेरणा और पहल करने की वजह से हमने इन संस्थाओं को और मजबूत

बनाने के लिए काफी अर्से से कुछ स्तरों पर चर्चा की है। विभिन्न स्तर के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ कई सम्मेलन हुए हैं और एक आखिरी सम्मेलन बंगलौर में अप्रैल के आखिरी सप्ताह में दक्षिण राज्यों के लिए करने जा रहे हैं। इसके पश्चात् हम निश्चित रूप से ठोस कदम उठायेंगे जिससे कि पंचायती राज संस्थाओं का स्वरूप मजबूत हो, उनके चुनाव समय पर हों, उन्हें प्रशासनिक शक्तियां और वित्तीय साधन उपलब्ध हो और उन्हें विकास की गतिविधियों में एक अहम भूमिका दी जाएगी। यह भी हम सुनिश्चित करेंगे कि इन संस्थाओं में कमजोर वर्गों, जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले और उनके भी हाथों में निर्णय करने का अधिकार हो।

माननीय सदस्यों को पता है कि भारत सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय पेयजल प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया था। यह मिशन पूरे विश्व में सबसे अधिक बड़ा ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। सातवीं योजना में इस कार्यक्रम के लिए 1282.32 करोड़ रुपए का प्रावधान था परन्तु इसके विरुद्ध योजना के अन्त तक 1866.48 करोड़ रुपए पहले ही आबंटित कर दिए हैं। यह घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 1.62 लाख समस्याग्रस्त गांवों में से लगभग 18,000 ऐसे गांव रह गए हैं जिन्हें वर्ष 1989-90 के दौरान कवर किया जाना है।

3.05 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

और इस देश में सिर्फ 4 हजार गांव इस वर्ष के अन्त तक यानी 1990 के अन्त तक 4 हजार गांव बाकी बचेंगे, जो या तो बहुत दूरदराज हैं या पहाड़ी क्षेत्रों में हैं। सिर्फ 4 हजार गांव इस मुल्क में ऐसे बचेंगे और इस मुल्क में कोई गांव ऐसा नहीं होगा, जहां पीने का स्वच्छ पानी न मिले। हर गांव में पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाया जाएगा।

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : दो वार पानी मिलेगा।

श्री भजन लाल : पानी मिलेगा, आप खड़े होकर पीना।

हमने हैन्ड पम्पों के कार्य-संचालन और रख-रखाव का भी विकेन्द्रीकरण कर दिया है और राज्य सरकारों को गांवों में जल समितियां बनाने की सलाह दी है, जिनमें गांव की महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। गांव की पंचायत जल सप्लाई योजनाओं के संचालन और रख-रखाव का काम करेगी जिन्हें लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभागों से पर्याप्त तकनीकी और वित्तीय सहायता मिलेगी।

मुझे यह घोषणा करते हुए भी खुशी हो रही है कि जल सप्लाई की क्वालिटी पर निगरानी रखने के उद्देश्य से हम इस वर्ष के दौरान 85 प्रयोगशालाएं स्थापित करेंगे और जल की क्वालिटी की जांच करने के लिए राज्यों को 15 चलती-फिरती (मोबाईल) प्रयोगशालाएं सप्लाई करेंगे। तकनीकी व्यक्तियों को प्रशिक्षण का एक व्यापक कार्यक्रम शीघ्र ही शुरू किया जा रहा है। हमारा यह प्रयास होगा कि आठवीं योजना के अन्त तक लगभग सभी जिलों में ऐसी प्रयोगशालाएं लगा दी जाएं ताकि लोगों को साफ-सुथरा पानी दिया जा सके।

पेयजल सप्लाई के साथ-साथ ग्रामीण स्वच्छता का केन्द्रीय कार्यक्रम अन्य कार्यक्रमों के साथ

मिलकर इस क्षेत्र में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग 10 लाख परिवारों को स्वच्छ शौचालयों की सुविधाएं मुहैया कराएगा।

कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग कृषि के लिए नई टेक्नोलाजी के विकास तथा इसे किसानों तक पहुंचाने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इससे देश में हरित-क्रांति लाने में और कृषि उत्पादन बढ़ाने में काफी सहायता मिली है। हमारे देश के मेधावी वैज्ञानिकों ने इस दिशा में अपना अनुपम योगदान दिया है जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। परन्तु कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद भी इस क्षेत्र में हमारे सामने नई चुनौतियां हैं। कृषि योग्य भूमि की सप्लाई सीमित होने के कारण भविष्य में अनाजों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हमें उत्पादकता में और अधिक वृद्धि करनी होगी। भविष्य में हरित-क्रांति का प्रसार देश के सभी हिस्सों में करना होगा विशेषकर पूर्वी प्रदेशों में जहां पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है परन्तु उत्पादकता बहुत कम है।

हमारे वैज्ञानिकों को ऐसे तकनीक की खोज करनी है जिससे किसान की उत्पादन लागत में कमी हो और उपज में बढ़ोतरी तथा वह इसे आसानी से समझकर अपना सके। साथ ही साथ नई टैक्नोलाजी के प्रयोग से हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान न पहुंचायें और पर्यावरण की रक्षा करें। किसान की आर्थिक अवस्था को बेहतर बनाने के लिए आय बढ़ाने के दूसरे साधनों जैसे डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन, गृह उद्योग आदि के लिए भी अवसर उपलब्ध कराने होंगे। इस प्रकार के बीज की किस्मों की खोज करनी होगी जिनपर कठिन मौसम और बीमारियों का कम से कम असर हो। साथ ही वह कम से कम समय में ज्यादा पैदावार दें।

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए बायो-टैक्नोलाजी जैसे आधुनिक औजारों और तकनीकों का पूरा फायदा उठाना चाहिए। मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने बायो-टैक्नोलाजी और पौध संरक्षण पर उच्च अनुसंधान के लिए श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्र की स्थापना की है जिसका शिलान्यास माननीय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी द्वारा 1 अक्तूबर, 1988 को किया गया। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि सरसों की किस्मों के विकास में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। ये किस्में बायो-टैक्नोलाजी के माध्यम से सूखे और खारीपन का मुकाबला कर सकती हैं। यह एक सराहनीय कार्य है। इससे सरसों के उत्पादन में वृद्धि होगी और खाद्य तेलों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

सरकार ने कुछ समय पहले डा० जी० वी० के० राव कमेटी गठित की थी जिसने आइ० सी० ए० आर० सिस्टम का रिव्यू करके अपनी रिपोर्ट दी। सरकार ने इसे मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया है। हमें आशा है कि इसकी सिफारिशों को लागू करके कृषि अनुसंधान के सारे ढांचे और कृषि विश्व-विद्यालयों से उसके सम्बन्ध को किसानों के हित में सुव्यवस्थित किया जा सकेगा। कृषि अनुसंधान परिषद् के दो मुख्य संस्थानों अर्थात् एन० डी० आर० आई०, करनाल और सी० आई० एम० ई०, बम्बई को यू० जी० सी० की सहमति से इस वर्ष से डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की भी घोषणा की जा चुकी है। मुझे यह कहते हुए भी खुशी है कि कृषि वैज्ञानिकों और युवा अनुसन्धानकर्त्ताओं को उनकी मांग के अनुसार यू० जी० सी० वेतनमान मंजूर करके लागू कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे वैज्ञानिक और अनुसन्धानकर्त्ता और अधिक उत्साह और लगन से कार्य करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में प्रमुख उपलब्धियों का विवरण

इस विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में दिया हुआ है इसलिए मैं इन्हें दोहराना नहीं चाहता। विशेष तौर पर धान, गेंहूं, दलहन, मोटे अनाज, मक्का, ज्वार, जौ व चारे इत्यादि की बढ़िया किस्म की प्रजातियों का पता लगाया गया और उन्हें जारी करने की सिफारिश की गई। प्रजनक बीजों के उत्पादन में भी सन्तोषजनक प्रगति हुई है। इस समय फसल के नाशी कीटों और खरपतवारों की जैवी रोकथाम के लिए, रोग से मुक्त बीज उत्पादन के लिए क्षेत्रों का पता लगाना, चूहों की रोकथाम, बीमारी का फैलने से पहले पता लगाना इत्यादि, कई विषयों पर काम चालू किया जा रहा है। बागवानी, मिट्टी के परीक्षण, पशु-पालन, मछली-पालन इत्यादि क्षेत्रों में भी काफी महत्वपूर्ण काम हुआ है।

सन् 2000 तक हमें अपने अनाजों का उत्पादन 235-240 मिलियन टन तक ले जाना है। इसी प्रकार अनाज के अलावा अन्य कृषि जिन्सों का भी उत्पादन बढ़ाना है। इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों को उन सभी चुनौतियों का, जिनका जिक्र अभी मैंने किया है, सामना करना होगा। विशेष रूप से यह ध्यान में रखना होगा कि सीमित साधनों का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए ओपटिमम और मोस्ट एफीशेन्ट इस्तेमाल किया जाए। हमारे वैज्ञानिकों ने ड्राई लेन्ड फारमिंग और वॉटर हारवैस्टिंग के क्षेत्र में कार्य शुरू किया है। हमें इस टैक्नोलाजी का पूरा लाभ उठाने के लिए इसे किसानों तक पहुंचाना है। जिससे पानी की एक-एक बूंद तथा खाद के एक-एक दाने का सही उपयोग करके लाभ उठाया जा सके।

मेरे मन्त्रालय की मांगों के सम्बन्ध में अनेक माननीय सदस्यों ने कुछ आलोचनाएं भी कीं, जिनका ब्यौरेवार उत्तर मैंने दे दिया है। जैसा कि आप स्वयं महसूस करेंगे, इस मन्त्रालय की मांगें पूर्णतः उचित हैं। लेकिन कई माननीय सदस्यों ने जो बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं उनका हम स्वागत करते हैं।

जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कुछ माननीय सदस्यों ने जो कुछ बातें कहीं थीं जिनको कि चर्चा तफसील में नहीं हुई है। इसीलिए मुझे आंकड़े बताने के लिए वे पढ़ने पड़े। अब जिनकी चर्चा इसमें नहीं हुई है, उनके बारे में मैं 5-7 मिनट में बताऊंगा। एक तो इसमें जिक्र किया गया है भूमि के बारे में। कुछ माननीय सदस्यों ने और भी एन० जी० रंगा जी ने भूमि के विकास के सम्बन्ध में, फालतू भूमि के बारे में, लैंड रिकार्ड के बारे में कहा। यह कहा कि भूमि का वितरण ठीक नहीं हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि देश में जो सरपलस भूमि निकली वह 73 लाख 62 हजार एकड़ सारे मुल्क में निकली। कब्जे में जो जमीन ली गयी वह 60 लाख 55 हजार एकड़ है। जो जमीन लोगों में बांटी गयी वह 45 लाख 13 हजार एकड़ जमीन बांटी गयी है। चौदह लाख एकड़ जमीन ऐसी है जिनके कोर्टों में केस पड़े हैं जिसके कारण वह बांटी नहीं जा सकती। वह बांटने लायक नहीं इसके अतिरिक्त 4 लाख एकड़ जमीन खेती के योग्य नहीं है। इसलिए वह बाकी रह गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय कृषि में पिछले साल हमारा टोटल बजट 88-89 का 7 हजार 6 सौ करोड़ रुपए का था और उसमें नान प्लान का शामिल करके जो खर्चा हुआ वह 8 हजार 40 करोड़ रुपये हुआ। इस साल 89-90 में हमने जो टोटल बजट रखा है वह 8382 करोड़ रुपए का है। क्यूक्यू द्वारा जारी अभी सितम्बर महीने में रिव्यू करेंगे और बढ़ाना पड़ा तो भारत सरकार इसको और बढ़ाएगी ताकि वर्ष में सारे विकास कार्य ठीक तरीके से चल सकें।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : फसल बीमा के लिए खाली टोकन एक लाख का प्रावीजन किया गया है, इससे कैसे काम चलेगा।

श्री भजन लाल : मैं इस पर आ रहा हूं, जिन माननीय सदस्यों ने बात की है और उसका जिक्र इसमें नहीं आया है, मैं उसके बारे में ही बता रहा हूं। एक आपने जिक्र सिंचाई सुविधाओं के बारे में किया है कि इनको बढ़ाया जाना चाहिए। भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि जल स्रोतों से जहां से भी पानी उपलब्ध हो सकता है, चाहे गहरे ट्यूबवैल लगाने हों या नहरों पर बांध बनाने हों, हमारी कोशिश होगी कि किसानों को पूरा पानी दिया जाए, ट्यूबवैल को बिजली दी जाए, इससे उत्पादन बढ़ेगा और हमारी कोशिश है, बजट में इसके लिए प्रावधान भी रखा गया है।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : नहर और डैम का पानी उद्योगों को दे रहे हैं, कृषि को पानी कम दिया जा रहा है, इसके लिए सरकार की नीति क्या है, यह बताइए।

श्री भजन लाल : आपने जिक्र किया है, मैंने आपका नाम भी लिया था, आप यहां पर नहीं थे, जितने महानुभावों ने जिक्र किया है, सबके बारे में मैंने बताया है कि किस-किस महानुभाव ने किस विषय की चर्चा की है। जहां तक आपने 80 परसेंट पानी इण्डस्ट्री को देने की बात कही है, यह ठीक नहीं है, एक आध जगह कहीं मामूली पानी दिया होगा, उसके लिए तो आप कह सकते हैं।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : एक डैम गोदावरी नदी पर है।

श्री भजन लाल : ऐसा नहीं हो सकता कि डैम का 80 प्रतिशत पानी उद्योग को दिया हो।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : मैं आपके पास पूरे स्टेटिसटिक्स के साथ जानकारी भेजूंगा। हमें तो आप सिर्फ यह बताइए कि पहले, पेयजल, दूसरा कृषि और तीसरा नम्बर उद्योग का है या नहीं, इस बारे में आप नीति बताइए, स्टेट गवर्नमेंट से तो हम झगड़ा कर लेंगे, आपकी नीति साफ होनी चाहिए।

श्री भजन लाल : देखिए सिंचाई के लिए पानी को प्राथमिकता दी जाती है और उद्योग आप जानते हैं कि देश की अर्थ व्यवस्था का हिस्सा हैं, अगर कहीं अरजेंसी होती है कि पानी कहीं से नहीं मिल रहा है तो उसको कुछ पानी दिया जाता है, लेकिन यह नहीं है कि किसी खेत का, किसी किसान का पानी काटकर उसको दिया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है।

इसी तरह से आपने सभी फसलों की बीमा योजना के बारे में कहा है। इस बारे में सर्वश्री जगदीश अवस्थी, विजय राघवन, उत्तम राठौर, मुरलीधर माने, तपेश्वर सिंह, जनकराज गुप्ता, बी० सी० जैन, रामबहादुर सिंह आदि महानुभावों ने इसकी चर्चा की है। इसके बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक बात आई कि फसल बीमा योजना को बन्द करने की बात है, ऐसी बात नहीं है, फसल बीमा योजना चालू है और आपने सारी फसलों पर यह योजना लागू करने की बात कही है, सारे किसान इसमें कवर होने चाहिए, इसके बारे में प्रधानमन्त्री जी ने एक सब कमेटी बनाई है, जिसमें मैं हूं, श्री पी० वी० नरसिंह राव हैं, वित्त मन्त्री हैं, नरसिंह राव जी इसके अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में यह सब कमेटी बनाई है, इसमें कृषि सचिव और वित्त सचिव भी हैं, इसमें इन सारी बातों को देखा जा रहा है कि किस तरह से सारे किसानों को इसमें कवर किया जा सकता है।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : राजस्थान प्रांत में चालू नहीं है।

श्री भजन लाल : जिन प्रांतों में पहले से चालू है, वहां पर चालू रहेगी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में पहले ही नहीं थी।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : राजस्थान में पहले थी, अब चालू नहीं है।

श्री भजन लाल : मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि पहले चालू नहीं थी, आप इसको दोबारा देखिए। (व्यवधान)

श्री मुरलीधर माने : आपने यह बात वेग बता दी, लेकिन हम स्पेसिफिक जानना चाहते थे कि फसल बीमा योजना हार्टीकल्चर पर लागू होगी या नहीं, अंगूर उसमें आएगा या नहीं।

श्री भजन लाल : जैसा अभी मैंने जिक्र किया, बहुत से महानुभावों ने जिक्र किया कि सारी फसलों का बीमा होना चाहिए, सारे किसान इसमें कवर होने चाहिए, यूनिट तहसील या ब्लाक नहीं होना चाहिए, पटवार यूनिट होना चाहिए, रेवेन्यू स्टेट में पटवारी के पास जितने गांव आते हैं, उनका रिकार्ड भी पटवारी के पास होता है, उसको यूनिट माना जाना चाहिए। राजस्थान में पहले से नहीं है, मैं जब हरियाणा का मुख्य मन्त्री था···।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : पहले वहां पर यह योजना थी।

श्री भजन लाल : पहले स्टेट गवर्नमेंट ने किसी हिस्से में चालू कर रखी होगी, उसका मुझे पता नहीं है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब ने एन० डी० सी० की मीटिंग में इस सिस्टम को नहीं माना था। उन्होंने कहा कि जिला यूनिट होगी। हमने कहा कि गलत है। इसलिए गलत है कि जब सारे जिले में अस्सी परसेंट नुकसान हो तब जाकर के उसको पैसा मिले, वह भी किसको, जिसने लोन ले रखा है। सारे जिले में अस्सी परसेंट नुकसान नहीं हो सकता। आपने भी किसान के घर में जन्म लिया है और मैं भी छोटा सा किसान हूं। जब ओला पड़ता है तो एक साइड में पड़ता है, दूसरी साइड में नहीं पड़ता है, इसलिए हमने इस बात को नहीं माना था। जब पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ने इसको नहीं माना तो इसके बाद तहसील यूनिट पर आ गए। हमारी यह कोशिश है कि विलेज यूनिट होना चाहिए, लोन लेने का सवाल नहीं है। सारे किसान उसमें कवर होने चाहिए। यह देखने की बात है कि कहां तक कामयाब होते हैं और कितना प्रिमियम किसान को देना पड़ेगा इस बारे में विचार कर रहे हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : इसके बारे में कब तक फैसला कर लेंगे।

श्री भजन लाल : इसकी मीटिंग चल रही है। हमारी कोशिश है कि आने वाली खरीफ की फसल से पहले इसका फैसला हो जाए।

श्री उत्तम राठोड़ : जो पुराने झगड़े अदालत में चल रहे हैं उसका क्या करेंगे।

श्री भजन लाल : उसका फैसला होने जा रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र का झगड़ा था। कई जगहों पर यह गड़बड़ हुई कि लोगों ने नाजायज तरीके से पैसा लेने की कोशिश की है। हमने कुछ दे दिया है और कुछ बाकी है। जांच के बाद अगर ठीक पाए गए तो उनको पैसा मिलेगा, अगर ठीक नहीं पाए गए तो पैसा देना कठिन हो जाएगा। श्री एन० जी० रंगा, श्री रघुमा रेड्डी, श्री डी० पी० यादव और श्री मुरलीधर माने ने कहा कि कृषि मन्त्रालय और दूसरे मन्त्रालयों का आपस में तालमेल होना चाहिए, जैसे ऊर्जा मन्त्रालय, जल संसाधन मन्त्रालय तथा जिला और ब्लाक के समन्वय की आवश्यकता है। इसके बारे में हम जरूर समन्वय करेंगे। आप जानते हैं कि कृषि और पानी का समन्वय नहीं होगा तो उत्पादन नहीं बढ़ सकेगा। इस सम्बन्ध में समन्वय करने की कोशिश करेंगे। श्री मदन पांडेय,

श्री जायनल अबेदिन, श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया, श्री शांताराम नायक, श्री शंकर लाल, श्री जुझार सिंह तथा अन्य सदस्यों ने भूमि सुधार के बारे में चर्चा की थी।

श्री राम सिंह यादव : गेहूं की कीमत पर बोनस और सरसों की खरीद तथा सरसों के तेल की कीमत को मिला रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे।

श्री भजन लाल : गेहूं के बोनस के बारे में कोई खास ऐसा विचार नहीं हुआ है। जब भाव तय करते हैं तो उसमें सारी बातें देखकर तय की जाती हैं। उसका लाभकारी मूल्य देने की कोशिश करते हैं। इस समय भारत सरकार के पास कोई स्कीम विचाराधीन नहीं है और न ही कोई प्रपोजल है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : फैमीन के बारे में बता दीजिए।

श्री भजन लाल : जहां तक फैमीन का सवाल है, मैंने पहले ही कहा कि 1445 करोड़ रुपया पिछले एक साल में हमने फैमीन के लिए सारे देश में दिया है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इस वर्ष के लिए क्या कर रहे हैं।

श्री भजन लाल : इस वर्ष का जहां तक ताल्लुक है, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अकाल और सूखा नहीं पड़े। इन्द्र देवता से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। अगर कहीं ऐसा इत्तफाक हो गया तो पूरी मदद करेंगे। राजस्थान का ज्ञापन थोड़े दिन हुए अभी आया है। हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी राजस्थान में टीम भेजें। पहले भी हमने राजस्थान की मदद की है।

श्री अताउर्रहमान : आसाम के फ्लड के बारे में सोचिए।

श्री भजन लाल : हमने आसाम की बड़ी-भारी मदद की है। उसके बाद फ्लड नहीं आया।

श्री अताउर्रहमान : फ्लड आने वाला है।

श्री भजन लाल : उसकी रोकथाम के लिए पूरा पैसा दिया है। उस पैसे का ठीक उपयोग होना चाहिए। मैं सभी माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने बहुत मूल्यवान विचार रखे। सभी माननीय सदस्यों की बातों का सही ढंग से जवाब देने की हमने कोशिश की है। कई माननीय सदस्यों के सुझाव बाकी रह गए हैं, उन पर पूरी तरह से विचार करके जो भी हमारे करने की बात होगी, भारत सरकार पूरी तरह करने की कोशिश करेगी, ताकि देश में किसान को पूरा लाभ हो सके और देश खुशहाल हो सके।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि जो हमारी मांगें हैं उनको माना जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 1 से 5 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में

संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1988-89 के लिए कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग की संख्या	मांग का नाम	लेखानुदान की मांग की रकम		सदन की स्वीकृति के लिए अनुदान की मांग की रकम	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
कृषि मंत्रालय					
1.	कृषि	70,79,00,000	3,34,00,000	346,60,00,000	16,72,00,000
2.	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	56,77,00,000	25,88,00,000	283,85,00,000	129,40,00,000
3.	कृषि अनु-संधान और शिक्षा विभाग	38,50,00,000	"	192,50,00,000	"
4.	ग्रामीण विकास विभाग	1072,94,00,000	5,00,000	1147,77,00,000	25,00,000
5.	उर्वरक विभाग	1015,94,00,000	41,75,00,000	3400,94,00,000	208,75,00,000

(दो) विदेश मंत्रालय

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 24 पर चर्चा एवं मतदान करेगी जिसके लिए आठ घंटे का समय दिया गया है।

सदन में उपस्थित माननीय सदस्य जिनके अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें तो वे कटौती प्रस्ताव का क्रमांक लिखकर पर्ची सभा पटल पर भेज दें। केवल वही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

शीघ्र ही कटौती प्रस्तावों के क्रमांक दर्शाने वाली एक सूची नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। यदि कोई सदस्य सूची में कोई भिन्नता पाए तो वे कृपया अविलम्ब सभा पटल पर मौजूद अधिकारी के ध्यान में लाएं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के सतम्भ 2 में विदेश मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 24 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित राशि में से राष्ट्रपति को दी जाए।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1989-90 के लिए विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग सं०	मांग का नाम	लेखानुदान की मांग की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
	विदेश मन्त्रालय				
24.	विदेश मंत्रालय	82,89,00,000	10,73,00,000	367,69,00,000	53,67,00,000

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

[अफगानिस्तान सम्बन्धी नीति पर पुनर्विचार करने में असफलता।] (1)

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

[भारतीय शांति सेना को श्रीलंका से वापस बुलाने में असफलता ।] (2)

कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

[नेपाल के साथ व्यापार तथा पारगमन के सम्बन्ध में समझौता करने में असफलता ।] (3)

कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

[बंगला देश के शरणार्थियों के आने पर रोक लगाने में असफलता ।] (4)

कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

[तिब्बती शरणार्थियों को चीन वापस भेजने में असफलता ।] (5)

कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

[भारत-चीन सीमा निर्धारण करने सम्बन्धी वार्ता में असफलता] (6)

कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

[पाकिस्तान के साथ बकाया मसलों को हल करने तथा सूचना और संस्कृति के क्षेत्रों में मुक्त आदान-प्रदान करने में असफलता ।] (7)

कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

[अफगानिस्तान के लोगों के साथ पुनः सद्भावना का रिश्ता कायम करने में असफलता ।] (8)

कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

[हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र के संकल्प को कार्यान्वित करने में असफलता ।] (9)

कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

[विकासशील देशों के विदेशी ऋणों के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने में असफलता ।] (10)

कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

[प्रत्यर्पण के बारे में संयुक्त राष्ट्र के साथ कोई समझौता करने में असफलता ।] (11)

कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

[भारतीय राष्ट्रिकों के दावों के बारे में बर्मा के साथ कोई समझौता करने में असफलता ।](12)

कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

[दक्षिण-दक्षिण सहयोग में कोई महत्वपूर्ण योगदान करने में असफलता ।] (13)

कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[सारे विश्व में मानव अधिकारों के संवर्धन में उद्देश्यपूर्ण भूमिका निभाने में असफलता।] (14)

कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

[विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी तथा विकास पूंजी के अन्तरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड प्राप्त करने में असफलता।] (15)

श्री बी० आर० भगत (आरा) : मुझे बाद में अपना भाषण जारी रखने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, जी हां।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : क्या हम 6 बजे के बाद भी कार्यवाही जारी रखेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं। हम सोमवार को जारी रखेंगे।

श्री बी० आर० भगत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता था कि परम्परा के अनुसार वाद-विवाद की शुरूआत विपक्ष से हो परन्तु ऐसा लगता है कि वे लोग अपने आप के प्रति गम्भीर नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे किसी बात के प्रति गम्भीर हैं।

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : हम सभी बहुत गंभीर हैं।

श्री बी० आर० भगत : सदन के बाहर, भीतर नहीं।

श्री तम्पन थामस : आपको अवसर मिला है, आप शुरू कर सकते हैं।

श्री बी० आर० भगत : निश्चित रूप से मेरा अवसर आएगा। किन्तु मैं उत्तर भी देना चाहता था।

श्री जी० एम० बनातवाला : वैसे भी, वाद-विवाद कटौती प्रस्ताव से शुरू होता है जोकि हमारी तरह विपक्ष से हैं।

श्री बी० आर० भगत : शुरू में मैं कहना चाहता हूं कि पिछला वर्ष भारतीय विदेश नीति के लिए महान सफलता का वर्ष था, क्योंकि सम्पूर्ण विश्व ने भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धान्तों, शान्ति तथा बातचीत द्वारा सभी विवादों का निपटान, को स्वीकार किया। गुट निरपेक्ष आन्दोलन का सार यही था कि हम किसी भी गुट से सम्बन्धित नहीं हैं। हमें कार्य करने की पूरी स्वतन्त्रता है तथा सम्पूर्ण गुट निरपेक्ष आन्दोलन जिसमें भारत की अहम भूमिका थी, बड़ी शक्तियों के बीच तनाव में कमी लाने तथा सम्बन्धों में मधुरता लाने की ओर अग्रसर हुआ है।

और यह वर्ष, सफलता का वर्ष था। जहां तक अमेरिका तथा सोवियत संघ में आपसी तनाव में कमी लाने का सम्बन्ध है, दोनों देशों के नेताओं ने न केवल बातचीत की इस दिशा में उन्नति की, बल्कि समझौतों, नाभिकीय हथियारों के वर्ग को समाप्त सम्बन्धी महत्वपूर्ण समझौते, जिसे इन्टमीडिएट न्यूक्लियर फोर्सेज के नाम से जाना जाता है, पर हस्ताक्षर भी किए।

हमने क्षेत्रीय मतभेद के लगभग सभी पहलुओं के सम्बन्ध में प्रगति की। प्रसिद्ध समझौते, अफगानिस्तान सम्बन्धी जेनेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें दो बड़ी शक्तियों ने जिम्मेदारी ली। ईरान-इराक युद्ध में बहुत प्रयास के बाद युद्ध समाप्त हुआ। कम्पूचिया के मामले में मेरे मित्र श्री नटवर सिंह ने अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक समय कम्पूचिया का मामला बहुत उलझा हुआ माना जाता था जिसे सुलझाया नहीं जा सकता था। अब हम ऐसी प्रक्रिया में है जिससे कोई समाधान प्राप्त हो सकता है। मध्य अमरीका में······

उपाध्यक्ष महोदय : आप सोमवार को अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करेगी।

3.31 म० प०

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक*

(धारा 376 आदि में संशोधन)

श्री हरुभाई मेहता (अहमदाबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दण्ड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हरुभाई मेहता : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.32 म० प०

मृत्यु दंड की समाप्ति विधेयक*

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में मृत्यु दण्ड को समाप्त करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

---

*दिनांक 21-4-89 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

"कि भारत में मृत्यु दण्ड को समाप्त करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री तम्पन थामस : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

3.33 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 101 आदि में संशोधन)

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री शांताराम नायक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

3.34 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नए अनुच्छेद 350-क का अन्तःस्थापन)

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री शांताराम नायक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

---

*दिनांक 21-4-1989 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित ।

3.35 म० प०

असंगठित श्रमिक कल्याण निधि विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम दिनांक 25 नवम्बर, 1988 को श्री बालासाहिब विखे पाटिल द्वारा प्रस्तुत असंगठित श्रमिक कल्याण निधि विधेयक पर आगे चर्चा आरम्भ करते हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री बालासाहिब विखे पाटिल द्वारा प्रस्तुत किए गए इस विधेयक पर चर्चा तीन सूत्रों से चल रही है। मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं। यह मजाक है.......(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप इसे मजाक कैसे कह सकते है?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जो भी आपका विनिर्णय होगा, मैं उसे स्वीकार करूंगा। परन्तु मैं आपको बता रहा हूं कि यह संसद का तीसरा सत्र है......

उपाध्यक्ष महोदय : इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : दूसरे विधेयक भी हैं। कोई समय-सीमा होनी चाहिए। हम इस पर संसद का समय व्यर्थ नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि आप रिकार्ड देखें। 100 से भी अधिक सदस्य इस बारे में पहले ही बोल चुके हैं और आपने इसे संसद के तीसरे सत्र में भी शुरू कर दिया है। क्या किसी विधेयक के लिए कोई समय-सीमा है या नहीं। इस प्रकार अन्य विधेयक कभी भी प्रस्तुत नहीं हो पाएंगे। मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आप अपना स्थान लीजिए। प्रत्येक विधेयक के लिए 2 घंटे का समय निश्चित होता है। ऐसी व्यवस्था है। परन्तु इस समय सीमा को बढ़ाने का काम सभा का है। जब सभा ने समय बढ़ाया था तब आपने कुछ नहीं कहा। अब आप आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह एक मजाक है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि आप समूचे सदन का मजाक उड़ा रहे हैं। आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह एक मजाक है? इस बात की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैंने आपका व्यवस्था का प्रश्न अस्वीकार कर दिया है। आप ही लोग निर्णय ले रहे हैं और आप ही इसे मजाक बता रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? सभा निर्णय लेती है, मैं नहीं। और आप सभा के एक अंग हैं। आपको उस समय इस पर आपत्ति करनी चाहिए थी।

श्री महावीर प्रसाद यादव (माधीपुरा) : एक बार फिर मैं श्री पाटिल का इस विधेयक को सभा में पुरःस्थापित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। इससे असंगठित श्रमिक वर्ग के प्रति उनकी दया और सद्भावना का पता चलता है। यह सच है कि भारत में असंगठित श्रमिक वर्ग को उनका समुचित अधिकार नहीं मिल रहा है। हम सार्वभौमिक मानवता के नए युग के आरम्भिक दौर से गुजर रहे हैं। हर नया सवेरा अनेक आशाएं लेकर आता है। हम सभी एक दुनिया के निवासी हैं। हमें सीखना है कि हम मानवता के भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं। यदि एक वर्ग खुश है और दूसरा वर्ग खुश नहीं है तो समाज को खुश नहीं कहा जा सकता। हमारे दार्शनिक राष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन के शब्दों में विश्व में व्याप्त खुशी, आपकी दूसरों के कल्याण की चाह से पैदा होती है, विश्व में व्याप्त दुख आपके स्व-कल्याण की चाह से पैदा होता है।" इस प्रकार, श्री पाटिल द्वारा प्रस्तुत विधेयक प्रशंसनीय है और

सभा द्वारा इस पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना चाहिए। परन्तु मैं एक बात कहना चाहता हूं। व्यवहारिकता में बड़ी गुंजाइश है। इस निधि का इस्तेमाल असंगठित श्रमिकों के हित में किस सीमा तक किया जाएगा ? अनेक कल्याण निधियों की स्थापना की गई है जैसे अभ्रक कल्याण निधि। बिहार में यह निधि स्थापित की गई है। इसमें कई कमियां हैं। इससे पात्र लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है। मैं श्री पाटिल से अपील करूंगा कि सर्वप्रथम वह बताएं कि जिन लोगों के लिए यह विधेयक पेश किया जा रहा है, उनके लिए यह कहां तक लाभप्रद होगा। अभ्रक कल्याण निधि का इस्तेमाल सही ढंग से कल्याणकारी प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा रहा है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या निधियां उपलब्ध होगी ? सरकार बता रही है कि प्रत्येक सरकारी विभाग के पास निधियों का अभाव है। क्या असंगठित श्रमिक वर्ग के लिए निधियां उपलब्ध होंगी ? क्या सरकार इस वर्ग के लिए निधियां प्रदान कर पाएगी ? मेरे विचार में इस बात में सन्देह है कि सरकार इस महान विधेयक के लिए कोई स्रोत जुटा पाने की स्थिति में होगी।

एक अन्य बात जो मैं इस सम्माननीय सभा की जानकारी में लाना चाहता हूं वह यह है कि भारत की जनसंख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। विश्व के किसी भी देश की जनसंख्या और साथ-साथ सीमाएं इतनी अधिक नहीं हैं। बाहरी खतरा, आंतरिक समस्याएं, जनसंख्या में वृद्धि, ये सभी समस्याएं इतनी गम्भीर हैं कि असंगठित श्रमिक वर्ग की सहायता की जानी चाहिए। मेरा विचार है कि सरकार को निधियां मुहैया करानी चाहिए जिसके लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

भारत की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है जबकि आर्थिक प्रगति की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी है। इस देश में माल्थस की कहानी सही लागू होती है। उसे ध्यान में रखते हुए, मुझे सन्देह है कि सभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए इस विधेयक को लागू करने में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां पेश आएंगी।

एक अन्य बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सामाजिक परिवेश के अन्तर्गत जीव और पर्यावरण के सम्बन्ध की कल्पना की गई है। हम यह मान कर चलें कि सभी वस्तुएं चल रही हैं। सामाजिक विकास हो रहा है परन्तु भारत में जीव और पर्यावरण का परस्पर सम्बन्ध है। देश एक है परन्तु पर्यावरण इतना भिन्न है कि समूचे भारत में अपेक्षित विकास नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर, बिहार में रोहतास इण्डस्ट्रीज थी। विपक्षी दलों की भूमिका के कारण यह सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकी। अब सरकार की क्या मंशा है ? सरकार चाहती है कि प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक क्षेत्र का अपना महत्व होना चाहिए। परन्तु माननीय विपक्षी सदस्य सरकार को काम नहीं करने देते। मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं। यदि आप बिहार जाएं तो आप देखेंगे कि वे किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर असंगठित श्रम को ही लीजिए। हमारे देश के कितने ही युवक आजीविका की तलाश में इधर-उधर भटक रहे हैं परन्तु व्यर्थ। इसलिए मेरा विचार है कि न केवल असंगठित श्रमिक बल्कि अन्य वर्गों एवं युवकों को भी आजीविका के साधन नहीं मिल रहे हैं जो उन्हें मिलने चाहिएं। परन्तु उन्हें क्यों नहीं मिल रहे ? मैं एक उदाहरण देता हूं हालांकि इसका विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है। बिहार में, अध्यापकों की हड़ताल 72 दिन से चल रही है और सौहार्दपूर्ण समझौते की कोई आशा नहीं है। सभी विद्यार्थियों को नुकसान हो रहा है और मुझे पता है कि इस हड़ताल के पीछे किनका हाथ है। मैं उस पार्टी विशेष का नाम नहीं लेना चाहता जो इसमें अग्रणी भूमिका निभा रही है। अध्यापकों की हड़ताल से सभी विद्यार्थियों को नुकसान हो रहा है। महोदय, मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता। परन्तु मैं एक बात कहना चाहूंगा कि श्री पाटिल द्वारा सभा में पुरःस्थापित विधेयक जनता की नजर में

बहुत अच्छी तरह से तैयार किया गया विधेयक है। विपक्ष को रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए न कि उग्र राष्ट्रवादी भूमिका जो कि राष्ट्र के हितों के प्रतिकूल हो।

महोदय, राष्ट्र महान है, व्यक्ति राष्ट्र का एक अंग है। राष्ट्र समग्र है, पार्टी एक हिस्सा है। इसलिए राष्ट्रीय हित को सही परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए तथा यदि निधियां उपलब्ध हैं तो मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बालासाहिब विखे भाई पाटिल ने असंगठित मजदूरों के कल्याण हेतु एक निधि स्थापित करने के उपबन्ध हेतु गैर-सरकारी विधेयक असंगठित श्रमिक कल्याण निधि विधेयक, 1985 को सदन में प्रस्तुत किया है।

जहां तक मेरा ख्याल है, जिस उद्देश्य और जिस हेतु को सामने रखकर बालासाहिब विखे भाई पाटिल, सांसद ने इस बिल को प्रस्तुत किया है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर इस बिल को स्वीकार भी कर लिया जाए तो उस उद्देश्य की पूर्ति सम्भव नहीं हो सकेगी। वैसे इस बिल में बहुत सारी कमियां भी हैं। जितने भी सोशल सिक्योरिटी मैजर्स अपने देश में श्रमिकों के सम्बन्ध में चल रहे हैं, उन सभी के लिए निधि विभिन्न सैक्टर्स के जो श्रमिक हैं और जो मालिक हैं उनके कण्ट्रीब्यूशन से उपलब्ध होती है। बालासाहिब विखे भाई पाटिल ने इस बिल में असंगठित श्रमिकों के मालिकों को बिल्कुल ही इससे बरी कर दिया है जैसे उनपर कोई उत्तरदायित्व ही नहीं हो। अपने श्रमिकों के श्रम का जो सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, समाज भी फायदा उठाता है लेकिन जिसको सीधे उसका फायदा मिलता है, उसमें किसी भी सोशल सिक्योरिटी मैजर्स के लिए उसके मालिकों को निधि के लिए अनिवार्यत: कण्ट्रीब्यूट करना चाहिए, इस बिल में इसकी चर्चा नहीं है इसलिए मैं समझता हूं कि असंगठित श्रमिकों के मालिकों को उससे बिल्कुल छोड़ देना और यह मान लेना कि उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है, सही नहीं होगा।

मैं बालासाहिब विखे भाई पाटिल की जो भावना है, इस बिल को लाने के पीछे, उसका आदर करता हूं, उसके पीछे उनकी एक अच्छी भावना है और इस बिल के प्रस्तुत किए जाने से बहुत से माननीय सदस्यों को असंगठित मजदूरों की दयनीय और दर्दनाक हालात के सम्बन्ध में चर्चा करने का अवसर मिला और उन्होंने सरकार का ध्यान उनकी कठिनाइयों और परेशानियों की तरफ खींचा। मैं समझता हूं कि इस बिल की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि इस बिल की भावनाओं को, इस बिल के पीछे बालासाहिब विखे भाई पाटिल की जो मंशा और उद्देश्य है, उसको पूरा समर्थन मिला है।

वस्तुत: सरकार भी असंगठित मजदूरों के लिए बहुत चिन्तित हैं। अपने देश के प्रधान मंत्री जी भी असंगठित मजदूरों के लिए निरन्तर चिन्ता करते हैं। यह इस बात से भी स्पष्ट है कि पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संस्था के महा-सम्मेलन में, जो 1985 में हुआ था, अपने देश के लोकप्रिय नेता और प्रधान मंत्री ने वहां बड़े जोरों से इस प्रश्न को उठाया था। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था जो अब तक संगठित मजदूरों के सम्बन्ध में ही विचार करती आई है और नाना तरह के उपायों से उनके अधिकारों की रक्षा और उनको सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में फैसले लेती आई है। अब वक्त आ गया है कि जब अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था को असंगठित मजदूरों की तरफ भी अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। खास तौर पर जो विकासोन्मुख देश है, जहां पर असंगठित मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है, एक पूरी श्रमिक

जमात है, असंगठित मजदूरों की संख्या अधिक है, उनके लिए विकासशील देशों को भी सोचना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था का भविष्य में उनका ध्यान ही सिर्फ न जाए बल्कि फोकस ऑफ एटेन्शन, ध्यान केन्द्रित होना चाहिए। इससे जाहिर होता है कि देश के प्रधान मंत्री असंगठित मजदूरों के सम्बन्ध में चिन्तित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, असंगठित मजदूरों के सम्बन्ध में बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, लेकिन जितने भी कानून हैं, वैसे जो मजदूर वेज एम्पलायमेंट में लगे हुए हैं, उनका शोषण न हो और साथ ही उनको कुछ सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो यह उससे सम्बन्धित है। आज मूल प्रश्न क्या है, असंगठित क्षेत्र में जो लोग रहते हैं और विखे साहिब पाटिल ने जो वर्कर्स की परिभाषा बताई है, उस परिभाषा में उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों का भी समावेश किया है, चर्चा की है। जितने भी असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले, चाहे कृषि में काम करते हों या अन्य पशुपालन के क्षेत्र में या अन्य दूसरे कार्यों में वे लगे हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या आज साल भर की रोजगारी की है। अधिकांश तौर पर जहां कृषि के साधनों का विकास नहीं हुआ है और जहां आज भी साल में एक फसल हुआ करती है, मुश्किल से दो फसलें हुआ करती हैं और वे लोग आज भी खेती के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं, उन स्थानों पर खेती में काम करने वाले श्रमिकों को मुश्किल से चार-पांच महीने रोजगार उपलब्ध होते हैं। इसीलिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं, जब वे कृषि के काम से फुरसत में आ जाते हैं, उनको रोजगार देने के लिए चलाई हैं। वस्तुतः कृषि के क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में जो मजदूर हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा अनिवार्यता इस बात की है कि उनको पूरे साल के लिए रोजगार मुहैया हो और जैसाकि आप जानते हैं, इसके लिए सरकार की पूरी शक्ति लगी हुई है। कृषि मजदूर या ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों का कृषि के साथ इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि वे उससे अलग नहीं हो सकते। जैसाकि आप जानते हैं कि जो आर्गेनाइज्ड सेक्टर के मजदूर हैं, उनके लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू है लेकिन आप देखेंगे कि जिस प्रदेश में कृषि का अच्छा विकास हुआ है, वहां पर स्वतः मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा मिल जाता है और जहां कृषि का विकास नहीं हुआ है, वहां न्यूनतम मजदूरी आज भी अनुपातित रूप में बहुत कम है हमारे चाहने के बाद भी। यद्यपि 1980 में यह निर्णय हुआ और पुनः 1987 में यह निर्णय हुआ कि प्रत्येक दो वर्ष पर न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण किया जाए और यदि 50 सूचकांक की वृद्धि हो जाए, तो न्यूनतम मजदूरी में भी परिवर्तन किया जाए लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 1987 में यह निर्णय श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में लिया गया कि कृषि में लगे हुए मजदूरों को 11 रुपए मजदूरी मिलनी चाहिए और फिर यह दोहराया गया कि प्रत्येक दो साल पर उसका पुनरीक्षण होना चाहिए और अगर कन्ज्यूमर प्राइस इन्डेक्स 50 सूचकांक बढ़ जाता है, तो दो साल से पहले भी यह होना चाहिए, पर यह हो नहीं पाया। 1988 में पुनः मैंने श्रम मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और इस प्रश्न पर बड़ी गहराई से समीक्षा हुई और गम्भीरता से विचार-विमर्श हुआ। अब जाकर बहुत सारे प्रदेशों में 11 रुपए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित हुई और 11 रुपए से कम किसी जगह आपको यह नहीं मिलेगी और यह तय हुआ कि चूंकि 1987 में श्रम मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था और 1989 के अप्रैल माह में दो साल पूरे हो जाएंगे, इसलिए सभी श्रम मंत्रियों ने सहमति से यह निर्णय लिया कि पहली मई से न्यूनतम मजदूरी फिर बढ़ा दी जाए, उसका फुल न्यूट्रेलाइजेशन देकर। यह भी मैंने सुझाव दिया है कि जो चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, उसके कारण न्यूनतम मजदूरी जो तय होती है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको सुरक्षा दी जाए। उसके लिए वैरीएबिल डियरनेस एलाउन्स या कोई ऐसा मिकेनिज्म होना चाहिए जिससे जो न्यूनतम मजदूरी तय की जाती है, निर्धारित होती है, वह कम न हो जाए।

उस पर कोई सहमति नहीं हुई लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर विचार करेंगे क्योंकि आज भी कुछ प्रदेश ऐसे हैं जैसे पंजाब है, हरियाणा है, जहां पर न्यूनतम मजदूरी 11 रुपए से बहुत ज्यादा मिलती है।

श्रम मंत्रालय की जो कन्सलटेटिव कमेटी है, उसका एक ग्रुप इसकी स्टडी के लिए पूरे देश में घूमा और कई प्रदेश में जाकर उन्होंने कृषि श्रमिकों से बातचीत की और उन्होंने यह शिकायत की कि 11 रुपए जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित हुई है, वह भी बहुत से लोगों को अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। जाहिर है कि कृषि विकास के अनुपात में ही न्यूनतम मजदूरी अभी तक चल रही है।

4.00 म० प०

आप चाहे लाख कुछ भी निर्धारित करें, लेकिन श्रमिकों को उपलब्ध कृषि विकास के अनुपात में ही मिल रहा है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि कृषि का तेजी से विकास किया जाए। आवश्यकता इस बात की है कि पूरे वर्ष के दौरान ग्रामीण मजदूरों को काम मुहैया कराया जाए और जब यह काम पूरा हो जाएगा, उनको रोजगार मिलने लगेगा तब उसमें सामाजिक सुरक्षा वगैरहः की बातें आएंगी। वैसे सामाजिक सुरक्षा के लिए भी सरकार ने 87-88 के वर्षों में कानून बनाए हैं। मगर जो बिल का मंशा है, उसका उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है।

अब उसके फंडिंग के लिए विखे जी ने कहा कि आर्गेनाइज्ड लेबर से उसकी कुल वेतन की उपलब्धियों से एक प्रतिशत ले लिया जाए। अब उसके टोटल इमोल्युमेंट्स में, उसकी बेसिक सेलेरी, डी० ए० वगैरहः मिला करके आता है। अब कुल उपलब्धियों में से अपने लिए जो वह पेमेंट करता है, इसके अलावा जो दूसरी जो उसकी डिडक्शंस होती हैं वह करीब 20 परसेंट हो जाती हैं। संगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले मजदूर हैं उनमें अनस्किल्ड मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा है। वे बड़ी मुश्किल से गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर आए हैं। अगर उनका एक हजार रुपए वेतन है तो कैसे उनसे एक परसेंट ले लिया जाए। अभी एक हजार में से अपने लिए जो वे दे रहे हैं उससे अधिक देने की उनकी क्षमता नहीं है और वे देना भी नहीं चाहेंगे। उनको कम्पेल भी नहीं किया जा सकता।

हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें क्या हम मालिकों से ही लेते हैं। जैसे हमारा बीड़ी वेल्फेअर फण्ड है। उसमें हम श्रमिकों से कुछ नहीं लेते हैं। उसमें जो बीड़ी बना कर देते हैं तो एक हजार बीड़ी पर बीस पैसे लेते हैं। उससे हम कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं। उनमें भी कुछ हमारी योजनाएं हैं जिनमें हम मालिकों से ज्यादा लेते हैं, श्रमिकों से नोमिनल लेते हैं।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ कोई कानून बना देना ही पर्याप्त नहीं होगा। जो कानून आजकल उपलब्ध हैं उन्हीं के सम्बन्ध में सब शिकायतें चलती रहती हैं कि उन कानूनों का क्रियान्वयन नहीं होता है। मिनिमम वेज एक्ट सबसे महत्वपूर्ण कानून कृषि के क्षेत्र में है। उसी के सम्बन्ध में शिकायत है कि जहां काम उपलब्ध भी होता है वहां भी मिनिमम वेज श्रमिकों को नहीं मिलता है। जब श्रम मंत्रियों की मैंने बैठक बुलायी थी। उसमें भी यह बात आई थी कि जो हमारे इन्स्पेक्टर्स हैं उनकी मोबिलिटी बढ़ाई जानी चाहिए, पब्लिसिटी होनी चाहिए, लोगों को जानकारी देनी चाहिए। रिकवरी की मशीनरी इफेक्टिव होनी चाहिए। ताकि जो न्यूनतम मजदूरी तय हो गई है उतनी तो कम से कम उन्हें उपलब्ध हो सके। अब उसके बाद सेन्टर ने एक सेन्ट्रल्ली स्पोंसर्ड स्कीम बनाई है। जिसके अन्तर्गत कई राज्यों में केन्द्र सरकार के खर्चे से हम इन्स्पेक्टर दे रहे हैं ताकि वे जाकर के मिनिमम वेजिज एक्ट इम्पलीमेंट कराने में राज्य सरकारों को मदद करें।

जैसाकि बिल में कहा है कि केन्द्र की एजेन्सी हो। केन्द्र की एजेन्सी सारे देश में असंगठित मजदूरों के लिए इस बात का इन्तजाम करे, सोशल सिक्योरिटी का इन्तजाम करे। वैसे मैंने केलकुलेट करके देखा है कि अगर इसको लागू भी किया जाए तो प्रति वर्ष में 25 रुपए प्रति व्यक्ति मुश्किल से पड़ता है। उससे कोई सोशल स्कीम क्या हो सकेगी। कौन-सी स्कीम चल सकेगी। यह हमको व्यावहारिक नहीं लगता है। फिर भारतवर्ष जैसे इतने बड़े देश में, फेडरल सिस्टम में एक एजेन्सी से कोई सोशल स्कीम चलना कहां तक सफल होगा। अभी हम ई० एस० आई० के द्वारा लोगों के लिए मेडिकल कवरेज की स्कीम चलाते हैं। हर राज्य को हमने जिम्मेदारी दी है। यद्यपि कारपोरेशन से कारपोरेशन की फंडिंग, एम्प्लायर्स 5 प्रतिशत, एम्प्लाई सवा दो प्रतिशत करके देते हैं, सरकार कुछ नहीं देती, हम इसको एक सेंट्रल एजेंसी से नहीं चला पाए, यद्यपि सेंट्रल रूल है, हम सेस लेते हैं, उसके लिए 7/8 एक्सपेंडीचर कारपोरेशन देता है, 1/8 राज्य सरकार देती है, लेकिन उसके एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनांशल एडमिनिस्ट्रेशन का सारा दायित्व राज्य सरकार को दिया गया है और आज भी दुनिया भर की शिकायतें आती हैं, एंशोर्ड परसन हैं, एम्प्लायर्स हैं कि जो मेडीकल फेसिलिटीज हैं, डिसपेंसरीज हैं, हास्पीटल हैं, उनके बारे में उनकी शिकायतें आती हैं कि सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए इस तरह की कोई सामाजिक सुरक्षा एक फंड बना देने से नहीं होती। सबसटेंशल, फण्ड नहीं बनेगा तो काम पूरा नहीं होता। मैंने बात कही कि उनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे। जो स्टेंडर्ड मैन इयर कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के डाकूमेंट के अनुसार साल में 273 दिन रोजगार 8 घण्टे के हिसाब से अगर दिया जाए तो अभी बड़ी मुश्किल से सातवीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार जितने लोग रोजगार के लिए उपलब्ध हो सके, शहरी क्षेत्रों में तो अनएम्प्लायमेंट थोड़ा बढ़ा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जितने लोग रोजगार के लिए उपलब्ध हो सके, उससे ज्यादा रोजगार का सृजन हो सकेगा, ऐसा अनुमान है। ऐसा अनुमान है कि 5 प्रतिशत के हिसाब से अगर आर्थिक विकास की दर रही तो 40.28 मिलियन के करीब लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध हो सकेगा और 39.2 मिलियन लोग उपलब्ध हो सकेंगे, इस तरह से जो बैकलाग 9.28 मिलियन का है, उसमें से करीब एक मिलियन बैकलाग क्लीयर कर सकेंगे। आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो स्टेटजी बन रही है, उसमें इस बात पर जोर रखा गया है कि हम प्रोडक्टिव एम्प्लायमेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे सकेंगे जिससे न सिर्फ उनको रोजगार मिलेगा बल्कि हमारा आर्थिक विकास का ढांचा भी मजबूत हो सकेगा। इसके लिए जैसा कि श्री भजनलाल जी ने कहा कि लोगों को सीधा लाभ पहुंचे, बीच में से बिचौलिए पैसा न खा जाएं जो ग्रामीण मजदूरों के लिए पैसा दिया जाए, इसलिए एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० को मिलाकर इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया और ऊपर से 500 करोड़ रुपए और डाले गए तथा कुल मिलाकर जवाहर रोजगार योजना बन रही है। आप देखेंगे कि जहां पहले पूरी सातवीं पंचवर्षीय योजना में करीब अनुमान था कि 4900 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास के कार्यों पर खर्च किए जाएंगे रोजगार देने के लिए, वहीं करीब 6900 करोड़ रुपए खर्च करने का विचार सरकार कर रही है। जाहिर है कि सरकार चाहती है कि आने वाले समय में हम बेरोजगारी को समाप्त करें और उसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। वैसे जहां तक कानून की बात है, बहुत सारे कानून असंगठित मजदूरों के लिए बने हैं। जैसा मैंने कहा कि मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 है। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, वर्कमैन्स कम्पनसेशन एक्ट, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, बान्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट में कालांतर में यह पाया गया कि उसकी आइडेंटिफिकेशन वगैरह होती है तो सरकारी माध्यम से पूरा नहीं हो सकता। इसमें कुछ माननीय सदस्यों ने शिकायत की थी। उसपर सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो वालेन्टरी आर्गेनाइजेशन्स हैं उनको इन्वाल्व करेंगे। सात स्वयं सेवी संगठनों को इन्वाल्व कर रहे हैं। इस बात के लिए उन लोगों को उत्तरदायित्व दिया है कि बीस बान्डेड लेबर के ऊपर जितने

लोगों को आइडेंटिफाइ करेंगे, तो प्रत्येक आइडेंटिफिकेशन के लिए सौ रुपया दिया जाएगा और साथ ही 6250 रुपए जो दिए जाते हैं वैसी संस्थाओं के माध्यम से करेंगे ताकि उसका सही उपयोग हो। इण्टर स्टेट माइग्रेंट, जो कण्डीशन्स आफ सर्विस एक्ट 1979 है, इसके बारे में इस बात की कोशिश की जाती है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो ठेकेदार मजदूरों को ले जाते हैं वे उन मजदूरों का शोषण न करें। शोषण से उनको सुरक्षा देने के लिए यह कानून बनाया गया है। फिर भी शिकायत आती है और शोषण होता है। लेबर मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस में इस विषय पर मैंने विभिन्न राज्यों के श्रम मंत्रियों से बातचीत की है। एक बात पर निर्णय हुआ कि जिस राज्य से श्रमिक जाते हैं उस राज्य का पदाधिकारी जिस राज्य में वे काम करते हैं वहां रहे और कोई भी शोषण हो या वहां जो न्यूनतम मजदूरी है और जो दूसरे कानून लागू हैं उनका अगर उल्लंघन हो तो वह अधिकारी वहां के अधिकारी से बात करे। इसके अलावा एक परमानेंट स्टेंडिंग कमेटी भी बनाई गई है, चण्डीगढ़ और बम्बई में। वहां के दोनों रीजनल लेबर कमिश्नर और जिस स्टेट से जिस स्टेट में मजदूर जाते हैं, दोनों राज्यों के जो लेबर कमिश्नर हैं उसके सदस्य हैं। वहां कोई शिकायत आती है तो वे तीनों बैठकर उस पर निर्णय लेते हैं। कांट्रेक्ट लेबर रेगुलेशन एण्ड एबोलिशन एक्ट के अन्तर्गत भी असंगठित मजदूर आते हैं। उसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि किसी जगह पर अगर कांट्रेक्ट लेबर काम करती है और उस एस्टेबलिशमेंट में जो डायरेक्ट एम्पलायड मजदूर हैं उनको जो तनख्वाह मिलती है उसी तरह से अगर बराबर और सिमिलर नेचर आफ वर्क अगर कांट्रेक्ट लेबर भी करे तो उसको भी उतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए। मैं मुख्य-मुख्य बातों की चर्चा कर रहा हूं। उनको फर्स्ट एड, दवा और पेयजल की सुविधा भी मिलनी चाहिए। जो स्त्रियां वहां काम करती हैं उनके लिए क्रैशे वगैरह की सुविधा होनी चाहिए और जो भी न्यूनतम मजदूरी तय है, वह मिलनी चाहिए। पेमेन्ट न मिले तो व्यवस्था है कि प्रिंसिपल एम्पलायर का आफिसर उसको सर्टिफाइ करे व उसके सामने पेमेन्ट हो। अगर वह न मिले तो उसका उत्तरदायित्व प्रिंसिपल एम्पलायर पर दिया गया है ताकि वह उनसे पैसा काटकर ठेकेदार के श्रमिकों को दे। उसी तरह से असंगठित क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत वैलफेयर मेजर्स के काम किए हैं। बीड़ी मजदूरों के लिए बीड़ी वैलफेयर सैस एक्ट और बीड़ी वैलफेयर एक्ट है। इसमें प्रति हजार पर तीस पैसे सैस लगाते हैं। उस तीस पैसे को बीड़ी मजदूरों के वैलफेयर के लिए खर्च करते हैं। उनके लिए आऊन यूअर हाउस का कार्यक्रम है। अगर राज्य सरकार वीकर सेक्शन के लिए घर बनाती है, बीड़ी मजदूर वीकर सेक्शन के लोग हैं तो उसके लिए ईयर मार्क कर देती है। जितने मकान बीड़ी मजदूरों के लिए हैं उसके लिए 6 हजार रुपये हम सब्सिडी के तौर पर देते हैं। उसी प्रकार स्वयं घर बनाना चाहें वे लोग तो हम पांच हजार रुपए लोन देते हैं और एक हजार रुपए डवलपमेंट चार्जेज के देते हैं। वह लोन हम आसान किश्तों में देते हैं उसके लिए सूद नहीं लेते हैं। इसके अलावा उनके लिए मेडिकल केयर की काफी व्यवस्था है। जगह-जगह डिस्पेंसरीज खोली हैं। अन्य लोगों के लिए आकुपेशनल डिसीजीज भी कह सकते हैं जनरली टी० बी० होती है बहुत जगह, उसके लिए पूरे ईलाज की व्यवस्था है। जितना भी खर्च हो और जब इलाज में है तो सबसीस्टेंस अलाउन्स मिले उसे और उसके परिवार की, उसकी भी व्यवस्था की गई है। बीड़ी मजदूरों के लिए शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है। उनके आश्रितों के लिए 25 रुपए से लेकर 125 रुपए तक स्कालरशिप की व्यवस्था है। वेलफेयर की भी व्यवस्था है। बीड़ी और सिगार एक्ट के जरिए उनके काम के घण्टे निर्धारित किए गए हैं, छुट्टियों का प्रावधान किया गया है, ओवर टाइम के लिए क्या रेट हो, जो पक्के तौर पर उनको रोलिंग के लिए देते हैं उसमें कठिनाई पैदा हो या गड़बड़ी हो तो उसके लिए मशीनरी निर्धारित की गई है कि वह जाकर देखे और तत्काल उसका फैसला करे। राज्य सरकार वैसी अथारिटीज घोषित करती है। इस तरह से असंगठित क्षेत्र में भी हम धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि जो आज

असंगठित है आगे भी वह असंगठित ही रहने वाला है। असंगठित मजदूर धीरे-धीरे संगठित होते जा रहे हैं। अलग-अलग सेक्टर्स में हम देखें तो जो एक साल पहले संगठित नहीं थे वह आज संगठित हो रहे हैं। उसके जो अधिकार हैं जैसे-जैसे उसको उनकी जानकारी होती जा रही है, वैसे-वैसे उसमें संगठन बनता जा रहा है और जैसे-जैसे संगठन बनता जा रहा है कानूनों का भी कार्यान्वयन आसान होता जा रहा है। मैं असंगठित श्रमिकों के लिए कानूनों के बारे में भी चर्चा करना चाहता हूं। मिनीमम वेजेज के सम्बन्ध में जैसा कहा कि सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम फार इंफोर्समेंट एण्ड मिनीमम वेजेज है जिसमें पायलेट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। दो सौ लेबर इन्स्पेक्टर उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मणिपुर में केन्द्र द्वारा उन जगहों पर जहां सत्तर प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति और जनजाति की है, वहां पर दिये गये हैं। उसको और आगे बढ़ा रहे हैं ताकि वहां पर मिनीमम वेजेज एक्ट का इन्फोर्समेंट प्रभावी ढंग से हो सके। उसी प्रकार से सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम फार आर्गेनाइजेशन रूरल वर्कर्स हमने शुरू की है जिसमें प्रत्येक ब्लाक में एक आनरेरी रूरल आर्गेनाइजर को रखते हैं, वह गांव का ही आदमी होता है और उसे दो सौ रुपये आनरेरियम देते हैं और पचास रुपये कंवेंस अलाऊंस के लिए देते हैं। इस काम को करने के लिए कि वह वर्कर्स के काम आये और उनके जो अधिकार हैं उनकी जो ड्यूटी है उनके बारे में बताये। उनको मोटिवेट करे, उनको मोटिवेट करे संगठित करने के लिए। उनको इस बात के लिए मोटिवेट करे कि वह संगठित हो जायें ताकि वह अपने अधिकारों को संगठन के माध्यम से पा लें। यह स्कीम अभी 14 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी में दी गई है। जहां पर 1500 आनरेरी रूरल आर्गेनाइजर्स नियुक्त किये गये हैं। उसी तरह से ग्रुप इंशोरेंस स्कीम फार लैंडलैस एग्रीकल्चर लेबर बाई इन्शोरेंस डिवीजन मिनिस्ट्री आफ दी फाइनेंस डिपार्टमेंट है जिसके अन्तर्गत एल० आई० सी० ने राज्य सरकार के साथ मिलकर एक योजना बनाई है ग्रुप इन्शोरेंस की और यह 15 अगस्त, 1987 से शुरू हुई है। जिसके अन्तर्गत 18 से 60 वर्ष के भीतर कोई भूमिहीन मजदूर अगर मर जाता है तो उसको एक हजार रुपये तत्काल इन्शोरेंस कम्पनी से, एल० आई० सी० से दे दिए जाते हैं और उसके लिए भूमिहीन मजदूर से कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता। वह इनीशियल पीरियड में सारा कार्यक्रम सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। उसी तरह से ग्रुप लाईफ इन्शोरेंस स्कीम फार आई० आर० डी० पी० बेनिफिशरी चल रही है। रूरल डवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से जो आई० आर० डी० पी० के बेनिफीशरीज हैं वह डी० आर० डी० ए० की कवरेज में आते हैं…उसके लिए एल० आई० सी० के साथ मिलकर एक स्कीम बनायी गयी है जिसके अन्तर्गत यदि 18 से 60 वर्ष के बीच में किसी कारणवश कोई मृत्यु का शिकार हो-जाए तो तत्काल उसे 3 हजार रुपये मिल सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट से मर जाता है तो उसे 6 हजार रुपए तक दिए जा सकते हैं। इसमें श्रमिकों को अपना प्रीमियम देना नहीं पड़ता, बल्कि उसकी इनीशियल कवरेज पर जितना खर्च होता है, वह राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अभी इसे तीन साल के लिए लागू किया गया है, और इसके अन्तर्गत आई० आर० डी० पी० के 3 से 4 मिलियन बैनीफीशियरीज को हर साल लिया जा रहा है।

इसके अलावा एल० आई० सी० ने एक सोश्यल सीक्योरिटी फण्ड नाम की स्कीम भी बनायी है। इस सदन में हैंडलूम वर्कर्स, रिक्षा पुलर्स, औटो रिक्षा पुलर्स आदि की भी चर्चा हुई इसीलिए मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमने एल० आई० सी० से मिलकर सोश्यल सीक्योरिटी फण्ड स्कीम तैयार की है जिसके जरिए यदि बैनीफीशियरी उसमें 50 प्रतिशत अपना हिस्सा कन्ट्रीब्यूट करे तो बाकी 50 प्रतिशत हिस्सा एल० आई० सी० देती है, उसका प्रीमियम शेयर करती है, और सम्बन्धित व्यक्ति की 60 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाने की स्थिति में इस योजना के तहत उसके परिवार को 3

हजार रुपए तक दिए जा सकते हैं। यदि वह किसी एक्सीडेंट में मारा जाता है तो इससे ज्यादा देने का प्रावधान भी उसमें किया गया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के लिए दिया गया समय समाप्त हो चुका है। हम इसका समय कितना और बढ़ाएं ?

श्री बिंदेशवरी दुबे : मैं केवल 15 मिनट और लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : उसके बाद माननीय सदस्य को उत्तर देना है। क्या फिर हमें इसका समय आधा घंटा और बढ़ाना होगा ?

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सभा इससे सहमत है। समय आधा घंटा और बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री बिंदेशवरी दुबे : उपाध्यक्ष महोदय, उसी तरह हमने एक हट इंश्योरेंस स्कीम पहली मई, 1988 से लागू की है, उसका इनीशियल पीरियड अभी केवल दो साल के लिए रखा गया है, जिसके अन्तर्गत गांवों में रहने वाले किसी व्यक्ति की यदि झोंपड़ी जल जाती है तो जहां उसका पूरा खर्च सेंट्रल गवर्नमैंट बियर करती है, इस स्कीम के जरिए उसे एक हजार रुपए तत्काल झोंपड़ी के लिए और यदि उसके बिलौंगिंग्स भी जल गए हैं तो 500 रुपए उनके लिए, कुल मिलाकर डेढ़ हजार रुपये तक तत्काल मिल सकते हैं।

जहां तक ओल्ड ऐज पेंशन का सवाल है, कई स्टेट गवर्नमैंट्स ने अपने यहां अलग-अलग स्कीमें चलायी हुई हैं जिनमें 60 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को 30 रुपये से 100 रुपए तक की ओल्ड ऐज पेंशन दी जाती है। उसी तरह से परसनल एक्सीडेंट इन्श्योरेंस स्कीम भी है जिसमें 7,200 रुपये से कम आय वाले इन्कम ग्रुप के लोगों को 3 हजार रुपये उस स्थिति में दिये जाते हैं, यदि उनके घर में अर्निंग मैम्बर की मृत्यु हो जाती है।

कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार स्वयं इस बात की कोशिश कर रही है, उसे अनआर्गेनाइज्ड लेबर के प्रति पहले ही चिन्ता है, तेजी से वह उनके हित में कदम उठा रही है। सबसे पहले उन्हें रोजगार मुहैया कराने की जरूरत है। रोजगार के बाद उनकी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न आता है। अब हमारे संसाधन बहुत सीमित हैं, उनके भीतर ही जितना हम उनके लिए काम कर सकते हैं, वह करने की चेष्टा करते हैं। संसाधनों का प्रश्न सबसे बड़ा है, इच्छा की कमी नहीं है। अभी हमने जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है, आप जानते हैं कि उसके लिए हमें 50 हजार रुपए से ज्यादा आय वालों पर 5 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाना पड़ा, तब उस योजना के लिए पैसे की व्यवस्था हो पायी। यदि हम सीमित संसाधनों में कुछ काम करना चाहें तो उसके लिए कहीं न कहीं से पैसे की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। उसके लिए अभी उचित

अवसर प्रतीत नहीं होता क्योंकि आज इतनी अच्छी स्थिति नहीं है। सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार जो कुछ कर सकती है, असंगठित मजदूरों के हितों में, वह पूरी मुस्तैदी के साथ कर रही है। जैसा अभी डिबेट में प्रश्न उठाया गया कि देश में बिल्डिंग कन्सट्रक्शन में काम करने वाले श्रमिकों का बड़ा शोषण होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने अभी कन्सट्रक्शन वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी हैल्थ के लिए और उन्हें दूसरी सुविधायें दिलाने के लिए एक बिल सदन के विचारार्थ इन्ट्रोडयूस किया है, जब वह सदन में आयेगा तो आप माननीय सदस्यों को उस पर बोलने का मौका मिलेगा।

एक प्रश्न इम्मीग्रेशन एक्ट के अन्तर्गत उठा है, जो प्रावधान किए गए हैं उनसे कुछ कठिनाइयां पैदा हो रही हैं, ऐसी बात कही गई है। हालांकि दोनों तरह की बातें कही गई हैं—जो मैनपावर कांट्रेक्टर हैं, उनके जरिए उनका शोषण बहुत हो रहा है। वस्तुतः बात यह है कि मैन पावर कांट्रेक्टरों ने इधर अपने प्रचार तंत्र को बड़ा सक्रिय बना दिया है क्योंकि सरकार ने बड़ी ही मजबूती से उस कानून को इन्फोर्स किया है जिसके स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट की कमी की वजह से वे अब तक शोषण करते रहे।

जहां भी फारेन कंट्री के एम्प्लॉयर हैं, अगर उन्हें हिन्दुस्तान से मजदूर चाहिएं, तो उनको एक फार्म भरकर सब कुछ स्पष्ट बताना होगा। मैं यहां पहले यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम दूसरे देशों में मजदूर भेजना चाहते हैं, लेकिन प्रतिष्ठापूर्वक भेजना चाहते हैं। हम टर्म्स एण्ड कंडीशन्स तय कर के भेजना चाहते हैं। उनका वहां शोषण न हो। यदि उनके एक्सपोर्ट से हमें कुछ पैसा भी ज्यादा मिल जाए, तो हम यह नहीं चाहते कि हम गुलामी का एक्सपोर्ट करें। हम अपने सिटीजन्स को पूरी प्रतिष्ठा के साथ बाहर भेजना चाहते हैं। इसलिए यह व्यवस्था की गई है और यही नहीं दूसरे देशों के भी कानून हैं, कोई भी एम्प्लॉयर अगर हिन्दुस्तान से मजदूर मंगाना चाहता है, तो हमारे जो वहां मिशन हैं, उनके सामने जाकर उसको एक एग्रीमेंट पेपर है, उसको फिलअप करना पड़ेगा जिसमें यह सब बताना होगा कि कितने मजदूरों की आवश्यकता है, उसका ड्यूरेशन कितना है और उसकी टर्म्स एण्ड कंडीशन्स आफ एम्प्लॉयमेंट क्या हैं। उसमें कम से कम उतनी मजदूरी देने की कमिटमेंट उसको देनी होती है जो मिनिमम वेजेज हम लोगों ने वहां की स्थिति को देखते हुए डिफरेंट कंट्रीज के मिशनों को दिए हैं। इसके अलावा घर की सुविधा, दवादारू की सुविधाएं देनी होंगी। बहुत सारी सुविधाओं के सम्बन्ध में निर्धारित कर दिया गया है कि क्या-क्या मिलना चाहिए। साथ ही यह भी कर दिया है कि प्री पेड टिकिट एड-वाइस भेजें, इधर से जाने के लिए टिकिट भेजें या वहां फारेन एक्सचेंज में उतना पैसा भेजें जितना उसका किराया है और वहां जाने के बाद फिर उसके वापिस लौटने के लिए टिकिट भी। बहुत से कांट्रेक्टर प्री-पेड टिकिट नहीं देते हैं। जो वहां की एम्बैसी से कागज आता है, उसमें अण्डरटेकिंग होती है कि प्री पेड टिकिट भेजना है। लेकिन कांट्रेक्टर्स वहां जाने के लिए टिकिट नहीं देते हैं, जो पैसा एम्प्लॉयर देता है, उससे टिकिट खरीदकर नहीं देते हैं और उस पैसे को भी बीच में ही खा जाते हैं। न भेजने का और न आने का पैसा या टिकिट देते हैं, बल्कि बेचारे गरीब लोगों की जमीन और घर बिकवा कर उस पैसे को उनसे वसूल कर लेते हैं। उनका कमीशन मात्र दो हजार रुपया है जो मिलना चाहिए, लेकिन ये लोग दस-दस, बीस-बीस हजार रुपया ले लेते हैं। हमने एम्प्लॉयर से कहा है कि वह पेपर पर फिलअप करके हमें दे और उसको वह बाई लेटर एण्ड स्प्रिट फॉलो करे। अगर नहीं करता है, तो हम उनको इम्मीग्रेशन की क्लियरेंस नहीं देंगे। इस तरह से उसके अन्तर्गत एक प्रकार से जो शोषण होता था, उससे हमने उसको रोका है। इसके लिए वे एक बहुत बड़ी पब्लिसिटी चला रहे हैं कि उससे हमारे मैनपॉवर जो विदेशों में जाती है वह घटेगी, लेकिन मुझे मालूम है, इससे हमारी मैनपॉवर जो विदेशों में

जाती है वह घटेगी नहीं। इस सम्बन्ध में मजदूरों की सेफ्टी के लिए बहुत सारे कानून बने हैं और उनमें पुनर्संशोधन हो रहा है। चाहे वह फैक्ट्री कानून हो, मिनिमम वेजेज एक्ट हो या बीड़ी मजदूरों के सम्बन्ध में एक्ट हो या मैटरनिटी एक्ट हो, जो संशोधन कानून को सुधारने के लिए आए हैं, उनके अनुसार हम सुधार रहे हैं। जो दण्ड प्रक्रिया है, उसको हमने कठोर बनाया है ताकि कानून का पालन पूरा-पूरा और मजबूती से हो और जो कानून का उल्लंघन करे उसको कठोर दण्ड दिया जाए, ताकि वह भविष्य में कानून का उल्लंघन नहीं कर सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की चिन्ता को माननीय सदस्य समझें।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री जी ने एक नेशनल कमिशन ऑन रूरल वर्कर्स बनाया है उसकी जो टर्म्स आफ रैफ्रेंस हैं वह बहुत व्यापक हैं। वह बहुत गहराई में जाकर छानबीन कर रहा है। प्रधान मन्त्री जी ने कहा है कि उसकी जो भी सिफारिशें होंगी उनको लागू किया जायेगा और फिर उन सिफारिशों के आधार पर एक स्ट्रेटेजी बनेगी। इसके बाद उन सिफारिशों के आधार पर कानून में संशोधन करेंगे और अगर आवश्यकता होगी तो कानून भी बनायेंगे।

इसके साथ इस बात की आशा की जाती है कि अगर वह एक बार में अपनी पूरी सिफारिशें नहीं दे पाया तो अन्तरिम सिफारिशें देगा ताकि सरकार उस मामले में आगे बढ़े। जब नेशनल कमिशन ऑन रूरल वर्कर्स की सिफारिशें आ जाएगी तो उससे काफी फायदा हमारे मजदूरों को होगा। उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या किया जाए इसके सम्बन्ध में निश्चित रूप से वह अपनी सिफारिशें देंगे।

प्रोफेसर रंगा ने एक बात कही कि अनआर्गेनाइज्ड लेबर के लिए पहले एक त्रिपक्षीय स्टैंडिंग कमेटी हुआ करती थी जो अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वालों के सम्बन्ध में बैठ कर विचार करती थी। उस कमेटी ने जो भी सुझाव दिए थे उनको अमल में लाने की सरकार ने पूरी कोशिश की थी। वह स्टैंडिंग कमेटी इधर कुछ दिनों से नहीं बैठ रही है और वह बिल्कुल शिथिल हो गयी है व समाप्त हो गई है। मैं इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि वह स्टैंडिंग कमेटी जो पहले थे जो कि अब शिथिल व समाप्त हो गई है उसको पुनर्जीवित किया जाएगा ताकि अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर के मजदूरों के साथ समय-समय पर बैठ कर विचार करते रहें।

इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सदस्य श्री बालासाहिब विखे पाटिल जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जहां हम उनके बिल की भावनाओं का आदर करते हैं वहां हमारी कठिनाइयों का भी ध्यान रखते हुए अपने बिल को वापिस ले लें और अपने बिल को लाने के लिए प्रैस नहीं करें।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : उपाध्यक्ष जी, अभी-अभी माननीय मंत्री जी ने कुछ बातें कहीं। मैं मानता हूं कि सरकार असंगठित मजदूरों के लिए चिंतित है। मंत्री जी ने कहा कि नेशनल कमिशन आन रूरल वर्कर्स बना है और वह सब बातें सोचकर कुछ सुझाव देने वाला है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वह अपनी अन्तरिम रिपोर्ट जल्दी से जल्दी दे जिससे कि हम असंगठित मजदूरों के लिए कानून में सुधार करके कुछ कर सकें।

जो संगठित मजदूर होते हैं वे असंगठित मजदूरों का कोई ख्याल नहीं करते हैं। अगर एम्पलायर और एम्पलाई कुछ कंट्रीब्यूट करें तो वैलफेयर फण्ड बन सकता है जिससे उनकी बारगेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अभी मन्त्री जी ने कहा कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का एक बिल राज्य सभा में इंट्रोड्यूस हुआ है।

मुझे भी इस बात की जानकारी है। बीड़ी उद्योग में थोड़ा सा वैलफेयर फण्ड का प्रावधान है। अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी ऐसी सुविधा मिले तो उनका कुछ तो भला हो सकता है। अभी अलग-अलग वर्कर्स के लिए अलग-अलग कानून हैं। अब तक कोई ठोस सुझाव और कमीशन की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक कानून में संशोधन करके असंगठित मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी दें और उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है। अन्तिम रिपोर्ट को समय लगेगा। इंटरिम रिपोर्ट की तुरन्त मांग कीजिए, शोषण न हो ऐसा उसमें प्रावधान करें।

मैं यह भी चाहूंगा कि आप एक ग्रुप इन्शोरेंस की स्कीम उनके लिए चलायें। इसमें मीडिया का इस्तेमाल करके इसका विस्तृत प्रचार और प्रसार किया जा सकता है। अगर कोई मजदूर कोई डिमांड करता है तो उसे काम से निकाल दिया जाता है। इससे वह बेचारा भूखा रहता है। आपने यह स्वीकार किया है कि असंगठित मजदूरों की मजदूरी घट रही है। आप अरबन और रूरल एरिया में उद्योगों को माडर्न टैक्नालोजी दे रहे हैं। इससे इन्टैनसिटी आफ लेबर कम हो रहा है। उद्योग कैपिटल इन्टेन्सिव बन रहे हैं। इससे असंगठित मजदूर और बेरोजगार हो रहे हैं। तो मैं आपसे यह कहूंगा, आपसे अर्ज करूंगा कि इस बारे में देखना चाहिए। असंगठित मजदूरों के लिए फ्रीलीगल एड कुछ जगह है लेकिन जो लीगल एण्ड है उसमें आपने स्टेंडिंग कमेटी की बात मान ली है कि उसमें सुधार हो सकता है, मजदूर की शिकायत दूर हो सकती है। आज अर्जियों से कुछ नही बनता, आप चाहे जितनी भी एप्लीकेशन दे दें, कागज के समुन्दर में एप्लीकेशन को कोई नहीं देखता है। या मानता है। न कोई पढ़ता है और न जवाब देना चाहता है इसलिए जब उसको मुक्त लीगल एड मिलेगी तो कुछ न कुछ न्याय बनेगा। आप मालिक से चाहें तो निधि लीजिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन संगठित मजदूर को भी यह सोचना चाहिए कि हम पूरी रोटी खा रहे हैं तो कुछ असंगठित मजदूरों को भी दें। जैसा आपने क्लास 4 का जिक्र किया है, मैं मानता हूं कि एक परसेण्ट से 10 रुपया होता है लेकिन उस बात को छोड़ दीजिए। कहने का मतलब यह था कि जिसको कुछ मिल रहा है वह यह सोचे कि वह कुछ दे दे। क्योंकि देश की जो सम्पत्ति है, देश की जो पूंजी है उसके अन्दर वह थोड़ा सा प्रिवलेज क्लास बन गये हैं और बाकी का शोषण हो रहा है। हम चाहते हैं कि इनका भी शोषण नहीं हो लेकिन जिनका पूरा शोषण हो रहा है, उनके लिए धन एम्पलायर और एम्पलाइज दोनों दे दें। आपने आश्वासन दिया है कि कमीशन की रिपोर्ट आयेगी तो हम कांप्रीहेंसिव सुझाव के लिए बिल लायेंगे, मैं चाहूंगा कि आप एक कांप्रीहेंसिव बिल लायें लेकिन तब तक बीड़ी के वैलफेयर फण्ड में सुधार करने की जरूरत है। कुछ सुझाव आए हैं और हम भी कुछ सुझाव आपके पास भेज रहे हैं एक विशेष मैमोरेन्डम और कुछ रिपोर्ट के कारण, उस बारे में मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा और आपसे बाद में बात करूंगा लेकिन आप ऐसा कोई वैलफेयर फण्ड मजदूरों को दे दो, कृषि मजदूर या कोई भी हो, जैसा एम्पलायमेण्ट गारण्टी स्कीम महाराष्ट्र में है, वहां जो काम पर जाते हैं उनको मैटरनिटी बैनीफिट मिलता है लेकिन बाकी जगह नहीं मिलता है, मैटरनिटी बैनीफिट कृषि मजदूरों को नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि वह संगठित हो रहे हैं लेकिन इतने संगठित नहीं हो रहे हैं कि सस्टेनिंग पावर, बारगेनिंग कैपेसिटी उनके पास, कारण बेरोजगारी ज्यादा हो। उनके पास बारगेनिंग पावर, सस्टेनिंग पावर आने के लिए सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए कि जो शोषण करके अपनी सम्पत्ति बढ़ाना चाहते हैं उनसे वह शोषण मुक्त हों।

बस यही मेरा सुझाव था। जल्दी से जल्दी अंतरिम रिपोर्ट लेकर आप हाउस के सामने बिल लाइए तो मैं सोचता हूं कि हिन्दुस्तान के असंगठित मजदूर संगठित हो जायेंगे। इस तरफ सरकार गहराई से ध्यान दे रही है, दे तो अभी भी रही है लेकिन इसमें अभी दो कदम आगे बढ़ना जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहकर आपसे विनती करूंगा कि मेरे बिल को वापस लेने की आप अनुमति दें।

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : मैं असंगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए उपबन्ध करने वाला विधेयक वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि असंगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए उपबन्ध करने वाला विधेयक वापिस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : मैं विधेयक वापिस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगले विधेयक पर चर्चा करेंगे।

श्री जी० एस० बासवराजू।

4.37 म० प०

उचित दर दुकान (विनियमन) विधेयक

***श्री जी० एस० बासवराजू** (टुमकुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह प्रस्ताव रखते हुए खुशी हो रही है कि उचित दर की दुकानों के कार्यकरण को विनियमित करने तथा उससे सम्बन्धित मामलों के विधेयक पर विचार किया जाए। इस विधेयक पर बोलते हुए, सबसे पहले मैं देश में उचित दर की दुकानों की कार्य-पद्धति के बारे में कहना चाहूंगा।

हमारे देश की जनसंख्या 80 करोड़ से अधिक है और उनमें से अधिकतम लोग अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए उचित दर की दुकानों पर निर्भर करते हैं। किन्तु हमारा मुख्य उद्देश्य उन 50 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होना चाहिए, जिनमें से अधिकांश गरीबी रेखा के नीचे का जीवन-यापन कर रहे हैं। इस समय देश में 4 लाख से अधिक उचित दर की दुकानें हैं जो दिल्ली से लेकर दूर-दराज तक के गांवों तक में स्थित है। उचित दर की दुकानों की सुविधा देश के हर कोने में उपलब्ध है। किन्तु दुर्भाग्य से इन उचित दर की दुकानों का कार्यकरण बिलकुल संतोषजनक नहीं है। अधिकारियों के दुर्व्यवहार और निहित स्वार्थों ने इन दुकानों के कार्यकरण को असफल बना दिया

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

है और अन्ततः इसकी मुक्तभोगी देश की आम जनता है। अतः मैं कहूंगा कि सरकार उचित दर की दुकानों का कार्य संतोषजनक ढंग से चलाने में असफल रही है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली हमारे देश में नई नहीं है। यह प्रणाली अंग्रेजों के शासन में वर्ष 1939 में सबसे पहले शुरू की गई थी। बम्बई में भयंकर सूखा पड़ा था और तब वहां लोगों को राशन उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई थी। वर्ष 1943 में कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल के अन्य भागों में और अधिक भयंकर सूखा पड़ा। तब से सार्वजनिक वितरण प्रणाली पश्चिम बंगाल में शुरू हुई।

केन्द्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राजसहायता के रूप में 2000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। इस राजसहायता का हिस्सा आम आदमी को नहीं मिल रहा है। राजनीतिज्ञों के हस्तक्षेप से इस प्रणाली के कार्यों में बाधा पड़ी है। मध्यस्थ और अन्य निहित स्वार्थ इस राजहायता का अवांछित लाभ उठा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी का उद्देश्य यह देखना है कि निर्धनतम व्यक्तियों को आवश्यक वस्तुएँ सस्ती दरों पर मिलें? उनका मुख्य उद्देश्य दूर-दराज के गांवों, पहाड़ी क्षेत्रों और समाज के निर्धनतम वर्ग के लोगों की सहायता करना है। किन्तु हमारी सरकार अभी तक यह सुनिश्चित करने में सफल नहीं हुई है कि आवश्यक वस्तुएं इस देश की निर्धन जनता तक प्रत्यक्ष रूप से पहुंचे।

भारतीय खाद्य निगम ने मुख्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद और वितरण की कुछ जिम्मेदारी उठाई है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदा गया लगभग 60 प्रतिशत सामान सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित किया जा रहा है।

उचित दर की दुकानों से जो आवश्यक वस्तुएँ वितरित की जाती हैं, वे हैं—चीनी, गेहूं, चावल, पामोलिन तेल, सीमेंट, कपड़ा, कोयला, मिट्टी का तेल। वर्ष 1961 में देश में उचित दर की दुकानों की संख्या 47,000 थी। 1971 में यह संख्या बढ़कर 1,22,000 हो गई और वर्ष 1981 में यह संख्या बढ़कर 2,08,000 तक पहुंच गई। आज समूचे देश में उचित दर की दुकानों की संख्या करीब 4 लाख है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज-सहायता के रूप में 2000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उचित दर की दुकानों से वितरित की जाने वाली वस्तुओं की यात्रा में भी भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 1971 में लगभग 7.8 लाख टन सामान वितरित किया गया और वर्ष 1987 में वितरित सामान की मात्रा 18.4 लाख टन थी।

सरकार का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को कम मूल्यों पर वस्तुओं की सप्लाई करना है। लेकिन उचित दर की दुकानों में वास्तव में क्या हो रहा है? गांवों से इन दुकानों का कार्य बहुत खराब है। मुझे विशेषकर गांवों में इन दुकानों की कार्य-पद्धति के बारे में काफी अनुभव है। मैं भी एक ग्रामीण हूं और मुझे इन दुकानों की कार्य स्थिति के बारे में अच्छी तरह पता है। केन्द्र राज्यों को खाद्यान्नों, चीनी आदि की सप्लाई करता है। लगभग 60-70% ग्रामीण जनता को इस प्रणाली की जानकारी नहीं है हम केन्द्रीय मंत्री को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते क्योंकि इस प्रणाली में ही कुछ त्रुटियां हैं। लगभग 13 से 15% अनाज जैसे ज्वार, रागी आदि उचित दर की दुकानों से वितरित की जाती है और करीब 9 से 15 प्रतिशत तेल तथा अन्य मदें भी इस प्रणाली के माध्यम

से वितरित की जाती हैं। 1961 में प्रति व्यक्ति 9 किलो खाद्यान्न वितरित किए जाते थे और 1987-88 में इस यात्रा को बढ़ाकर प्रति व्यक्ति 26 किलों ग्राम प्रतिवर्ष कर दिया गया।

वर्ष 1961 में उचित दर की दुकानों में प्रत्येक ग्राहक को 69.7 रुपए राज-सहायता मिलती थी और 1987-88 में यह सहायता राशि लगभग 73 से 76 रुपए रही। 1977-78 में रागी, चावल और अन्य अनाजों के लिए प्रति-व्यक्ति 9 से 11 रुपए तक राज्य-सहायता दी जाती थी।

महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक आदि राज्यों में चावल की पैदावार काफी मात्रा में की जाती है। फिर भी निर्धन लोगों को सीधे चावल नहीं मिल रहा है। व्यापारी लोग वस्तुओं को जमा कर लेते हैं और बाजार में इन वस्तुओं की कमी होने पर उन्हें ऊंचे मूल्यों पर बेचते हैं। सरकार काला-बाजारी रोकने में सफल नहीं हो पाई हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपने कार्य-करण में पूरी तरह असफल रही है। इसी कारण मैंने यह विधेयक इस सम्मानीय सभा के समक्ष रखा है।

मेरे विधेयक का महत्वपूर्ण उद्देश्य एक बोर्ड का गठन करना है और इसका नाम उचित दर की दुकानों सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड रखा जा सकता है। बोर्ड राज्य स्तर पर और संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर बनाया जाना चाहिए। यह बोर्ड उचित दर की दुकानों के कार्यकरण पर नजर रख सकता है। केवल तभी हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि केन्द्र द्वारा दी जाने वाली राज-सहायता आम आदमी तक पहुंचती है। वस्तुओं के वितरण में भी आसानी होगी। पंजाब में उगाया गया गेहूं केरल तथा केरल में उगाए गए नारियल दिल्ली भेजे जा सकते हैं।

मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्र द्वारा दिए जाने वाला पामोलीन तेल आम आदमी तक पहुंचता है? उचित दर की दुकान में इसका मूल्य 11/- रुपए है और काले बाजार में यही 30 रुपए की दर से बेचा जाता है। केन्द्र द्वारा दी जाने वाली ये वस्तुएं राज्यों तक पहुंचती है। वहां से ये वस्तुएं जिलायुक्तों, तहसीलदारों, राजस्व निरीक्षकों और गांव के लेखापालों तक पहुंचती है। इन सभी स्तरों पर धोखाधड़ी हो रही है और आम आदमी का शोषण किया जाता है। इसलिए केन्द्र सरकार के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर नजर रखना बहुत आवश्यक है। मेरे जिले में एक वरिष्ठ आई० ए० एस० अधिकारी जो मुख्य सचिव हैं ने काला-बाजार में मात्र पामोलीन तेल की बिक्री से करीब 75 लाख रुपए की पूंजी इकट्ठी कर ली है। इसने शहरों में 27 रुपए प्रति किलो की दर से तेल बेचा है। स्वयं मैंने और कुछ अन्य व्यक्तियों ने इस अपराधी को पकड़ा है और उस पर आगे कार्यवाही की गई है।

'काम के बदले अनाज' योजना के तहत आप निर्धन जनता को गेहूं उपलब्ध करवा रहे हैं। इसका वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भी किया जा रहा है। यह गेहूं जिला आयुक्त के पास जाता है। गांव के किसान को 2½ किलो गेहूं भी नहीं मिल पाता एजेंट और ठेकेदार उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध गेहूं मिल मालिक को बेच देते हैं। गेहूं के प्रत्येक बैग से उन्हें लगभग 20 से 25 रुपए मिलेंगे। वे खातों में हेरा-फेरी करते हैं। इस कदाचार को अब तक नहीं रोका गया है।

चीनी की बिक्री के दो मूल्य हैं। एक 450 से 500 रुपए प्रति क्विंटल के बीच में है जबकि दूसरा 700 से 800 रुपए के बीच है। गरीब किसान जो सुबह से शाम तक कठिन परिश्रम करता है वह एक किलोग्राम चीनी भी नहीं खरीद सकता। किसानों और गरीब लोगों के नाम पर कस्बों और

शहरों में बिचौलिए धन कमा रहे हैं। चीनी गांवों में नहीं पहुंचती। यह सच है कि हमारे पास आवश्यक वस्तु अधिनियम है, लेकिन गरीब लोगों की सहायता करने का उद्देश्य सफल नहीं होता है।

कपड़ा, चीनी, चावल और अन्य वस्तुओं के वितरण के लिए एजेंसियों की आवश्यकता है। क्या यह वितरण कार्य सन्तोषजनक तरीके से चल रहा है?

मेरे जिले में उचित मूल्य विभाग से सम्बन्धित लोग पैड, सील, बैग, पुस्तकें आदि प्रायः अपने साथ रखते हैं। वे डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त करके और समाहर्ताओं, तहसीलदारों से मिलते हैं और वस्तुओं का बहुत बड़ा भाग का स्वयं उसी जगह पर ही निपटान कर दिया जाता है। उचित दर दुकान पर केवल 25 प्रतिशत वस्तुएं वास्तविक वितरण के लिए पहुंचती हैं। यह प्रणाली सम्पूर्ण देश में जारी है और इसी प्रकार 2000 करोड़ रुपया की राजसहायता बिचौलियों के पास पहुंच गई है। यह कुलियों, श्रमिकों, निर्धन लोगों तथा मध्यम वर्ग के लोगों के पास नहीं पहुंच रही है। अतः केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना बहुत ही आवश्यक है। तालुक स्तर पर तालुक कृषि उत्पाद विपणन समितियां हैं। लेकिन राज्य के अधिकारी और अन्य निहित स्वार्थ के लोग राजसहायता का दुरुपयोग कर रहे हैं।

मिट्टी के तेल का वितरण मुख्य रूप से फेरीवालों के माध्यम से किया जाता है। ये फेरीवाले केवल तेल का 3/4 भाग देते हैं और उसका 1/4 भाग उपभोक्ता को सप्लाई नहीं किया जाता है। अतः मिट्टी के तेल के वितरण में सुधार किया जाना चाहिए। पामोलिन तेल में मिलावट है।

भारतीय खाद्य निगम चावल की खरीद करता है। चावल का बाजार मूल्य 400/- रुपए प्रति क्विंटल हो सकता है। भारतीय खाद्य निगम में कुछ अधिकारी हैं जोकि वास्तविक दर का आधा देंगे। वे सड़ा हुआ चावल भी वितरण के प्रयोजन के लिए भेजते हैं। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करनी होगी।

केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई प्रकार से सहायता मिलेगी। खाद्यान्न, चीनी आदि के बैग सीलबन्द होंगे और बोर्ड इसकी निगरानी रखेगा। इसमें मिलावट नहीं हो सकेगी। कुछ समय पहले बाहर से 10 लाख टन गेहूं मंगलौर पत्तन पर आया था। इस गेहूं के आने पर केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक को भी गेहूं दिया था। यह गेहूं लोगों के खाने के लिए उपयुक्त नहीं था। गेहूं में कीड़े थे और यह सड़ा हुआ था।

भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की खरीद करता है लेकिन इसकी वितरण प्रणाली संतोषजनक नहीं है। उचित कार्यकरण के लिए वितरण प्रणाली की देख-रेख आवश्यक है। अतः इन सभी मामलों की देख-रेख के लिए एक निगम होना चाहिए। राष्ट्रीय, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, जिला, तालुक और खण्ड स्तरों पर देख-रेख प्रणाली होनी चाहिए। तभी केवल आपकी सहायता इस देश की गरीब जनता के पास पहुंचेगी। इसी धारणा के साथ मैं यह विधेयक पुरःस्थापित कर रहा हूं। शुरू में आप इस विधेयक की प्रशंसा नहीं करेंगे लेकिन इसमें प्रशंसनीय उद्देश्य हैं और मुझे यकीन है कि इससे उचित दर दुकानों के कार्यकरण में वांछित परिवर्तन आएंगे।

उचित दर दुकानें समाज के सभी वर्गों के लिए हैं। एक श्रमिक, एक संसद सदस्य, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, ये सभी उचित दर की दुकानों पर जा सकते हैं। मैं आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए उचित दर दुकान पर क्यों जाऊं? एक अधिकारी जो 6000 रुपए अथवा 8000

रुपए वेतन ले रहा है। वह इन वस्तुओं को खरीदने के लिए उचित दर की दुकान पर क्यों जाए ? इन दुकानों को निर्धन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को राजसहायता का लाभ मिलना चाहिए।

उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उचित दर दुकानों के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए मैं इस सभा के सामने यह विधेयक लाया हूं। मैं सभा का और अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे बहुत से माननीय साथी इस चर्चा में भाग लेने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस विधेयक को स्वीकार करेंगे और सभा द्वारा इसे पारित किया जाएगा।

महोदय, आपने जो मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि उचित दर दुकानों के कार्यकरण को विनियमित करने तथा उससे सम्बन्धित मामलों के विधेयक पर विचार किया जाए।"

डा० फूलरेणु गुहा।

***डा० फूलरेणु गुहा (कन्टई)** : उपाध्यक्ष महोदय, शुरू में मैं अपने साथी डा० बासवराजू को इस सदन में यह विधेयक लाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और इससे हमें इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का अवसर मिला। यह चर्चा बहुत ही सार्थक होगी और मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिलकर कुछ प्रभावी प्रणाली तैयार करेंगी जिसके माध्यम से उचित दर दुकानों से ग्रामीण लोगों को पूरा फायदा होगा।

महोदय, उचित दर दुकानों ने सबसे पहले बम्बई में 1939 में कार्य करना शुरू किया था। उसके बाद इस तरह की दुकानें 1944 में कलकत्ता में खोली गई थीं। जिन परिस्थितियों में सबसे पहले कलकत्ता में उचित दर दुकानें खोली गयीं थीं, उनके बारे में सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ब्रिटिश सरकार ने पश्चिम बंगाल में जिसे उस समय बंगलादेश के नाम से जाना जाता था, उस समय जो अत्याचार किए थे उनको याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने वहां लोगों को पशुओं की तरह मारा था। बंगाल में उन दिनों में काफी मात्रा में चावल पैदा होता था। ब्रिटिश सरकार ने जापानियों के भय से चावल के सभी भण्डारों को नष्ट कर दिया था। मुझे उन भयानक दिनों की याद है जब हम गांवों में जाते थे, किसानों के घरों में जाते थे और उनसे अनुरोध करते थे कि अपने चावल के भण्डार पुलिस को न दीजिए। पुलिस ने उनके चावल नष्ट कर दिए उन्हें नदियों तथा बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया। महोदय, जिन बहुत से लोगों ने उन दिनों को नहीं देखा है ये बातें उन्हें परियों की कहानियों की तरह लग सकती हैं। लेकिन हमने वह समय देखा है और ऐसी अमानवीय बातों को हमने अपनी आंखों से देखा है। यहां तक कि इतना अधिक समय बीत जाने के बाद भी उन दिनों की याद करके जब लोग कलकत्ता की गलियों में चूहों की तरह मर रहे थे, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने छोटे बच्चों को उनकी अपनी मृत माताओं की छाती से दूध पीते देखा है। यदि मैं ये बातें बताना शुरू करूं तो बहुत ही दर्दनाक यादें ताजा हो जाएंगी। बहुत सी बातें बतानी पड़ेंगी। अतः मैं उनके बारे में

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

विस्तार में नहीं जाना चाहती हूं। मैं कलकत्ता में सबसे पहले राशनिंग प्रणाली शुरू किये जाने के तत्काल बाद जो कुछ हुआ केवल उसके बारे में कहूंगी। उसके बाद धीरे-धीरे राशनिंग प्रणाली अन्य स्थानों पर भी शुरू की गई। प्रत्येक इसके बारे में जानता है और मैं इसके बारे में बताने के लिए अधिक समय नहीं लूंगी।

महोदय, हमारे देश में अधिकतर लोग गरीब हैं और लाखों लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। उनके लिए हर जगह सम्पूर्ण देश में उचित दर दुकानें आवश्यक हैं। भारत सरकार ने उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं जिसमें कि वे भी शान से रह सकें। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह यह देखें कि सम्पूर्ण भारत में उनके लिए उचित दर की दुकानें खोली जाएं। इस संदर्भ में मैं एक बात कहूंगी जिसे मैं जानती हूं कि वह मेरे मित्रों और साथियों को वह पसन्द नहीं आएगी। महोदय, हम जानते हैं कि उचित दर दुकानों के माध्यम से बेची जाने वाली वस्तुओं के लिए सरकार राजसहायता देती है। अब मेरा मुद्दा यह है अमीर लोग, उच्च मध्य वर्ग के लोग जो अच्छे खाते पीते हैं, सरकार की इस राजसहायता का लाभ क्यों उठाएं? उनके लिए उचित दर की दुकानें क्यों होनी चाहिएं? मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस पर विचार करें। इन समृद्ध वर्गों के लिए राजकोष से राजसहायता क्यों होनी चाहिए? मैं माननीय मन्त्री को यह बताना चाहती हूं कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के आर्थिक विकास के लिए केवल कार्यक्रम और योजनाएं ही पर्याप्त नहीं हैं। हमें उनकी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की सस्ते और राजसहायता दरों पर सप्लाई के प्रबन्ध करने होंगे। इन गरीब लोगों के लिए अधिक से अधिक उचित दर दुकानें खोलनी चाहिएं जिन्हें वास्तव में उनकी आवश्यकता है। केवल चावल, गेहूं और तेल की ही उचित दर दुकानों में सप्लाई पर्याप्त नहीं है। मैं काफी समय से कलकत्ता में रह रही हूं और मैं अपनी वस्तुएं उचित दर की दुकानों से खरीदती हूं। मैंने देखा है कि उचित दर दुकानों के लिए सप्लाई अनिश्चित और अनियमित है। हाल ही में संसद के मध्यावकाश के दौरान मैं कलकत्ता गई थी। एक व्यक्ति जो मेरी ओर से मेरा राशन लेता है उसने मुझे बताया कि राशन की दुकान पर चीनी गत चार सप्ताह से उपलब्ध नहीं है। इसके लिए क्या किया जाए? मैंने उसे बताया अब क्या करना होगा। मैंने बताया कि यदि चीनी उपलब्ध हो तो ले आओ अन्यथा हमें चीनी के बिना काम चलाना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहती हूं कि दालें, नमक, साबुन, माचिस बाक्स, मिट्टी का तेल जैसी दैनिक उपयोग की सभी अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई नियमित रूप से उचित दर दुकानों के माध्यम से की जाए और नियमित सप्लाई को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विशेषकर मिट्टी के तेल की सप्लाई अवश्य की जानी चाहिए क्योंकि मिट्टी के तेल की वजह से बहुत से गरीब बच्चे अपना अध्ययन नहीं कर सकते। महोदय हम कलकत्ता वासियों के लिए प्रायः बिजली बन्द रहती है या बिजली बिल्कुल ही नहीं आती। हमें मिट्टी के तेल की लालटेन से काम चलाना पड़ता है जैसाकि मैं जब छोटी थी तो अपने गांव में किया करती थी। लेकिन क्योंकि मिट्टी का तेल हमेशा उपलब्ध नहीं होता, मुझे मोमबत्तियों का उपयोग करना पड़ता था। अब मोमबत्तियां महंगी हैं। गरीब लोग मोमबत्तियां नहीं खरीद सकते। अतः गरीब लोगों के लिए उचित दर दुकानों के माध्यम से मिट्टी के तेल की सप्लाई को सुनिश्चित किया जाए।

मैंने जो कुछ पहले कहा है उसको फिर से दोहराती हूं कि प्रत्येक गांव में उचित दर की दुकानें खोलना बहुत ही आवश्यक है। यह बहुत ही दुख तथा शर्म की बात है कि वे लोग जो हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं, स्वयं भूखों मरते हैं। जो हमारे लिए पैदा करते हैं और सम्पूर्ण देश को खिलाते हैं, हम

उन लोगों के लिए दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं को सस्ती दर पर उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। हमें गेहूं, चावल, दालें, खाद्य तेल, नमक, मिट्टी के तेल, माचिस बाक्स आदि जैसी वस्तुएं सस्ती दर पर उपलब्ध करानी चाहिएं। हम अब तक ऐसा करने में असमर्थ रहे हैं। प्रत्येक गांव में केवल उचित दर दुकानें खोलना ही पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले कि ये दुकानें ग्रामीणों को आवश्यक वस्तुओं की नियमित सप्लाई करेंगी। अन्यथा इसका प्रयोजन ही निरर्थक रहेगा।

यहां मैं यह सुझाव दूंगा कि वे वस्तुयें जोकि किसी राज्य विशेष में पैदा नहीं होतीं, उनकी सप्लाई केन्द्रीय सरकार द्वारा की जानी चाहिए। लेकिन जो वस्तुयें उस राज्य में पैदा होती हैं उन्हें उचित दर दुकानों को सप्लाई किए जाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की होनी चाहिए। इस मामले पर पूरी तरह से चर्चा होनी चाहिए और उस पर निर्णय लिया जाना चाहिए। मैं जानती हूं कि जैसे ही केन्द्रीय सरकार और अधिक उचित दर दुकानों को खोलने के बारे में बातचीत शुरू करती है, तो राज्य सरकारें यह पता करना शुरू करेंगी कि केन्द्रीय सरकार को उन्हें सभी वस्तुओं को सप्लाई करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब कभी भी इन वस्तुओं की सप्लाई में कोई कमी आएगी, तो राज्य सरकार इसके लिए केन्द्रीय सरकार को दोष देना शुरू कर देंगी। इसीलिए मैं कहती हूं कि और अधिक उचित दर की दुकानों को खोलने की परियोजना प्रारम्भ करने से पहले, सभी राज्य सरकारों से इन मुद्दों पर पूरी तरह से चर्चा कर लेनी चाहिए। विभिन्न राज्य सरकारें, अपने राज्य में पैदा होने वाली वस्तुओं को उचित दर दुकानों को सप्लाई करने के लिए अवश्य ही उत्तरदायी होंगी।

महोदय, कलकत्ता में खोली जाने वाली उचित दर की दुकानों के कार्यकरण के बारे में मुझे काफी अनुभव है। यहां मैं एक बात कहूंगी। जब सबसे पहले कलकत्ता में उचित दर की दुकानें खोली गईं और 1946 में खाद्य कार्यालय खोले गए तो यह बताया गया था कि उनमें कुछ महिला कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। उन दिनों कार्यालयों में महिला कर्मचारियों का मिलना बहुत ही कठिन था। मुझे स्पष्टरूप से याद है कि सुबह 8.30 बजे खाद्य कार्यालय से एक सज्जन मेरे पास आए और कहा, "महोदया, कार्यालय में महिला कर्मचारियों की भर्ती के बारे में एक निर्णय लिया गया है। दो दिन के अन्दर हम महिला कर्मचारी कहां से ला सकते हैं? कृपया आप हमारी मदद कीजिए।" मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने कलकत्ता शहर में घूमकर किसी तरह उनके कार्यालय में 4 या 5 महिला कर्मचारियों को भेजा। मैं राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि वे विभिन्न अपराधों तथा कालाबाजारी इत्यादि के मामलों पर नजर रखें जो उचित दर की दुकानों में होते हैं। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि भोजन की छोटी-मोटी दुकानें या 'ढाबे' राशन की दुकानों के निकट खुल जाते हैं। उन्हें खाद्यान्नों की सप्लाई राशन की दुकानों से होती है। इस पर रोक लगानी होगी। मैं जानती हूं कि यह एक गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक है और सरकार अन्त में प्रस्तुतकर्ता से इसे वापस लेने का अनुरोध करेगी। सरकार के अनुरोध पर हमारे मित्र इसे अन्ततः वापस ले लेंगे। परन्तु बात यहीं समाप्त नहीं होनी चाहिए। सरकार को इस मामले पर विभिन्न राज्य सरकारों से बात करनी चाहिए और इस पर आगे कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे लिए खाद्य सामग्री का उत्पादन करने वालों को सस्ती दरों पर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने का दायित्व सरकार को लेना चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए योजनाएं बनाना ही पर्याप्त नहीं है, हमें उन्हें सस्ती दरों पर गेहूं, चावल इत्यादि प्रदान करना चाहिए। महोदय, इसके साथ ही मैं अपने साथी डा० बासवराजू को यह विधेयक लाने के लिए पुनः धन्यवाद देती हूं और अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री जी० एस० बासवराजू द्वारा प्रस्तुत किए गए उचित दर दुकान (विनियमन) विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, मैं सम्पूर्ण विधेयक के पक्ष में नहीं हूं परन्तु कुछ प्रावधान बहुत अच्छे हैं और इनका कार्यान्वयन सरकार के हाथ में हैं। बहरहाल, इस विधेयक ने हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने का अवसर दिया है। जैसाकि मेरे पूर्व वक्ता, डा० फूलरेणु गुहा ने अभी कहा है कि इस देश में उचित दर दुकानों का बहुत लम्बा उतार-चढ़ाव वाला इतिहास है। यहां तक कि अब भी हमें इसकी प्रभावोत्पादकता को सफल बनाना है और उपभोक्ता को इसके प्रति जागरुक बनाना है। मैं उद्देश्यों और कारणों के कथन से पूर्णतया सहमत हूं यद्यपि विधेयक के उद्देश्य को पूर्णतया स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं विधेयक के कुछ प्रावधानों का समर्थन नहीं करता, जिनका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं।

महोदय, मैं माननीय मन्त्री, श्री सुखराम का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जनवरी में कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय से अपने हस्ताक्षरों के द्वारा उन्होंने '20 प्वाइंट प्रोग्राम 1986—इट्स परसपेक्टिव एण्ड स्ट्रेट्जी' नामक पुस्तिका जारी की थी और इसका 18वां सूत्र उपभोक्ताओं के लिए बहुत महत्व रखता है। मेरे विचार से इसका महत्व वर्तमान विधेयक में सुझाए गए महत्व से कहीं अधिक है। यदि सरकार इस मामले को निपटाना चाहती है तो दस्तावेज में ही बहुत अच्छे सुझाव दिए गए हैं। बहुत अच्छी नीतियां बनाई गई हैं। उद्देश्य स्पष्ट किए गए हैं और कार्यक्रम बहुत बढ़िया है। नीतियों की निगरानी को भी स्पष्ट किया गया है।

महोदय, इस बात पर सन्देह करने के लिए कोई कारण नहीं हैं कि कार्यक्रम कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सरकार अधूरे-मन से कार्य कर रही है। प्रधान मन्त्री इसे पूर्णतः क्रियान्वित करना चाहते हैं। हमारी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा जी के समय में लागू किए गए 20-सूत्री कार्यक्रम और अब श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में लागू किए गए नए 20-सूत्री कार्यक्रम में उपभोक्ताओं के महत्व का उल्लेख 18वें सूत्र में स्पष्ट रूप से किया गया है जिसकी समीक्षा की आवश्यकता है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस सूत्र के आधार पर कोई कदम उठाए हैं। महोदय, श्री बासवराजू के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि जो दस्तावेज आपने परिचालित किया है, वह इस विधेयक से कहीं अधिक व्यापक है। अब, यदि आप इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में गम्भीर हैं, मैं आपका ध्यान कुछ सुझावों की ओर दिलाना चाहता हूं जो मैं देना चाहता हूं। महोदय, उपभोक्ता संरक्षण आन्दोलन तथा जनता में इसका आभास, विशेषतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, कराने का जिक्र किया गया है। महोदय, मैं एक बहुत ही पिछड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत छोटे-छोटे गांव हैं। एक गांव से दूसरे गांव की दूरी कुछ मील है और कभी-कभी गांव इतना छोटा होता है कि इसमें केवल 10 परिवार ही होते हैं। अतः ऐसे छोटे गांवों में लोगों को आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।

यही स्थिति अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम के गांवों में है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र अधिकांशतः एक जैसे होते हैं। आपके राज्य में भी यही स्थिति होगी। हिमाचल प्रदेश के बारे में मेरा कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। परन्तु हमें सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों तथा आन्तरिक भागों में रहने वाले लोगों के बारे में सोचना पड़ता है जहां कोई दुकान नहीं है, चाहे उचित दर दुकान हो या चाहे सरकारी दुकान हो, क्योंकि उन्हें खरीद की एक निश्चित व्यवस्था पर, एक साप्ताहिक या मासिक खरीद प्रणाली पर निर्भर करना पड़ता है। इन क्षेत्रों के लिए हमें चलती-फिरती दुकानें उपलब्ध करानी होंगी। आपने

अपने दस्तावेज में 'स्थाई या चल दुकानों' का उल्लेख किया है। महोदय, छोटे तथा सुदूर गांवों के लिए स्थाई दुकानें अव्यवहार्य होंगी। चलती-फिरती दुकानें व्यवहार्य हैं। ये चलती-फिरती दुकानें शुरू की जा सकती हैं। यदि मुझे अपने अनुभव के आधार पर बोलने दिया जाए तो मैं कहूंगा कि थोड़े बहुत स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए गए हैं। अभी तक अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई है और इसका एक कारण तो उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी तथा दूसरा कारण उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन चलाने वालों में जागरूकता की कमी है क्योंकि वे स्वयं भी बहुत सिद्धहस्त वाणिज्यिक या व्यवसायिक लोग नहीं हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि कुछ महीने या कुछ वर्ष बाद यह असफल हो गया। आपने भी उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने सम्बन्धी अपने दस्तावेज में उपभोक्ताओं और उपभोक्ता सेवा व्यापार चलाने वालों के लाभ हेतु उपभोक्ता शिक्षा पर बल दिया है। हमें देखना होगा कि हम इसमें कैसे बेहतर सुधार कर सकते हैं। महोदय, हमारे यहां सहकारी समितियां हैं। देश में हर जगह सहकारी समितियों, विशेषतौर पर उपभोक्ता सहकारी समितियों, ने इतनी सफलता नहीं प्राप्त की है जितनी कि हमें आशा थी। इस क्षेत्र में आपने क्या सफलता प्राप्त की है? जैसाकि श्रीमती गुहा ने अभी कहा है, जब तक हम भोजन पैदा करने वालों तक भोजन नहीं पहुंचाते—यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कही गई है, मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि जब तक हम गांवों में भोजन पैदा करने वालों के पास भोजन नहीं पहुंचाते तब तक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जहां कहीं स्थाई दुकानें व्यवहार्य समाधान नहीं हैं, हमें चलती-फिरती दुकानों पर निर्भर करना होगा और इन चलती-फिरती दुकानों को तो सरकार चलाती है जैसाकि सुपर बाजार व्यवस्था है। दिल्ली तथा अन्य महानगरों में लोग शिक्षित हैं, बुद्धिजीवी काफी मात्रा में हैं और लोगों का व्यवहार काफी हद तक सहनशील तथा स्थिति को समझने योग्य है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में हर चीज के लिए जब आप उन्हें कुछ चीजें तैयार करने के लिए कहते हैं तो उन्हें शुरू से प्रशिक्षित करना होगा। अतः इस प्रकार हम चाहते हैं कि ग्रामीण लोगों के हित में इस समस्या को हल करना चाहिए। शहरों में सुपर बाजार खोलना आवश्यक है। विभिन्न राज्यों में लगभग हर शहर में जगह-जगह सुपर बाजार हैं। परन्तु शहरों या छोटे कस्बों में सुपर बाजार होने से समस्या हल नहीं होगी, अपितु गांवों में इसकी चलती-फिरती शाखाएं खोलने से इस समस्या का समाधान होगा। महोदय, इसी उद्देश्य के लिए मैं उसी आधार पर सुझाव देना चाहता हूं कि कुछ केन्द्रीय नियन्त्रण होना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं यह टिप्पणी करना चाहता हूं कि हर प्रकार से इसका केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिए यद्यपि श्री बासवराजू के विधेयक में कहा गया है कि एक केन्द्रीय बोर्ड होना चाहिए। उचित दर की दुकानों द्वारा वितरण व्यवस्था कुल मिलाकर राज्य के हाथों में है और यदि राज्य सरकार 'हां' कहती है तो आपको देखना होगा कि जहां तक सम्भव हो, केन्द्रीय सहायता द्वारा इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। महोदय, जैसाकि मैंने सुझाव दिया है कि सुदूर गांवों में तथा ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में पहुंचने के लिए एकमात्र उपाय वहां चलते-फिरते सुपर बाजार खोलना है। शुरू में यह महंगा पड़ सकता है परन्तु यह बहुत बड़ा और व्यापक कार्यक्रम होगा। परन्तु जहां तक हमें जानकारी है, इसकी शुरुआत नहीं की गई है। इस कार्यक्रम की शुरुआत नहीं की गई है और सुपर बाजार शहरों और कस्बों में ही हैं। सुपर बाजार ग्रामीण क्षेत्रों में तथा गांवों में होने चाहिएं चाहे इसे कोई भी नाम दिया जाए, इसे खोला जाना चाहिए। अब, इस सन्दर्भ में, जब मन्त्री महोदय उत्तर देंगे तो उनके अपने कार्यक्रम पर प्रधान मन्त्री के कार्यक्रम पर अभी तक की गई कार्यवाही जानकर सभा को लाभ होना चाहिए क्योंकि कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है और इसके कार्यान्वयन का काम मन्त्री महोदय के नेतृत्व वाले मंत्रालय को सौंपा गया है। उपलब्धि कहां है? एक अध्ययन किया जाना चाहिए कि आप कहां असफल हुए हैं, कमियां कहां हैं, आपने कहां सुधार किया है और जहां कहीं आवश्यक हो, वहां परिवर्तन किया है। हम

सरकार से विस्तृत जानकारी चाहते हैं कि इस क्षेत्र में उपलब्धियों तथा असफलताओं के सरकारी आंकड़े क्या हैं। फिर शायद हमारे पास 20-सूत्री कार्यक्रम में विश्वास रखने के कुछ कारण होंगे जो प्रधान मन्त्री द्वारा इतनी निष्ठापूर्वक तैयार किया गया है और जिसे हम सभी ने गीता और बाइबल की तरह माना है। हमने विभिन्न मंचों पर कई बार कहा है कि यह एक सैद्धान्तिक या शैक्षिक या शब्दों का इन्द्रजाल खूबसूरत अभिव्यक्ति, सुलभ लेख इत्यादि नहीं है। इन सहकारी समितियों, सुपर बाजारों तथा ऐसी ही संस्थाओं के माध्यम से जनसाधारण तक पहुंचाना चाहिए।

अब इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि खाद्य प्रसंस्करण मन्त्रालय को एक भूमिका निभानी है क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण मन्त्रालय फलों और अन्य वस्तुएं जोकि विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध हैं के उपयोग में सहायता करता है और जब वे वितरित किए जाते हैं तो उन्हें कीमत, गुणवत्ता और तौल तथा मात्रा के आधार पर नियन्त्रित किया जाता है। इसलिए अपने उत्पादों को वितरित करते समय उन्हें इस नीति से इनका वितरण करना चाहिए कि ये उत्पाद उन संगठनों को भेजे जाएं जो पहले से मौजूद नहीं हैं और उनका गठन हो रहा है ताकि ये आम आदमी तक पहुंच सकें और जैसे कि मेरे पूर्व वक्ता ने सुझाव दिया है कि यह आवश्यक नहीं है कि ये उन धनवान लोगों को भेजी जाएं जो महंगी वस्तुओं को खरीद सकते हैं बल्कि उनको भेजी जाएं जो इन्हें नहीं खरीद सकते हैं और जिन्हें यह सुविधा दी जानी चाहिए। जहां तक सामान्य वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं की प्राथमिकताओं की बात है, सरकारी एजेंन्सियों, सरकारी उपक्रमों, सहकारी उद्योगों और अन्य उद्योग जो सरकारी नियन्त्रणाधीन है, का केवल इन्हीं संगठनों द्वारा प्रसंस्करण किया जाना चाहिए।

महोदय, यद्यपि इस तरह का विधेयक वापस लिया जाना है तो भी हमें इसे इतनी लापरवाही से नहीं लेना चाहिए क्योंकि इस विधेयक में जो भावना निहित है उस पर अमल किया जाना चाहिए और सरकार को कुछ ऐसे आश्वासन जो प्रभावी और व्यवहार्य हों सभा को देने चाहिए; "हां, यह विधेयक सरकार को स्वीकार्य नहीं हो सकता है लेकिन जो भावना इस विधेयक में निहित है उसे सही रूप में लिया जाना चाहिए और सरकारी कार्यान्वयन एजेन्सियां इस विधेयक में कतिपय आधारभूत बातों का ध्यान रखेंगी।" महोदय हम सभी सन्तुष्ट होंगे। मैं अपने माननीय मित्र श्री बासवराजू का आभारी हूं कि उन्होंने इस चर्चा को उठाया और यह विधेयक लाए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक पर अपनी टिप्पणियां समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फेयर प्राइस शॉप रैगुलेशन बिल, 1989, जो श्री बासवराजू साहब ने प्रस्तुत किया है, मैं उनकी भावना की कद्र करता हूं मगर जिस प्रकार का यह बिल होना चाहिए, उस प्रकार का बिल प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसमें बहुत-सी कमियां हैं इसलिए सरकार को चाहिए कि एक ऐसा पूरा बिल प्रस्तुत करे जिसकी वजह से फेयर प्राइस शॉप्स को ठीक प्रकार से कन्ट्रोल कर सके और उनकी व्यवस्था की जा सके। यह बात सोचने की है। खास तौर से उन्होंने क्लाज-4 में कहा है कि स्टेट बोर्ड्स बनाए जाएं और उसके जरिए कौन-कौन सी चीजें फेयर प्राइस शॉप्स को सप्लाई की जाएं, कितनी आइटम्स होनी चाहिए, यह तय होना चाहिए। अब तक जो सप्लाई किया जाता है, उसमें गेहूं, चावल, कपड़ा, चीनी और अन्य प्रकार की कुछ आइटम्स हैं। ये आइटम्स सरकार उपलब्ध कराती है खास तौर से शहरों के लिए और देहातों में

तो बहुत कम चीजें उपलब्ध हो पाती हैं। शहरों में माननीय मन्त्री जी क्योंकि यहां के लोग ज्यादा चिल्लाते हैं, आप उनकी बात को अच्छी तरह से सुनते हैं और हम लोग जो देहातों में रहने वाले हैं, उनकी बातों को आप कम सुनते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खास तौर से इन आइटम्स को ठीक प्रकार से डिस्ट्रिब्यूट करने के लिए देहातों के अन्दर विशेष प्रबन्ध करने की आवश्यकता है। पांच-छः आर्टिकल्स जो आप सप्लाई करते हैं, उसके अलावा ऐसे भी आर्टिकल्स हैं, जोकि बहुत आवश्यक हैं, उन सारे आर्टिकल्स को आप सुपर बाजार के माध्यम से शहरों के अन्दर सप्लाई करते हैं। बहुत सारी कमोडिटीज आप सुपर बाजार के जरिए से लोगों को वाजिब कीमतों पर सप्लाई करते हैं। उसी कीमतों पर आप होलसेल भंडार और अन्य स्थानों के सुपर बाजार हैं, उनको भी उपलब्ध कराएं तो निश्चित तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी वे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं जो आप शहरी लोगों को कराते हैं। इस व्यवस्था को आपको निश्चित तरीके से करना चाहिए। खास तौर से दक्षिण के हमारे माननीय सदस्य, जो आगे बैठे हुए हैं केरल के, उन्होंने बताया है कि 14 आइटम्स सप्लाई के लिए तय की गई है और ये आइटम्स केरल स्टेट बराबर लोगों को उपलब्ध कराती है। उसी प्रकार से दूसरे राज्यों के अन्दर भी वे सारी आइटम्स उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत मिले। आजकल खास तौर से दालें, कपड़ा तो आप सप्लाई करते हैं और जो आवश्यक चीजें हैं जैसे केरोसिन आयल है, ये चीजें देहाती क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। लोग इन चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा वसूल करते हैं। आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे चीजें निश्चित तरीके से ठीक कीमत के ऊपर उपलब्ध हो सकें। आपको इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रश्न यह भी उठता है कि कितने लोगों की आबादी के ऊपर एक फेयर प्राइस शाप होनी चाहिए। हमारे गांव के अन्दर आपने फेयर प्राइस शाप बनाई है। कभी तो आप दो पंचायतों के ऊपर फेयर प्राइस शाप बना देते हैं, जहां कि आबादी आठ-दस हजार की होती है और कभी चार-पांच हजार की आबादी पर एक फेयर प्राइस शाप होती है। शहरों में तो दो-दो हजार के वार्ड के अन्दर आपने फेयर प्राइस शाप उपलब्ध कराई है। मेरा सुझाव है कि पोपुलेशन के हिसाब से फेयर प्राइस शाप्स का बनाना नितान्त आवश्यक है। इसलिए जब तक यह व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तब तक आपकी यह व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं बन पाएगी। इसी तरीके से जो सामान फेयर प्राइस शाप्स पर उपलब्ध कराया जाता है, उसमें भी बड़ी गड़बड़ी होती है। फेयर प्राइस शाप्स की व्यवस्था करने वाले व्यवस्थापक ही सामान ले जाने की व्यवस्था करेंगे तो निश्चित तरीके से सारा सामान ठीक प्रकार से नहीं ले जाएंगे और उसको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको स्टेटवाइज अथोरिटी कायम करनी चाहिए, एसेंशियल आर्टिकल्स सप्लाई करने के लिए। ऐसी अथोरिटी होनी चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट लैवल पर हो और उसके बाद सबडिवीजन लैवल पर हो, तहसील लैवल पर हो। तहसील लैवल पर मार्केटिंग सोसाइटी को दे दी जाए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लैवल पर होलसेल भंडार और स्टेट लैवल पर को-आपरेटिव क्षेत्र में काम करने वाली जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के जरिए से सारी आइटम्स को ठीक प्रकार से सप्लाई कराएं, तो निश्चित तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इसके जरिए से फायदा उपलब्ध हो सकेगा। इन सारी आइटम्स का ट्रांसपार्टेशन करके समय पर उनको उपलब्ध करा पाएंगे। इसलिए इस व्यवस्था को भी किया जाना चाहिए और इसके अलावा क्वालिटी को भी देखना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि कितनी क्वान्टीटी शूगर की, गेहूं की, तेल की, कपड़े की, केरोसियन आयल की और अन्य प्रकार की चीजों की पापूलेशन के हिसाब से आवश्यक है। यह भी देखना चाहिए और उसी हिसाब से चीजों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगर पापूलेशन ज्यादा है और सप्लाई कम होगी, तो यह व्यवस्थापक के ऊपर निर्भर करेगा कि वह किसको वह दे। जिसको मर्जी में आएगा, देगा और जिसको मर्जी में नहीं आएगा, नहीं

देगा और एक तरह से यह प्रिफेरेंशियल मामला हो जाएगा और इससे गड़बड़ होगी। इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए।

एक बात की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो अच्छी स्टेट्स हैं और जहां पर काआपरेटिव सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, उन क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाए और जहां पर काआपरेटिव सेक्टर को विकसित नहीं है, वहां पर काआपरेटिव सेक्टर को विकसित करने का काम हमें करना चाहिए। उनके जरिए से फेयर-प्राइस शाप्स इस्टाबिलिश करके गांवों में और कस्बों में हम लोगों को ये चीजें उपलब्ध कराएं। प्राइवेट डीलर्स को अगर आप दे देंगे, तो उसमें बहुत बड़ा घपला होता है, एडलट्रेशन भी होता है और ब्लैक मार्केटिंग भी होती है और उपलब्धता भी उनके जरिए नहीं हो पाती है। इसलिए जहां पर प्राइवेट डीलर्स स्थापित हैं, उनको वहां से हटाने की आवश्यकता है और काआपरेटिव सेक्टर में इस प्रकार की फेयर-प्राइस शाप्स इस्टाबिलिश करने की आवश्यकता है, जिससे लोगों को इस प्रकार की आइटम्स ठीक तरह से उपलब्ध हो सकें। ऐसी व्यवस्था करने की नितांत आवश्यकता है।

इसके साथ ही साथ मैं आपका ध्यान खास तौर पर अपनी स्टेट के बारे में दिलाना चाहता हूं। राजस्थान एक बहुत पिछड़ा हुआ प्रान्त है और वहां पर अनाज की जितनी जरूरत होती है, उतना पैदा नहीं होता है। इसलिए उसकी पूर्ति भारत सरकार करती है मगर कुछ कम करती है। इसलिए उसकी जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। पिछले चार-पांच सालों में हमारे राजस्थान में भयंकर सूखा पड़ा है और अकाल के समय फेयर-प्राइस शाप्स से लोगों को सामान उपलब्ध नहीं हो पाता था। यह तो राजीव गांधी जी की कृपा थी, जिसकी वजह से एन० आर० ई० पी० और अन्य प्रकार के प्रोग्रामों से गांवों के अन्दर मजदूरों को गेहूं उपलब्ध हो गया, जिसकी वजह से कोई कमी नहीं आई वरना फेयर-प्राइस शाप्स के जरिए जो उपलब्धता होनी चाहिए थी, वह न हो पाती। इसलिए यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि जिन स्टेट्स में कमी है, जो गेहूं खाने वाले एरियाज हैं वहां गेहूं की और जो चावल खाने वाले एरियाज हैं, वहां चावल की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क न आ सके। अगर ऐसी व्यवस्था होगी, तो इससे प्राइस भी मेन्टेन होगी और महंगाई भी ज्यादा नहीं बढ़ेगी और लोगों को ठीक प्रकार से चीजें उपलब्ध हो जाएंगी।

मैं खास तौर से आयल के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इमप्रोपर है और आयल जो डिस्ट्रिक्ट लेविल पर पहुंचता है तो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर्स और अन्य प्रकार के जो डीलर्स हैं, वे आपस में मिलकर इसका ब्लैक करवाते हैं। मैं अपने जिले के बारे में खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं। वहां पर जो आयल गया, उसके ब्लैक की शिकायत जब की गई, तो डीलर्स को भी पकड़ा गया और जो लोग आयल बेचते थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कार्यवाई की गई क्योंकि वे लोग सस्ते आयल को महंगे आयल में मिला कर ब्लैक में बेचते थे। इस तरह से जो सस्ता आयल आप फेयर-प्राइस शाप्स के जरिए लोगों को उपलब्ध कराना चाहते थे, वह उनको नहीं मिलता था। इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि ये आइटम्स ठीक प्रकार से फेयर-प्राइस शाप्स से जो लोगों को सस्ते भावों पर देने की हमारी नीति है, वे उनको उपलब्ध हो जाएं और हमारी जो नीति गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मदद करने की है और उसके लिए हजारों, करोड़ों रुपये की सब्सिडी आप देते हैं, वह जो आपकी मंशा है, उस मंशा को निश्चित तरीके से आप पूरा कर पाएंगे। इसलिए इस व्यवस्था को मजबूती से लागू करने की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है।

इसी तरीके से जो कपड़ा नेशनल टेक्सटाईल वाले बनाते हैं, सरकारी मिलें बनाती हैं, उनका

कपड़ा भी व्यवस्थित तरीके से लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। पुरुषों की धोतियां हैं, औरतों के पहनने की साड़ियां हैं। इस प्रकार के जो कपड़े है या दूसरी चीजें हैं वे भी लोगों को सस्ते भाव पर उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

लेकिन सामान डिस्ट्रिक्ट लेबुल तक जो पहुंच जाता है। उसके बाद ब्लाक लेबुल पर और फिर पंचायत लेबुल पर नहीं पहुंच पाता है। इसलिए वहां आपके इस सामान का ठीक तरीके से वितरण नहीं हो पाता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जो सामान आप डिस्ट्रिक्ट लेबुल पर उपलब्ध कराएं, उसको फिर आपके डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई अफसर सारे डिस्ट्रिक्ट में उसको उपलब्ध कराएं। अगर ऐसा होगा तो डिस्ट्रिक्ट की सारी दुकानों में आपकी ये चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। इससे वहां गरीब लोगों को सस्ता कपड़ा भी उपलब्ध हो सकेगा और दूसरी चीजें भी उपलब्ध हो सकेंगी। इसलिए यह व्यवस्था करना आवश्यक है। अगर यह व्यवस्था आप नहीं कर पाएंगे तो देहाती क्षेत्र के गरीब लोगों को इससे बड़ी तकलीफ होगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फेयर-प्राइस शाप्स को जितना भी आप मजबूत बना सके, वह बनाएं। आपने इसमें बोर्ड स्थापित करने की और अन्य प्रकार की बातें कही हैं। यह सरकार को निर्णय करना है कि किस प्रकार के बोर्ड हों। यह भी सरकार को निर्णय करना है जो व्यवस्थाएं अभी हैं क्या उन्हीं को कायम रखना है या स्टेट्स में भी कोई बोर्ड स्थापित करने हैं।

अगर कोई बोर्ड स्थापित किए जाते हैं तो उनमें डिफ्रेंट टाइप के लोग शामिल हो सकते हैं। सब वैरायटी के लोग उनमें आएं। पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव्ज, प्रोड्युसर्स, कंज्युमर्स, अधिकारी सभी लोग उनमें शामिल किए जाते हैं तो सभी तरह के लोग उनमें आ जाएंगे। इससे यह होगा कि फेयर प्राइस शाप्स को जिस सामान की आवश्यकता होगी, वह सारा सामान उसमें पहुंच सकेगा। इसलिए यह व्यवस्थाएं निश्चित तरीके से की जानी चाहिएं।

एक बात और है कि सरकार जिस काम को करती है वह ज्यादा खर्चे पर होता है। आपका एफ० सी० आई० जो प्रोक्योरमेंट करता है वह 183 रुपये में करता है। आपका उसे बेचने में 50 रुपये क्विंटल का खर्चा होता है। अगर कोई व्यापारी उस काम को करे तो 10-15 रुपए खर्चे में उसको कर सकता है और उसमें से भी मुनाफा निकाल सकता है। इसलिए आपको सारी व्यवस्थाएं आरगेनाइजेशस वगैरह: की ऐसी बनानी चाहिएं जिससे कि कम खर्चा लगे और ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले।

आप हजार करोड़ रुपया सब्सीडी के तौर पर एफ० सी० आई० को देते हैं। फिर भी आप किसान से उचित मूल्य पर नहीं खरीदते। आप उस अनाज को जनता को जो देते हैं उस पर आपका इतना ज्यादा खर्चा हो जाए तो निश्चित तरीके से यह हमारी कमजोरी है। इतना पैसा खर्च करने के बाद तो हमारी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी व्यवस्था अच्छी होती है और आम लोगों को उससे सहुलियत मिलती है तो वह प्रयास प्रशंसनीय कहा जा सकता है। मगर इतना खर्च करने के बाद भी अगर व्यवस्थाएं ठीक न हो तो इससे हमें धक्का लगता है, हमारे अरेंजमेंट को धक्का लगता है।

जब मैं पब्लिक एकाऊंट्स कमेटी का मेम्बर था तो मैंने स्टडी किया था। एफ० सी० आई० के अन्दर जो आपके कर्मचारी काम करते हैं उनसे सस्ते पर आपके वर्क चार्ज वाले कर्मचारी काम करते हैं। वहां पर खर्चा कम आता है। जहां पर आपके ठेकेदार काम करते हैं, चोरियां ज्यादा होती हैं, बेईमानी

ज्यादा होती है, एडस्ट्रेशन ज्यादा होता है; इसलिए इस व्यवस्था पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। निश्चित तरीके से इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। क्या आप इन सरकारी कर्मचारियों के जरिए, एफ० सी० आई० के जरिए सारी व्यवस्था करायेंगे या ठेकेदारों के जरिए सारी व्यवस्था की बात करेंगे, जिसके अन्तर्गत बड़ी आशंकाएं होती हैं, गड़बड़ियां होती हैं, अधिकारी लोग उनसे मिल जाते हैं और इस तरीके से बहुत घपले होते हैं। इसके लिए निश्चित तरीके से व्यवस्था की जानी चाहिए जिन पर भरोसा हो और ठीक प्रकार से व्यवस्था हो सके। इस व्यवस्था को ठीक चलाने के लिए मैं समझता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा फेयर प्राइस शाप्स कोआपरेटिव बेसिस पर खोलेंगे, सारे देश में ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे असेंशियल आर्टिकल्स उचित दामों पर लोगों को उपलब्ध हो सकें, यह देश की सेवा होगी, अभी भी आप देश सेवा कर रहे हैं ओर आगे भी हमें उम्मीद है कि इसको और अच्छा बनाकर देश की और अच्छी सेवा आप करेंगे और देश की करोड़ों जनता इस वितरण व्यवस्था से लाभान्वित हो सकेगी तथा आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो सकेगी। आशा है आप, निश्चित रूप से इस तरीके की व्यवस्था करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभा का अवमान

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जैसे कि सभा को जानकारी है कि आज लगभग 2.40 म० प० पर अपने आप को देव सिंह रावत सुपुत्र श्री विजय सिंह रावत बताने वाले एक दर्शक ने दर्शक दीर्घा से नारा लगाया। सुरक्षा निदेशक ने उसे तुरन्त हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की। दर्शक ने बयान दिया परन्तु अपनी कार्यवाही के लिए खेद व्यक्त नहीं किया।

मैं यह घटना सभा द्वारा उचित कार्यवाही किए जाने के लिए सभा के ध्यान में लाया हूं।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० नामग्याल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "यह सभा संकल्प करती है कि अपने आप को देव सिंह रावत सुपुत्र श्री विजय सिंह रावत बताने वाले व्यक्ति, जिसने आज लगभग 2.40 म० प० दर्शक दीर्घा से नारा लगाया और जिसे सुरक्षा निदेशक ने तुरन्त हिरासत में ले लिया था, ने एक गम्भीर अपराध किया है और वह इस सभा के अवमान का दोषी है।
>
> यह सभा यह भी संकल्प करती है कि उस व्यक्ति को आज सभा के उठने तक सुरक्षा निदेशक की हिरासत में रखा जाए और उसके पश्चात् कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "यह सभा संकल्प करती है कि अपने आपको देव सिंह रावत सुपुत्र श्री विजय सिंह रावत बताने वाले व्यक्ति, जिसने आज लगभग 2.40 म० प० दर्शक दीर्घा से नारा लगाया और

जिसे सुरक्षा निदेशक ने तुरन्त हिरासत में ले लिया था, ने एक गम्भीर अपराध किया है और वह इस सभा के अवमान का दोषी है।

यह सभा यह भी संकल्प करती है कि उस व्यक्ति को आज सभा के उठने तक सुरक्षा निदेशक की हिरासत में रखा जाए और उसके पश्चात् कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.48 म० प०

बैठक का समय बढ़ाया जाना

उपाध्यक्ष महोदय : सभा का समय बढ़ाने के बारे में क्या किया जाये ?

जल, भू-तल परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० नामग्याल) : हम सभा का समय 6 म० प० से आगे बढ़ा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक को लेने से पहले मैंने सभा को सूचित किया था कि हम 6 म० प० पर कार्यवाही स्थगित कर देंगे। अब मंत्री महोदय का प्रस्ताव है कि विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर चर्चा जारी रखने के लिए सभा का समय 6 म० प० से आगे बढ़ाया जाए। यदि सभा सहमत हो तो हम समय 7 म० प० तक बढ़ा सकते हैं।

कई माननीय सदस्य : ठीक है महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, 6 म० प० के बाद हम विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित अनुमानों की मांगों पर विचार करेंगे।

5.49 म० प०

उचित दर दुकान (विनियमन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० पी० जे० कुरियन बोलेंगे।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : मैं श्री बासवराजू द्वारा पेश किए गए विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं उन्हें इस प्रकार के महत्वपूर्ण विधेयक को लाने के लिए बधाई देता हूं।

जैसे कि आप जानते हैं कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को खाद्यान्न की सप्लाई करती है और राज्य सरकार की यह पूर्ण जिम्मेदारी है कि वह इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित करे। हमारे देश में हजारों खुदरा दुकानें हैं जहां निर्धनों और आम लोगों को आवश्यक वस्तुएं बेची जाती हैं। उन्हें कतिपय मानदण्डों के अनुसार चलना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे इन वस्तुओं को

जैसे स्वयं नाम से पता चलता है उचित मूल्य पर बेचें। उन्हें उन वस्तुओं की कीमतें बोर्ड पर दर्शानी चाहिए जिन्हें वे बेच रहे हों। परन्तु दुर्भाग्य से जो कुछ भी वे बेचते हैं उसकी कीमत राशन की दुकान पर नहीं दर्शायी जाती है।

अतः कीमतों के सवाल पर खुदरा व्यापारी या दुकानदार गांवों में गरीब अनपढ़ लोगों को आसानी से धोखा दे सकता है। दूसरे गरीब लोगों को खरीदी गयी चीज के तौल में धोखा दिया जाता है। अधिकांश दुकानों में जो कुछ भी चीज एक मात्रा विशेष के हिसाब से बेची जाती है वह वास्तव में दुकानदार द्वारा दर्शायी गयी मात्रा से कम होती है। बेचारे ग्रामीण इसकी पुनः जांच नहीं कर पाते अतः तौल, गुणवत्ता और कीमत इन तीनों में उपभोक्ता धोखा खाता है।

मैं यह नहीं कहता कि ये धोखा राज्य सरकारों से मिलकर दिया जाता है। मैं यह नहीं कहता हूं। परन्तु राज्य सरकार की आत्स-संतुष्टी उसमें है। राज्य सरकार के अधिकारी न केवल खुदरा दुकानदारों, बल्कि थोक दुकानदारों से भी मिले हुए हैं।

यहां एक ऐसा भ्रष्ट दायरा है जिसके द्वारा ये अत्याचार उन गरीब लोगों पर, गरीब ग्रामीणों पर और अनपढ़ लोगों पर ढाये जाते हैं जो इन उचित दर की दुकानों से खरीददारी करते हैं। सच तो यह है कि राज्य सरकार अपनी नाक के नीचे हो रहे इस तरह के अनाचारों को गम्भीरता में नहीं लेती है। कुछ लोग कहते हैं कि वे जो प्राधिकारी हैं या कुछ राज्य सरकारें आवश्यक वस्तुओं के थोक वितरकों के साथ मिली हुई हैं।

मैंने केरल राज्य में इस प्रकार की शिकायतें सुनी हैं। जब राज्य सरकार द्वारा थोक दुकानें वितरित की जाती हैं, विशेषरूप से केरल में वर्तमान सरकार द्वारा, तो वे इन थोक दुकानों को कतिपय लोगों का लिहाज करके देते हैं। और इस लिहाज के कारण सरकारी अधिकारी थोक विक्रेता को कुछ भी नहीं कह पाते हैं। यह थोक विक्रेता, खुदरा, विक्रेता से मिला होता है और यह सब एक जाल के रूप में कार्य करता है और कोई किसी को कुछ नहीं कहता है तथा खुदरा व्यापारी से थोक विक्रेता तक दोनों इन दुराचारों को बढ़ावा दे सकते हैं और राजनैतिक नेतृत्व उन लोगों का समर्थन करता है जो उनकी हिमाकत करते हैं। कम से कम केरल में तो ऐसा हो रहा है और मुझे विश्वास है कि अन्य राज्यों में भी ऐसा हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : पूरे देश में ऐसा हो रहा है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : ऐसा वहां हो रहा है। परन्तु त्रुटि कहां है? मुख्य रूप से त्रुटि की बात यह है कि यद्यपि केन्द्र सरकार सभी आवश्यक सामग्रियों की पूर्ति कर रही है, चावल की पूर्ति केन्द्र सरकार करती है, लेकिन वितरण प्रणाली की जिम्मेवारी केन्द्र सरकार की नहीं है। यह देखने का अधिकार केन्द्र सरकार को प्राप्त नहीं है कि राज्यों को दिए गए चावल अथवा गेहूं का वितरण उचित रूप में हुआ है अथवा नहीं तथा उन जरूरतमन्द लोगों को यह प्राप्त हुआ है या नहीं जिन्हें वे वस्तुएं सुलभ कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे विचार से यही वास्तविक समस्या है जिसका हम सामना कर रहे हैं और राज्य सरकारों की प्रवृत्ति यह रही है, विशेष कर मेरे राज्य में जैसा कि मैंने देखा है, कि अपनी विफलता के कारण वे केन्द्र सरकार पर आरोप लगाने की चेष्टा करते रहते हैं। प्रेस में छपे राज्यों के मंत्रियों के अनेक बयानों को मैंने पढ़ा है जिनमें उन्होंने केन्द्र सरकार पर वितरण प्रणाली में कार्यकुशलता के अभाव के लिए आरोप लगाया है।

मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि एक नया विस्तृत विधेयक पेश किया जाना चाहिए जिसके द्वारा हमारे देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर केन्द्र सरकार का नियन्त्रण हो सके। सिर्फ चन्द लोगों के बीच सामग्रियों के वितरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली नहीं बनायी गई है। सर्वप्रथम तो इसकी कुछ मुख्य भूमिका है। हमारे देश के कुछ क्षेत्रों में तो बहुत अधिक अनाज का उत्पादन होता है और कुछ क्षेत्रों में अनाज का उत्पादन होता ही नहीं है। मेरे राज्य केरल में हमारी जरूरत के एक तिहाई भाग चावल का भी उत्पादन नहीं होता है। हमारे यहां एक किलो गेहूं का भी उत्पादन नहीं होता है। जब कि पंजाब में चावल और गेहूं का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। अतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा एक ओर तो वहां किसानों को उचित मूल्य दिया जाता है जहां वे अनाज का उत्पादन करते हैं जैसे पंजाब में या आन्ध्र प्रदेश में अथवा मध्य प्रदेश में और दूसरी ओर उन क्षेत्रों में जहां चावल अथवा गेहूं की या अन्य सामग्रियों की आवश्यकता है, इन सामग्रियों को पहुंचाने में इससे मदद मिलती है। अतः एक ओर तो इसके द्वारा उत्पादकों को, कृषकों को उचित मूल्य प्रदान करने में सहायता मिल रही है और दूसरी ओर इससे गरीब तथा जरूरतमंद लोगों को रियायती दरों पर खाद्य सामग्री प्राप्त होने में सहायता मिल रही है। यहां मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूं। उचित मूल्य की दुकानों द्वारा चावल के वितरण में हम कम से कम दो करोड़ रुपए राजसहायता के रूप में खर्च कर रहे हैं। लेकिन इस राजसहायता का लाभ जो कि उचित मूल्य की दुकानों द्वारा दिया गया है। गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस बात पर आपको विचार करना चाहिए कि क्या सभी लोगों को राजसहायता का लाभ मिलना चाहिए। मैं यह परामर्श दूंगा कि राजसहायता का लाभ सिर्फ उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो कि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। गरीबी की रेखा से ऊपर निर्वाह करने वाले लोगों को इस राजसहायता का लाभ देने की जरूरत नहीं है। अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस बारे में विचार करें।

मेरे राज्य केरल में एक वैधानिक राशन प्रणाली बनायी गयी है जिसके द्वारा केन्द्र सरकार इस बात के लिए सहमत हो गयी है कि राज्य की आवश्यकतानुसार सामग्रियों की निरन्तर पूर्ति की जाएगी। वैधानिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपनाते वक्त यह आश्वासन सरकार द्वारा दिया गया था।

6.00 म० प०

अनेक वर्षों पहले इसे स्वीकार किया गया था लेकिन शायद चावल की उपलब्धता की कमी या अन्य कारणों से अनेक वर्षों से ऐसा हुआ है कि सरकार ने इस आश्वासन को भुला दिया है और इस बात की शिकायत हुई है कि केरल राज्य में पर्याप्त मात्रा में चावल की पूर्ति नहीं की जा रही है।

महोदय, केरलवासियों की कुछ विशेष आदतें हैं। वे गेहूं नहीं खाते हैं। वे चावल खाना पसंद करते हैं। सिर्फ केरलवासी ही नहीं बल्कि बंगालियों और अन्य लोगों की भी यही आदत है। मुख्य बात यह है कि सदियों पुरानी अपनी आदत के कारण एक गरीब केरलवासी भी गेहूं खरीदने और जिसका उपयोग करने में रुचि नहीं रखता है। वे सिर्फ चावल पसन्द करते हैं। अब आप जब केरल राज्य के लिए खाद्य सामग्रियों का आबंटन करते हैं तो आप चावल और गेहूं दोनों की संगणना करते हैं तथा कहते हैं कि इन सामग्रियों की इतनी मात्रा केरल राज्य को आबंटित की गयी। वास्तव में यह होता है कि

वहां गेहूं की कुछ भी खपत नहीं है। अब आप 1.40 लाख टन गेहूं और चावल मिला कर आबटित करते हैं लेकिन दुकानदारों द्वारा गेहूं नहीं ले जाया जायेगा क्योंकि लोग गेहूं नहीं खरीदते हैं लेकिन आप कह देंगे कि इतना कोटा केरल राज्य को आबंटित किया गया था परन्तु उसकी कोई खपत नहीं हैं। वास्तविकता तो यह होगी कि लोग चावल खरीदने राशन की दुकानों पर जाते हैं और उन्हें चावल नहीं मिलता है तथा वे गेहूं खरीदने से इंकार कर देते हैं। अतः एक ओर तो उन्हें पर्याप्त खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं होती है जबकि दूसरी ओर आपके अधिकारीगण यह बाते कहते हैं कि इतनी मात्रा में खाद्य सामग्रियों की खपत नहीं हुई है। यह एक विचित्र स्थिति है कि जहां आप माल की पूर्ति करते हैं और माल हमें मिल नहीं पाता है। अतः मैं इस समस्या पर विचार करने का अनुरोध आपसे करता हूं। कृपया केरल राज्य में गेहूं की पूर्ति करना कम कर पर्याप्त मात्रा में चावल आबंटित करें।

मुझे इसमें संदेह नहीं है कि आप इस काम को कर सकते हैं क्योंकि अनेक उत्तरी राज्यों में लोग गेहूं खाना अधिक पसन्द करते हैं। अतः उत्तरी राज्यों में चावल की पूर्ति कम की जा सकती है अथवा वहां से अधिक चावल प्राप्त किया जा सकता है और इस अधिक चावल की पूर्ति केरल जैसे राज्यों में की जा सकती है जहां कि सिर्फ चावल खाने वाले लोग हैं।

दूसरी बात यह है कि एक विशेष किस्म का चावल होता है जिसे मलयालम में हम 'आयरन राईस' कहते हैं। इसे पंजाब का उबला हुआ चावल भी कहते हैं। इस किस्म का चावल केरल के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। वे इसे बिल्कुल नहीं खाते हैं। यदि आप पंजाब के उबले हुए चावल की पूर्ति करेंगे तो आपका आंकड़ा यह बतायेगा कि केरल में इतनी अधिक मात्रा में चावल की पूर्ति की गयी है लेकिन वहां चावल की इतनी खपत नहीं है और इस प्रकार के आबंटन में कमी की जा सकती है। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पंजाब के इस उबले हुए चावल की पूर्ति केरल में न की जाए।

तीसरी बात, मैं भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। भारतीय खाद्य निगम की मैं सराहना करता हूं। पूरे देश में भारतीय खाद्य निगम के अनेक केन्द्र हैं लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां भारतीय खाद्य निगम के गोदाम और डिपो नहीं हैं। अतः इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कभी-कभी समस्या उत्पन्न हो जाती है। मेरे जिले में राशन के चावल की पूर्ति में कभी-कभी सिर्फ इस कारणवश ही विलम्ब हो जाता है कि वहां भारतीय खाद्य निगम का कोई डिपो नहीं है। यह कोई दूरवर्ती इलाका नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। लेकिन चूंकि मेरे जिले में भारतीय खाद्य निगम का कोई गोदाम नहीं है अतः राशन की पूर्ति में विलम्ब होता है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे मेरे इस सुझाव पर विचार करें कि प्रत्येक जिले, प्रत्येक दूरवर्ती जिले और दूरवर्ती इलाकों में भारतीय खाद्य निगम गोदाम होने चाहिए। इस सम्बन्ध में सरकार को बृहत योजना तैयार करनी चाहिए। कम से कम आगामी योजनावधि में सरकार को सभी जिलों में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम बनवाने की बात पर विचार करना चाहिए। जब मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में बात करता हूं तो सबसे गम्भीर समस्या मिलावट की आती है। यह विषय भी राज्य सरकार का ही है। वस्तुतः ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप मिलावट नहीं पाते हैं? विशेषकर केरल में मार्क्सवादी सरकार के सत्ता में आने के बाद मिलावट की प्रवृत्ति बढ़ गयी है और वे लोग मिलावट का समर्थन कर रहे हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा (जयपुर) : यहां तक कि केरल में राजनीति में भी मिलावट है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं आपसे मिलावट करने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का

अनुरोध करूंगा। इस मुद्दे को राज्य सरकार को दया पर नहीं छोड़ देना चाहिए। इस क्षेत्र में केन्द्र सरकार के अधीन कोई देखभाल करने वाली संस्था होनी चाहिए, उनके पास मिलावट करने वाली जो कि वास्तव में समाज के शत्रु हैं को सजा देने के अधिकार होने चाहिए। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को एक विधेयक लाना चाहिए ताकि मिलावट करने वालों से निपटने का अधिकार उन्हें मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं अपने मित्र श्री बासवराजू द्वारा लाये गए विधेयक का समर्थन करता हूं।

यदि माननीय सदस्य द्वारा लाये गये विधेयक को वापस ले लिया जाता है तो सरकार को एक अन्य विधेयक लाना चाहिए जिसके द्वारा वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर अधिक नियंत्रण पा सके और साथ ही मिलावट करने वालों को सजा भी दे सकें।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

6.07 म० प०

अनुदानों की मांगें, 1989-90

—[जारी]

विदेश मंत्रालय—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों की चर्चा करेंगे। श्री जयपाल रेड्डी जी क्या आप बोलना चाहेंगे?

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : नहीं, श्री एच० एम० पटेल बोलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब श्री महन्ती अपनी बात कह सकते हैं।

श्री बृज मोहन महन्ती (पुरी) : महोदय, विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित मामलों पर बहस शुरू करते हुए मैं सभा का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति में श्री गोर्बाचोव और श्री राजीव गांधी द्वारा की गई एक नई पहल की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। दिल्ली घोषणा का उद्देश्य परमाणु शक्ति मुक्त और अहिंसात्मक संसार की स्थापना करना है जिसका एक ऐतिहासिक महत्व है। अहिंसा के सिद्धान्त को सर्वप्रथम भारत ने स्वीकार किया था और यहां से ही पूरे संसार के लोगों को अहिंसात्मक अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति निर्धारित करने का संदेश मिला था। मैं संसार की 'अहिंसा' की बात नहीं करता हूं बल्कि मैं 'अहिंसात्मक अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति' की बात करता हूं और उस दिन से ही मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के युग की शुरूआत हुई थी। आई० एन० एफ० संधि के पश्चात इसका आह्वान किया गया जिससे आणविक हथियारों में 4 प्रतिशत की कमी हुई है। यह आह्वान आणविक और सामरिक हथियारों की 50 प्रतिशत कम करने के लिए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त श्री गोर्बाचोव ने 5 लाख सैनिकों, हजारों टैंक और हजारों तोपें कम करने की घोषणा की है। यह कार्य दो वर्ष में पूरा हो जाएगा। यह एकपक्षीय घोषणा है, इसकी कोई शर्त नहीं है तथा यह अन्य देशों की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं है। ये इस वर्ष

की उल्लेखनीय घटनाएं हैं। यह विश्व को आणविक हथियारों से मुक्त रखने तथा अहिंसा पैदा करने की दिशा में एक गतिशील और सकारात्मक कदम है।

महोदय, केवल इतना नहीं बल्कि क्षेत्रीय तनाव को कम करने के लिए श्री गोर्बाचोव ने अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी जैसे गतिशील कदम उठाए हैं। ईरान और इराक के बीच युद्ध विराम हो गया है तथा समझौते की बातचीत शुरू हो गयी है। उन्होंने यह भी पहल की है कि जहां तक दक्षिण अफ्रीका का सम्बन्ध है, वह ए० एन० सी० का इतना समर्थन नहीं करेंगे कि वहां यह प्रशासन से सैनिक प्रतिस्पर्धा करें। उन्होंने निर्णय किया है कि क्यूबा सरकार की अंगोला में उनकी कार्यवाही में सहायता नहीं दी जायेगी। केवल इतना ही नहीं बल्कि गोर्बाचोव ने इस्रायल के नेताओं के साथ केवल गजनी में ही नहीं बल्कि कैरो में इस आशय से विचार-विमर्श किया है कि क्षेत्रीय तनाव कम हो। उन्होंने यह भी आह्वान किया है कि किसी प्रकार का परमाणु विस्फोट न किया जाए। ये उल्लेखनीय घटनायें हैं, इन घटनाओं के अनुसार ही हमारे देश की विदेश नीति निर्धारित की जाए।

यह स्थिति का एक पहलू है। दूसरा पहलू बड़ा निराशाजनक है। मैं आपका ध्यान जापान के घटनाक्रम की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जापान में हथियारों पर बहुत अधिक धनराशि खर्च हो रही है। अकेले इस वर्ष ही रक्षा पर 47,000 करोड़ रुपए खर्च किये जा रहे हैं उनसे एक प्रतिशत खर्च की अपेक्षा की जाती थी परन्तु इस वर्ष वे अधिक व्यय कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं बल्कि वे संयुक्त राज्य अमरीका जैसे देश के समान अंतरिक्ष सैन्यीकरण की कार्यवाही में शामिल हो गये हैं। सयुक्त राज्य अमेरिका और जापान 1000 नोटीकल मील के समुद्र की चौकसी करने के लिए राजी हो गए हैं। ये बहुत उल्लेखनीय घटनाएं हैं, और सभा के समक्ष मैं यह बताना चाहता हूं कि विश्व के इस भाग में 'नाटो' की तरह गठबंधन बनाया गया है। इसलिए इस क्षेत्र में लगभग सभी देश कोई न कोई सुरक्षा प्रणाली निकाल रहे हैं जो इस तैयारी का जवाब होगी। इसलिए हमें भी एशिया और प्रशान्त महासागर की सुरक्षा के बारे में विचार करना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय सभा को बताएं कि सरकार इसके बारे में क्या सोच रही है। प्रधानमंत्री की चीन और पाकिस्तान की यात्रा भारत सरकार की ओर से बहुत महत्वपूर्ण कदम हैं तथा हमारे निकट पड़ौसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के लिये उन्होंने जो निर्भीक पहल की उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं।

पाकिस्तान जिन कठिनाइयों का मुकाबला कर रहा है उन्हें किसी को नहीं भूलना चाहिए। हम श्रीमती बेनजीर भुट्टो की सफलता चाहते हैं जो चुनावों के बाद सत्ता में आई हैं। पाकिस्तान में लोकतन्त्र समृद्ध होना चाहिए। परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि उस महिला ने सेना के सम्मुख काफी झुक गई हैं। यह मेरी टिप्पणी नहीं है। उनके भाई ने टिप्पणी की है कि श्रीमती बेनजीर ने सेना के साथ समझौता किया है। हमें इस पहलू पर विचार करना चाहिए। उन्होंने किन क्षेत्रों में समझौता किया है? सम्भवतः अफगान और परमाणु नीतियों के सम्बन्ध में समझौता किया गया है। जब अफगान विवाद पर विचार-विमर्श किया जा रहा था तो सोवियत विदेश मंत्री के सामने उन्होंने कहा था कि वे जेनेवा समझौते के प्रति वचनबद्ध हैं। वे केवल जेनेवा समझौते के प्रति ही नहीं बल्कि हस्तक्षेप न करने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दूसरे समझौतों के प्रति भी वचनबद्ध हैं। वह जब भी कहती हैं कि वह जेनेवा समझौते के प्रति वचनबद्ध हैं तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री कहते हैं, "श्रीमती जी, सरकार की यह नीति नहीं है। यह आपकी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की नीति हो सकती है।" इसलिए

हमें ऐसी बातों के बारे में बड़ा चौकस और सतर्क रहना चाहिए। पाकिस्तान में किसकी सरकार है? क्या श्रीमती बेनजीर की सरकार है या राष्ट्रपति शासन है? संविधान का अध्यक्ष होने के कारण राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के निर्णयों को रद्द कर सकता है। यदि पाकिस्तान में सरकार की यही सीमाएँ हैं तो हम सरकार से सार्थक बातचीत किस प्रकार कर सकते हैं? जब श्रीमती बेनजीर निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम नहीं हैं। यह हमारे लिए बड़ा कठिन है। इसलिए शायद उनकी बगैर जानकारी के पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने प्रस्ताव रखा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संगठन होना चाहिए। यह विचार पूर्णतः असफल रहेगा। चीन ने भी इसे नहीं माना। यहां मैं एक बात बताना चाहता हूं। चीन ने कहा है कि वे किसी प्रकार का संगठन नहीं बल्कि स्वतन्त्र और निर्गुट अफगानिस्तान चाहते हैं। चीन यह भी नहीं चाहता कि यह किसी दूसरे देश का अड्डा रहे। इसलिए संगठन का यह विचार सफल नहीं होगा।

मैं हस्तक्षेप न करने के सम्बन्ध में दूसरी बात बताना चाहता हूं। पाकिस्तान की प्रधान मन्त्री ने आश्वासन दिया है कि वह हमारे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी और पंजाब के आतंकवादियों को सहायता नहीं देंगी। परन्तु इसक बारे में हमारा अनुभव बिल्कुल अलग है। पाकिस्तानी रेंजर पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करने के लिये घुसपैठियों की सहायता कर रहे हैं। हमें यह जानकारी समाचारपत्रों से प्राप्त हुई है। पहले सरकार ने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तदोपरान्त उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें कुछ जानकारी मिली है। इसलिए हमें इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। यद्यपि हम श्रीमती बेनजीर की सफलता चाहते हैं परन्तु हमें इन सब पहलुओं के सम्बन्ध में सावधान रहना चाहिए। हमें देखना है कि वह देश का किस प्रकार नेतृत्व कर सकती हैं तथा अपनी नीतियों को किस प्रकार कार्यान्वित कर सकती हैं। यह एक ऐसा मामला है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।

मैं चीन के बारे में भी एक बात कहना चाहता हूं। राजीव जी की चीन यात्रा के बाद श्रीमती बेनजीर ने भी उस देश की यात्रा की। श्रीमती बेनजीर ने चीन के नेताओं से कहा "काशमीर विवाद के सम्बन्ध में हमें आपका पारम्परिक समर्थन प्राप्त हुआ है परन्तु इसका सावधानीपूर्वक उपयोग नहीं किया गया।" चीन के नेताओं ने कहा कि दक्षिण-पश्चिम में मधुर सम्बन्ध बनाना चाहते हैं, वहां किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। हमें जापान में सैनिकवाद के वातावरण को भी नहीं भूलना चाहिए जिसने चीन, उत्तर कोरिया और दूसरे देशों में भय पैदा कर दिया है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि यह उचित समय है जब हमें सीमा समस्या के समाधान हेतु बातचीत के लिये आगे बढ़ना चाहिये। कश्मीर की वर्तमान समस्या के बारे में सरकार टिप्पणी नहीं कर रही है परन्तु पाकिस्तानी सेना फिर भी टिप्पणी कर रही है। इस प्रकार वहां विरोधाभास की स्थिति है।

अब मैं अपने अन्य पड़ोसी देश नेपाल का उल्लेख करना चाहता हूं। इस समय मैं इस विषय के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि बातचीत चल रही है। मैं इस प्रकार के आर्थिक मुद्दों की बात नहीं करूंगा कि चीन की वस्तुओं पर भारत की वस्तुओं से कम शुल्क लिया जाता है। ऐसी बात नहीं है। सरकार ने इस बात को सकारात्मक रूप से नहीं माना है कि जल वहां पण्डित नेहरू की जन्म-शती मनायी गयी, और प्रदर्शनी लगायी गयी और नेपाल के प्रधानमंत्री को उस प्रदर्शनी में आमंत्रित किया गया तो उन्होंने केवल वहां आने के लिए मना ही नहीं किया बल्कि उस प्रदर्शनी को न देखने के लिए अन्य मन्त्रियों में परिपत्र भी जारी किया था। मेरी समझ में यह नहीं आता कि वहां भारत विरोधी भावना क्यों पैदा की जा रही है। इन भावनाओं से मित्रतापूर्ण और मधुर सम्बन्ध स्थापित नहीं

होंगे। मुझे विश्वास है कि नेपाल भारत और चीन के बीच की स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए कुछ सकारात्मक कदम उठाये जाने चाहिएं ताकि भारत और नेपाल के बीच और अच्छे सम्बन्ध बन सकें। हमारे बीच इस प्रकार के नहीं बल्कि मधुर सम्बन्ध होने चाहिएं। हम उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने चीन से हथियारों का आयात किस प्रकार किया है जो भारत के साथ की गयी संधि का खुले आम उल्लंघन हैं। परन्तु हम अब भी नेपाल के साथ अच्छे सम्बन्ध चाहते हैं। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो हमें निराशा होगी।

सरकार से मेरा सुझाव यह है कि हमें प्रत्येक बात को केवल इसलिए स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए क्योंकि हमें उनके साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने हैं। इसे युक्तिसंगत तरीके से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। भारत और नेपाल दोनों देशों के हितों के लिए एक युक्तिसंगत समझौते का मसौदा तैयार किया जाना चाहिए। हमारे सुरक्षा हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हमें इस बारे में कोई कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि हमारे सीमान्त क्षेत्र में चीनी ठेकेदारों को कार्य करने की अनुमति दी जा रही थी। इससे हमारी सुरक्षा प्रणाली को सहायता नहीं मिलती है।

महोदय, अब मैं एशियाई देशों की बात पर आऊंगा। एशियाई देश एशिया और प्रशान्त महासागर क्षेत्र में सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में बहुत रुचि रखते हैं। वे सभी देश इस क्षेत्र के सेना के शासन से चिन्तित हैं। मेरा निवेदन यह है कि हमें उन देशों के साथ सकारात्मक सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए और हमारा उनसे निकट सम्पर्क होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को वास्तविक स्थिति अर्थात गरीबी, और तीसरी दुनिया के देशों की ऋण समस्या से अलग नहीं किया जा सकता।

तीसरी दुनिया के देशों की गरीबी को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। केवल वर्ष 1986 के दौरान विश्व में सैन्यीकरण, हथियारों और रक्षा सम्बन्धी तैयारी पर 35,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं परन्तु ये आंकड़े ठीक नहीं हैं क्योंकि बहुत से देश अपने वास्तविक आंकड़ों को जाहिर नहीं करते। यह अनुमानित आंकड़े हैं।

यदि हम आपसी शंका और डर दूर करके शान्ति स्थापित कर पाते हैं तो हमें अपने रक्षा बजट में व्यय की जाने वाली भारी धनराशि को गरीबी हटाने के लिए खर्च कर सकते हैं। हम अपनी सुरक्षा पर बहुत अधिक धनराशि खर्च कर रहे हैं जबकि अफ्रीकी देशों में भूख के कारण बच्चे मर रहे हैं। वे लोग इतने गरीब हैं कि वे सभी लोगों को खाना नहीं खिला सकते। हमें इस दुनिया का बहादुरी से सामना करना है। यद्यपि हमने अपने रक्षा बजट में 200 करोड़ रुपये का खर्च कम किया है किन्तु पाकिस्तान ने अपना रक्षा व्यय बढ़ा दिया है। वे अमरीका और चीन से हथियारों और एफ-16 का आयात कर रहे हैं। ये हथियार पड़ौसी देशों के साथ मधुर तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अतः हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।

जहां तक चीन और भारत का सम्बन्ध है, इस बारे में हमारी क्या स्थिति है? हाल ही में एक मन्त्री महोदय ने विभिन्न देशों की स्थिति का वर्णन किया है। हमारा स्थान 5वां अथवा छठा है। पाकिस्तान हमसे आगे है, अन्य देश भी हमसे आगे हैं हमारा स्थान उनसे नीचे है। मैं समझता हूं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि भारत भी एक विशाल देश है। हम वर्ष 1950 की भांति चीन से

मित्रता बनाने के इच्छुक हैं। अतः इस संदर्भ में यह हमारी मित्रता का सकारात्मक प्रमाण नहीं है इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि हम चाहते हैं कि यह संगठन एक सक्रिय, गतिशील तथा जीवन्त संगठन बने। जहां कहीं भी कोई क्षेत्रीय तनाव या कोई और गड़बड़ होती है, उसको हल करने की दिशा में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को पहल करनी चाहिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान द्वारा समर्थन प्राप्त विद्रोहियों के बीच जारी संघर्ष को सलझाते हुए गुट निरपेक्ष राष्ट्रों को एक सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक गतिशील, सक्रिय और जीवन्त संगठन के रूप में विकसित नहीं हो रहा है। केवल यही नहीं, इसे विश्व में एक अत्यन्त सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए। माननीय मन्त्री को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।

हमारा देश तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन दोनों ही नई आर्थिक व्यवस्था के लिए वचनबद्ध हैं। परन्तु हमें एक नई आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए प्रभावशाली और सकारात्मक प्रयास करने चाहिए ताकि शोषण को बन्द किया जा सके तथा विश्व में असमान आर्थिक स्थिति और विशेष रूप से विकासशील और अल्प विकसित देशों के साथ शताब्दियों से किए जा रहे अन्याय को दूर किया जा सके।

ऋण भार के बारे में सभी लोग जानते हैं और इसे दूर करने के लिए हमें सकारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। अब सम्पूर्ण विश्व के राजनैतिक ढांचे में परिवर्तन आया है। भारत के सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने में कौन सी बाधा है? हमारा देश 80 करोड़ जनसंख्या वाला एक विशाल देश है जब कि अपेक्षाकृत छोटे राष्ट्र इसके सदस्य हैं। भारत से छोटे देश भी सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं जबकि भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। क्या इसका अभिप्राय यह है कि हमें कोई भूमिका अदा नहीं करनी है। चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, अमरीका और सोवियत संघ सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य हैं। भारत क्यों नहीं है? क्या भारत सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्य के रूप में सम्मिलित होने की स्थिति में नहीं है? अतः मेरा निवेदन है कि इस पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने विश्व में सभी प्रकार के औपनिवेशिक उथल-पुथल के विरुद्ध लड़ने और शांति स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से पहल की है। मैं उनके लिए सफलता की कामना करता हूं।

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : गत वर्ष विदेश मंत्रालय के लिए भारी उपलब्धियों का वर्ष था। निश्चित रूप से वर्ष 1985 से लेकर आज तक हमारे पड़ौसी देशों में अनेक आन्दोलन हुए हैं और उस देश के कल्याण के लिए तथा इस क्षेत्र में शान्ति के लिए हमारे देश को किसी न किसी समय हस्तक्षेप करना पड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री और गुटनिरपेक्ष आन्दोलन द्वारा निरस्त्रीकरण करने के लिए बड़ी ताकतों के बीच बातचीत कराने के लिए निरन्तर प्रयास करने और बड़ी ताकतों द्वारा निरस्त्रीकरण की आवश्यकता को समझने के कारण आई० एन० एफ० समझौता हो सका है। परमाणु हथियारों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सोवियत संघ और अमरीका ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इससे विश्व के कुछ भागों में कुछ विवादों पर समाधान करने में भी सहायता मिली है।

अफगानिस्तान के बारे में जेनेवा समझौता अंगोला तथा नामीबिया के बीच समझौता और

कम्पूचिया में समाधान की सम्भावना विश्व शान्ति के क्षेत्र में पिछले वर्ष हमारी कुछ उपलब्धियां रही हैं और नामीबिया आन्दोलन तथा कम्पूचिया आन्दोलन के लिए हमारे समर्थन में भी वृद्धि हुई है।

विश्व के देश और हमारा लोकतन्त्र सामान्यत:, विश्व के सभी राष्ट्रों के लिए शान्ति-स्वतन्त्रता और सम्पन्नता तथा अपनी राजनैतिक और आर्थिक स्वतन्त्रता की रक्षा करने की आशा करते हैं। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हमारी दिल्ली घोषणा महत्वपूर्ण बन जाती है और इस सिद्धांत को अपनाने का अधिक महत्व बन गया है कि अपनी राजनीतिक और आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए परमाणु-हथियार रहित और अहिंसक अस्तित्व प्रत्येक राज्य का अधिकार है।

हम परमाणु हथियारों के उत्पादन को कम करके अथवा बन्द करके निरस्त्रीकरण करने के बारे में सोचते हैं। परन्तु आजकल यह अवधारणा सामने आई है कि कुछ देश अन्य घातक हथियारों, अर्थात रासायनिक हथियारों का उत्पादन कर रहे हैं। विश्व को इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए और पेरिस सम्मेलन में इस बारे में कुछ सफलता मिलेगी।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या श्री पी० वी० नरसिंह राव विदेशी मामलों पर चर्चा करने आए हैं अथवा आन्तरिक मामलों पर घोषणा करने के लिए उपस्थित हुए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : दोनों के लिए। **(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने कहा है कि आप आन्तरिक मामलों पर घोषणा के लिए आये हैं··· **(व्यवधान)**

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : आप इन्तजार कीजिए········**(व्यवधान)**

श्री विजय एन० पाटिल : इस्लामाबाद में सार्क सम्मेलन में "सार्क 2000" नामक एक बहुत अच्छी भावी योजना बनाई गई है। और हमें यह आशा करनी चाहिए कि इस क्षेत्र के सभी पड़ोसी देशों द्वारा इस योजना को भली प्रकार क्रियान्वित करने से उन्हें अपने आर्थिक और सामाजिक उत्थान में सहायता मिलेगी।

पाकिस्तान में लोकतन्त्र के उदय से भी पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे सम्बन्धों की स्थापना के लिए अच्छा वातावरण उत्पन्न हुआ है। केवल यही नहीं अपितु हमें यह आशा है कि इससे आतंकवादियों की गतिविधियां भी कम होंगी। हमने कुछ समाचारपत्रों में यह रिपोर्ट देखी है कि आतंकवादियों ने यह धमकी दी है कि यदि उन्हें पहले की भांति सहायता नहीं दी गई तो वे पाकिस्तान में भी हिंसा आरम्भ कर सकते हैं। इस बात से ही जाहिर होता है कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को सक्रिय रूप से समर्थन दिया जा रहा था।

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि भारत-श्रीलंका समझौते से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। लगभग चार माह पूर्व हमें श्रीलंका में—उत्तर पूर्वी प्रान्तीय परिषद् चुनाव—शान्तिपूर्ण चुनाव देखने को मिले। यद्यपि हमारा देश धनी देश नहीं है, यद्यपि हमारे देश में गरीब लोग हैं जिनकी हमें सहायता करनी है तथापि समय-समय पर हमें अपने पड़ौसियों की भी उस समय सहायता करनी चाहिए जब वे

वास्तव में मुसीबत में हों। पिछले वर्ष बंगलादेश में प्रलयंकारी बाढ़ आई थी। भारत ने यथासंभव बचाव कार्य किया और हम उन्हें जितनी सहायता दे सकते थे, देकर बंगलादेश सरकार और बंगलादेश के लोगों की सहायता की।

हमारे प्रधानमंत्री की चीन की यात्रा की सबने सराहना की है। हम इसके तत्काल परिणाम नहीं चाह रहे हैं बल्कि हम तो हिमालय की सीमाओं, रक्षा व्यय, आर्थिक और सामाजिक सम्बन्धों, भारत और चीन के बीच सम्बन्धों में थोड़ा सुधार चाहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से ये दो बड़े देश हैं और ये दोनों पड़ौसी भी हैं। लम्बे अर्से से चीन से हमारे सम्बन्ध अच्छे नहीं थे। हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के दौरे से इन दो महान देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक सम्बन्धों में सुधार की झलक दिखाई दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष लगभग चार या पांच महीने पहले ही हम फिलिस्तीन की आजादी देख चुके हैं। भारत सरकार और भारत फिलिस्तीनियों के आन्दोलन का सदैव समर्थन किया है। अब चूंकि वहां आजादी है अतः मैं उम्मीद करता हूं कि इस्राइल के साथ भी हमारे सम्बन्ध सुधरेंगे। किन्तु दूसरे देशों में रह रहे भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। हमें मालूम है कि एक वर्ष पहले, वर्ष 1987 में फिजी में परिवर्तन आया था। सैकड़ों वर्ष पहले भारत से जाकर वहां बसे लोग मुसीबत में हैं। भारत सरकार ने उस देश के साथ व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। मेरे विचार में यह काफी नहीं है। उलटे व्यापार प्रतिबन्ध से भारत के लोग भी सीधे प्रभावित हो सकते हैं। किन्तु हमें भिन्न-भिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर निश्चयपूर्वक यह कहना चाहिए कि फिजी में रह रहे भारतीयों को सहायता दी जाए।

हमारी विदेश नीति की दूसरी अच्छी विशेषता यह है कि अन्य देश भारत की ओर देखने लगे हैं और भारत के प्रति उनके दृष्टिकोण में आए परिवर्तन को जापान द्वारा दी गई राजकीय विकास सहायता से देखा जा सकता है। यह भारत को सबसे अधिक द्विपक्षीय सहायता देने वाला देश बन गया है और 87.97 बिलियग येन की सहायता दी गई है। संयुक्त क्षेत्र में हमने बहुत से सहयोग किए हैं। जापानी विशेषज्ञ भारत आ रहे हैं और यहां उद्योग शुरू कर रहे हैं। हमारा देश अन्य देशों से केवल तकनीकी जानकारी और आर्थिक सहायता ही प्राप्त नहीं करता है बल्कि हम अपने भाइयों विशेषकर विकासशील देशों की भी सहायता करते हैं। इस उद्देश्य के लिए भारतीय तकनीकी और आर्थिक निगम है। आई० टी० ई० सी० के माध्यम से हम परियोजना सहायता दे रहे हैं। हम प्रतिनियुक्ति पर विशेषज्ञ भेज रहे हैं और देश के बाहर विशेषतः अफ्रीकी देशों के लोगों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। हमने इथोपिया, केन्या आदि देशों को राहत सप्लाई (पूर्ति) के माध्यम से भौतिक वस्तुएं दी हैं और मारिशस, कंम्पूचिया आदि अन्य देशों को विशेषज्ञ सहायता दी है। अफगानिस्तान को भी हमने 10 करोड़ रुपये की सहायता दी है।

मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। जैसाकि मेरे मित्र श्री महन्ती ने सुझाव दिया है हमें सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। भारत सबसे बड़ा लोकतन्त्र है। इसके पास बहुत अधिक जन-शक्ति है। बड़े देश इसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इस पृष्ठभमि के तहत सुरक्षा परिषद् में हमारा अपना स्थान होना चाहिए। जब हमने "अग्नि" छोड़ने का निर्णय लिया तो उन महाशक्तियों ने गुहार मचायी जिन्होंने स्वयं परमाणु हथियारों की आयुधशाला खोल रखी है। वे "अग्नि" मिसाइल छोड़ने के

लिए हम पर संदेह कर रहे हैं। हमें इस बात का गर्व है कि हमारे वैज्ञानिक यह कार्य कर सकते हैं।

जहाँ तक अन्तरिक्ष अनुसंधान या उपग्रह क्षेत्र का सम्बन्ध है हमारा छठा स्थान है। हमें अपने उन वैज्ञानिकों पर भी गर्व है जिन्होंने हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री द्वारा समर्थित अंटार्कटिका अभियान को सफल बनाया। विश्व के देशों के लिए अंटार्कटिका भी एक नया केन्द्र बिन्दु है क्योंकि यहां बहुत अधिक भूमि है। जो किसी के अधिकार में नहीं है। मैं चाहूंगा कि विदेश मंत्री इस बात को भी दिमाग में रखें क्योंकि, ऐसा कहा जा रहा है, भविष्य में यदि विश्व की जनसंख्या बढ़ती है तो बहुत से लोग चन्द्रमा पर जाने की बात सोचते हैं, कुछ समुद्र के नीचे रहने की बात सोचते हैं और कुछ अंटार्कटिका क्षेत्र पर रहने का विचार रखते हैं। इसलिए इस पृष्ठ भूमि को ध्यान में रखकर ही हमें इस पर कार्य करना चाहिए। विदेश मंत्री को भी इस पर विचार करना चाहिए और हमें अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति का प्रयोग करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं विदेश मंत्रालय को उनकी उपलब्धियों पर मुबारकबाद देता हूं और मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय, मैं विदेश मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत की गई मांगों का समर्थन करता हूं।

इस वर्ष विदेश मंत्रालय (कार्य) के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण घटना एशिया के दो महानतम देशों—भारत और चीन के बीच आपसी समझ और गुडविल का प्रारम्भ होना है। हमारे प्रधान मंत्री पेईचिंग यात्रा को इस वर्ष के दौरान विदेश नीति निर्माण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक घटना माना गया है और हम उन पुराने दिनों की भावना को पुनः प्रदीप्त तो नहीं वरन पुनःजीवित, करने में सफल हो गए हैं जब विश्व प्रेस की सुर्खियों में बन डंग सम्मेलन और पंचशील छाया हुआ था। पहले भी रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे विद्वान् ने भी चीन-भारत मित्रता की बात सोची थी और शांति निकेतन में चीन भवन या चीनी भवन शुरू करने के लिए चीन से डा० थान युन शॉन को लाए थे। चीन-भारत मित्रता के विकास के लिए वातावरण स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की तीव्र इच्छा से बनना शुरू हुआ था। यद्यपि बीच में ही, विशेषकर चीनी आक्रमण के बाद इसमें गतिरोध उत्पन्न हो गए तथापि मित्रता की भावना का पुनर्जीवित होना ऐतिहासिक महत्व की घटना है और इस संदर्भ में हमारे प्रधान मंत्री की चीनी नेताओं से मुलाकात विशेषकर श्री देंग जिओ पेंग से मुलाकात का हर जगह स्वागत हुआ है।

विश्व का पूरा चक्कर लगाने के बाद अब हमें मई माह में होने वाली चीन-सोवियत शिखर सम्मेलन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो इस स्थिति और तनाव को समाप्त करने के लिए एक और कदम है। इस सम्बन्ध में चीनी नेताओं और हमारे प्रधान मंत्री द्वारा की गई टिप्पणियां विचारणीय हैं।

जब श्री देंग जिओ पेंग हमारे प्रधान मंत्री का हाथ तीन मिनट तक पकड़े रहे तो इस बात पर पूरे विश्व में गौर किया गया। उन्होंने कहा "**वो शिह नी द् फंग यू, नी शिह वोद् फंग यू**"—हम आपके मित्र हैं और आप हमारे मित्र हैं। फिर कुछ क्षण रुक कर उन्होंने पूछा "क्या आप सहमत हैं ?" ये वे ऐतिहासिक शब्द हैं जिन्होंने एक नये युग की शुरुआत की और इसके साथ ही हम आशा करते हैं कि हमारी मित्रता भविष्य में और प्रगाढ़ होगी तथा आपसी समझौते द्वारा भारत और चीन उन सभी बाधाओं और विरोधों को दूर करने में सक्षम होंगे जो समय-समय पर उत्पन्न होती रही हैं। अपने सीमा

विवादों का निपटारा करने में हम जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह आवश्यक है कि हम बात-चीत करने के लिए सहमत हो जाएं और यह कार्य हमारे विदेश मंत्रालय की एक उपलब्धि कही जाएगी।

भारत-चीन के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों में विकास के कारण विश्व में तनाव भी कम होगा और एशियाई राष्ट्रों को भी इस कारण अधिक सुरक्षा मिलेगी। भविष्य में एक बेहतर सम्बन्ध, एक दूसरे के प्रति विश्वास में वृद्धि होगी और इससे हमारा देश बेहतर विकास करेगा, अधिक शक्तिशाली बनेगा और सौहार्द बढ़ेगा। हमारी यह आशा है कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू और चीन में उनके सहयोगी श्री चाऊ-एन० जाई ने नालन्दा में ह्वेनसांग मेमोरियल परियोजना की नींव उन दिनों भारत-चीन मैत्री के प्रतीक के रूप में रखी थी। बहुत शीघ्र ही उस मेमोरियल का उद्घाटन किया जाएगा। करीब-करीब यह तैयार हो चुका है तथा यह मैत्री का प्रतीक होगा और यह विगत काल से लेकर आने वाले समय में भी मैत्री के प्रकाश स्तम्भ के रूप में कार्य करेगा। महोदय नालन्दा की चर्चा छोड़कर अब हमें नई दिल्ली और पेइचिंग के बीच पनप रहे अच्छे सम्बन्धों की चर्चा करनी चाहिए और यह सही दिशा में उठाया गया कदम होगा। महोदय, पड़ौसी देशों के साथ भी हमारे सम्बन्ध मधुर रहे हैं। पाकिस्तान में लोकतन्त्र की वापसी से अनेक अच्छी संभावनायें नजर आती हैं और हम आशा करते हैं कि प्रधान मंत्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो उन आशंकाओं को दूर करने में सक्षम होंगी जोकि अभी भी भारतीयों के दिमाग में छायी हुई है कि सीमापार जो आतंकवादी शिविरों में प्रशिक्षण पा रहे हैं उनकी क्या भूमिका है। महोदय, भारत का एक शक्तिशाली राष्ट्र होना पाकिस्तान के हित की बात है और पाकिस्तान में लोकतन्त्र कायम रहना भारत के हित की बात है। अतः प्रधानमंत्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो अपने कर्त्तव्यों का पालन ठीक से करेंगी और विगत काल से इस बात की शिक्षा लेंगी कि 15 अगस्त 1947 की आधी रात को स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद से ही भारत में हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत कम कायम रही है और यदि उन्हें पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखनी है तो उन्हें भारत के साथ मित्रता और सौहार्दता की नीति अपनानी होगी और यह तभी हो सकता है जब सीमापार से हमारे देश की सुरक्षा से सम्बन्धित आशंका देश में आंतरिक खतरे की सम्भावना हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। उन्हें एक दृढ़ कदम उठाना होगा। उनकी अपनी स्थिति उनकी मजबूत नहीं हो सकती है लेकिन उनके दृढ़ प्रयास सारी आशंकाओं को समाप्त कर पूरे महाद्वीप में आशा और विश्वास के एक नये युग का सूत्रपात्र करेंगे।

महोदय, बर्मा में भी तनाव है लेकिन अपने सच्चे आतिथ्यकारी व्यवहार के कारण हमने वहां के तनाव के कारण भाग आने वाले लोगों को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के शिविरों में ठहरने की अनुमति दी। अपने पड़ौसी मित्र राष्ट्रों को सहायता की कोशिश करना ही भारत की नीति रही है। महोदय, करीब 40,000 बंगलादेशी चकमा शरणार्थी अभी भी त्रिपुरा के शिविरों में रह रहे हैं जिसके कारण निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन इसके साथ ही हम इन शरणार्थियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध वापस बंगलादेश के तनावग्रस्त क्षेत्र में नहीं भेज सकते हैं जबकि बंगलादेश में बाढ़ और तूफान के समय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया था। हम यह आशा करते हैं कि चकमा समस्या का समाधान इस ढंग से होगा कि चिटगांग पहाड़ी और अन्य क्षेत्रों में उपद्रव के कारण अपने घर-द्वार छोड़कर चले जाने वाले लोगों के साथ उचित न्याय होगा।

महोदय, नेपाल के साथ हमारे सम्बन्ध काफी अच्छे रहे हैं और हम चाहेंगे कि इन सम्बन्धों में लगातार विकास होता रहे। लेकिन अचानक नेपाल सरकार द्वारा वहां काम करे रहे हमारे लोगों के लिए अनुज्ञापत्र जारी करने की बात हमारी समझ से परे है जबकि भारत में रहने वाले नेपाली और नेपाल में रहने वाले भारतीय भाईयों की तरह रहते हैं और उनके बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। नेपाल सरकार द्वारा लिए गए यह नए कदम ने ही हमारे आपसी सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न किया है। भारत की नीति पर शक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नेपाल के प्रति भारत हमेशा मददगार के रूप में रहा है और उसी प्रकार नेपाल भी भारत के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करता आया है। उन विषम घड़ियों में भी हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने हर उस प्रयास को अस्वीकार कर दिया था जिसके कारण नेपाल की प्रभुसत्ता को खतरा था और नेपाल को भारत का एक हिस्सा बनाया जाना था। यह स्पष्ट करता है कि हमारा दृष्टिकोण कितना उदार था और हम नेपाल के प्रति कितने मददगार थे। इस भावना से ही हम अपनी ओर से पूरी तरह नेपाल की सहायता करते आए हैं और यह हमारी शुभेच्छा का ही परिणाम है कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त साहित्य अकादमी ने साहित्य के प्रचार के लिए नेपाली को भी एक आधुनिक भाषा का दर्जा दिया है।

प्रत्येक वर्ष नेपाली साहित्य के प्रसार के लिए पारितोषक प्रदान किए जाते हैं और एकविषय के रूप में नेपाली पढ़ाई भी जाती है। अतः हम नेपाल को अपने भ्रातृदेश की तरह सम्मान देते हैं परन्तु दोनों देशों के विरोधी तत्वों द्वारा नेपाल के लोगों के मन में कुछ संशय पैदा कर दिया गया है। हम यह बात जानते हैं कि नेपाल में कुछ तत्व ऐसे हैं जो भारत के साथ उसकी मित्रता को पसन्द नहीं करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो गड़बड़ी उत्पन्न करना चाहेंगे। लेकिन भारत के लोग, भारत की सरकार और केन्द्र में सत्तारूढ़ दल एक मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है और अतः हम आशा करते हैं कि नेपाल की सरकार और नेपाल के लोग भी उपमहाद्वीप के हित में कार्य करेंगे और किसी भी प्रकार का संशय नहीं करेंगे जिससे कि तनाव उत्पन्न हो क्योंकि नेपाल और भारत के बीच का तनाव न सिर्फ भारत और नेपाल को हानि पहुंचाएगा बल्कि विश्व शांति और एशियाई प्रदेश की शांति के लिए भी हानिकारक होगा। अतः इसका ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और नेपाल सरकार को इसके लिए समय रहते कदम उठाना चाहिए। भारत एक बहुत ही मित्रतापूर्ण दृष्टिकोण रखता है और हम अपनी इस भावना को समाप्त करना नहीं चाहते हैं, नेपाल के अपने भाईयों के प्रति हम अपना रवैया बदलना नहीं चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि भविष्य में हमारे सम्बन्धों में सुधार होगा क्योंकि इस बात की खबर है कि काठमांडू हमसे बात करने को इच्छुक है।

महोदय, पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों में सबसे बड़ी उपलब्धि श्रीलंका से हमारे संबंधों की कही जाएगी। होने वाली दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में सभी भविष्यवाणियों को शांति सेना ने असत्य साबित कर दिया है। पहले यह कहा जाता था, "ठीक है, श्रीलंका में संसदीय चुनाव नहीं होंगे श्रीलंका में प्रान्तीय परिषदों के चुनाव नहीं होंगे अन्यथा खून की नदियां बह जाएगी।" और वे ताकतें जो किसी भी प्रकार के लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध हैं, चुनाव की इस समस्त प्रक्रिया को विफल कर देगी। महोदय, इसका श्रेय हमारी शांतिसेना, हमारी सेना को जाता है जिन्हें कभी अपने जीवन का भी बलिदान देना पड़ा है। बिल्कुल युवावस्था में ही हमारे अनेक सैनिक मारे गए परन्तु उन्होंने यह भावना और उत्साह का वातावरण बनाए रखा और वे लोग उस कार्य को करने में सक्षम हो गए जिसके लिए उन्हें भेजा गया था। वहां चुनाव हुए और यह एक संयोग था बल्कि यह एक सौभाग्यपूर्ण संयोग था कि चुनाव 19 नवम्बर को हुए जो कि

हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का जन्म दिवस है। इस प्रकार चेतावनी और गोलियों की धमकी के बावजूद लोकतन्त्र की पुनःस्थापना हुई, चुनाव प्रक्रिया की विजय हुई और मुख्य रूप से हमारी भूमिका श्रीलंका में शांतिसेना की भूमिका के कारण ऐसा हुआ। मैं जानता हूं कि श्रीलंका में भी ऐसे लोग हैं जो कि भारत की भूमिका और इसके इरादों को लेकर घृणा और अशांति फैला रहे हैं। लेकिन अन्ततः भारतीय शांति सेना की वापसी शुरू हो गयी है और भारत से करीब 40,000 तमिल लोगों की श्रीलंका में वापसी भी। यह एक बात सिद्ध करता है कि भारत विश्व में एक ऐसा देश है जो दूसरे राष्ट्रों के आंतरिक मामलों के हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन एक मित्र के रूप में सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है। राष्ट्रपति जयवर्द्धन की ओर प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा मित्रता का हाथ बढ़ाना एशियाई एकता और भ्रातृत्व भावना का प्रतीक है जिसने एशियाई भावना को और अधिक मजबूत किया है तथा उन लोगों को रोका है जो इस पवित्र धरतो पर अपना अड्डा स्थापित करना चाहते थे और जो श्रीलंका की ओर ललचाई नजरों से देख रहे थे। पुनः एक बार भगवान बुद्ध के शब्दों ने भारत और श्रीलंका को लाभ पहुंचाया है जैसा कि इन शब्दों ने भारत और चीन के बीच एक सम्बन्ध कायम किया है।

महोदय, मालदीव में की गयी हमारी कार्यवाही ने हमारे देश का नाम रोशन किया है और विश्व के सभी देशों ने भारतीय सेना द्वारा वहां के तनाव दूर करने और शांति बरकरार करने में निभाई गयी भूमिका की सराहना की है। महोदय, इस अवसर पर हम श्रीलंका तथा मालदीव में निभाई गयी भूमिका के लिए अपने जवानों को श्रद्धांजली अर्पित करते हैं।

महोदय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में न्यायाधीश के सम्मानीय पद पर न्यायमूर्ति श्री पाठक के निर्वाचन के लिए मैं भारत सरकार और प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहूंगा।

अनेक संशयों के बावजूद हम इस विजय को, प्राप्त करने में सफल हुए हैं जिसके हम अधिकारी थे क्योंकि हमारे प्रतिनिधि न्यायमूर्ति श्री नगेन्द्रसिंह का कार्यकाल तीन वर्षों बाद समाप्त होने वाला था······

7.00 म० प०

बैठक का समय बढ़ाया जाना

—[जारी]

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : क्या आप सभा का समय बढ़ा रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अभी सात नहीं बजे हैं। वह अब बोल रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि सभा की बैठक 7.30 म० प० तक बढ़ा दी जाए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : किसलिए ?

श्री एच० के० एल० भगत : विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के लिए ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम इसका विरोध करते हैं। आप सभा का समय एक शैतानी भरे फैसले को घोषित करने के लिए नहीं बढ़ा सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक समय बढ़ाये जाने का सम्बन्ध है यह पूरे सदन की इच्छा है । इसका फैसला आप सबको करना है ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं इसका विरोध करता हूं । फिर मैं इसे सभा के मतदान के लिए रखूंगा ।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सभा की बैठक 7.30 म० प० तक बढ़ाई जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभा की बैठक 7.30 म० प० तक बढ़ाई जाये ।"

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वह एक शरारतपूर्ण फैसले की घोषणा करना चाहते हैं···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । यह सभा पर छोड़ दिया है कि वह इसे स्वीकार करे या अस्वीकार करे । यदि आप इसका विरोध करते हैं तो इसका विरोध करने का आपका अधिकार है । लेकिन अन्ततः यह सभा की इच्छा है और यह बरकरार रहेगी ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं सभा का समय बढ़ाये जाने का विरोध करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप विभाजन के लिए जोर देते हैं ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जी, हां महोदय । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : दीर्घायें खाली कर दी जाएं । दीर्घाएं खाली कर दी गयी हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि सभा की बैठक 7.30 म० प० तक बढ़ा दी जाए ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

मत विभाजन संख्या : 3 **7.08 म० प०**

पक्ष में

अंसारी, श्री जियाउर्रहमान

अख्तर हसन, श्री

अरूणाचलम, श्री एम०

उमरांव, श्रीमती सुमति

ओडेयर, श्री चनैया

कुजूर, श्री मौरिस

कुन्जम्बू, श्री० के०

कुरियन, प्रो० पी० जे०

खत्री, श्री निर्मल

खां, श्री मोहम्मद अयूब (झुन्झुन)

चार्ल्स, श्री ए०

चिदम्बरम, श्री पी०

चौधरी, श्रीमती ऊषा

जाफर शरीफ, श्री सी० के

जितेन्द्र प्रसाद, श्री

जीवरत्नम, श्री आर०

जेना, श्री चिन्तामणि

जैन, श्री निहाल सिंह

तोमर, श्रीमती ऊषा रानी

दलबीर सिंह, श्री

दीक्षित, श्रीमती शीला

देव, श्री संतोष मोहन

नटवर सिंह, श्री के०

नामग्याल, श्री पी०

नायक, श्री जी० देवराय

नारायणन, श्री के० आर०

पराशर, प्रो० नारायण चन्द

पायलट, श्री राजेश

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री विजय, एन०

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पाटिल, श्री शिवराज वी०

पासवान, श्री राम भगत

पुजारी, श्री जनार्दन

बसवराजेश्वरी, श्रीमती

बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी

बासवराजू, श्री जी० एस०

बूटा सिंह, सरदार

बैठा, श्री डूमर लाल

ब्रह्मदत्त, श्री

भगत, श्री एच० के० एल०

भगत, श्री बी० आर०

मलिक, श्री धर्मपाल सिंह

महन्ती, श्री बृजमोहन

महाजन, श्री वाई० एस०

महाबीर प्रसाद, श्री

मालवीय, श्री बापूलाल

यादव, श्री महाबीर प्रसाद

राय, श्री आई० रामा

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

रावत, श्री हरीश

व्यास, श्री गिरधारी लाल

शर्मा, श्री नवल किशोर

सकरगयेन, श्री कालीचरण

साही, श्रीमती कृष्णा

सिंह, श्री एन० टोम्बी

सिंह, श्री के० एन०

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिन्धिया, श्री माधवराव

सुखराम, श्री

सुखबन्स कौर, श्री

सुलतानपुरी, श्री के० डी०

सेट, श्री अजीज

सेठी, श्री अनन्त प्रसाद

विपक्ष में

कुरूप, श्री सुरेश

पनिका, श्री रामप्यारे

रेड्डी, श्री एस० जयपाल

शाहबुद्दीन, श्री सैयद

उपाध्यक्ष महोदय : *शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में	:	64
विपक्ष में	:	04

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

7.08 म० प०

अनुदानों की मांगें, 1989-90

—[जारी]

विदेश मंत्रालय—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० नारायण चन्द पराशर आप जारी रख सकते हैं ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : मैं न्यायमूर्ति पाठक के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुने जाने संबंधी महत्वपूर्ण उपलब्धि का जिक्र कर रहा था ।

इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों में भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है ।

1988 को संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष के रूप में घोषित किया गया था । (व्यवधान)

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मतदान पक्ष में किया :

श्रीचिन्तामणि पाणिग्रही, चौधरी लच्छी राम, डा० फूलरेणु गुहा, श्री रामसिंह यादव, श्री श्री मनेम्माअंजैया, श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर) ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब सदस्य बोल रहे हैं तो उन्हें तंग नहीं करें।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : अतः यह उस भावना को ध्यान में रखकर ही किया गया है कि 1988 के लिए नोबल शान्ति पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ शान्ति बल को दिया गया और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री परेज दि कुयर को अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए जवाहर लाल नेहरू पुरस्कार भी दिया गया।

ये सभी वे कदम हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय और विश्व शान्ति को बनाए रखने में तथा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ाने में भारत द्वारा किए गए योगदान की तरफ इशारा करते हैं।

अफ्रीका कोष के लिए भारत के योगदान पर गौर करें। नामीबिया में स्वतन्त्रता की शुरूआत पर और ऐसी ही अन्य स्थितियों जैसे इराक और ईरान के बीच लड़ाई का बन्द होना और रूसी फौज की अफगानिस्तान की सीमा से वापसी पर गौर करें।

ये कुछ उपलब्धियां हैं इसे विदेश नीति के क्षेत्र में हमारी पहल को दर्शाती हैं।

केवल यही नहीं। कम्पूचिया के बारे में भी हमें आशा है और वह दिन दूर नहीं है—जब कम्पूचिया समस्या का हल मिल जाएगा और ढूंढ़ लिया जाएगा। यह भारतीय राजनयिकता की ही विशालता है कि हम यह जटिल समस्या भी हल कर पाए हैं। हमें इसके लिए विश्व के सभी भागों से सहयोग और सद्भावना प्राप्त हो रही है। हमें आशा है कि शान्ति की ओर अग्रसर यह अभियान जारी रहेगा। अन्य क्षेत्रों में भी हम काफी प्रगति कर रहे हैं। हमने अपने पड़ोसी देशों पर किसी भी हमले के बारे में नहीं सोचा है बल्कि हमने अपनी प्रौद्योगिकीय जानकारी, विशेषज्ञता को विश्व के सभी भागों में फैलाने की सोची है।

महोदय, भूटान में हमारे योगदान पर गौर करें। इस वर्ष पारो और दिल्ली के बीच भूटानी ड्रूक ऐयरलाइसेंस की हवाई उड़ान शुरू हो गई है। इसलिए भूटान और भारत के बीच हवाई संचार शुरू हो गया है। भारत के विशेषज्ञों द्वारा दूरसंचार, पन-बिजली सर्वेक्षण, वानिकी, शिक्षा और कई अन्य क्षेत्रों में योगदान किया गया है। इसी तरह सार्क सम्मेलन करना भी ऐसा कदम है जिसकी सारे विश्व में सराहना की गई है तथा इसने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को शक्तिशाली किया है। प्रधानमन्त्री ने विश्व भर में देश की राजधानी से दूसरे देश की राजधानी में भ्रमण किया और इस तरह सद्भावना का सन्देश फैलाया है। उन्होंने स्पेन का दौरा किया। इटली का दौरा किया। सोवियत संघ के साथ हमारे दोस्ताना सम्बन्ध भी निरन्तर फले-फूले हैं। यह बिना किसी स्वार्थ के किया गया है। हमारा मास्को के प्रति साफ रवैया है। बीजिंग के प्रति और विश्व के उन सभी देशों के प्रति हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण है जो मित्रता और शान्ति चाहते हैं। इसी दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए भारतीय विदेश मंत्री और उनके मंत्रालय द्वारा की गई नीति सम्बन्धी पहलों की सफलता को सारे विश्व ने देखा है। हमारे विदेश मन्त्री श्री नरसिंह राव ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा को सम्बोधित किया अर्थात् 43वें सत्र को हिन्दी में सम्बोधित किया और यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है कि वह विश्व शान्ति के लिए और संयुक्त राष्ट्र संगठनों के लिए तथा संयुक्त राष्ट्र की अन्य एजेंसियों के लिए भारत सरकार की विभिन्न नीति सम्बन्धी पहलों का बखान कर पाए।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं विदेश मन्त्रालय द्वारा और प्रधानमन्त्री द्वारा की गई पहल,

श्री नरसिंह राव, श्री नटवर सिंह तथा अन्य मित्रों द्वारा की गई पहल और उन द्वारा किए गए योगदान के लिए बधाई देता हूं जिसकी वजह से हम विश्व भर में भारत की शान्तिप्रिय देश के रूप में छवि बना पाए तथा जिससे मानवता के लिए एक नए युग की आशा जगी है।

श्री एन० टोम्बी सिंह (आंतरिक मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विदेश मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। विदेश मन्त्रालय हमारी सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जिन विशेषज्ञों के पास सूचना उपलब्ध है उन्होंने इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर अपना विचार व्यक्त किया है। इस दिशा में मैं एक महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालना चाहता हूं और वह है छोटे पड़ोसी देशों जैसे—बंगलादेश, बर्मा, जनसंख्या की दृष्टि से चीन और भूटान और दूसरे पड़ोसी जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा सम्बन्ध। मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र का निवासी हूं जहां भूमिगत गतिविधियां और विद्रोह स्वतन्त्रता के समय से ही जारी है। यह विद्रोह, प्रशिक्षण और हथियारों की सप्लाई इन छोटे पड़ोसी देशों से की जाती है। अतः यह आवश्यक है कि इन पड़ोसी देशों जैसे—बंगलादेश इत्यादि से हमारे सम्बन्ध अच्छे और प्रभावी हों। वर्ष 1971 के युद्ध से पहले बंगलादेश पूर्वी-पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बंगलादेश के प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य होने के पहले पाकिस्तान की भूमिका सन् 1950 और 1960 में यानी 1971 के युद्ध के उपरांत, से हम भलि-भांति परिचित हैं। उन सालों में सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र और यहां का पिछड़ा और जन-जातीय बाहुल्य क्षेत्र इस विद्रोह की गिरफ्त में था। आज भी वे इससे अलग नहीं है। हम पुलिस बल का प्रयोग कर रहे हैं। हम सेना को तैनात कर रहे हैं। हम अपनी सेनाओं का महज इस विद्रोह को दबाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन यह क्षेत्र छोटे-छोट पड़ोसी देशों द्वारा घिरा है। वे हथियारों के अलावा उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। अगर हम बंगलादेश से लगी सीमा, भूटान से लगी सीमा और चीन से लगी सीमा को बन्द करते हैं तो हम इस विद्रोह को दबा सकते हैं जिन्हें कुछ सुविधाओं द्वारा अभी भी नियन्त्रित किया जाता है।

मणिपुर और बर्मा के बीच कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र और गांव हैं जहां सीमा विवाद अभी भी सुलझाया जाना है। इन गांवों का स्वामित्व अभी भी अनिर्णीत है। इस पर भारत और बर्मा, दोनों के द्वारा दावा किया जा रहा है। अभी तक की स्थिति के अनुसार व्यावहारिक रूप से यह सिद्ध हुआ है कि इससे बर्मा ज्यादा लाभान्वित हुआ है। और जब बर्मा को इससे ज्यादा लाभ होता है तो हमारी सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस बल का हौसला टूट जाता है। ऐसे विवादग्रस्त क्षेत्रों में, विद्रोही—जो हमारी सेना की नजरों से बचना चाहते हैं, जो हमारी सीमा सुरक्षाबल और स्थानीय पुलिस की नजरों से बचना चाहते हैं खासकर नशीली दवाईयों का धन्धा करने वाले और असामाजिक तत्व यहां अपने ठिकाने बना रहे हैं। मेरे समझ में यह नहीं आता की इसमें इतना ज्यादा वक्त क्यों लिया गया। हमने यह मुद्दा बार-बार उठाया है। राज्य सरकार के स्तर से तथा लोगों के द्वारा भी कि बर्मा और भारत के बीच खासकर मणिपुर क्षेत्र में विवादग्रस्त सीमा क्षेत्रों की समस्या को हल किया जाए, जिससे कानून और व्यवस्था की समस्या का समाधान होगा और नशीली दवाईयों के अवैध व्यापार की समस्या का भी हल होगा।

जहां तक गोल्डन ट्राइंगल का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में मुझे ज्यादा बढ़ा-चढ़ा कर कुछ नहीं कहना है। इसे अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं बनाया जा सकता है। इससे मिजोरम, मणिपुर और पड़ोसी राज्य प्रभावित हो रहे हैं। अगर हम सीमा पर कड़े नियन्त्रण रख सकते हैं तो नशीली दवाईयों के अवैध धन्धे से सम्बन्धित सारी समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है।

हम गोल्डन ट्राइंगल के द्वारा नशीली दवाईयों के अवैध धन्धे को कम कर रहे हैं। अभी तक हमने कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया है, हम कार्यवाई करने में असफल रहे हैं। इस दिशा में ये लोग बहुत बड़े अपराधी हैं। जब तक हम सीमा विवाद को नहीं सुलझाते, जहां दोनों देशों की पुलिस एक-दूसरे को नीचा दिखाने में लगी रहती है, यह समस्या बनी रहेगी। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि हम बंगलादेश से अच्छे सम्बन्ध की कामना कर सकते हैं। अभी भी हमें इस बात का भ्रम है कि बंगलादेश के पास कुछ क्षेत्र है। वे सरकारी तौर पर इसको अस्वीकार करेंगे। मैं समझता हूं कि भारत सरकार, या गृह मन्त्रालय या विदेश मंत्रालय इस सम्बन्ध में इस सभा को कुछ सूचना देंगे। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। सार्वजनिक हित में वे जो भी कहना चाहेंगे यह उनके ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि बंगलादेश में अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे पाकेट हैं जहां हमारे विद्रोहियों को प्रशिक्षित किया जाता है और धन दिया जाता है क्योंकि अभी भी यहां कुछ पुरानी पाकिस्तानी परम्पराएं में और विचारधाराएं प्रचलित हैं। इसको दूर किया जाना चाहिए। इसके लिए मेघालय सीमा, असम सीमा और त्रिपुरा सीमा को आपस में मिलाकर, बंगलादेश के साथ एक सामान्य सीमा निर्धारित किए जाने पर ध्यान देना चाहिए।

ऐसा ही रास्ता हमें तिब्बत और चीन के क्षेत्रों के साथ अपनाना चाहिए। पहले कुछ विद्रोही लड़के तिब्बत और चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी प्रशिक्षित किए गए थे। प्रशिक्षण पाने के बाद उन्हें धन, हथियार और अन्य सहायता देकर भारत भेजा जाता था। लेकिन अब इन क्षेत्रों के साथ सीमा बन्द होने से इनमें कुछ हद तक कमी आई है। अभी भी हम यह नहीं जानते कि बर्मा के जंगल और चीन में कितने ऐसे विद्रोही हैं। जब तक हम इस सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन और प्रशिक्षण और हथियारों के आदान-प्रदान पर रोक नहीं लगाते, तब तक शायद पूर्वोत्तर क्षेत्र में खासकर मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में विद्रोह को दबाना कठिन होगा।

हमारी नवीनतम सूचना के अनुसार कुछ भूमिगत संगठन बहुत हद तक निष्क्रिय हो गए हैं और और उनकी गतिविधियां भी कम हो गयी हैं। एक वक्त तो वे ऐसा सोच रहे थे कि उनकी ये लड़ाई निरर्थक है। पिछले कुछ सालों से इसमें एक नई विचारधारा आयी है जिससे मणिपुर घाटी की भूमिगत गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई और एक महिला आई० पी० एस० अधिकारी मारी गई। ये विद्रोही जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से दूर रहकर सक्रिय थे, अब सामने आने लगे हैं। इस सम्बन्ध में हम राज्य सरकार से तथा विदेश मन्त्रालय के अधीन कार्यरत एजेंसियों से यह आग्रह करेंगे कि वे सही गुप्तचर व्यवस्था कायम करें। हमें इन विद्रोहियों के बीच नई गतिविधियों और नई विचारधाराओं की जानकारी नहीं है।

अब चुनाव का समय आ रहा है। सामान्यतौर पर भूमिगत गतिविधियां चुनाव के समय सक्रिय हो जाती हैं। हमेशा से यह हमारा अनुभव रहा है। यह चुनाव वर्ष होने के कारण हमें अत्याधिक सावधान रहना होगा तथा हमारी सेना की गुप्तचर व्यवस्था, सीमा सुरक्षा बल की गुप्तचर व्यवस्था और स्थानीय पुलिस और केन्द्रीय सुरक्षा बल की गुप्तचर व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा सक्षम रखना होगा जिससे कि मणिपुर और अन्य राज्यों में विद्रोह को कम किया जा सके। मैं इन विद्रोहियों के बारे में कहना नहीं चाहता; यह सरकार का कर्तव्य है कि वह इस पर ध्यान दे. लेकिन इस बात का संकेत है कि विद्रोहियों के आन्दोलन और भूमिगत आन्दोलनकारियों के बारे में हमारी गुप्तचर व्यवस्था में कहीं कुछ कमजोरी उत्पन्न हुई है। इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और हमें इसका ध्यान रखना

चाहिए कि यह बन्द हो। इसके लिए हमें अपने छोटे और पड़ोसी मित्र देशों जैसे-बर्मा, और बंगलादेश के साथ मिलकर अपनी सीमा का ध्यान रखना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत की विदेश नीति से सम्बन्धित विदेश मन्त्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

भारत की विदेश नीति का निर्धारण स्वतन्त्रता आन्दोलन से पहले स्वतन्त्रता सैनानियों ने जिस प्रकार से किया था, उसका बहुत बड़ा लाभ हमारे देश को ही नहीं बल्कि एशिया के सभी देशों को और विशेष रूप से विकासशील देशों को मिला है। भारत ने अपनी विदेश नीति के निर्धारण में विश्व-शांति, विश्व बन्धुत्व, गुट निरपेक्षता और इसके साथ-साथ सह-अस्तित्व के मूलभूत सिद्धान्तों को अपना आधार बनाया है। इन्हीं सिद्धान्तों को आज केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देश उन्हीं सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। मानवता के अस्तित्व के लिए, निशस्त्रीकरण के लिए और इसके साथ-साथ देश में, सारे विश्व में स्थापित करने के लिए, हमारे लिए आवश्यक है कि जो मूलभूत सिद्धान्त हमारी विदेश नीति में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने बाडुंग कांफ्रेंस में 1955 में इन्डोनेशिया में तय किए हैं... उन्हीं सिद्धांतों को स्वीकार किया जाए, अंगीकार किया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें खुशी होती है कि 6 दिसम्बर, 1987 को हेलसिंकी में हमारे विश्व की दो बड़ी महान् शक्तियों ने इस सिद्धांत को, सहअस्तित्व के सिद्धांत को और निरस्त्रीकरण के सिद्धांत को स्वीकार किया और एक ओर श्री गोर्बाचिव ने और दूसरी ओर प्रेसीडेंट रीगन ने इस बात को स्वीकारा कि यदि हम इस सिद्धांत को, 'जिओ और जीने दो' के सिद्धान्त को और को-एगजिस्टेंस के सिद्धान्त को और इसके साथ ही साथ मानवीय दृष्टि-कोण से मानवता को बचाने के लिए निरस्त्रीकरण के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करेंगे, तो मानवता को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है और उसके अनुपालन में, उसको स्वीकार करने से आज हम देखते हैं कि विश्व को एक बहुत बड़े तनाव से मुक्ति मिली है। इस तनाव से मुक्ति दिलाने का श्रेय, जहां इसका सूत्रपात पं० जवाहर लाल नेहरू ने अपनी विदेश नीति के निरूपण में किया, वहां उसके साथ-साथ श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा पैगाम विश्व की मानवता को दिया और उन्होंने एक कम्पेन के रूप में विश्व शान्ति के लिए, सभी राष्ट्रों को, जहां भी वे अपने दौरे पर गई, एक पैगाम दिया कि विश्व शान्ति के लिए हमें अथक प्रयत्न करना है। इस क्षेत्र में हमारे मौजूदा प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी, विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं और आज जो एक नया वातावरण विश्व के अन्दर पैदा हुआ है और विश्व शान्ति को एक नया आयाम मिला है, उस नये आयाम के लिए उन्होंने जो सबसे पहले पहल की है, वह एशिया में शान्ति स्थापित करने के लिए की है और अपने पड़ौसी देशों के साथ सम्बन्धों में मधुरता लाने के लिए उन्होंने जो पहल की है, वह एक बहुत बड़ा ठोस कदम उन्होंने उठाया है। बहुत से राजनीतिक, बहुत से डिप्लोमेट्स और बहुत से दूसरे लोग इस बात को कहते थे कि श्री राजीव गांधी जो आज कदम उठाने जा रहे हैं और चीन में जो मधुरता का संदेश ले कर के गये हैं, उसका हमारे यहां की राजनीति पर क्या प्रभाव होगा और इसके साथ-साथ एशिया में उसका क्या प्रभाव होगा। इस का बहुत बड़ा आकलन और इसका बहुत बड़ा इस्टीमेट लोग लगा रहे थे लेकिन हम देखते हैं कि इस का एक सतत प्रभाव हुआ है और इस प्रकार का प्रभाव हुआ है कि चीन के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत ही मधुर हुए हैं। आज चीन का डेलीगेशन हिन्दुस्तान के अन्दर, भारतवर्ष के अन्दर है और इस प्रकार

से चीन के साथ हमारे व्यापारिक, सांस्कृतिक और इसके साथ ही साथ राजनीतिक सम्बन्धों में बहुत बड़ा सुधार आया है, जो एक नये इतिहास का एक नया मोड़ है और इसका सारा श्रेय हमारे मौजूदा प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी को जाता है।

यही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम देखते हैं कि हमारे दूसरे पड़ौसी राष्ट्र पाकिस्तान के साथ यदि हम अपने सम्बन्धों में संयम न रखते और जिस प्रकार का पाकिस्तान का व्यवहार कुछ वर्षों पूर्व था, उसी प्रकार से हम व्यवहार करते और हम यदि री-एक्ट करते, तो निश्चित रूप से एशिया के अन्दर जहां हम शान्ति का वातावरण देखते हैं, वह हमें न दिखाई देता। हमारे प्रधान मन्त्री जी ने बहुत संयम से काम लिया और आज पाकिस्तान के अन्दर श्रीमती बेनजीर भुट्टो के प्रधान मन्त्री बनने के बाद जो वहां पर प्रजातांत्रिक पद्धति का शासन कायम हुआ है, उससे हमारे सम्बन्ध और अधिक मधुर हुए हैं। आज जो पाकिस्तान के साथ हमारे राजनीतिक सम्बन्ध चल रहे हैं, उनमें और सुधार आने की हम अपेक्षा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से फौजों के ऊपर और अस्त्र खरीदने के ऊपर पड़ौसी राष्ट्र पैसा खर्च करते थे, उसमें बहुत बड़ी कटौती करके उस पैसे को अपने देश के विकास में लगाएंगे। मैं प्रधान मन्त्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने इस मौजूदा बजट में सेनाओं के ऊपर जो हमारा व्यय था, उस व्यय में कमी की है। यह जो खर्च कम किया है, यह इस बात को जाहिर करता है कि प्रधान मन्त्री जी को यह विश्वास है कि जो उन्होंने शान्ति और निरस्त्रीकरण की नीति को स्वीकार किया है, उस नीति का यह फल है और उस नीति का प्रभाव निश्चित रूप से हमारे पड़ौसी देशों पर सकारात्मक रूप से होगा, पोजिटिव तरीके से होगा और सकारात्मक बात को जब हम देखते हैं, तो यह पाते हैं कि हमारे मित्र देश रूस ने भी, श्री गोर्वाचेव ने भी अपने डिफेन्स बजट में कमी की है। और इसके साथ-साथ सेना में जो उसकी तादाद थी, उसमें भी कमी की है। आज संसार के लोग इस बात को रिएलाईज करते हैं कि वास्तव में विश्व में जो आज शांति की, निशस्त्रीकरण की, सहअस्तित्व की नीति पर अमल किया जा रहा है वह नीति हिन्दुस्तान ने, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता के आन्दोलन के माध्यम से संसार को ठोस रूप में प्रस्तुत की थी।

7.30 म० प०

बैठक का समय बढ़ाया जाना—जारी

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सभा की बैठक 8.30 म० प० तक बढ़ायी जाये।"

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : हम इसका विरोध करते हैं। यह अनुचित रूप से समय क्यों बढ़ाया जा रहा है? सरकार को राष्ट्र को स्पष्टीकरण देना चाहिए······

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि सभा की बैठक 8.30 म० प० तक के लिए बढ़ायी जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या : 4 **7.37 म० म०**

पक्ष में

अंसारी, श्री जियाउर्रहमान

अख्तर हसन, श्री

अरुणाचलम, श्री एम०

उरांव, श्रीमती सुमति

ओडेयर, श्री चनैया

कुजूर, श्री मौरिस

कुन्जम्बू, श्री के०

कुरियन, प्रो० पी० जे०

खां, श्री मोहम्मद अयूब (झुन्झुन)

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चार्ल्स, श्री ए०

चिदम्बरम, श्री पी०

चौधरी, श्रीमती ऊषा

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जीवरत्नम, श्री आर०

जेना, श्री चिन्तामणि

जैन, श्री निहाल सिंह

तोमर, श्रीमती ऊषा रानी

दलबीर सिंह, श्री

दीक्षित, श्रीमती शीला

देव, श्री सन्तोष मोहन

नटवर सिंह, श्री के०

नामग्याल, श्री पी०

नायक, श्री जी० देवराय

नायकर, श्री डी० के०

पराशर, प्रो० नारायण चन्द

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पाटिल, श्री विजय एन०

पासवान, श्री राम भगत

पुजारी, श्री जनार्दन

बसवराजेश्वरी, श्रीमती

बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी

बूटा सिंह, सरदार

बैठा, श्री डूमर लाल

ब्रह्मदत्त, श्री

भगत, श्री एच० के० एल०

भगत, श्री बी० आर०

भोई, डा० कृपा सिंधु

मलिक, श्री धर्मपाल सिंह

महन्ती, श्री बृजमोहन

महाजन, श्री वाई० एस०

महाबीर प्रसाद, श्री

मालवीय, श्री बापूलाल

यादव, श्री महाबीर प्रसाद

राय, श्री आई० रामा

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

रावत, श्री हरीश

लच्छी राम, चौधरी

व्यास, श्री गिरधारी लाल

शर्मा, श्री नवल किशोर

सकरसेना, श्री कालीचरण

साही, श्रीमती कृष्णा

सिंह, श्री एन० टोम्बी

सिंह, श्री के० एन०

सिद्नाल, श्री एस० बी०

सिन्धिया, श्री माधवराव

सुखबन्स कौर, श्रीमती

सुल्तानपुरी, श्री के० डी०

सेठ, श्री अजीज

सेठी, श्री अनन्त प्रसाद

विपक्ष में

कुरूप, श्री सुरेश

*पटनायक, श्री जगन्नाथ

रेड्डी, श्री एस० जयपाल

उपाध्यक्ष महोदय** : शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा :—

पक्ष में	—	61
विपक्ष में	—	3

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुदानों की मांगें, 1989-90

विदेश मंत्रालय—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम सिंह यादव अब अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

---

*गलती से विपक्ष में मतदान किया ।

**निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में मत दिया :

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही, श्री जगन्नाथ पटनायक, श्री महेन्द्र सिंह, डा० फूलरेणु गुहा, श्री राम सिंह यादव, श्रीमती मनेम्मा अंजैया, श्री निर्मल खत्री, श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर)

[हिन्दी]

श्री रामसिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां भारत के चीन तथा दूसरे मित्र राष्ट्रों से, पड़ौसी देशों से सम्बन्ध सुधरे हैं वहीं अमरीका से भी सम्बन्धों में थोड़ा सुधार आया है। हम अमरीका का विशेष रूप से धन्यबाद देते हैं कि उन्होंने भारत के विकास के लिए सुपर कम्प्यूटर देने के लिए सहमति दी और दूसरा सुपर कम्प्यूटर खरीदने के लिए वार्ता चल रही है, यह भारत के विकास के लिए अमरीका का एक बहुत बड़ा सहयोग होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ हमारे दूसरे पड़ोसी देशों, नेपाल, भूटान, श्रीलंका से भी सम्बन्धों में गुणात्मक सुधार हुआ है। नेपाल के अन्दर जो गतिविधि चल रही है, जिस प्रकार से उन्होंने एक नया मुद्दा भारतीय राष्ट्रीयता का उठाया है, वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के लिए इस सम्बन्ध में बैठकर बातचीत करना आवश्यक है। हमारे प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी जी ने इस बात को कहा है कि नेपाल नरेश के साथ बैठकर इस मुद्दे पर बात करने के लिए भारत सरकार सहमत है, भारत तैयार है। व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों को आगे बढ़ाने के लिए भी हम चाहते हैं कि जिस प्रकार के सम्बन्ध हमारे नेपाल के साथ पहले रहे हैं, उसी तरह से आने वाले समय में भी सम्बन्धों में किसी प्रकार की गिरावट न हो। इसके साथ ही हमें इस बात को देखना है कि आज नेपाल में चाइना और दूसरे देशों के प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं, जिस प्रकार से वह चाइना से हथियार खरीद रहा है, अपनी सुरक्षा के नाम पर, आंतरिक सुरक्षा के नाम पर, यह हिन्दुस्तान के लिए एक चुनौती है। इस पर हिन्दुष्तान को हमेशा निगाह रखनी चाहिए। विदेश मन्त्री जी को यह देखना चाहिए कि नेपाल ने जो शस्त्र चीन से खरीदे हैं, क्या आंतरिक सुरक्षा के लिए वे आवश्यक थे या उन्होंने लिमिट से अधिक हथियार खरीदे हैं जो इस क्षेत्र की शान्ति के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। यह नया कदम नेपाल ने उठाया है, जिसके कारण भारत के दिलोदिमाग में आपसी सम्बन्धों के बारे में बहुत बड़ा सन्देह पैदा हो गया है। इसके साथ ही भारतीय मूल के बहुत से लोग जो नेपाल में हैं, उनके अधिकारों के बारे में, उनकी सम्पत्ति के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में बहुत पेचीदा प्रश्न वहां की सरकार ने पैदा किए हैं।

ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आगे चलकर और अधिक गम्भीर रूप ले सकते हैं। मैं विदेश मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि नेपाल के साथ बैठकर इन सभी मुद्दों पर बातचीत करना जरूरी है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी सेना ने और हमारे राजनयिकों ने इस वर्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आई० पी० के० एम० उसके कमान्डर्स और जो उसके बड़े अधिकारी हैं उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण और शौर्यपूर्ण कार्य किए हैं।

7.41 म० प०

[श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुईं]

सेना से जो अपेक्षा होती है कि वह किस प्रकार से शांति कायम रख सके, वह कार्य आई० पी० के० एफ० ने पूरा करके दिखाया है। हालांकि दूसरा देश और दूसरा क्षेत्र होते हुए जिसको जानते नहीं थे फिर भी उन्होंने जिस तरीके से कार्य किया है, उसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। हमारे राजनयिकों ने भी बड़े संयम से काम किया है। हमें खुशी है कि श्रीलंका के साथ हमारे सम्बन्धों में सुधार हुआ है। श्रीलंका ने भी एप्रीशियेट किया है कि आई० पी० के० एफ० और उसके जवानों ने सराहनीय

कार्य किया है। दोनों देशों में मित्रता को उन्होंने आगे बढ़ाया है इसलिए इस सदन के माध्यम से मैं आई० पी० के० एफ० के कमान्डर्स और अधिकारियों को जो उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया है, धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही मालद्वीप में जो कि हमारा पड़ोसी देश है, वहां पर डेमोक्रेसी कायम रखने के लिए हमारी सेना ने प्रशंसनीय कार्य किया है। उसकी प्रशंसा करना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमारी सेना ने जो आदर्श, कीर्तिमान व सराहनीय कार्य किया है उसके लिए हम सभी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। हमारी सेना ने बहुत ही कम समय में पड़ोसी देश की सूचना के आधार पर वहां पहुंचकर कुशलतापूर्वक सारी स्थिति को नियन्त्रण में किया और कोई केजुअल्टी नहीं होने दी, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे हिन्दुस्तान की सरकार को और हमारी विदेश नीति को बहुत बड़ा सहयोग मिला है। मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि हमारे यहां इनसरजेंसी का मुख्य कारण यह है कि किस प्रकार से टैरोरीस्ट्स को हमारे पड़ौसी देशों में आज भी प्रशिक्षित किया जाता है और देश की एकता तथा अखंडता को चुनौती देने के लिए कई तरह के नारे लगाए जाते हैं। इसी तरह से नार्थ इस्टर्न राज्यों में भी प्रशिक्षित करके भेजा जा रहा है चाहे वह पाकिस्तान से भेजा जा रहा है। प्रधान मन्त्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो इस बात को चाहती हैं कि हमारे सम्बन्ध मधुर हों। लेकिन जैसा कि समाचार एजेंसियों के माध्यम से जाहिर होता है उनकी भी कम्पलशन्स हैं। कम्पलशन्स (मजबूरियां) के बावजूद भी दोनों देशों के बीच में कुछ और इस तरह की शक्तियां हैं जो मतभेद पैदा कर रही हैं। उन सबको देखने के लिए हमारे विदेश मंत्री जी को और भी अधिक जागरूक और सजग रहने की आवश्यकता है। हमारे श्री नरसिंह राव जी और कुंवर नटवर सिंह जी ने जिस प्रकार से सराहनीय कार्य किया है, उसकी भी मैं प्रशंसा करना चाहूंगा। एक वर्ष के अन्दर ही दोनों मंत्रियों ने प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी विदेश नीति को एक नया आयाम और नई दिशा दी है। उन उपलब्धियों के कारण हमारे देश की विदेश नीति को गौरव से और इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है।

आज श्री राजीव गांधी को विश्व में एक बहुत ही सशक्त विदेश नीति के बारे में हस्ती माना जाता है, एक नेता माना जाता है कि उन्होंने जिस पद्धति को 1955 वाली को स्वीकार किया है वह नीति वास्तविक है और वास्तव में सारे संसार के लिए सही दिशा में चलने के लिए एक सही रास्ता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः श्री नरसिंह राव जी को और श्री नटवरसिंह जी जो कि विदेश मंत्री हैं उनके कार्य की प्रशंसा करता हूं। इसके साथ-साथ प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में एक नई दिशा देश की विदेश नीति को मिली है मैं उसकी तारीफ करता हूं और आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में इस देश की विदेश नीति को और आगे बढ़ाया जाएगा तथा उसकी नई उपलब्धियां होंगी जो चोटी पर पहुंचेंगी।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : भारत और नेपाल बरसों से न केवल पड़ोसी हैं, बल्कि हमारे ऐतिहासिक सम्बन्ध भी हैं। दोनों देशों के सम्बन्ध आपस में भाइयों की तरह रहे हैं। आज अचानक उन सम्बन्धों में तनाव का आना किसी भी रूप में न तो भारत के हित में है और न ही नेपाल के हित में है। हो सकता है कोई तीसरा देश जो इस बात में अपना हित देखता हो कि नेपाल और भारत भाइयों की तरह न रहें। इसलिए वह ऐसा कदम उठा रहा हो या ऐसे तत्वों को नेपाल के अन्दर भड़काने की चेष्टा कर रहा हो जो भारत विरोधी भावनाओं को उकसायें। मैं समझता हूं हमारे देश को इस दिशा में सचेत रहने की आवश्यकता है। मैं जिस जगह से आता हूं वहां हमारा बोर्डर नेपाल के साथ लगता है। नेपाल की जनता भारत पर निर्भर है और भारत के बोर्डर के लोग वह कुछ हद तक नेपाल पर भी निर्भर हैं। हमारे आपस में रिश्ते-नाते भी हैं। लेकिन आज यह देखकर ताज्जुब होता है

कि दो देशों के बीच ट्रेड एण्ड ट्रांजिट ट्रीटी के रिनुवल के प्रश्न को जिस तरह से नेपाल ने ट्विस्ट करने की कोशिश की है और उसको अपनी आंतरिक प्रतिष्ठा के साथ जोड़ने की चेष्टा की है उससे नेपाल की जनता को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि काठ-मांडू के अन्दर भारत विरोधी तत्व नेपाल की उत्पत्यिका में सक्रिय हैं। वे लोग बराबर कुछ न कुछ कर रहे हैं जिससे भारत में विरोध में कुछ न कुछ कहा जा सके। आज वही तत्व नेपाल में घूम-घूमकर नेपाल के लोगों से कह रहे हैं कि हमको किसी भी रूप में भारत के सामने नहीं झुकना है, इसमें झुकने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हम चाहते हैं कि दो भाइयों में जैसे ताल्लुक होते हैं उसी प्रकार से नेपाल और भारत के बीच में रहें और इस बारे में बातचीत हो और ट्रेड एण्ड ट्रांजिट ट्रीटी का रिनुवल हो। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस प्रकार का नेपाल के अन्दर जो ट्रेंड चल रहा है जिस तरह से वहां पर भारत विरोधी तत्व सक्रिय हैं उनकी अनदेखी करना किसी भी रूप में भारत-नेपाल सम्बन्धों के लिए दूरगामी दृष्टि से उचित नहीं होगा। भारत सरकार को इस बात के लिए सचेष्ट रहना होगा कि कहीं ऐसा न हो कि वे लोग भारत के साथ मैत्री रखने वाले नेपाल के लोगों को भड़काने में सफल हो जाएं। प्रधान मन्त्री जी और मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि नेपाल को आवश्यक चीजों की सप्लाई को रोकने में भारत की कोई दिलचस्पी नहीं है। हम चाहते हैं वह कंटीन्यू रहे जिससे नेपाल के लोगों को हानि न उठानी पड़े। लेकिन यह बात नेपाल के अंदर नहीं पहुंच रही है, नेपाल का रेडियो जिस तरीके से भारत विरोधी प्रचार कर रहा है जिस तरीके से एक पंचायत से दूसरी पंचायत के प्रस्तावों को पास करके दुराग्रह फैलाने की कोशिश की जा रही है कि नेपाल की जनता भारत के खिलाफ उठ खड़ी हो, इसलिए इसकी क्लोजली मानेटरिंग करने की जरूरत है···हमें भी उतने ही इफैक्टिव तरीके से, अपने देश की तरफ से इसे काउन्टर करने की जरूरत है। यदि हम उस प्रचार का समुचित जवाब नहीं देंगे और नेपाल के भोलेभाले लोगों के मस्तिष्क में यह बात बैठ गयी तो वह किसी भी सन्दर्भ में नेपाल और हमारे हित में नहीं होगा। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि नेपाल में जो लोग सत्ता से जुड़े हुए हैं, सत्ता के चारों ओर मंडरा रहे हैं, उनमें से कुछ के चीन के साथ ताल्लुकात हैं और उन लोगों ने मौका देखकर चीन से कुछ हथियार भी लिए, जो नेपाल के साथ हुई हमारी संधि की मूल भावना के सर्वथा विपरीत है। वे ही लोग चीन से तस्करी के जरिए जो माल आ रहा है, उसे भारत पहुंचाने का काम करते हैं, उसके साथ उनके इन्टरैस्ट जुड़े हुए हैं, वहां जो माफिया सक्रिय है, उसके साथ उनके इंटरैस्ट जुड़े हुए हैं। इन सारे तत्वों को कैसे एक्सप्रोज किया जाए, कैसे नेपाल की जनता को कान्फीडेंस में लिया जाए, इसे देखने के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा। इस बात की भी आवश्यकता है कि भारत के जितने बोर्डर एरियाज हैं, उनमें कुछ जिम्मेदार लोगों को किसी तरह से वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाए, उन्हें बताना चाहिए कि उन तत्वों के इरादे क्या हैं। वैसे तो सीधे तौर पर आपका एक्साइज और कस्टम डिपार्टमैंट से ताल्लुक नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप वित्त मंत्री जी तक मेरी यह भावना पहुंचा दें कि भारत से लगते जितने नेपाल के एरियाज हैं, उनके बीच आवागमन चलता रहता है, नेपाल में यदि कोई बीमार हो जाता है तो वहां दवाइयां आसानी से नहीं मिल पाती हैं, इसलिए उन लोगों को भारत की मार्केट में आना पड़ता है। यदि वे यहां से 20 रुपए की दवाई भी लेकर जा रहे होते हैं तो हमारे कस्टम के लोग उनको रोक देते हैं। ऐसे इंसीडैंस एक-दो या चार हो सकते हैं, मगर उसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे नेपाल में भारत विरोधी जो तत्व सक्रिय हैं, उन्हें मौका मिल जाता है। इसलिए आप कृपा करके वित्त मंत्री जी को यह कहने का कष्ट करें कि नेपाल सीमा पर स्थित एक्साइज और कस्टम विभाग के लोग अपनी उदारता का परिचय भी दें, जो रुख भारत सरकार हमेशा से नेपाल के प्रति दिखाती आयी है, वे उसका परिचय दें।

उसे एक पुलिसमैन की तरह ट्रीट करने की जरूरत नहीं है।

7.52 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सार्क देशों के मध्य सम्बन्ध मधुर बनाने की दिशा में हमारे प्रधान मंत्री जी ने बहुत पहल की है, उसी का नतीजा है कि हमें चारों तरफ मैत्री और दोस्ती का वातावरण दिखायी देता है। हमें उम्मीद है कि कालान्तर में यह वातावरण और ज्यादा मजबूत होगा, शक्तिशाली होगा और हमारे बीच ताल्लुकात सुधरते जायेंगे, व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध सुधरते जायेंगे, एक देश की जनता दूसरे देश की जनता के नजदीक आती जायेगी और भारत उपमहाद्वीप के सभी सातों देशों में शांति और प्रगति होगी। मैं इसके लिए भारत सरकार और विशेष तौर पर विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, इस दिशा में उनकी पहल स्वागतयोग्य है। ईरान और इराक के बीच जो काफी समय से लड़ाई चल रही थी, आज वह समाप्त हो गयी है मगर अफगानिस्तान एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जो हमारे लिए चिन्ता का विषय है। आज वहां मुजाहिदीन और अफगान सरकार के बीच लड़ाई चल रही है। यदि यह लड़ाई आगे भी चलती रही, खतरनाक हथियार पाकिस्तान के रास्ते मुजाहिदीनों को मिलते रहे, उनके ट्रेनिंग कैम्प चलते रहे तो हमारे देश में विशेषकर पंजाब और जम्मू कश्मीर के इलाकों में शांति की आशा नहीं की जा सकती क्यों कि जो हथियार मुजाहिदीनों को जा रहे हैं, वे पेशावर में खुले-आम बिकते हैं। उन हथियारों के जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी और वहां वे हमारे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किए जायेंगे। भारत सरकार का दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में बिल्कुल स्पष्ट है कि अफगानिस्तान में जेनेवा एग्रीमेंट के मुताबिक शांति होनी चाहिए। रूस ने अपनी सेनाएं अफगानिस्तान से वापस बुला ली हैं लेकिन इसके बावजूद खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल दोनों एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। अफगानिस्तान की जनता आपस में लड़ रही है, एक दूसरे के खून की प्यासी हो रही है। जिस अफगानिस्तान के साथ हमारे परम्परागत मैत्री सम्बन्ध थे, आज वहां हालत बहुत गम्भीर हो गयी है जिससे निश्चित रूप में पाकिस्तान में भी शांति नहीं रह पायेगी और वहां सेना का वर्चस्व लोकतांत्रिक सरकार के ऊपर बना रहेगा। और यदि लोकतांत्रिक सरकार के ऊपर सेनाओं का वर्चस्व जिस तरीके से पहले था और आज बना हुआ है, यदि वह बना रहा, तो भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध भी सामान्य, जिस दिशा में हम बनाना चाहते हैं जिस दिशा में माननीय प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी और बेनजीर भुट्टो साहिबा बनाना चाहती हैं, उतनी तेजी के साथ सम्बन्ध सामान्य नहीं हो सकते। अफगानिस्तान में कोई हल निकले, समस्या का कोई समाधान निकले, इसमें भारत की दिलचस्पी है और भारत को इस मामले में पहल भी करनी चाहिए।

ईरान-ईराक की आजादी के बावजूद आज भी हम यह नहीं कह सकते कि गल्फ कंट्रीज में आजादी आ गयी है। जब तक पैलेस्टीन के लोगों को उनके मौलिक अधिकार नहीं मिल पाते, उनको अपनी मातृभूमि नहीं मिल जाती है, तब तक हम समझते हैं कि गल्फ कंट्रीज में आजादी नहीं आ सकती है। भारत ने पैलेस्टीन के बहादुर लोगों की बड़ी मदद की है और उसकी सारे विश्व में तारीफ भी हुई है और सारी दुनिया में आजादी के लिए लड़ने वाले लोग जो आज अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, वे सारी शक्तियां यासर अराफात और उनके नेतृत्व में लड़ने वाले पी० एल० ओ० के बहादुर सैनिकों के

साथ हैं। भारत ने उनकी जो मदद की है उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। मैं भी उसके लिए भारत सरकार और विदेश मंत्रालय को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो रैकगनीशन यू० एन० ओ० में पैलेस्टीन को मिली है, उसमें भारत सरकार ने बहुत बड़ी मदद की है, मददगार रही है। उसके लिए जो प्रयत्न भारत सरकार ने किए हैं, उसके लिए निसन्देह प्रशंसा और तारीफ की जानी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक उनको उनका वास्तविक हक नहीं मिल जाता है, मातृभूमि नहीं मिल जाती है, तब तक भारत सरकार को उतनी ही तेजी के साथ पैलेस्टीन के लोगों की और यासर अराफात साहब और उनके लोगों की मदद करते रहना चाहिए।

सर, नामिबिया में, स्वापो के बहादुर लोगों की जिस प्रकार से हत्या की जा रही है और दक्षिणी अफ्रीका के सैनिक जिस तरह से नवोदित राष्ट्र, जिसको अभी स्वाधीनता मिलने वाली है, हमारी अपनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, शांतीप्रेमी देशों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। जो लोग बर्चस्व के खिलाफ, साम्राज्य-वादी ताकतों के खिलाफ लड़ने की बात सोचते हैं, उन सब कीं भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आज उन स्वापो के लोगों को जिस प्रकार से दक्षिणी अफ्रीका के सैनिक मार रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है, वह निःसन्देह चिन्ता का विषय है। हालांकि यू० एन० ओ० की शांति सेना वहां पर है, हमारे भारत के शांति सैनिक वहां पर हैं, लेकिन वह संख्या इतनी काफी नहीं है। उसको राजनैतिक लैवल पर भी टैकल करने की आवश्यकता है। ब्रिटेन के साथ हमारे परम्परागत सम्बन्ध हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि स्वापो के मामले में ब्रिटेन का दिमाग और पश्चिमी यूरोप के देशों का दिमाग साफ नहीं है। वह कभी भी साफ नहीं रहा है और वे लोग यह चाहते हैं कि आखिरी सीमा तक जिस तरीके से भारत जब समय आजाद हो रहा था या दूसरे नवोदित राष्ट्र आजाद हो रहे थे उस वक्त ब्रिटेन की जो भावना थी, एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की, उनको अधिकतम नुकसान पहुंचाने की, उनको अधिकतम बरबाद करने की, उनको ग्रुपों में कबीलों में बांटने की जो मैंटेलिटी थी, वह मैंटेलिटी आज भी काम कर रही है। उनकी मैंटेलिटी है कि स्वापो के सेनिकों का सफाया कर दिया जाए। जिनके साथ हमारे परंपरागत सम्बन्ध हैं, हम उन लोगों की कुछ मदद वास्तविक रूप में कर सकें, तो बहुत अच्छा होगा। जब तक दक्षिण अफ्रीका के अन्दर मानवता का हनन होता रहेगा, जब तक वहां रंगभेदकारी सरकार कायम रहेगी, मैं समझता हूं कि आजादी का प्रेमी व्यक्ति, कोई भी विश्वबन्धुत्व का प्रेमी व्यक्ति, जो समान मानवाधिकारों में विश्वास करता है, वह व्यक्ति शांति से नहीं बैठ सकता है और भारत की चिन्ता इस दिशा में सर्वविदित है। हम लोगों ने मदद भी करने की कोशिश की है, लेकिन जो मदद हम करते हैं, ज्यादातर हमारी मदद राजनीतिक स्तर पर होती है, मटीरियल कम्पोनेंट के रूप में, हम ऐसे स्वाधीनता प्रेमी लोगों की मदद नहीं कर पाते हैं, चाहे वह दक्षिणी अफ्रीका हो, या पोलीजेरियो के फ्रंट पर हो।

8.00 म० प०

मैं माननीय विदेश मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि भारत आज कोई एक देश नहीं है, भारत एक विचारधारा है। तीहरे विश्व के लोग गरीब और पीड़ित मानवता और ऐसे छोटे देश जो विकासशील देश हैं, वे सब हमारे नेतृत्व की ओर देख रहे हैं। जो रास्ता महात्मा गांधी और श्री जवाहर लाल नेहरू ने दिखाया था, जिस पर श्रीमती इन्दिरा गांधी चलीं, आज उसी रास्ते पर राजीव गांधी की सरकार मजबूती के साथ चल रही है। तेजी से और बदलते हुए समय के साथ जिस तरह दुनियां का एन्वायमैंट चेंज हो रहा है, उसके अनुरूप काम करने और कदम उठाने की जरूरत है।

पोलोजोरियो और दक्षिण अफ्रीका के फ्रन्ट पर हम जो भी मदद कर सकते हैं, हमको वहां के स्वाधीनता-प्रेमी लोगों की मदद करनी चाहिए और यदि हम उनकी मदद करेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव आने वाले लोगों पर अच्छा पड़ेगा। विश्व में इस समय तनाव की जो स्थिति है, उसमें कमी आ रही है। इस दिशा में रूस से श्री गोर्बाचोव के नेतृत्व में जो पहल की है, हम उसका स्वागत करते हैं और उसके लिए रूस व श्री गोर्बाचोव को बहुत-बहुत बधाई देना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि अमेरिका में जो नई सरकार आई है, वह भी पौजिटिव दृष्टिकोण अपनाएगी जो इस समय श्री गोर्बाचोव और रूस की सरकार का है, क्योंकि जब विश्व के दृष्टिकोण में तनाव में कमी होगी तो निश्चित उसका फायदा उन देशों को मिलता है जो भारत जैसे विकासशील देश हैं। जब दुनियां में तनाव पैदा होता है तो हथियार बनाने वाले देश और हथियारों के जरिए राजनीतिक करने वाले देशों को ताकत मिलती है।

इस संदर्भ में भारत के प्रधान मंत्री ने दुनियां के कई देशों में जाकर जो पहल की है और वहां के राजनेताओं के साथ अपने व्यक्तिगत ताल्लुक बनाकर विश्व शांति की दिशा में जो सक्रिय सहयोग दिया है, उसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं विशेष तौर पर यह कहना चाहता हूं कि भारत द्वारा इन सम्बन्धों को सामान्य बनाने की दिशा में जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई है, वह चलती रहनी चाहिए।

हमारे विपक्ष के मित्रों ने इस दिशा में आशंका उठाने की चेष्टा की है और भ्रम पैदा करने की चेष्टा की है। उन्होंने यह जताने की चेष्टा की है कि हमने चीन के साथ खुद पहल की है, जबकि दोनों की एक म्युचुअल अन्डर-स्टैंडिंग है। चीन भी चाहता है कि भारत के साथ उसके सम्बन्ध सामान्य हों और चीन जिस बात को चाहता है, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह हमारे हित में भी है। अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो यह भारत के दूरगामी हित में नहीं होगा।

चीन में जो मानसरोवर है, वह भारत के लिए धार्मिक तीर्थ है, वहां हजारों-हजारों लोग जाना चाहते हैं। आप जिस तरह पूरी वार्ता को रैगूलेट करके चल रहे हैं, सरकारी माध्यम से चीन की सरकार से बातचीत करके इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि मानसरोवर कैलाश की यात्रा के लिए बहुसंख्या में लोगों को वहां जाने की इजाजत दी जाए।

चीन के साथ जो हमारी व्यापार की दिशा में बातचीत हुई है, उसे बढ़ाने की दिशा में भी बातचीत की जाए। उसके विषय में आपने आश्वासन दिया है कि बातचीत प्रगति पर है। हर बार यही सुनने को मिलता है। चीन की सरकार से ला एण्ड आर्डर के जरिए हमारे व्यापार का ट्रांजैक्शन बढ़े, इसका मैं पूरा समर्थन करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ इन डिमांड्ज का मैं पूरा समर्थन करता हूं।

8.03 म० प०

कर्नाटक विधान सभा का विघटन किए जाने तथा वहां राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री बूटासिंह स्वयं एक वक्तव्य देंगे और कर्नाटक राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(व्यवधान)

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : महोदय, कर्नाटक के राज्यपाल ने 19-4-1989 की अपनी रिपोर्ट में और बाद में राष्ट्रपति को भेजे गए अपने संदेश में यह सूचित किया है कि विधान सभा में शासित जनता दल के 18 सदस्यों ने तथा भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने श्री एस०आर० बोम्मई के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है । सदन में अध्यक्ष के अलावा इस समय 222 सदस्यों में से, जनता दल के कुल 111 सदस्य थे । इसके अतिरिक्त, 7 निर्दलीय समस्यों ने भी जनता दल को अपना समर्थन देने का वचन दिया था । इस समर्थन वापस लेने से जनता दल की सदस्य संख्या 118 (इसमें सात निर्दलीय विधायक शामिल हैं) से घटकर अल्पमत में आ गई है । राज्यपाल के अनुसार, इस प्रकार श्री एस० आर० बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार का सदन में बहुमत नहीं रह गया । राज्यपाल ने यह भी बताया है कि उनके विचार में ऐसी कोई अन्य पार्टी नहीं है जो कि राज्य में सरकार बना सकती है । राज्यपाल का यह मत है कि राज्य में अब विद्यमान परिस्थितियों में, कर्नाटक सरकार को संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता । इसलिए उन्होंने कार्यवाही करने और संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी करने तथा राज्य विधान सभा को भंग करने की सिफारिश की है ।

राज्यपाल की सिफारिशों और कर्नाटक में विद्यमान स्थिति को देखते हुए, राष्ट्रपति ने कर्नाटक राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत आज उद्घोषणा जारी की है । राज्य विधान सभा को भी भंग कर दिया गया है ।

मैं इस स्थिति में इस सदन को इस निर्णय की सूचना देना अपना कर्त्तव्त समझता हूं । मैं इस उद्घोषणा की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । इस उद्घोषणा के जारी किए जाने पर इस सम्मानीय सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए मैं फिर सदन के समक्ष उपस्थित होऊंगा । (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । पहला, उन्होंने कार्य सूची को परिचालित नहीं किया है । दूसरा, अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत राजपत्र अधिसूचना सभा पटल पर अवश्य रखी जानी चाहिए और राजपत्र संख्या अवश्य दी जानी चाहिए । मैं राजपत्र संख्या के बारे में जानना चाहता हूं······(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सबसे पहली बात तो यह है कि यह एक स्वतः दिया गया वक्तव्य है । इसके लिए कार्य सूची आवश्यक रूप से दिए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

सरदार बूटा सिंह : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) कर्नाटक राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 21 अप्रैल, 1989 की उद्घोषणा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए दिनांक 21 अप्रैल, 1989 के आदेश की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7765/89]

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह लोकतन्त्र की हत्या है······**(व्यवधान)**

सरदार बूटा सिंह : बंगलौर की गलियों में लोकतन्त्र का व्यापार किया जा रहा है जहां पर लोगों को ऊंचे दामों पर खरीदा जा रहा है। बंगलौर में खुले आम लोकतन्त्र की बिक्री हो रही है···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह स्वतः दिया गया वक्तव्य है। इसके लिए, किसी कार्यसूची की आवश्यकता नहीं है, और इसके लिए राजपत्र संख्या की भी आवश्यकता नहीं है।

अब सभा सोमवार 11 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

8.08 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 24 अप्रैल, 1989/वैशाख, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : दी स्टील स्लेट, मैन्यु० कं० (प्रैस विभाग), अजमेरी गेट, दिल्ली-6